VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

जून 2021

# मासिक समसामयिकी

8468022022 | 9019066066 www.visionias.in

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

# फाउंडेशन कोर्स
# सामान्य अध्ययन
## प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2022

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। ऑफलाइन कक्षाएं सरकारी नियमों और छात्रों की सुरक्षा के अधीन उपलब्ध होंगी।

### इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
- सीसैट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसैट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

लाइव/ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध

**DELHI:** 15 July | 5 PM **JAIPUR** 28 June | 4 PM

# अभ्यास
## प्रीलिम्स 2021
## ऑल इंडिया प्रीलिम्स
## मॉक टेस्ट सीरीज (ऑनलाइन)

**GS TESTS** - 25 Apr | 9 May | 4 July | 8 Aug | 5 Sept
**CSAT TESTS** - 13 June | 22 Aug

- हिंदी/अंग्रेजी में उपलब्ध
- ऑल इंडिया रैंकिग एवं अन्य विद्यार्थियों के साथ विस्तृत तुलनात्मक विवरण
- सुधारात्मक उपायों एवं प्रदर्शन में सतत सुधार हेतु Vision IAS द्वारा टेस्ट उपरांत विश्लेषण™

पंजीकरण करें
www.visionias.in/abhyaas

# विषय-सूची


**1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance) 6**

1.1. विधि का शासन (Rule of Law) ....6

1.2. सिटीजन चार्टर (Citizen's Charter) ....8

**2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) 12**

2.1. परमाणु नि:शस्त्रीकरण (Nuclear Disarmament) ....12

2.2. भारत का असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग (India's Civil Nuclear Energy Cooperation) ....15

2.3. शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation: SCO) ....17

**3. अर्थव्यवस्था (Economy) 21**

3.1. वस्तु एवं सेवा कर के 4 वर्ष (4 Years of GST) ....21

3.2. राजकोषीय घाटे का प्रत्यक्ष मुद्रीकरण (Direct Monetisation of The Fiscal Deficit) ....23

3.3. वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर (Global Minimum Corporate Tax Rate) ....27

3.4. सूक्ष्म-वित्त का विनियमन (Microfinance Regulations) ....29

3.5. शहरी रूपांतरण (Urban Transformation) ....33

3.6. भारत में पर्यटन क्षेत्रक (Tourism Sector in India) ....37

3.6.1. संधारणीय पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति और कार्ययोजना का प्रारूप (Draft National Strategy and Roadmap for Sustainable Tourism) ....39

3.6.2. ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीति और कार्ययोजना का प्रारूप (Draft National Strategy and Roadmap for Development of Rural Tourism) ....41

3.6.3. चिकित्सा और वेलनेस पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति और कार्ययोजना का प्रारूप (Draft National Strategy And Roadmap For Medical And Wellness Tourism) ....43

3.6.4. बैठकों, प्रोत्साहनों, सम्मेलनों एवं प्रदर्शनियों के लिए राष्ट्रीय रणनीति और कार्ययोजना का प्रारूप {Draft National Strategy and Roadmap For MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions)} ....45

3.7. सुधार-आधारित और परिणाम-से जुड़ी, संशोधित वितरण क्षेत्रक योजना (Reforms-Based and Results-Linked, Revamped Distribution Sector Scheme) ....47

3.8. भारत का कृषि निर्यात (India's Agricultural Export) ....50

3.9. एग्रीस्टैक (Agristack) ....53

3.10. बागवानी (Horticulture) ....56

3.11. कपास की कृषि (Cotton Cultivation) ....58

3.12. भारत में अर्धचालकों का विनिर्माण (Semiconductors Manufacturing in India) ....61

3.13. एक राष्ट्र एक मानक (One Nation One Standard) ....63


VISION IAS

3.14. उपभोक्ता संरक्षण (ई-वाणिज्य) नियम, 2020 {Consumer Protection (E-Commerce) Rules, 2020} .....65

**4. सुरक्षा (Security) 70**

4.1. एकीकृत थिएटर कमान (Integrated Theatre Commands) .....70

**5. पर्यावरण (Environment) 73**

5.1. सकल पर्यावरण उत्पाद (Gross Environment Product: GEP).....73

5.2. भारत में एथेनॉल मिश्रण (Ethanol Blending in India).....75

5.3. गंगा नदी घाटी का हिमनद झील एटलस (Glacial Lake Atlas of Ganga River Basin) .....77

5.4. जैविक कृषि (Organic Farming).....79

5.5. भारत में सूखा (Droughts in India) .....83

**6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) 89**

6.1. भारत में उच्चतर शिक्षा (Higher Education in India) .....89

6.2. बाल श्रम (Child Labour) .....93

6.3. आदर्श किराएदारी अधिनियम, 2021 (Model Tenancy Act, 2021).....96

6.4. एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स: नीति आयोग (SDG India Index 2021: NITI Aayog).....99

**7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology) 102**

7.1. जीनोम एडिटिंग (Genome Editing).....102

7.2. लिडार सर्वेक्षण रिपोर्ट (LiDAR Survey Reports).....104

**8. संस्कृति (Culture) 107**

8.1. राजभाषा का दर्जा (Official Language Status) .....107

**9. नीतिशास्त्र (Ethics) 110**

9.1. कस्टोडियल क्राइम: क्या न्याय के लिए मानवाधिकारों को उपेक्षित किया जाना चाहिए? (Custodial Crimes: Should Human Rights Be The Cost of Justice?) .....110

**10. सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएँ (Government Schemes in News) 113**

10.1. जियो पारसी योजना (Jiyo Parsi Scheme).....113

**11. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Short) 114**

11.1. डिजिटल मीडिया सामग्री विनियामक परिषद {Digital Media Content Regulatory Council (DMCRC)}.....114

11.2. केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 {Cable Television Networks (Amendment) Rules, 2021}..114

11.3. संचार मंत्रालय ने अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए दिशा-निर्देशों को उदार बनाया {Ministry of Communications Liberalized Guidelines For Other Service Providers (OSPs)}.....115

VISIONIAS

11.4. संवेदनशील सूचनाओं के प्रकाशन के संबंध में सेवानिवृत्त अधिकारियों पर सरकार द्वारा प्रतिबंध (Government Bar Retired Officials From Publishing Sensitive Information) ....115

11.5. केंद्र ने युद्ध/संचालन इतिहास के संग्रह, अवर्गीकरण और संकलन पर नीति को स्वीकृति प्रदान की (Centre Approves Policy On Archiving, Declassification & Compilation of War/operations Histories) ....116

11.6. व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (अंकटाड) द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 {World Investment Report 2021 by the UN Conference on Trade and Development (UNCTAD)} ....116

11.7. मनरेगा के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए पृथक बजट शीर्ष (Separate Budget Heads For Sc And St Categories Under MGNREGS) ....116

11.8. ऋण-जी.डी.पी. अनुपात (Debt to GDP ratio) ....117

11.9. टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स {Tax Inspectors Without Borders (TIWB)} ....117

11.10. आई. टी. ए. टी. - ई-द्वार (Itat-e-Dwar) ....117

11.11. मिशन इनोवेशन- क्लीनटेक एक्सचेंज (Mission Innovation- CleanTech Exchange) ....117

11.12. AIM-iLEAP (उद्यमिता संबंधी तेजी और लाभ के लिए अभिनव नेतृत्व) पहल {AIM-iLEAP (Innovative Leadership For Entrepreneurial Agility And Profitability) Initiative} ....118

11.13. कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल का प्रवर्तन (Enforcing Contracts Portal) ....118

11.14. भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर {India's first International Maritime Services Cluster (IMSC)} ....118

11.15. वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक {Global Cybersecurity Index (GCI)} ....118

11.16. अग्नि प्राइम (Agni Prime) ....119

11.17. सुर्ख़ियों में रहे अभ्यास (Exercises in News) ....119

11.18. विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट, 2021 (World Energy Investment Report, 2021) ....119

11.19. देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान (Dihing Patkai National Park) ....119

11.20. द लीफ कोएलिशन (The Leaf Coalition) ....120

11.21. फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट स्टैम्प्स (Forest Carbon Credit Stamps: FCCS) ....120

11.22. आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ {Genetically Modified (GM) Rubber} ....120

11.23. पर्यावरण मंत्रालय ने इंडिया प्लास्टिक चैलेंज-हैकाथॉन 2021 की घोषणा की (India Plastic Challenge – Hackathon 2021 Announced By Environment Ministry) ....121

11.24. स्टेट ऑफ़ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट (State of Finance for Nature Report) ....121

11.25. संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट का सीईओ वाटर मैंडेट (United Nations Global Compact's CEO Water Mandate) ....122

11.26. उत्तरी अमेरिका में हीट डोम (Heat Dome in Northern America) ....122

11.27. महसीर (Mahseer) ....122

11.28. भारितालासचस तपानि (Bharitalasuchus tapani) .....123

11.29. परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) 2019-20 का प्रकाशन {Release of Performance Grading Index (PGI) 2019-20} .....123

11.30. क्वाक्यूरेली साइमंड्स विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग {Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings (WUR)} .....123

11.31. 112 आकांक्षी जिलों में 'सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान' की शुरुआत (Surakshit Hum Surakshit Tum Abhiyaan launched in 112 Aspirational Districts) .....124

11.32. वैश्विक खाद्य मूल्य सूचकांक 10 वर्ष के शिखर पर पहुंच गया (Global Food Price Index Soars To 10-Year Peak) .....124

11.33. सरसों तेल के सम्मिश्रण पर प्रतिबंध (Ban on Blending of Mustard Oil).....124

11.34. भारत के वृद्धजनों की सहायतार्थ सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन (SAGE) कार्यक्रम और SAGE पोर्टल लॉन्च किया गया {Seniorcare Ageing Growth Engine (Sage) Initiative And Sage Portal To Support India's Elderly Launched} .....125

11.35. 'चिकित्सालय विस्तार' परियोजना (Extension of Hospitals' Project) .....126

11.36. वर्ष 2019 में जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण की दर में वृद्धि परिलक्षित हुई (Birth, Death Registration up in 2019) .126

11.37. आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट 2021 {Global Report On Internal Displacement (GRID) 2021}.....126

11.38. बायोटेक-किसान का पूर्वोत्तर भारत तक विस्तार (Biotech-KISAN extended to North East) .....127

11.39. अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को विधिमान्य मुद्रा के रूप में मंजूरी दी (El Salvador approves bitcoin as legal tender).....127

11.40. संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को/UNESCO) की साइंस रिपोर्ट 2021 "द रेस अगेंस्ट टाइम फॉर स्मार्टर डेवलपमेंट" जारी की गई (UNESCO Science Report 2021 "The Race Against Time For Smarter Development" Released) .....127

11.41. विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड-फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंगेजमेंट {Science and Engineering Research Board- Fund for Industrial Research Engagement (SERB-FIRE)}.....128

11.42. नैनो यूरिया लिक्विड (Nano Urea Liquid) .....128

11.43. लिगो ने न्यूट्रॉन स्टार-ब्लैक होल संघट्टन से गुरुत्वाकर्षण तरंगों के नए स्रोत का पता लगाया {Ligo Detects New Source Of Gravitational Waves From Neutron Star - Black Hole (NS-BH) Collision} .....128

11.44. हेलिओस्फियर (Heliosphere) .....129

11.45. अंतरिक्ष मिशन/ सुर्ख़ियों में रही पहलें (Space Mission/Intiatives in News) .....129

11.46. नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स (नेट्रैक्स)- हाई स्पीड ट्रैक {NATRAX- the High Speed Track (HST)}.....130

11.47. चीन में 'ड्रैगन मैन' कपाल की खोज (Discovery of 'Dragon Man' Skull in China) .....130

11.48. टॉयकैथॉन 2021 (Toycathon 2021) .....130

## नोट:

**प्रिय छात्रों,**

करेंट अफेयर्स को पढ़ने के पश्चात् दी गयी जानकारी या सूचना को याद करना और लंबे समय तक स्मरण में रखना लेखों को समझने जितना ही महत्वपूर्ण है। मासिक समसामयिकी मैगज़ीन से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, हमने निम्नलिखित नई विशेषताओं को इसमें शामिल किया है:

विभिन्न अवधारणाओं और विषयों की आसानी से पहचान तथा उन्हें स्मरण में बनाए रखने के लिए मैगज़ीन में बॉक्स, तालिकाओं आदि में विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया है।

पढ़ी गई जानकारी का मूल्यांकन करने और उसे स्मरण में बनाए रखने के लिए प्रश्न एक महत्वपूर्ण उपकरण हैं। इसे सक्षम करने के लिए हम प्रश्नों के अभ्यास हेतु मैगज़ीन में प्रत्येक खंड के अंत में एक स्मार्ट क्विज़ को शामिल कर रहे हैं।

विषय को सुगमता पूर्वक समझने और सूचना के प्रतिधारण को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के इन्फोग्राफिक्स को भी जोड़ा गया है। इससे उत्तर लेखन में भी सूचना के प्रभावी प्रस्तुतीकरण में मदद मिलेगी।

सुर्ख़ियों में रहे स्थानों और व्यक्तियों को मानचित्र, तालिकाओं और चित्रों के माध्यम से वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इससे तथ्यात्मक जानकारी को आसानी से स्मरण रखने में मदद मिलेगी।


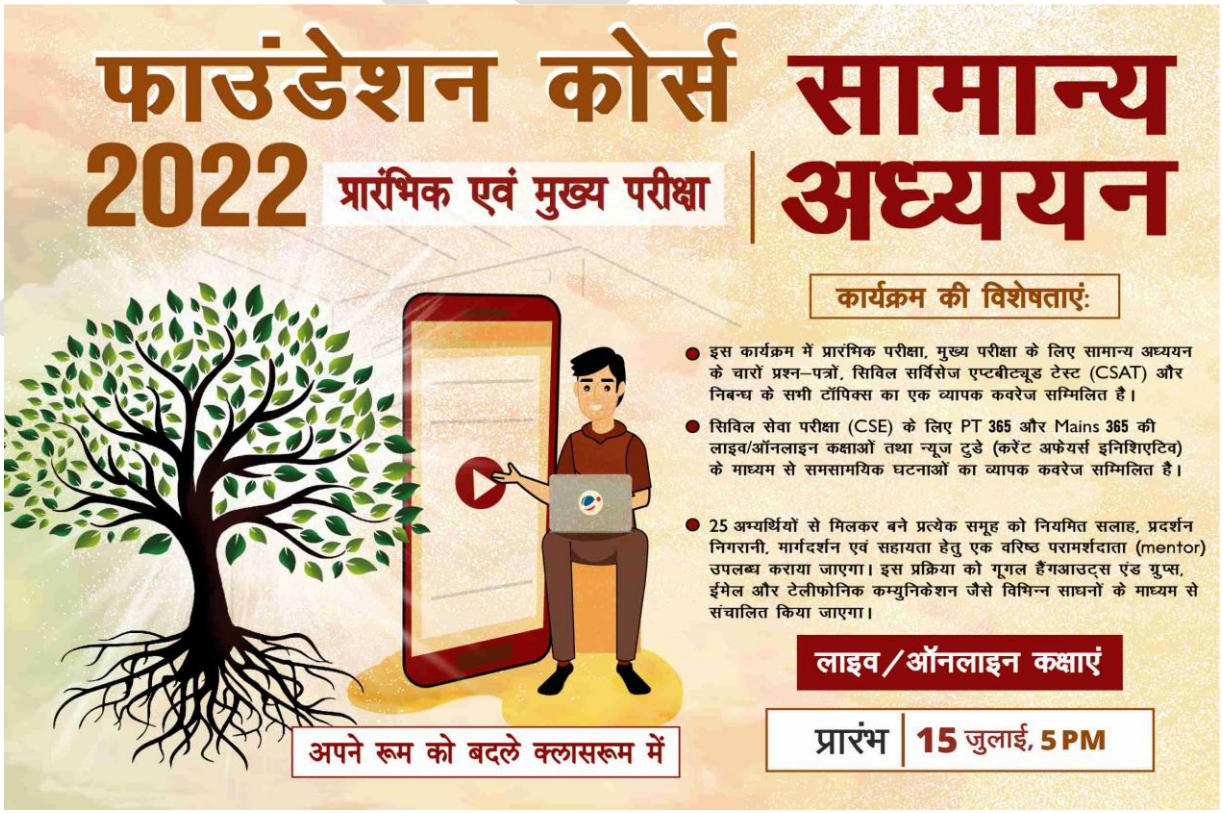

# 1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

## 1.1. विधि का शासन (Rule of Law)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने विधि के शासन पर एक व्याख्यान दिया तथा उन्होंने इसका समर्थन करते हुए कहा कि, **"विधि का शासन और कुछ नहीं बल्कि मनुष्यों की सभ्यता का इतिहास है।"**

**विधि का शासन क्या है?**

- **ए. वी. डाइसी के अनुसार,** विधि के शासन का आशय **स्वैच्छाचारी शक्ति के प्रभाव के विपरीत नियमित विधि की पूर्ण सर्वोच्चता या प्रभुत्ता** से है। इसमें स्वैच्छाचारी या व्यापक विवेकाधीन शक्तियों के अस्तित्व का अभाव होता है।
- जिस देश में **न्याय और समानता के आदर्शों को आत्मसात करने वाली विधियों का शासन है,** उसे 'विधि के शासन' द्वारा शासित देश के रूप में वर्णित किया जा सकता है। प्रो. डाइसी के अनुसार, **विधि के शासन में तीन सिद्धांत शामिल हैं:**

- **'विधि के शासन' सिद्धांत** की उत्पत्ति प्राचीन रोम में प्रथम गणतंत्र के गठन के दौरान हुई थी। तब से इसे यूरोप में कई मध्ययुगीन विचारकों, जैसे- **हॉब्स, जॉन लॉक** और **रूसो** द्वारा प्रचारित किया गया।
- भारतीय दार्शनिकों जैसे कि **चाणक्य** ने विधि के शासन का समर्थन यह वर्णित करते हुए किया कि राज्य का शासन, शासक या लोगों के मनोनीत प्रतिनिधियों द्वारा नहीं बल्कि विधि द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। **'विधि का शासन'** फ्रांसीसी वाक्यांश **'ला प्रिंसिपल डा लीगलाइट'** से ग्रहण किया गया है। इसका आशय **'विधि के सिद्धांतों' या 'वैधता के सिद्धांतों' पर आधारित सरकार से है।**

**विधि का शासन बनाम विधि द्वारा शासन (Rule of Law Vs Rule by Law)**

संक्षेप में, **'विधि के शासन'** का तात्पर्य **राज्य के सर्वोच्च विधि निर्माता प्राधिकरण द्वारा शक्तियों के असीमित प्रयोग को नियंत्रित करने से है,** जबकि **'विधि द्वारा शासन' राज्य के सर्वोच्च विधि निर्माता प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाता है।**

साधारणत: **विधि का शासन** तभी बनाए रखा जा सकता है जब विधि न्याय और समानता जैसे आदर्शों द्वारा निर्देशित होती है। उदाहरण के लिए, भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 14 और 15 के अनुसार,** राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।

दूसरी ओर, **विधि द्वारा शासन** नैतिक के साथ-साथ अनैतिक विधियों को भी शामिल कर सकता है। उदाहरण के लिए, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद शासन को अधिनियमित विधियों के आधार पर उचित ठहराया गया था।

**विधि के शासन पर बल देने वाले प्रमुख सिद्धांत**

- **विधि स्पष्ट और सुलभ होनी चाहिए:** लोगों द्वारा विधि का अनुपालन करने और विधि की स्पष्ट जानकारी होने की अपेक्षा की जाती है। इसलिए, विधियों को **सरल और स्पष्ट भाषा** में उपबंधित किए जाने की आवश्यकता है।
- **विधि के समक्ष समानता:** विधि के समक्ष समानता के महत्वपूर्ण पहलुओं में **न्याय तक समान पहुंच और लैंगिक समानता** सुनिश्चित करना शामिल हैं।
  - न्याय तक समान पहुंच विधि के शासन का आधार है।
- **विधियों के निर्माण और संशोधन में भाग लेने का अधिकार:** लोकतंत्र का सार यह है कि उसके नागरिकों की उन्हें शासित करने वाली विधियों के निर्माण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

- भारत में, यह भूमिका निर्वाचनों के माध्यम से निष्पादित की जाती है। यहां नागरिकों को संसद सदस्यों का चुनाव करने के लिए अपने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर प्राप्त है। ये संसद सदस्य विधि का निर्माण करते हैं।

- **सुदृढ़ स्वतंत्र न्यायपालिका:** न्यायपालिका प्राथमिक अंग है। इसे यह सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है कि निर्मित विधियां संविधान के अनुरूप हों।
  - इसलिए, विधियों का न्यायिक पुनर्विलोकन (judicial review of laws) न्यायपालिका के मुख्य कार्यों में से एक है।

**विधि का शासन और भारतीय संविधान**

विधि का शासन भारतीय संविधान का एक मूलभूत स्तंभ है और भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों में अंतर्निहित है। इन्फोग्राफिक देखें-

**विधि के शासन को लागू करने में विद्यमान चुनौतियां**

- **विधियों और विधायी ढांचे में निहित चुनौतियां:**
  - **पुरातन विधियां:** ऐसी विधियां जो वर्तमान समय के लिए अप्रचलित, निरर्थक, दोहराई गई और अप्रासंगिक हैं, विधायी प्रक्रिया को लंबी, महंगी व समयसाध्य बना देती हैं।
  - **विधियों की बहुलता:** विधियों की बहुलता और जटिलता इनके अनुपालन, प्रतिरोध और प्रभावी प्रवर्तन को कठिन बना देती है। इसके परिणामस्वरूप नागरिक और व्यवसाय राज्य के पदाधिकारियों द्वारा उत्पीड़न के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।
  - **राजनीति का अपराधीकरण:** एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा सूचित किया गया है कि भारत में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले निर्वाचित उम्मीदवारों का अनुपात, वर्ष 2009 में 15% था। यह वर्ष 2014 के चुनाव में बढ़कर 17% और वर्ष 2019 के चुनाव में वर्धित हो कर 19% तक हो गया है।
- **विधानों के कार्यान्वयन में निहित चुनौतियां:**
  - **प्रशासनिक चुनौतियां:** औपनिवेशिक काल की विधियों की विद्यमानता, गहन राजनीतिकरण और एक अति-केंद्रीकृत पदानुक्रम ने भी पुलिस के कार्य दबाव में वृद्धि की है।
  - **उत्पीड़न के एक साधन के रूप में विधि:** उत्पीड़न के लिए विधियों का उपयोग भारत में **संवैधानिकता और विधि के शासन** की कमी को दर्शाता है।
    - उदाहरण के लिए, वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ पर सरकार के कोविड-19 लॉकडाउन के संचालन की आलोचना करने पर दर्ज राजद्रोह का मामला, विधि के शासन की बजाय विधि द्वारा शासन को दर्शाता है।
- **न्याय को बनाए रखने में निहित चुनौतियां:**
  - **अत्यधिक बोझिल न्यायिक प्रणाली:** विगत एक वर्ष में न्यायपालिका के समक्ष लंबित अदालती मामलों में वृद्धि हुई है। इसके कारण पहले से ही बोझिल न्यायिक प्रणाली पर अत्यधिक दबाव आरोपित हुआ है। वर्तमान में भारत में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और कई अधीनस्थ न्यायालयों में लगभग 4 करोड़ मामले लंबित हैं।
  - **सोशल मीडिया का प्रभाव:** नवीन मीडिया उपकरणों में किसी भी मामले को प्रभावित करने की व्यापक क्षमता विद्यमान है। अतः न्यायाधीशों को जनमत की भावनात्मक प्रवृत्तियों से भी प्रभावित नहीं होना चाहिए, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से बढ़ रही हैं'।
  - **न्याय तक पहुंच का अभाव:** निर्धनता और निरक्षरता के कारण कमजोर वर्गों के लिए न्याय तक पहुंच का अभाव, प्राकृतिक न्याय के मौलिक पहलू का उल्लंघन करता है।

**इन चुनौतियों के निवारण हेतु उपाय**

- **पुरानी विधियों को निरस्त करना:** पुरानी विधियों में संशोधन, उनका निरसन एवं उन्हें अद्यतित (अपडेट) करने और प्रतिस्थापन भाषा (replacement language) के प्रारूपण (ड्राफ्टिंग) में अधिक सटीकता आवश्यक है।
  - उदाहरण के लिए, विधायी सुदृढ़ीकरण और सरलीकरण **वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग** द्वारा स्थापित मॉडल है।
- **विधियों के दुरुपयोग के विरुद्ध रक्षोपाय:** विधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए उचित विधिक कार्रवाई और ठोस साक्ष्य होने चाहिए। साथ ही, प्रत्येक स्तर पर इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए।
  - राज्य की विभिन्न एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि **विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम {Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA)}, 1967** आदि जैसी विधियों के तहत विभिन्न मामलों से निपटने के दौरान विधि की सम्यक प्रक्रिया का पालन हो।
- **राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगाना:** चुनावी निरर्हता (Electoral Disqualifications) के संदर्भ में **भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट की अनुशंसा के अनुसार** पर्याप्त रक्षोपायों के साथ राजनीति के अपराधीकरण के प्रसार को रोका जा सकता है। यह कार्य आरोप तय करने के चरण में दागी राजनेताओं की अयोग्यता को प्रभावी करके किया जा सकता है।
- **सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित समाधानों का उपयोग:** मामलों की जांच और निगरानी करने तथा न्याय को वादी के अनुकूल बनाने के लिए प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए।
  - **मामलों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज करना:** ई-कोर्ट इस दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि ये उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में सभी लंबित वादों की स्थिति और वादों के इतिहास के संदर्भ में जानकारी प्रदान करते हैं। इससे जानकारी तक पहुंच आसान हो जाती है।
- **आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19** में भारतीय न्यायालय और अधिकरण सेवाओं के गठन का सुझाव दिया गया था। ये सेवाएं न्यायपालिका द्वारा आवश्यक प्रशासनिक सहायता से संबंधित उपाय प्रदान करने, प्रक्रियागत अक्षमताओं की पहचान करने तथा न्यायपालिका को **विधिक सुधारों** पर सलाह देने का कार्य करेंगी।

## 1.2. सिटीजन चार्टर (Citizen's Charter)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, **पंचायती राज मंत्रालय (MoPR)** ने **राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (National Institute of Rural Development and Panchayati Raj: NIRDPR)** के सहयोग से एक **आदर्श पंचायत सिटीजन चार्टर फ्रेमवर्क** जारी किया है।

**आदर्श पंचायत सिटीजन चार्टर**

भारत में पंचायतें **ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के तृतीय स्तर** का निर्माण करती हैं। ये **भारत के संविधान के अनुच्छेद 243G के अंतर्गत** विशेष रूप से स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, शिक्षा, पोषण व पेयजल के क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं के वितरण के लिए उत्तरदायी हैं।

- ग्राम पंचायत सिटीजन चार्टर का **मूल उद्देश्य** सेवाओं के संबंध में नागरिकों को सशक्त बनाना तथा **बिना किसी पूर्वाग्रह के और नागरिकों की अपेक्षाओं के अनुरूप सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार** करना है।
  - यह पंचायत में **पेशेवर प्रवृत्ति स्थापित करता है** और बिना किसी भेदभाव के समुदाय के सभी वर्गों तक पहुंच स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है।
  - पंचायतों द्वारा प्रतिबद्ध मानक **सेवा वितरण की निगरानी और मूल्यांकन** के लिए उपयोगी मानदंड है।
  - यह एक ओर **नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति** जागरूक करने में तथा दूसरी ओर **पंचायतों एवं उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रत्यक्षत: जनता के प्रति जवाबदेह** बनाने में सहायता करेगा।
- इसे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित **सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals: SDGs)** के साथ कार्यवाहियों को संरेखित करते हुए **29 क्षेत्रकों में सेवाओं के वितरण** के लिए तैयार किया गया है।
- यह सतत विकास के लिए सार्वजनिक सेवाओं के पारदर्शी और प्रभावी वितरण को सुनिश्चित करेगा। साथ ही, यह सेवाओं की स्थापना और वितरण के चरण में विविधतापूर्ण विचारों को शामिल करके समावेशी एवं जवाबदेह स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करते हुए नागरिक सेवा के अनुभवों में सुधार करेगा।

**राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (NIRDPR)**

- यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतगर्त एक **स्वायत्त संगठन** है तथा **ग्रामीण विकास और पंचायती राज में उत्कृष्टता का एक प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र** है।
- इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर **संयुक्त राष्ट्र-एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: UN-ESCAP) उत्कृष्टता केंद्रों** में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है।

- इसका विज़न उन **नीतियों और कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित** करना है, जो ग्रामीण **निर्धनों को लाभान्वित** करते हैं, **लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रक्रियाओं** को सक्रिय करने का प्रयास करते हैं, ग्रामीण विकास कर्मियों के संचालन एवं दक्षता में सुधार करते हैं, अपनी सामाजिक प्रयोगशालाओं व **प्रौद्योगिकी पार्कों** के माध्यम से **प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को बढ़ावा** देते हैं तथा पर्यावरण के प्रति जागरूकता का प्रसार करते हैं।
- यह **पंचायती राज संस्थानों (Panchayati Raj Institutions: PRIs) और राज्यों में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की कार्यप्रणाली** का अध्ययन करता है।

**सिटीजन चार्टर या नागरिक चार्टर की अवधारणा का विकास**

- देश की जनता के लिए लोक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से इस अवधारणा को **पहली बार वर्ष 1991 में यूनाइटेड किंगडम में व्यक्त और कार्यान्वित** किया गया था।
- मूल रूप से, **सिटीजन चार्टर आंदोलन के छह सिद्धांत तैयार किए गए हैं।** (इन्फोग्राफिक देखें)
- **भारत द्वारा वर्ष 1997 में** नई दिल्ली में आयोजित विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में **सिटीजन चार्टर को अपनाया गया था।**
    - **प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (Department of Administrative Reforms and Public Grievances: DARPG)** द्वारा सिटीजन चार्टरों के समन्वय, निर्माण एवं संचालन का कार्य प्रारंभ किया गया।
    - **नागरिक माल और सेवाओं का समयबद्ध परिदान और शिकायत निवारण अधिकार विधेयक, 2011 {Right of Citizens for Time Bound Delivery of Goods and Services and Redressal of their Grievances Bill, 2011} (सिटीजन चार्टर)** नागरिकों के लिए वस्तुओं और सेवाओं का समय पर वितरण सुनिश्चित करने हेतु एक तंत्र निर्मित करने का प्रयास करता है। हालांकि, वर्ष 2014 में लोक सभा के भंग होने के कारण यह व्यपगत हो गया था।

**नागरिक चार्टर या सिटीजन चार्टर क्या है और यह महत्वपूर्ण क्यों है?**

- सिटीजन चार्टर पहल उन दैनिक समस्याओं का समाधान करने का एक प्रयास है, **जिनका सामना एक नागरिक** को लोक सेवाएं प्रदान करने वाले संगठनों से संपर्क करते हुए करना पड़ता है।
- **सिटीजन चार्टर की मुख्य विशेषताएं:**
    - यह **सेवा प्रदाताओं** द्वारा सेवा से संबंधित मानकों, पसंद, पहुंच, गैर-भेदभाव, पारदर्शिता और जवाबदेही के संदर्भ में एक **लिखित व स्वैच्छिक घोषणा** है।
    - यह **विधिक रूप से प्रवर्तनीय नहीं** है और इसलिए **गैर-न्यायसंगत** है।

- **सिटीजन चार्टर का महत्व:**
  - यह **सुशासन प्राप्त करने का एक साधन** है। सुशासन में तीन अनिवार्य पहलुओं **पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रशासन की प्रतिक्रियाशीलता** पर बल दिया गया है।
  - यह **लोगों को समयबद्ध तरीके से सेवाएं प्रदान करता है, उनकी शिकायतों का निवारण** करता है और उनके जीवन में सुधार करता है।
  - यह **सेवा प्रदाता और उसके उपयोगकर्ताओं के मध्य विश्वास को सुनिश्चित करता है।** साथ ही, लोक सेवा वितरण के संबंध में नागरिकों को सशक्त बनाता है।

**सिटीजन चार्टर को लागू करने में चुनौतियां**

- **सिटीजन चार्टर के डिजाइन से संबंधित मुद्दे:**
  - **जटिल भाषा:** कई लेखों में **सिटीजन चार्टर** की प्रभावशीलता पर प्रश्नचिन्ह आरोपित किया जाता है। प्रायः सिटीजन चार्टर **एक जटिल भाषा में प्रकाशित होता है, जो सरलता से समझ में नहीं आता है।**
  - **समयबद्ध अद्यतन का अभाव:** सिटीजन चार्टर्स को संभवत: ही कभी अद्यतित (अपडेट) किया जाता है। इससे यह **एक बारगी अभ्यास** बनकर, बाद में निष्क्रिय हो जाता है।
  - **सहभागी तंत्र से रहित:** अधिकांश मामलों में, इसे अंतिम रूप में कार्यान्वित करने वाले कर्मचारियों के साथ परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से तैयार नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जब सिटीजन चार्टर का प्रारूप तैयार किया जाता है तो **अंतिम उपयोगकर्ताओं, नागरिक समाज संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों से भी परामर्श नहीं किया जाता है।**
- **सिटीजन चार्टर के क्रियान्वयन से संबंधित मुद्दे:**
  - **वितरण के मानक:** वितरण के मापन योग्य मानकों को संभवत: ही कभी परिभाषित किया जाता है। इससे यह आकलन करना कठिन हो जाता है कि सेवा का वांछित स्तर हासिल किया गया है या नहीं।
  - **सभी एजेंसियों के लिए एक समान सिटीजन चार्टर:** सामान्यतः एक मूल संगठन के अंतर्गत शामिल सभी एजेंसियों के लिए एक समान सिटीजन चार्टर को अपनाया जाता है। सिटीजन चार्टर को अभी भी उन सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा नहीं अपनाया गया है, जो स्थानीय मुद्दों की उपेक्षा करते हैं। साथ ही, सभी एजेंसियों के सिटीजन चार्टर में विविधता का अभाव विद्यमान है।
- **नागरिकों से संबंधित मुद्दे:**
  - **सूचना संबंधी विषमता:** जनसामान्य में चार्टर के संबंध में जागरूकता का अभाव है और विभाग इसका पालन न करने पर दंड देने से कतराते हैं।
  - **रुचि का अभाव:** संगठन सामान्यतः सिटीजन चार्टर में प्रतिबद्ध मानकों का पालन करने में रुचि नहीं लेते हैं, क्योंकि ये अपने कर्मचारियों को इसे लागू करने के लिए कोई प्रोत्साहन या प्रेरणा प्रदान नहीं करते हैं।
- **शिकायत निवारण से संबंधित मुद्दे:**
  - **जवाबदेही में कमी:** अधिकांश संगठनों ने चार्टर के क्रियान्वयन का आकलन करने के लिए कोई रिपोर्टिंग और आवधिक समीक्षा तंत्र विकसित नहीं किया है। यहां तक कि वार्षिक रिपोर्ट में चार्टर के कार्यान्वयन या कार्यान्वयन की योजनाओं की समीक्षा भी शामिल नहीं है।
- **मानव संसाधन से संबंधित मुद्दे:**
  - **प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी:** विभिन्न मामलों में, संबंधित कर्मचारियों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं किया गया था। जबकि किसी भी चार्टर को सफल बनाने हेतु इसके कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों के पास उचित प्रशिक्षण होना चाहिए।
  - **कर्मचारियों का स्थानांतरण:** कभी-कभी, किसी संगठन में सिटीजन चार्टर के निर्माण/कार्यान्वयन के महत्वपूर्ण चरणों में संबंधित **अधिकारियों का स्थानांतरण और फेरबदल, रणनीतिक प्रक्रियाओं को गंभीर रूप से कमजोर कर देते हैं** तथा **पहल की प्रगति को बाधित** करते हैं।

**आगे की राह**

- **मानकों में स्पष्टता और सटीकता:** सिटीजन चार्टर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अस्पष्ट दृष्टिकोण एवं मिशन के वक्तव्यों की पूर्ति हेतु **मानकों और प्रतिबद्धताओं में सटीकता को शामिल करना महत्वपूर्ण है।**
- **सहभागी संरचनाएं: प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली** चार्टर के प्रदर्शन की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करती है तथा इस प्रकार संगठन को **सहभागी, उत्तरदायी व जवाबदेह** बनाती है।
- **सरल भाषा:** सिटीजन चार्टर के निर्माण के समय **स्थानीय भाषा** का प्रयोग करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- **सेवोत्तम (सेवा वितरण उत्कृष्टता मॉडल):** यह सार्वजनिक **सेवा वितरण की गुणवत्ता में सुधार,** प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र और **सिटीजन चार्टरों के सफल कार्यान्वयन में सहायता कर सकता है।**

- **क्षमता निर्माण कार्यशालाएँ:** प्रशिक्षकों एवं कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने व चार्टर के प्रभावी कार्यान्वयन और जनता में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यशालाएँ आयोजित की जानी चाहिए।
- नियमों और दिशा-निर्देशों के सुचारू कार्यान्वयन के लिए **प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं निगमन** व सिटीजन चार्टरों के बारे में जानकारी का **पुनरीक्षण तथा उन्हें अद्यतित** किया जाना चाहिए।

**द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (Administrative Reforms Commission: ARC) की अनुशंसाएं**

- **एक ही सिटीजन चार्टर सभी संगठनों के लिए उपयुक्त नहीं है:** सिटीजन चार्टर का निर्माण एक विकेंद्रीकृत गतिविधि होनी चाहिए। इसमें मुख्य कार्यालय केवल व्यापक दिशा-निर्देश प्रदान करने वाला होना चाहिए।
- **व्यापक परामर्श प्रक्रिया होनी चाहिए,** जिसमें नागरिक समाज शामिल हो।
- **दृढ़ प्रतिबद्धताएं निर्धारित की जानी चाहिए: सिटीजन चार्टर सटीक होना चाहिए** और जहां भी संभव हो, मात्रात्मक शर्तों में नागरिकों/उपभोक्ताओं के लिए **सेवा वितरण मानकों की दृढ़ प्रतिबद्धता** होनी चाहिए।
- चार्टर में दी गई प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने के लिए **आंतरिक प्रक्रिया और संरचना में सुधार किया जाना चाहिए।**
- चूक के मामले में **निवारण तंत्र** होना चाहिए।
- बाह्य एजेंसी के माध्यम से नागरिक चार्टरों का **आवधिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए।**
- **परिणामों के लिए अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।**

QUIZ

**SMART QUIZ**

विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **राजव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।


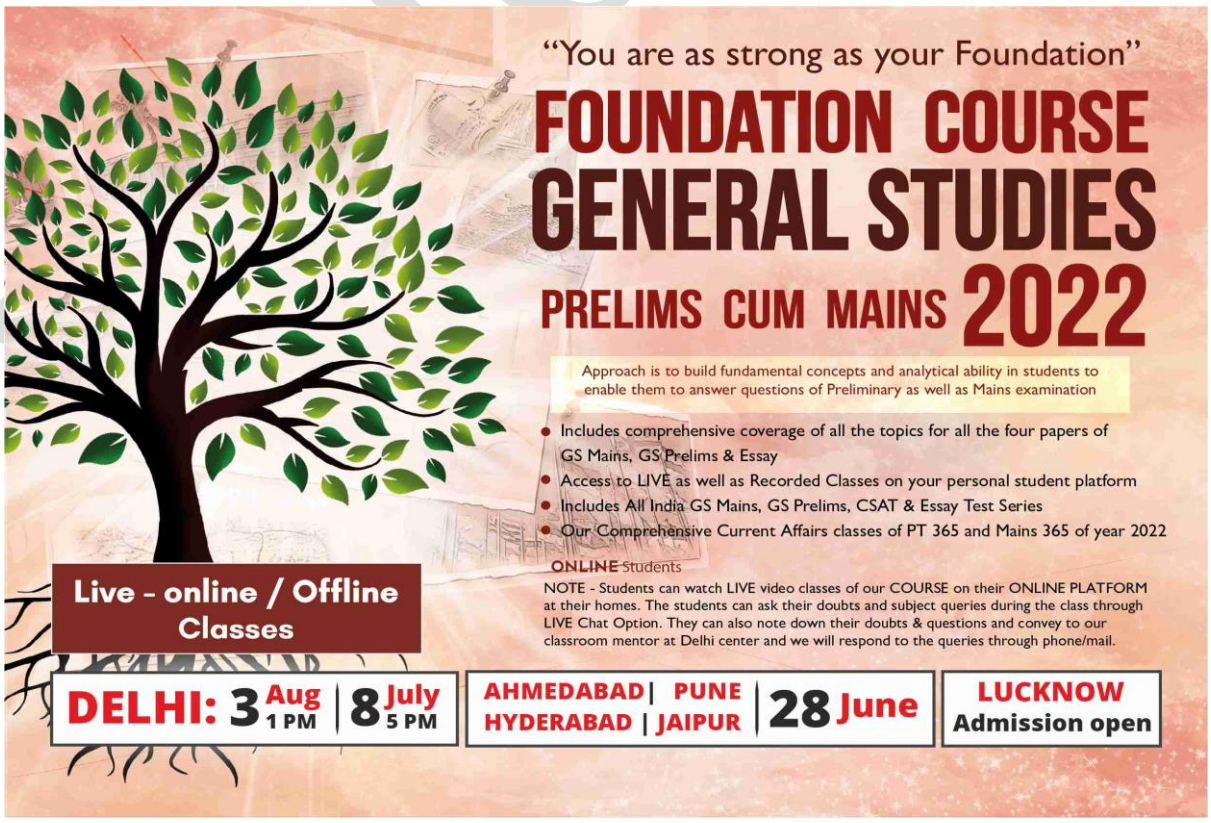

# 2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

## 2.1. परमाणु नि:शस्त्रीकरण (Nuclear Disarmament)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में जारी **स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) 2021 रिपोर्ट** के अनुसार, वर्तमान में वैश्विक सैन्य भंडार में परमाणु हथियारों की कुल संख्या में वृद्धि हुई है।

**इस रिपोर्ट से संबंधित अन्य तथ्य**

- वर्ष 2020 के आरंभ में भारत के परमाणु हथियारों की संख्या 150 थी, जो वर्ष 2021 के आरंभ में बढ़कर 156 हो गई है।
- **पाकिस्तान और चीन के परमाणु हथियारों की संख्या** में भी वृद्धि हुई है।
- **रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका** के पास कुल वैश्विक परमाणु हथियारों का 90% से अधिक विद्यमान है।

परमाणु हथियारों की संख्या में वृद्धि **परमाणु नि:शस्त्रीकरण के लिए चिंताजनक संकेत** प्रदर्शित करती है। यह बढ़ोतरी इंगित करती है कि शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात् से वैश्विक परमाणु शस्त्रागार में गिरावट की प्रवृत्ति अवरुद्ध हुई है।

**परमाणु नि:शस्त्रीकरण क्या है?**

- **परमाणु नि:शस्त्रीकरण परमाणु हथियारों में कमी या समाप्ति को संदर्भित करता है।** इसका उद्देश्य एक परमाणु हथियार रहित स्थिति को प्राप्त करना है। पूर्ण परमाणु नि:शस्त्रीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए **डिन्यूक्लियराइजेशन (denuclearization)** शब्द का भी प्रयोग किया जाता है।
- ज्ञातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए प्रथम प्रस्ताव में परमाणु हथियारों को समाप्त करने की मांग की थी।

**परमाणु नि:शस्त्रीकरण की प्राप्ति हेतु उठाए गए कदम**

| परमाणु नि:शस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण एवं अप्रसार के लिए प्रमुख संधियाँ | संधि के अधिदेश |
|---|---|
| **आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि (Partial Test Ban Treaty: PTBT), 1963** | • यह वायुमंडल में, बाह्य अंतरिक्ष में, जल में या किसी देश के भीतर किसी भी क्षेत्र में परमाणु हथियारों के परीक्षण, जो उस देश के बाहर रेडियोएक्टिव अपशिष्ट का कारण हो, को **प्रतिबंधित** करती है। |
| **परमाणु अप्रसार संधि (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons: NPT), 1970** | • यह **परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने,** परमाणु नि:शस्त्रीकरण की ओर बढ़ने तथा परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने का प्रयास करती है।<br>• यह परमाणु हथियार संपन्न देशों द्वारा नि:शस्त्रीकरण लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एक बहुपक्षीय संधि के तहत एकमात्र बाध्यकारी प्रतिबद्धता है। |
| **व्यापक परमाणु परीक्षण-प्रतिबंध संधि (Comprehensive Nuclear-Test Ban Treaty: CTBT)** | • यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो सभी परिवेशों में **सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध** आरोपित करती है। इसे वर्ष 1996 में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया था, परन्तु यह अभी तक लागू नहीं हुई है। |
| **परमाणु हथियार निषेध संधि (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons: TPNW)** | • यह परमाणु हथियारों को प्रतिबंधित करने के लिए **विधिक रूप से बाध्यकारी साधन** है, जो उनके पूर्ण उन्मूलन की दिशा में अग्रसर है।<br>• इसमें **किसी भी परमाणु हथियार से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंधों का एक व्यापक समुच्चय शामिल है।** इनमें परमाणु हथियारों का विकास, परीक्षण, उत्पादन, अधिग्रहण, धारण, भंडारण, उपयोग या उपयोग करने की धमकी देने से संबंधित उपक्रम शामिल हैं।<br>• **इसे वर्ष 2020 में लागू किया गया है।** |

**वैश्विक परमाणु निःशस्त्रीकरण में भारत की भूमिका**

भारत द्वारा सदैव बहुपक्षीय परमाणु निःशस्त्रीकरण और परमाणु अप्रसार से संबंधित प्रयासों का प्रबल समर्थन किया गया है।

**निःशस्त्रीकरण पर सम्मेलन (Conference on Disarmament: CD)**

- इसका गठन वर्ष 1979 में, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एकल बहुपक्षीय निःशस्त्रीकरण वार्ता मंच के रूप में किया गया था। उल्लेखनीय है कि निःशस्त्रीकरण के प्रति समर्पित संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम विशेष सत्र (वर्ष 1978) के दौरान सदस्य देशों के मध्य समझौते पर पहुंचने के उपरांत इसकी स्थापना की गई थी।
- वर्ष 1996 में CTBT वार्ता के समापन के पश्चात् से ही, CD के संबंध में गतिरोध बना हुआ है। इस प्रकार यह वास्तविक विचार-विमर्श आरंभ करने के लिए एक कार्यवाही कार्यक्रम हेतु आम सहमति तक नहीं पहुंच पाया है।

**भारत का परमाणु सिद्धांत**

- भारत का उद्देश्य एक **विश्वसनीय न्यूनतम निवारक (credible minimum deterrent)** का निर्माण एवं अनुरक्षण (या प्रबंधन) करना है।
- भारत ने **पहले प्रयोग न करने अर्थात् "नो फर्स्ट यूज"** के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। परमाणु हथियारों का प्रयोग केवल भारत पर परमाणु हमले के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई में ही किया जाएगा।
- परमाणु प्रतिशोध के लिए प्रथम प्रहार व्यापक स्तर पर होगा और इसे **अवांछनीय क्षति (unacceptable damage)** पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- गैर-परमाणु संपन्न राष्ट्रों के विरुद्ध परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करना।

- वैश्विक, सत्यापन योग्य एवं भेदभावरहित परमाणु नि:शस्त्रीकरण के माध्यम से **परमाणु हथियार मुक्त विश्व** के लक्ष्य के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता व्यक्त करना।

***"भारत के परमाणु सिद्धांत के बारे में और अधिक जानकारी हेतु, कृपया हमारे वीकली फोकस में प्रकाशित लेख - "भारत का परमाणु सिद्धांत" देखिए।***

| | | |
|---|---|---|
| भारत का परमाणु सिद्धांत | भारत के परमाणु सिद्धांत में उन लक्ष्यों और मिशनों को शामिल किया गया है, जो परमाणु हथियारों की तैनाती या अभिनियोजन और उपयोग के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं। यह सिद्धांत चीन और पाकिस्तान सहित विभिन्न खतरों के आलोक में एक आवश्यक बुराई के रूप में कार्य करता है। यद्यपि, इस सिद्धांत ने अब तक अपने उद्देश्य की पूर्ति की है, तथापि बदलती परिस्थितियों में इस सिद्धांत के वर्तमान स्वरूप पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। | |

**वैश्विक परमाणु नि:शस्त्रीकरण से संबद्ध चुनौतियां**

- **परमाणु हथियारों का आधुनिकीकरण:** अनेक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों में परमाणु संसाधनों के आधुनिकीकरण के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।
  - उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनी परमाणु-संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों पर **नए लो-यील्ड वॉरहेड्स को तैनात करने का प्रयास करना** इसका एक दृष्टान्त है।
- **प्रमुख शक्तियों के मध्य सामंजस्य का अभाव:** संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रमुख परमाणु समझौतों जैसे कि **इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी (INF)** और **न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी (START)** से हटने की घोषणा की है। इससे प्रमुख परमाणु शक्तियों, यथा- संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के मध्य द्विपक्षीय संबंधों पर तथा वैश्विक परमाणु व्यवस्था पर भी काफी दबाव पड़ा है।
  - इसके अतिरिक्त, **संयुक्त व्यापक कार्रवाई योजना (The Joint Comprehensive Plan of Action: JCPOA)** परमाणु समझौते से संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर निकलने के निर्णय ने ईरान को यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रमों की ओर अग्रसर किया है।
- **चीन की विस्तारवादी परमाणु नीति:** एक संभावित INF पश्चात् तंत्र पर बहुपक्षीय चर्चा में शामिल होने से चीन की अस्वीकृति और पश्चिमी देशों के साथ चीन एवं रूस के संबंधों में टकराव उत्पन्न होने से परमाणु आधुनिकीकरण व विस्तार की गति जारी रहेगी। ध्यातव्य है कि भारत, पाकिस्तान एवं चीन के बीच संबंधों की बढ़ती प्रतिकूल प्रकृति भी इस गति में वृद्धि करेगी।
- **कोविड महामारी का प्रभाव:** कोविड जनित समस्याओं के कारण हुए चीन-संयुक्त राज्य अमेरिका के तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंध तथा वैश्विक परमाणु अभिशासन के क्षरण के साथ-साथ चीन में एक परमाणु लोकलुभावनवाद उभरा है, जिसने चीन के परमाणु भंडार में नाटकीय वृद्धि की मांग की है।
- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में परमाणु सक्रियता:** वैश्विक शक्ति के हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थानांतरण और क्वाड (QUAD) द्वारा इस क्षेत्र में चीनी विस्तारवाद का सामना करने के लिए लॉबिंग किए जाने के साथ परमाणु नि:शस्त्रीकरण की नीति को जारी रखना कठिन है।

**परमाणु नि:शस्त्रीकरण को पुनः प्रारंभ करने के लिए सुझाव**

परमाणु हथियारों को समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

- **प्रमुख परमाणु शक्तियों द्वारा उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका:** सर्वाधिक विस्तृत परमाणु भंडार वाले परमाणु संपन्न राष्ट्रों को परमाणु नि:शस्त्रीकरण के लिए **विशेष उत्तरदायित्व ग्रहण करना चाहिए।** उनके द्वारा अपरिवर्तनीयता के सिद्धांत (principle of irreversibility) पर अपने संबंधित परमाणु शस्त्रागार में अत्यधिक कमी करना जारी रखा जाना चाहिए।
- **परमाणु भयादोहन (Nuclear deterrence) की नीति का त्याग:** सभी परमाणु संपन्न राष्ट्रों को परमाणु हथियारों के प्रथम प्रयोग पर आधारित **परमाणु भयादोहन की नीति** का त्याग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, बिना शर्त परमाणु हथियारों का प्रयोग करने वाला प्रथम राष्ट्र नहीं होने का संकल्प लेना चाहिए और इसे प्रभावी बनाने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय विधिक उपकरण का निर्माण किया जाना चाहिए।
  - इसके अतिरिक्त, गैर-परमाणु संपन्न राष्ट्रों या परमाणु-हथियार-मुक्त क्षेत्रों के विरुद्ध परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही, एक प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय विधिक साधन निर्मित किया जाना चाहिए।
- **परमाणु-हथियार मुक्त क्षेत्रों का निर्माण:** सभी परमाणु संपन्न राष्ट्रों को परमाणु-हथियार मुक्त क्षेत्रों की स्थापना के प्रयासों का समर्थन करना चाहिए और प्रासंगिक दायित्वों को ग्रहण करना चाहिए।
- **परमाणु नि:शस्त्रीकरण:** उपर्युक्त प्रयासों के आधार पर, **परमाणु हथियारों के पूर्ण निषेध** से संबंधित एक सम्मेलन को आयोजित किया जा सकता है।

## 2.2. भारत का असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग (India's Civil Nuclear Energy Cooperation)

### सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, रूस की प्रमुख परमाणु ऊर्जा एजेंसी **रोसाटॉम** ने भारत के **परमाणु ऊर्जा विभाग (Department of Atomic Energy: DAE)** के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम, **न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL)** के सहयोग से **कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (NPP)** की **5वीं इकाई** का निर्माण आरंभ किया है।

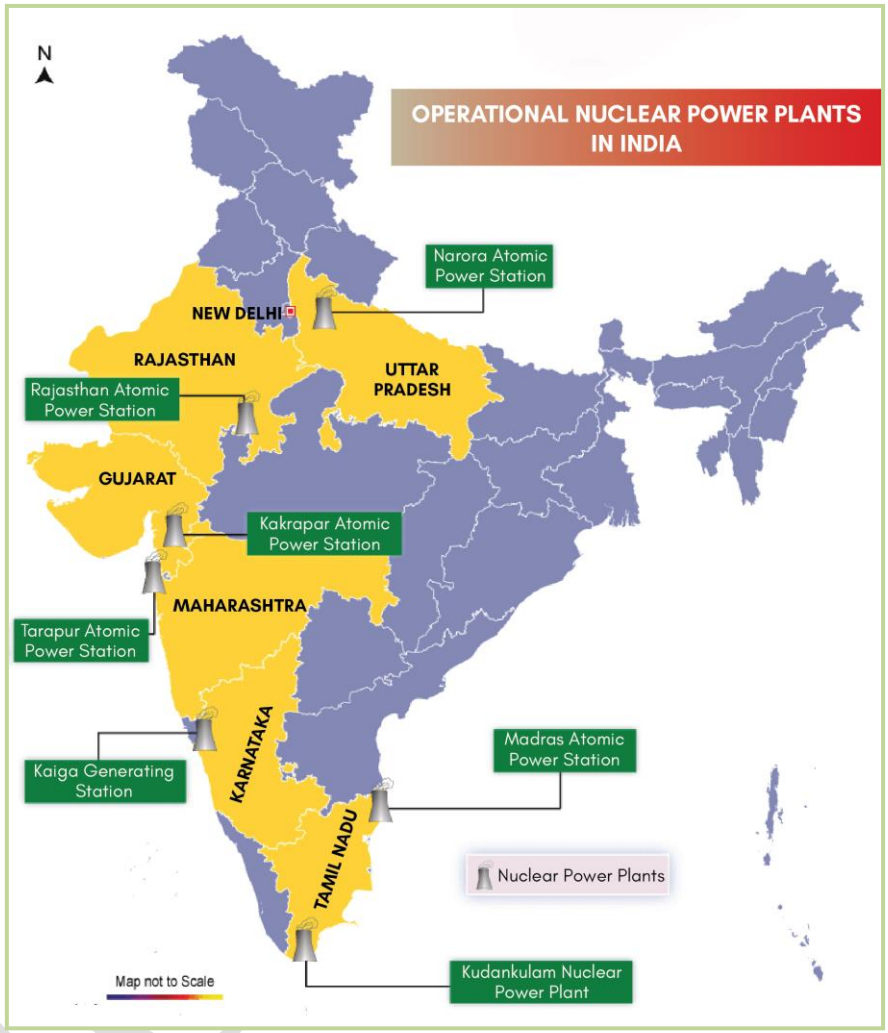


### भारत की परमाणु ऊर्जा संरचना के बारे में

- वर्तमान में, भारत के 14 देशों के साथ असैन्य परमाणु समझौते हैं। इनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, जापान, कज़ाकिस्तान, मंगोलिया, नामीबिया, रूस, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम शामिल हैं।
- ये समझौते, भारत के **परमाणु अप्रसार संधि (Non-Proliferation Treaty) के हस्ताक्षरकर्ता नहीं होने और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह** के दायरे से बाहर कार्य करने के बावजूद संपन्न हुए हैं।
- इन समझौतों का एक केंद्रीय सिद्धांत **परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उद्देश्यों** पर ध्यान केंद्रित करना है। इसमें अनुसंधान, विद्युत उत्पादन, चिकित्सा तथा कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों में सूचना, नाभिकीय पदार्थ, उपकरण या घटकों का उपयोग शामिल है।

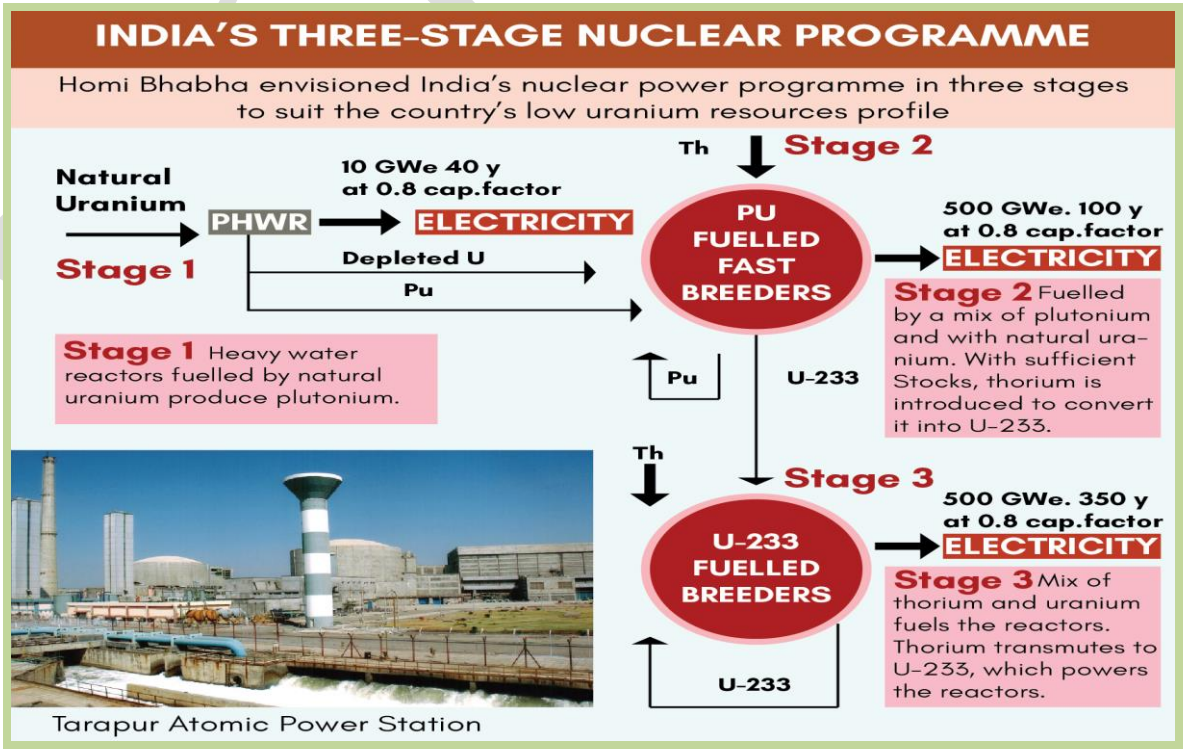

- भारत ने वर्ष 1998 में पोखरण के दूसरे दौर के उपरांत **परमाणु परीक्षण करने पर स्व-स्थगन** (दूसरे शब्दों में, भारत कहना है कि वह अब परमाणु परीक्षण नहीं करेगा) का पालन किया है। साथ ही, भारत ने **NPT के सिद्धांतों** का पालन इसके कुछ हस्ताक्षरकर्ताओं की तुलना में कहीं बेहतर रीति से किया है।

**परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (Nuclear Suppliers Group: NSG)**

- इसकी स्थापना वर्ष 1974 में भारत द्वारा किए गए सफल परमाणु परीक्षण (ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा या पोखरण- I) के परिणामस्वरूप की गई थी।
- यह परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों का एक समूह है। यह परमाणु निर्यात और परमाणु सामग्री या तकनीक निर्यात के लिए दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के माध्यम से परमाणु हथियारों के अप्रसार में योगदान करने हेतु प्रयासरत है।
- **भारत इस समूह का सदस्य नहीं है।**

- भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम त्रिस्तरीय है, जो एक बंद नाभिकीय ईंधन चक्र पर आधारित है-
  - **चरण- I:** प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन वाले **दाबित भारी जल रिएक्टर (Pressurised Heavy Water Reactors: PHWRs)।**
  - **चरण- II:** प्लूटोनियम आधारित ईंधन का उपयोग करने वाले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBR)।
  - **चरण-III: थोरियम** के उपयोग हेतु उन्नत परमाणु ऊर्जा प्रणालियां।

**परमाणु ऊर्जा सहयोग में संलग्न होने की क्या आवश्यकता है?**

- **ऊर्जा का सतत दोहन:** परमाणु ऊर्जा के सतत विकास को बढ़ावा देने वाले रिएक्टरों, ईंधन चक्रों और संस्थागत दृष्टिकोणों में नवाचारों पर दीर्घकालिक योजना निर्माण तथा समर्थन हेतु परमाणु ऊर्जा सहयोग की आवश्यकता है।
- **विशेषज्ञता साझाकारण:** इस प्रकार का सहयोग सूचना, ज्ञान, वित्त-पोषण, मानव संसाधन विकास, परमाणु अवसंरचना के विकास तथा उपयोग किए गए ईंधन एवं उच्च स्तर के अपशिष्ट के प्रबंधन व निपटान के लिए एक व्यवहार्य तकनीकी समाधान सहित आवश्यक सहायता प्रदान करता है।
- **ऊर्जा क्षमता:** भारत अपने परमाणु रिएक्टरों के संचालन के लिए कच्चे माल के रूप में परमाणु ईंधन के आयात पर निर्भर है।
  - विश्व के यूरेनियम का दो-तिहाई से अधिक का उत्पादन **कज़ाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की खानों से होता है।**
- **स्वच्छ ऊर्जा:** ऊर्जा के अभाव वाले विश्व में, भारत की ऊर्जा बास्केट में एक महत्वपूर्ण और स्वच्छ विकल्प के रूप में परमाणु ऊर्जा की क्षमता को मान्यता दी जानी चाहिए।
  - भारत वर्तमान में 22 परमाणु रिएक्टरों का परिचालन कर रहा है। इनकी परिचालन क्षमता 6,780 मेगावाट है, जो भारत की कुल क्षमता का मात्र 1.97% है।
- **सुरक्षा सुनिश्चित करना:** देशों की सहभागिता सुनिश्चित करती है कि नई परमाणु ऊर्जा पहल रक्षा, सुरक्षा और अप्रसार के उच्चतम मानकों को पूरा करती है।

## भारत के प्रमुख असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग कार्यक्रम

### भारत–फ्रांस

- 1950 के दशक से ही दोनों देशों के मध्य सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है क्योंकि फ्रांस ने वर्ष 1950 में असैन्य परमाणु नवाचार पर भारत को तकनीकी सहयोग का प्रस्ताव रखा था।
- भारत द्वारा वर्ष 1974 में किए गए शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण के बाद, फ्रांस इस प्रयास की सराहना करने वाला एकमात्र पश्चिमी देश था। फ्रांस ने इसे परमाणु क्षेत्र में भारत की प्रगति के प्रतिबिंब के रूप में उल्लेख किया।
- परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (Nuclear Suppliers Group: NSG) में भारत–विशिष्ट छूट प्राप्त होने के बाद फ्रांस, वर्ष 2008 में, भारत के साथ असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश बन गया।
- समझौते के अनुसार, फ्रांस 9,900 मेगावाट की जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना को शीघ्रता से क्रियान्वित करने के लिए 1,650 मेगावाट के छह यूरोपीय प्रेशराइज्ड रिएक्टरों का निर्माण करेगा।
- हाल ही में, फ्रांस की ऊर्जा कंपनी ई.डी.एफ. ने इन छह रिएक्टरों के निर्माण के लिए न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) को एक बाध्यकारी तकनीकी–वाणिज्यिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

### भारत–रूस

- दोनों देशों के मध्य परमाणु सहयोग 1960 के दशक से जारी है। उस समय भारत और तत्कालीन सोवियत संघ ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे।
- प्रारंभ में, वैश्विक परमाणु व्यवस्था के साथ भारत का जुड़ाव सीमित था, जिसे देखते हुए भारत को वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के साथ–साथ प्रमुख आपूर्तिकर्ता देशों से परमाणु ईंधन की आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
- वर्ष 2008 में दोनों देशों ने तमिलनाडु के कुडनकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- दोनों देश तीसरे (अन्य) देशों के साथ परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए आपसी सहयोग पर विचार करने पर सहमत हुए हैं। जैसे– भारत ने बांग्लादेश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर एक साथ काम करने के लिए रूस और बांग्लादेश के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

### संयुक्त राज्य अमेरिका–भारत असैन्य परमाणु समझौता (या 123 समझौता)

- इस समझौते के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वैश्विक असैन्य परमाणु व्यापार शुरू करने के लिए नई दिल्ली को छूट प्रदान करने हेतु भारत के मुद्दे को NSG में प्रस्तुत किया गया।
- NSG ने वर्ष 2008 में भारत को एक स्पष्ट छूट प्रदान की।
- ऐसे में परमाणु अप्रसार संधि का एक पक्षकार देश नहीं होने के बावजूद भारत परमाणु हथियार संपन्न एकमात्र देश बन गया, जिसे शेष विश्व के साथ परमाणु व्यापार में शामिल होने की अनुमति दी गई थी।
- हालांकि, भारत को वर्ष 2009 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के साथ एक समझौते (जिसे इंडिया सेफगार्ड्स एग्रीमेंट कहा जाता है) पर हस्ताक्षर करना पड़ा, जिसके कारण भारत के कुछ असैन्य परमाणु प्रतिष्ठानों को IAEA के सुरक्षोपायों के अधीन लाया गया।

### भारत–जापान

- परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के लिए भारत–जापान समझौते पर वर्ष 2016 में हस्ताक्षर किए गए और वर्ष 2017 में इसे लागू किया गया।
- इस समझौते का एक विवादित पहलू 'नलीफिकेशन क्लॉज़' है, जिसमें यह उल्लेख है कि यदि भारत परमाणु परीक्षण करता है तो पक्षकारों के बीच सहयोग स्वचालित रूप से निलंबित हो जाएंगे।
- इस समझौते का महत्व इस तथ्य से स्पष्ट है कि जापान का रिएक्टर के मुख्य घटकों और आधुनिक तकनीक पर एकाधिकार है।

- उदाहरण के लिए, **इंटरनेशनल फ्रेमवर्क फॉर न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन (IFNEC)** का उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को व्यापक रूप से हतोत्साहित करते हुए उन्नत परमाणु ईंधन चक्र प्रौद्योगिकियों के विकास तथा परिनियोजन में तीव्रता लाना है।

**भारत की असैन्य परमाणु संलग्नताओं से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?**

- **वैश्विक चुनौतियां:** भारत के अन्य देशों के साथ असैन्य परमाणु संबंधों के समक्ष एक प्रमुख चुनौती NPT के गैर-हस्ताक्षरकर्ता के रूप में इसकी स्थिति है।
  - वैश्विक अप्रसार व्यवस्था के भीतर भारत की स्वीकृति में प्रमुख बाधाएं **भारत का परमाणु हथियार कार्यक्रम** और अपने **पड़ोसी पाकिस्तान** (जो भारत के समान परमाणु हथियार संपन्न देश है) **के साथ तनावपूर्ण संबंध** हैं।
  - **चीन ने NSG में भारत के शामिल होने का सख्त विरोध व्यक्त किया है,** क्योंकि भारत ने NPT संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
- **घरेलू चुनौतियाँ:** परमाणु सुरक्षा से संबंधित चिंताओं के कारण घरेलू स्तर पर भी विरोध हुआ है।
  - **संयंत्रों को जल आपूर्ति हेतु जल मार्ग का विपथन (मोड़ना), पर्यावरणीय क्षरण, भूमि अधिग्रहण** तथा पुनर्वास के मुद्दों जैसी चिंताओं के कारण व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। उदाहरण के लिए, **महाराष्ट्र में जैतापुर विद्युत संयंत्र** का इस आधार पर विरोध किया गया था कि **इससे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील लगभग 938 हेक्टेयर भूमि नष्ट हो जाएगी।**
- **परमाणु दायित्व से संबंधित मुद्दे:** भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए पर्याप्त क्षतिपूर्ति के अभाव को देखते हुए, परमाणु दायित्व (अर्थात् क्षतिपूर्ति) का मुद्दा भारत हेतु असैन्य परमाणु व्यापार के लिए अन्य देशों के साथ भावी संबंधों के समक्ष एक चुनौती बना हुआ है।
- **परमाणु और गैर-परमाणु पदार्थों की सुरक्षा:** भारत के साथ असैन्य परमाणु समझौता करने वाले देशों के लिए प्रमुख चिंतनीय विषय चेर्नोबिल और फुकुशिमा जैसी परमाणु आपदाओं का खतरा रहा है।

**इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है?**

- **वैश्विक नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाना:** भारत को द्विपक्षीय संबंधों तथा बहुपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से **वैश्विक तंत्र की स्थापना और सुधार में अग्रसक्रिय भूमिका निभाने** की आवश्यकता है, ताकि असैन्य परमाणु उद्योग में संलग्न देशों को सख्त दिशा-निर्देशों और विनियमों द्वारा निर्देशित किया जा सके।
- **वैश्विक चिंताओं को संबोधित करना:** भारत को **सार्वजनिक पहुंच के प्रयास** भी करने चाहिए जो न केवल घरेलू संदर्भ में, बल्कि परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों की चिंताओं का भी निवारण कर सकेंगे।
  - **असैन्य परमाणु अनुबंध नीतियों के साथ-साथ भारत की अपनी परमाणु सुरक्षा नीतियों को व्यापक रूप में रेखांकित** करने से भारत की परमाणु सुरक्षा नीतियों और पद्धतियों से संबंधित अनेक संदेह एवं चिंताओं का निराकरण किया जा सकता है।
- **परमाणु दायित्व सुनिश्चित करना:** अंतर्राष्ट्रीय दायित्व ढांचे को लागू करने से उन अनेक आपूर्तिकर्ता पक्षकारों की चिंताओं का समाधान किया जा सकता है, जो संभवत: भारतीय घरेलू दायित्व विधि द्वारा अन्यथा हतोत्साहित हुए थे।
- **सुरक्षा सुनिश्चित करना:** घरेलू स्तर पर पर्यावरण, जल संतुलन और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों पर होने वाले प्रभाव से संबंधित प्रारंभिक अध्ययनों के माध्यम से योजना स्तर पर लोक भागीदारी के साथ ही पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के मुद्दों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
  - संस्थागत तंत्र के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक उदाहरण पर्यावरण प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment) है।
  - इसके अतिरिक्त, परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा तैयार की गई आपातकालीन योजनाओं को जनता के लिए उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इन योजनाओं को बार-बार संशोधित किया जाना चाहिए तथा पुलिस के साथ मिलकर प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किए जाने चाहिए।

## 2.3. शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation: SCO)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, SCO की सुरक्षा परिषद के सचिवों की 16वीं बैठक ताजिकिस्तान (SCO का वर्तमान अध्यक्ष) के दुशांबे में आयोजित की गई।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- इस बैठक में **भारत और पाकिस्तान** द्वारा "अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद", "उग्रवाद", "अलगाववाद" तथा "धार्मिक कट्टरवाद" के खतरों के विरुद्ध मिलकर कार्य करने पर सहमति प्रदान की गई।
- इस बैठक में **"अफ़गानिस्तान में मौजूदा सैन्य तथा राजनीतिक स्थिति"** तथा इससे संबद्ध जोखिमों पर **विशेष ध्यान** दिया गया।
- इस बैठक में **विश्वसनीय सूचना सुरक्षा, साइबर अपराध से मिलकर निपटने और जैविक सुरक्षा तथा खाद्य सुरक्षा** जैसे मुद्दों को सुनिश्चित करने को लेकर सदस्य देशों के मध्य परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई।

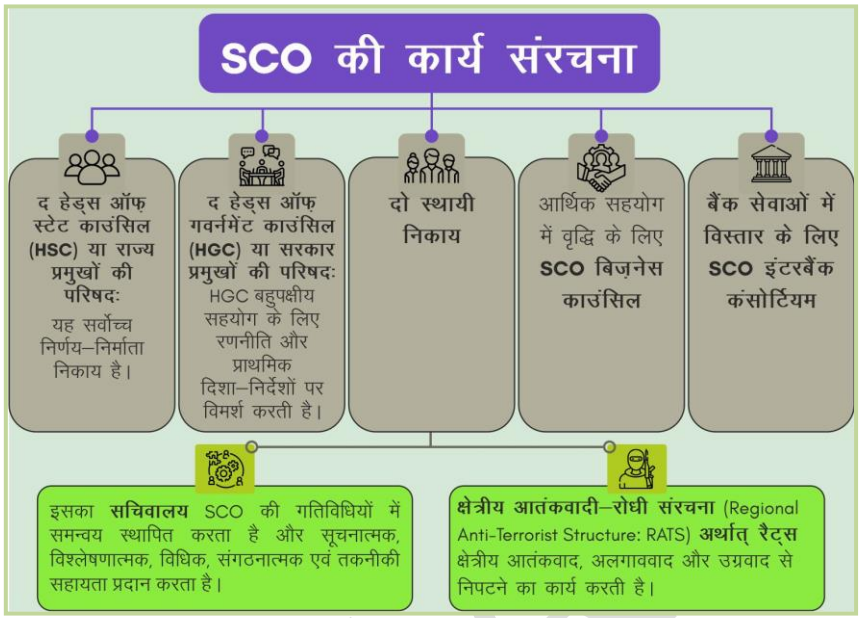


**SCO के बारे में**

- यह वर्ष 2001 में शंघाई में स्थापित एक **स्थायी अंतर-सरकारी राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है।**
  - **शंघाई-5** SCO का एक पूर्ववर्ती संगठन रहा है, जिसमें चीन, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान, ये पांच सदस्य शामिल थे।
  - **क्षेत्रीय विकास एवं सुरक्षा संबंधी मुद्दे** (आतंकवाद, नृजातीय अलगाववाद और धार्मिक अतिवाद) इस संगठन के कार्य के केंद्रीय विषय रहे हैं।

- **शंघाई फाइव (5)** – चीन, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान।
- **कार्यप्रणाली में प्रयुक्त भाषाः** रशियन एवं मंदारिन।
- **SCO**, विश्व की कुल **GDP में 24% और कुल वैश्विक जनसंख्या में 43% की हिस्सेदारी रखता है।**
- **"शंघाई स्पिरिट"** अर्थात् आपसी विश्वास, परस्पर लाभ, समानता, परामर्श, सांस्कृतिक विविधता के प्रति सम्मान और साझे विकास की ओर लक्षित होना **SCO की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाते हैं।**

**भारत के लिए SCO की प्रासंगिकता**

- **SCO का वैश्विक प्रभाव:** SCO के 4 सदस्य (भारत, रूस, चीन और पाकिस्तान) **परमाणु हथियार** वाले देश हैं और 2 सदस्य देश (रूस एवं चीन) **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य** हैं।
  - इसके अतिरिक्त, SCO को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (North Atlantic Treaty Organization: NATO) का प्रतिसंतुलन माना जाता है, क्योंकि
    - मध्य एशिया और खाड़ी क्षेत्र में दोनों संगठनों के भू-राजनीतिक हित अलग-अलग हैं।
    - भू-क्षेत्र के संदर्भ में SCO का अपना एक विशिष्ट प्रभाव है, जो NATO की तुलना में कहीं अधिक है।

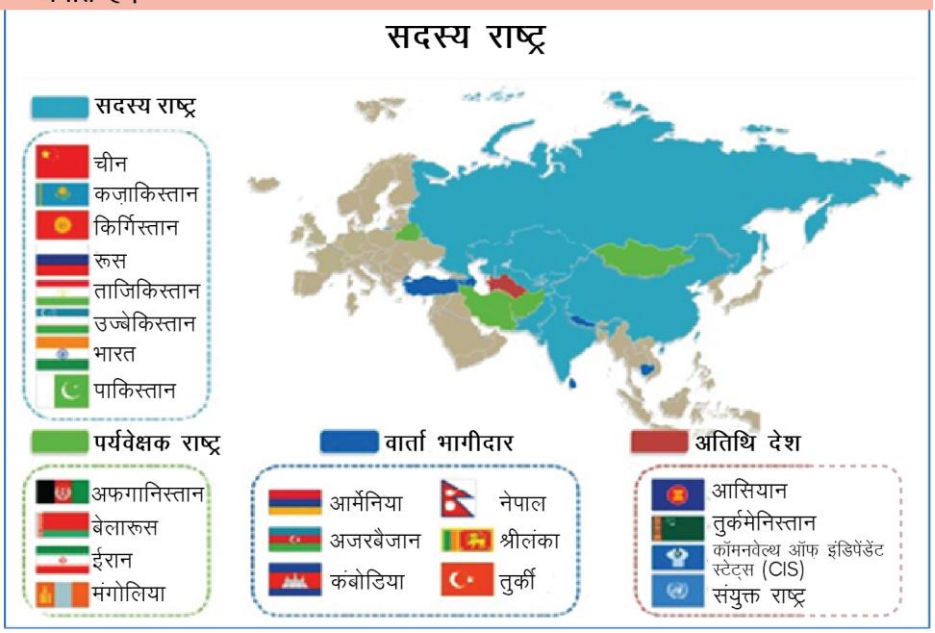


- **क्षेत्रीय आतंकवाद को नियंत्रित करने में:** SCO की रक्षा-केंद्रित संरचनाओं और **क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना (Regional Anti-Terrorist Structure: RATS)** ने क्षेत्रीय आतंकवाद को रोकने में काफी सफलता प्राप्त की है।

- **अफ़गानिस्तान की राजनीतिक गतिशीलता में भागीदार:** यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि अफ़गानिस्तान से संयुक्त राज्य अमेरिका और NATO सैन्य बलों की वापसी के पश्चात्, वहां SCO की भूमिका अत्यधिक बढ़ जाएगी।
    - SCO-अफ़गानिस्तान संपर्क समूह (SCO-Afghanistan Contact Group), जिसे वर्ष 2009 में निलंबित कर दिया गया था, का वर्ष 2017 से पुनः संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। इस प्रकार, यह अफ़गानिस्तान की राजनीतिक गतिशीलता में संलग्न होने के लिए भारत को एक मंच प्रदान करेगा।
- **राजनीतिक:** SCO के वार्षिक सम्मेलनों के दौरान भारत को क्षेत्रीय देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को नए तरीके से प्रारंभ करने का अवसर प्राप्त होता है।
    - यह मंच भारत को **यूरेशियाई क्षेत्रों के मामलों** में अधिक भागीदारी करने का भी अवसर प्रदान करता है।
    - इसके माध्यम से भारत **मध्य एशिया में पाकिस्तान के प्रभाव को भी कम** कर सकता है।
    - SCO राजनीतिक रूप से अस्थिर **मध्य एशियाई क्षेत्र (Central Asian Region: CAR)** को आकार प्रदान करने में भारत को एक प्रमुख हितधारक के रूप में प्रस्तुत करता है। ध्यातव्य है कि इस क्षेत्र को आतंकवाद और मादक द्रव्य तस्करी के लिए एक उर्वर भूमि के रूप में देखा जाता है।
- **आर्थिक लाभ:** मध्य एशियाई क्षेत्र (CAR) संसाधनों (लौह-अयस्क, कोयला, तेल, गैस, स्वर्ण, सीसा, जस्ता, मॉलिब्डेनम, यूरेनियम, गैस और ऊर्जा गैस आदि) की दृष्टि से एक समृद्ध क्षेत्र है। SCO में भारत की आर्थिक कूटनीति रूस, चीन तथा पाकिस्तान पर कम बल्कि CAR पर अधिक केंद्रित है। इसके अतिरिक्त, CAR के नेताओं और SCO के तहत स्थापित भारत-मध्य एशिया व्यापार परिषद् के साथ लगातार बैठकें, आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित कर सकती हैं।
- **क्षेत्रीय संपर्क पर बल:** भारत की भागीदारी वाली लंबित ऊर्जा परियोजनाओं {जैसे- तापी/TAPI (तुर्कमेनिस्तान-अफ़गानिस्तान-पाकिस्तान-इंडिया) पाइपलाइन, IPI (ईरान-पाकिस्तान-इंडिया) पाइपलाइन, CASA (सेंट्रल एशिया-साउथ एशिया)-1,000 विद्युत पारेषण परियोजनाएं (जो पाकिस्तान के कारण अवरुद्ध हैं)} को SCO के माध्यम से आवश्यक प्रोत्साहन मिल सकता है।

**SCO में भारत के लिए चुनौतियां**

- **चीन का बढ़ता प्रभुत्व:** SCO चीनी प्रभुत्व वाला एक संगठन है। भारत को छोड़कर, सभी सदस्य देशों ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का समर्थन किया है।
    - BRI भारत के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (China-Pakistan Economic Corridor: CPEC) भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करता है। साथ ही, पाकिस्तान का समर्थन कर चीन, इस क्षेत्र में भारत के प्रभाव को सीमित या संतुलित करने का प्रयास कर सकता है।
- **रूस-पाकिस्तान-चीन गठबंधन:** रूस और चीन की बढ़ती घनिष्ठता के कारण भारत को चुनौतियों (SCO में चीन-पाकिस्तान के मध्य गठजोड़ के कारण) का सामना करना पड़ सकता है।
    - भारत में आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तान की संलिप्तता को चीन ने सदैव अस्वीकृत किया है। साथ ही, मुंबई हमले के मास्टरमाइंड को ब्लैकलिस्ट करने संबंधी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रयास के विरुद्ध चीन ने बार-बार अपने वीटो का प्रयोग किया है।
    - अन्य सदस्य देशों द्वारा भी पाकिस्तान का अत्यधिक समर्थन किया जाता रहा है। इससे संगठन में भारत की स्थिति प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकती है।
- **मध्य एशिया एवं उसके बाहर अन्य देशों के साथ संपर्क का अभाव:** मध्य एशिया और यूरेशिया के साथ संपर्क में एक बड़ी बाधा भारत और अफ़गानिस्तान के बीच प्रत्यक्ष भूमि संपर्क का अभाव तथा पाकिस्तान द्वारा रणनीतिक अस्वीकृति है।
    - उदाहरण के लिए, मध्य एशिया के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार चीन के 50 अरब डॉलर की तुलना में अत्यंत कम (लगभग 2 अरब डॉलर) रहा है।

**आगे की राह (भारत के संदर्भ में)**

- **सामरिक स्वायत्तता को बनाए रखना:** भारत को **चीन के प्रभुत्व के विरुद्ध अपना स्वतंत्र पक्ष बनाए रखना चाहिए।** BRI के मुद्दे पर भारत ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए यह कहा है कि संपर्क परियोजनाओं को संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना ही चाहिए।
    - परंपरागत रूप से SCO द्वारा एक स्पष्ट **पश्चिम-विरोधी** पक्ष अपनाया जाता रहा है, हालांकि इससे भारत को बचना चाहिए। ऐसा इसलिए है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा विकल्प है, जिसका भारत **चीन के विरुद्ध उपयोग कर सकता है।**
    - SCO में भारत के हितों को बढ़ावा देने के लिए **भारत-रूस कूटनीतिक संबंधों और CAR के साथ भारत के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक संपर्क का उपयोग किया जा सकता है।**

- **पाकिस्तान को रचनात्मक भागीदारी हेतु प्रेरित करना:** SCO के द्विपक्षीय अधिदेश के अनुसार, SCO की कार्यप्रणाली पक्षकार देशों के मध्य मतभेद की स्थिति से रहित है, अर्थात् ऐसे किसी भी प्रकार के मतभेद संगठन की कार्यप्रणाली को बाधित नहीं कर सकते हैं। परस्पर सहयोग को SCO सदस्यों के मध्य भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत को SCO में सदस्य देशों के समर्थन हेतु प्रयास करना चाहिए, ताकि पड़ोसी देशों तक इसकी विस्तृत संपर्क परियोजनाओं में पाकिस्तान द्वारा कोई अवरोध उत्पन्न न किया जा सके।
- **CAR में रचनात्मक भूमिका हेतु प्रयास करना:** भारत, मध्य एशिया में युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा से दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। साथ ही, संस्कृति, व्यंजन, शिक्षा इत्यादि के क्षेत्र में आपसी मेल-जोल बढ़ाने के लिए, भारत को अपनी सॉफ्ट पावर का लाभ उठाना चाहिए। ऐसे प्रयास, SCO में भारत की स्थिति को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं।
- **संपर्क परियोजनाओं को पुनर्जीवित करना:** चाबहार बंदरगाह के परिचालन और अश्गाबात समझौते में भारतीय प्रवेश को यूरेशिया में सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। साथ ही, **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण गलियारे (International North-South Transport Corridor: INSTC)** के संचालन पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। यह मध्य एशिया में भारत के आर्थिक प्रभुत्व को बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही, यह इस क्षेत्र में भारत की अपरिहार्यता को भी बढ़ावा देगा।

| | | |
|---|---|---|
| QUIZ<br>**SMART QUIZ** | विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अंतर्राष्ट्रीय संबंध** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। | |

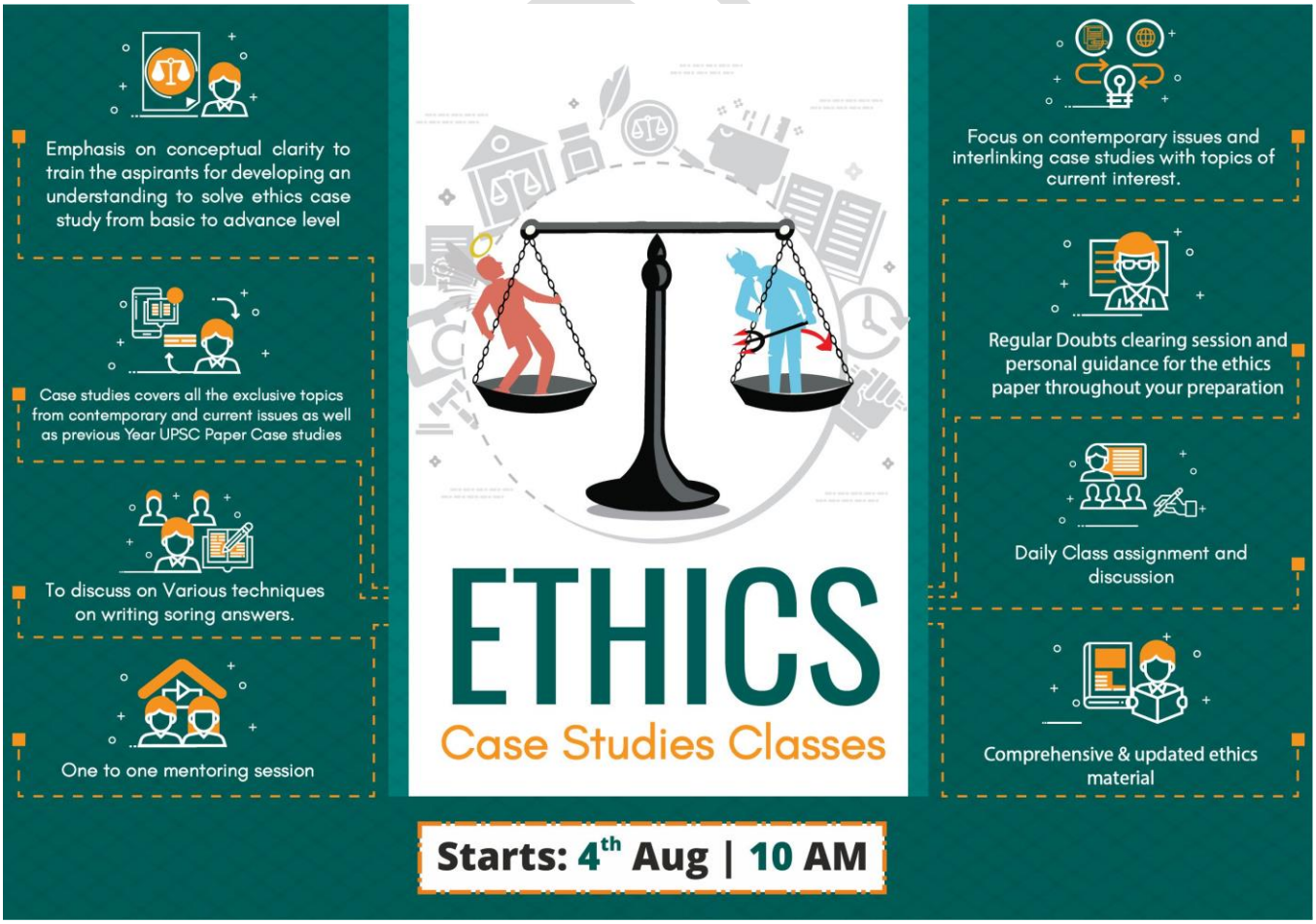

# 3. अर्थव्यवस्था (Economy)

## 3.1. वस्तु एवं सेवा कर के 4 वर्ष (4 Years of GST)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax: GST) के चार वर्ष पूर्ण हो गए हैं।

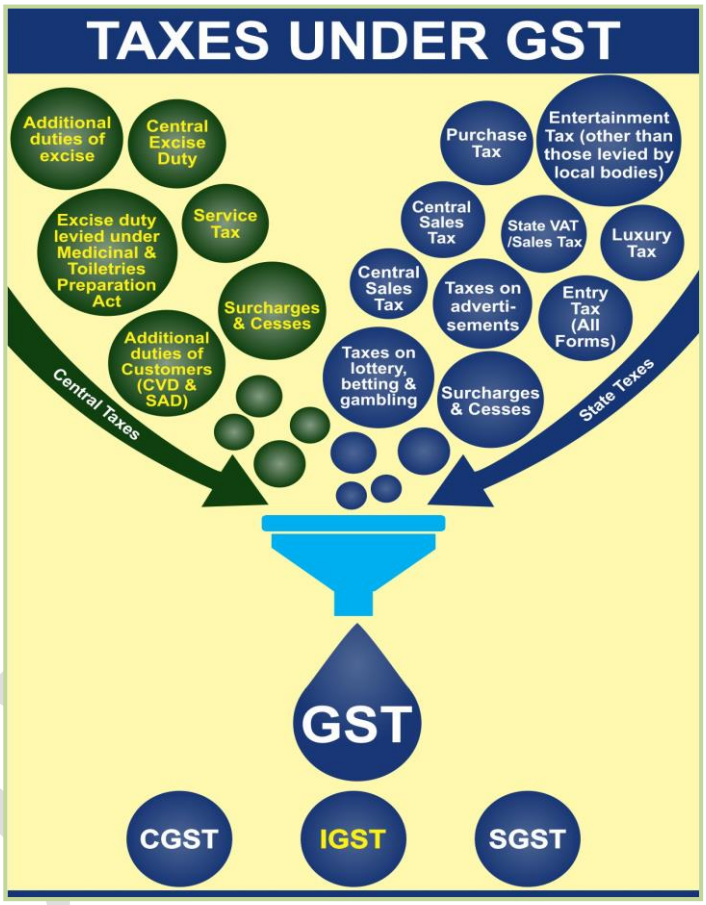


**वस्तु एवं सेवा कर के बारे में**

- GST, संपूर्ण देश के लिए एकल घरेलू अप्रत्यक्ष कर कानून है जिसे वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर आरोपित किया जाता है।
- यह प्रत्येक मूल्य वर्धन (value addition) पर आरोपित किया जाने वाला व्यापक, बहु-चरणीय और गंतव्य आधारित कर है। GST में उत्पाद शुल्क, वैल्यू एडेड टैक्स (VAT), सेवा कर, विलासिता कर आदि जैसे **अनेक अप्रत्यक्ष करों को समाहित** किया गया है।
    - हालांकि, संपत्ति कर और स्टांप शुल्क, विद्युत शुल्क, अल्कोहल पर आबकारी शुल्क, मूलभूत सीमा शुल्क, अपरिष्कृत पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, विमानन टर्बाइन ईंधन (Aviation Turbine Fuel: ATF), प्राकृतिक गैस आदि जैसी कई वस्तुएं **GST के दायरे में नहीं आती हैं।**
- GST के तहत अनेक कर स्लैब (कर की दर) हैं तथा इसके तहत आने वाले उत्पादों पर 5%, 12%, 18% और 28% की दर से कर आरोपित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, GST की दर स्वर्ण पर 3% तथा अर्ध-मूल्यवान और अपरिष्कृत पत्थरों पर 0.25% है।
    - साथ ही, GST व्यवस्था के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के एक लघु भाग पर कोई भी कर (अर्थात् शून्य कर) आरोपित नहीं किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के नमक, सैनिटरी नैपकिन आदि शामिल हैं।
- राज्यों और केंद्र द्वारा पारस्परिक रूप से **GST परिषद** के माध्यम से GST की दरों का निर्धारण किया जाता है।
- ज्ञातव्य है कि, उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर GST आरोपित (levied) होता है, लेकिन इसे उपभोग बिंदु (point of consumption) पर ही संग्रहित (collected) किया जाता है {प्रतिलोम प्रभार व्यवस्था (Reverse Charge Mechanism)}, तथा अंतिम उपभोक्ता के अलावा सभी पक्षकारों को इसे पुनः लौटा दिया जाता है।

**प्रतिलोम प्रभार व्यवस्था (रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म)**

- सामान्यतः वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता द्वारा GST का भुगतान किया जाता है। लेकिन कुछ मामलों में, कर का भुगतान करने का दायित्व खरीदार (buyer) का होता है। इसे ही रिवर्स चार्ज कहा जाता है।
- यह केवल कुछ दृष्टांतों में ही लागू होता है, जैसे- जब कोई व्यवसाय किसी आपूर्तिकर्ता, जो GST का भुगतान करने के लिए पंजीकृत नहीं है, से वस्तुएं या सेवाएं खरीदता है या आयात के मामलों में।

**GST की उपलब्धियाँ**

- **भारत के कराधार (tax base) में वृद्धि:** विगत चार वर्षों (2017-2021) में कराधार 66.25 लाख से बढ़कर दोगुना लगभग 1.28 करोड़ हो गया है।
- **GST राजस्व संग्रह में वृद्धि:** राजस्व संग्रह का स्तर लगातार आठ महीनों तक 1,00,000 करोड़ रुपये से अधिक बना रहा। वित्त वर्ष 2016-17 में हुए राजस्व संग्रह की तुलना में वित्त वर्ष 2019-20 में राजस्व संग्रह 42% बढ़ गया।

- **अनुपालन संबंधी सुगमता:** इससे अप्रत्यक्ष कर अनुपालनों में कुशलता आई है और साथ ही, इससे अप्रत्यक्ष कर प्राधिकरणों की संख्या में भी कमी आई है।
    - **"ई-इन्वॉयसिंग"** ने यह भी सुनिश्चित किया है कि व्यापार चालान (invoice) की पहचान एक विशिष्ट पहचान संख्या द्वारा की जाए जो सरकार द्वारा समर्थित स्वचालित ऑनलाइन पोर्टलों द्वारा सृजित होती है।
- **लॉजिस्टिक्स की कुशलता में वृद्धि:** GST ने जाँच-चौकियों को समाप्त कर, राष्ट्रव्यापी ई-वे बिल को आरंभ करके तथा एंट्री टैक्स (किसी राज्य में प्रवेश करने पर लगने वाला कर) को समाप्त कर सभी अंतर्राज्यीय बाधाओं को समाप्त कर दिया है। इस प्रकार, इसने देश के भीतर वस्तुओं की आवाजाही में लगने वाले परिवहन के समय को कम किया है। एक अनुमान के अनुसार, GST व्यवस्था में 50% से अधिक लॉजिस्टिक्स संबंधी प्रयासों और समय की बचत होती है।
- **लेनदेन की लागतों पर प्रभाव:** पिछली व्यवस्था में, सभी अंतर्राज्यीय लेनदेनों पर 2% (केंद्रीय विक्रय कर) की अतिरिक्त लागत आती थी, जबकि GST के बाद यह घटकर 0% हो गई है। इससे लेनेदेन संबंधी लागत में अत्यधिक कमी आई है।

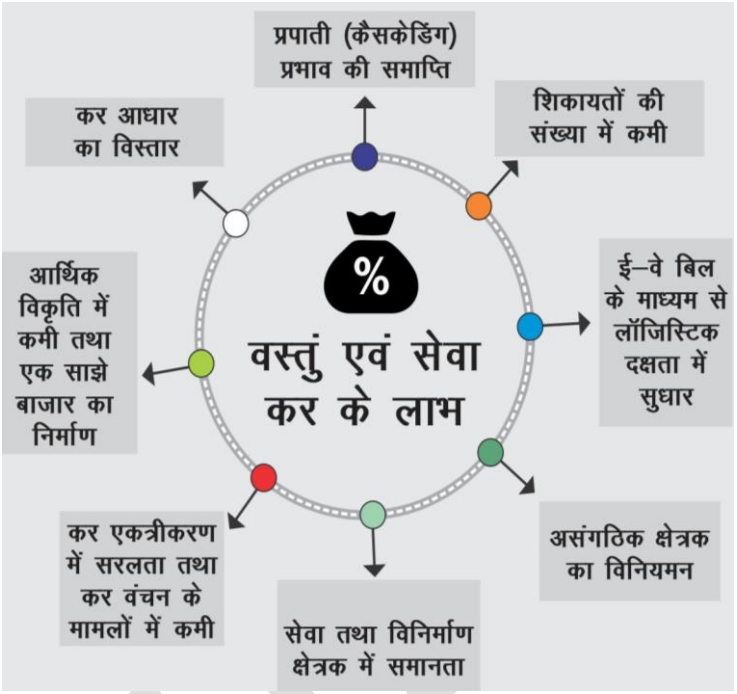


- **सहकारी संघवाद को सुदृढ़ता:** GST परिषद वस्तुतः सहकारी संघवाद के सफल उदाहरण के रूप में उभरी है और इसकी कार्यप्रणाली राजनीतिक पूर्वाग्रहों से मुक्त रही है।
- **पारदर्शिता में वृद्धि:** करदाताओं द्वारा GST के संबंध किए गए अपने अनुपालन की निगरानी GST पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है। साथ ही, वे किसी भी व्यवसाय के बारे में संबंधित PAN या GSTIN के माध्यम से आधारभूत जानकारी सरलता से प्राप्त कर सकते हैं जिससे व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ी है।

**चुनौतियाँ**

- **GST संग्रह के बारे में आवश्यकता से अधिक अनुमान (Overestimation):** आरंभ के वर्षों में सरकार ने GST संग्रह का अधिक अनुमान लगाया, जिसे प्राप्त नहीं किया जा सका और इसलिए इसके संबंध में विफल कराधान व्यवस्था की भावना उत्पन्न हुई।
- **जटिल कर स्लैब (या कर की दर):** जटिल स्लैब संरचना और इनके मध्य लगातार परिवर्तन होते रहने से अनुपालन संबंधी प्रणाली में अवांछित भ्रम उत्पन्न हुआ है। इसके अतिरिक्त, कर की दरों में अस्थिरता से प्रायः अनैतिक मुनाफाखोरी संबंधी प्रथाओं का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
- **बोझिल फाइलिंग संरचना:** वर्तमान GST रिटर्न फाइलिंग संरचना जटिल और बोझिल है और करदाता पर अत्यधिक दायित्व आरोपित करती है। वैध कर चालान/डेबिट नोट, प्राप्तकर्ता द्वारा वस्तु/सेवा की वास्तविक रसीद को रखने संबंधी अनिवार्यता, विभिन्न विक्रेताओं द्वारा प्रत्येक स्तर पर कर जमा करना आदि ने राष्ट्र को निर्बाध कर व्यवस्था से वंचित कर दिया है।
- **अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (Authority for Advance Ruling: AAR) के अस्पष्ट और परस्पर विरोधी निर्णय:** विभिन्न राज्यों में अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण (Appellate Authority for Advance Ruling) की विभिन्न पीठों के परस्पर विरोधी निर्णयों से करदाताओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। इसके अतिरिक्त, AAR के गठन के बाद से राजस्व के संबंध में 80% से अधिक निर्णय पक्षपातपूर्ण रहे हैं, जिसने करदाताओं को असंतुष्ट किया है।
- **कर चोरी और कर संबंधी धोखाधड़ी:** कपटपूर्ण चालानों, नकली ई-वे बिल आदि के उपयोग सहित GST कर चोरी और कर संबंधी धोखाधड़ी से राजस्व संग्रह में अत्यधिक हानि हुई है।
    - मार्च 2020 में एक न्यूज रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया था कि कर चोरी के कारण भारत को लगभग 70,000 करोड़ रुपये से अधिक की हानि हुई है।
- **GST के दायरे का विस्तार करना:** मुख्य रूप से राजस्व संग्रह पर केंद्र और राज्यों के असहमत होने के कारण अनके वस्तुओं, विशेष रूप से ईंधन और अल्कोहल को GST के दायरे में शामिल नहीं किया जा सका है।

VISION IAS

- केंद्र और राज्य अपना राजस्व बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पादों पर आरोपित उत्पाद शुल्कों पर निर्भर रहे हैं। इसलिए, GST परिषद इस मामले पर चर्चा करने में अनिच्छुक रही है, क्योंकि राज्यों का लगभग 30 प्रतिशत राजस्व पेट्रोल और डीजल पर आरोपित उत्पाद शुल्कों से आता है।

- **राज्यों को क्षतिपूर्ति से संबंधित चिंताएँ:** इस वैश्विक महामारी और लॉकडाउन ने राज्यों और केंद्र के लिए राजस्व की कमी संबंधी समस्या को और गंभीर कर दिया है। इसलिए राज्यों को समय पर बकाया राशि का भुगतान करने में केंद्र असमर्थ रहा है। इससे सहकारी संघवाद में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे राज्य इस व्यवस्था के प्रति विरक्त हो रहे हैं।
  - केंद्र सरकार की उपकर (Cess) और अधिभार (Surcharges) पर अधिक निर्भरता ने राजकोषीय संघवाद से संबंधित संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर किया है।
- **सुधारों में देरी:** वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न हुए व्यवधानों के आलोक में गिरते राजस्व के कारण कर स्लैब में संशोधन, सुदृढ़ अनुपालन व्यवस्था आदि से संबंधित सुधारों में लगातार देरी हुई है, जिसने GST व्यवस्था को नीरस बना दिया है।
- **संक्रमणकालीन मुद्दे:** चार वर्ष बाद भी, कई करनिर्धारण अभी भी पुरानी से नई GST व्यवस्था की ओर संक्रमण के परिणामस्वरूप तकनीकी/विधिक मुद्दों का सामना कर रहे हैं।

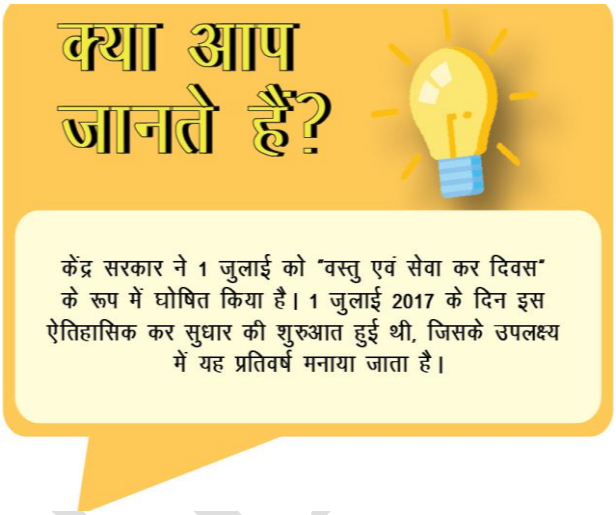


**आगे की राह**

- **सरल कर संरचना:** वस्तुओं को तीन कर स्लैब तक सीमित करने वाली सरल कर स्लैब संरचना समय की माँग है। कुछ विशेषज्ञों ने **तीन स्लैब वाली संरचना** की अनुशंसा की है जिससे इस अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को तर्कसंगत बनाने में सहायता मिलेगी।
- **डिजिटल संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना:** यह इनपुट कर प्रत्यय (input tax credit) का दावा करने की प्रक्रिया में तेजी लाने में सहायता कर सकता है। यह पोर्टल की अधिक संख्या में डेटा प्रोसेसिंग करने की क्षमता को बढ़ा सकता है।
- **सुदृढ़ अनुपालन व्यवस्था:** अनैतिक और अवैध कर प्रथाओं में लिप्त कर चोरों को पकड़ने के लिए सरकार को सुदृढ़ प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित GST प्रणाली का निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- **सहकारी संघवाद पर ध्यान केंद्रित करना:** केंद्र को राजस्व संग्रह का सहभाजन करने के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य व्याप्त तनाव का पता लगाकर उसका समाधान करने की आवश्यकता है।

## 3.2. राजकोषीय घाटे का प्रत्यक्ष मुद्रीकरण (Direct Monetisation of The Fiscal Deficit)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर के कारण अर्थव्यवस्था को हुई क्षति को देखते हुए इस विषय पर चर्चा हो रही है कि क्या भारत को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के माध्यम से **घाटे का प्रत्यक्ष मुद्रीकरण** करना चाहिए या नहीं।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- भारत में वित्त वर्ष 2020-21 में **GDP का लगभग 9.3 प्रतिशत** राजकोषीय घाटा दर्ज किया गया और वर्ष 2021-22 के लिए सरकार ने राजकोषीय घाटे को **GDP के 6.8 प्रतिशत** तक बनाए रखने का लक्ष्य रखा है।
  - यह स्थिति मुख्य रूप से वैश्विक महामारी के परिणामों का शमन करने के लिए व्यय में हुई वृद्धि और कोविड-19 जनित आर्थिक गिरावट (स्लोडाउन) के कारण राजस्व में ढील और कम कर संग्रह के कारण उत्पन्न हुई है।
- इस प्रकार, जारी वैश्विक महामारी के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को अतिरिक्त आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता को देखते हुए यह बहस चल रही है कि बढ़ते राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण कैसे किया जाए।

**राजकोषीय घाटा क्या है और इसे कैसे वित्तपोषित किया जाता है?**

- राजकोषीय घाटा, सरकार की कुल आय (कुल करों एवं गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों) और उसके कुल व्यय के मध्य का अंतर होता है। जब सरकार का व्यय उसकी आय से अधिक हो जाता है तब राजकोषीय घाटा होता है।

**राजकोषीय घाटा =** सरकार का कुल व्यय (पूँजीगत और राजस्व व्यय) - सरकार की कुल आय (राजस्व प्राप्तियाँ + ऋणों की वसूली + अन्य प्राप्तियाँ)

- सामान्यतः सरकारों के पास अपने राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने के लिए दो आधारभूत विकल्प मौजूद होते हैं, यथा- (i) या तो वें ऋण ले सकती हैं (ऋण-पत्र जारी करके), या (ii) करों में वृद्धि कर सकती हैं।
- जब किसी देश का केंद्रीय बैंक, सरकार के राजकोषीय घाटे की पूर्ति करने के लिए नोटों की छपाई (करेंसी प्रिंटिंग) करता है, तो उसे **घाटे का मुद्रीकरण (monetisation of deficit)** कहते हैं।

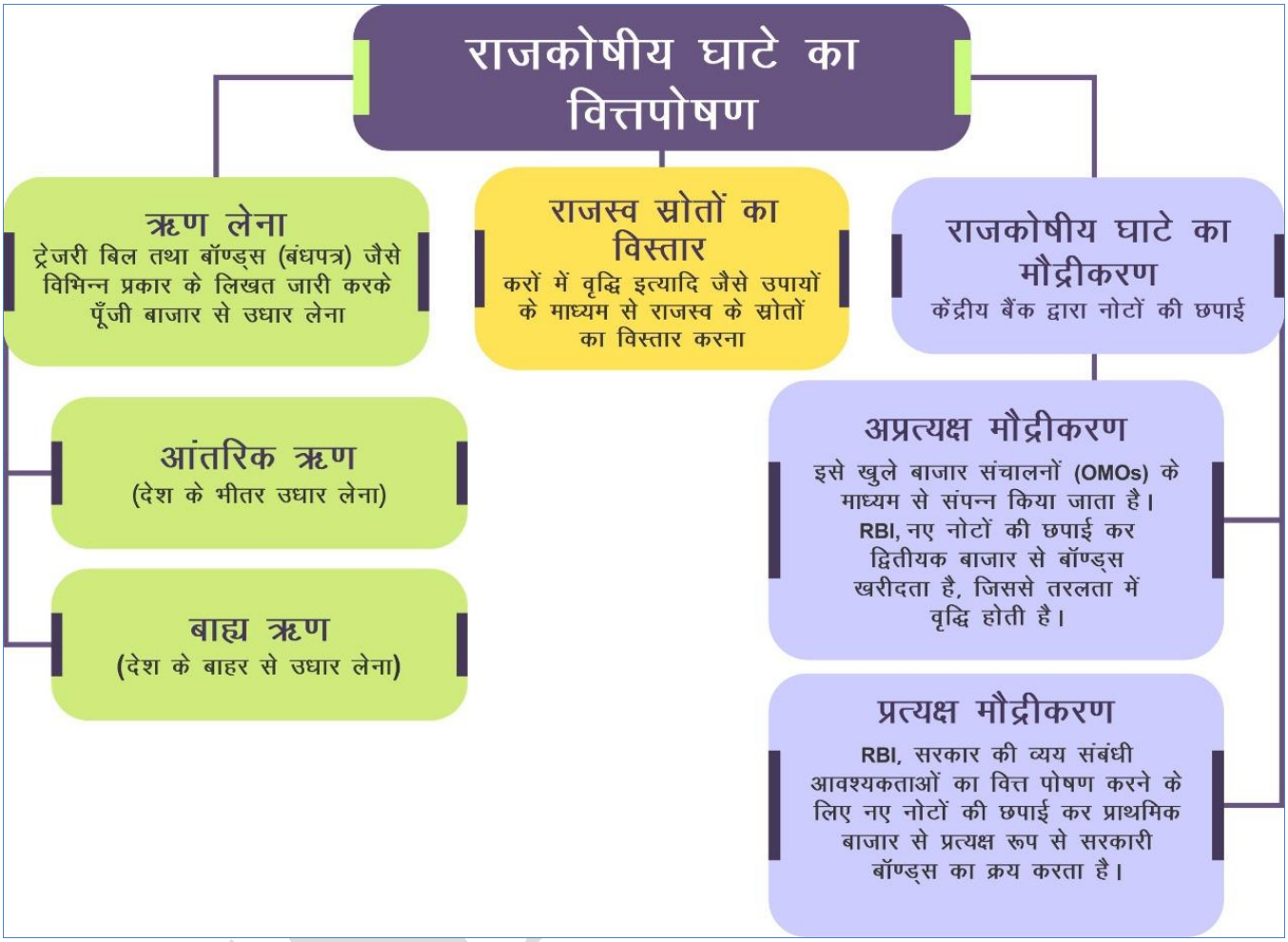


**घाटे के प्रत्यक्ष मुद्रीकरण (Direct Monetisation of deficit) के बारे में**

- यह उस परिदृश्य को संदर्भित करता है जब केंद्रीय बैंक द्वारा सरकार के अत्यधिक घाटे और इससे संबंधित व्यय को समायोजित (या पूरा) करने के लिए नोटों की छपाई की जाती है। ऐसा तब होता है जब सरकार प्राथमिक बाजार (प्राइमरी मार्केट्स) के जरिए अपने बॉण्ड्स केंद्रीय बैंक के पास रखती है अर्थात् जब केंद्रीय बैंक प्राथमिक बाजार से सरकारी बॉण्ड्स खरीदता है।
  - हालांकि, प्रत्यक्ष मुद्रीकरण में यह आवश्यक नहीं है कि वास्तव में नोटों की छपाई की ही जाए, क्योंकि केंद्रीय बैंक इलेक्ट्रॉनिक लेखांकन प्रविष्टि (electronic accounting entry) के माध्यम से भी सरकार के खाते में राशि क्रेडिट (जमा) कर सकता है।
- इस प्रक्रिया से आर्थिक प्रणाली अर्थात् बाजार में कुल मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होती है।
- घाटे के प्रत्यक्ष मुद्रीकरण को **हेलीकॉप्टर मुद्रा** के रूप में भी संदर्भित किया जाता है अर्थात् जब किसी संकट, जैसे- मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए अत्यधिक व्यापक मात्रा में नोटों की छपाई की जाती है।

| **भारत में घाटे का प्रत्यक्ष मुद्रीकरण** | |
|---|---|
| **वर्ष 1997 तक: घाटे का स्वतः मुद्रीकरण** | • **वर्ष 1997** तक भारत ने घाटे के स्वतः मुद्रीकरण की प्रणाली अपनाई थी।<br>○ केंद्र सरकार की नकदी असंतुलन की भरपाई करने के लिए RBI द्वारा केंद्र की ओर से **एड-हॉक ट्रेजरी बिल** (भारत सरकार द्वारा निर्गमित गैर-विपणन योग्य अल्पकालिक ऋण विपत्र) जारी किया जाता था। ज्ञातव्य है कि ये एड-हॉक ट्रेजरी बिल्स निश्चित दर पर तथा स्वतः रूप से जारी किए जाते थे, जिन्हें RBI स्वयं के लिए जारी करता था। |

| | |
|---|---|
| | • एड-हॉक ट्रेजरी बिल्स के माध्यम से वित्तपोषण को पूर्णतया चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए वर्ष 1997 में भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इसके पश्चात् इस कार्यप्रणाली को **1 अप्रैल 1997** से **अर्थोपाय अग्रिम (Ways and Means Advances: WMA)** की प्रणाली से प्रतिस्थापित कर दिया गया। |
| **वर्ष 1997-2006: सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमन (primary issuance) में RBI की भागीदारी** | • एड-हॉक ट्रेजरी बिल्स के माध्यम से स्वतः मुद्रीकरण की कार्यप्रणाली की समाप्ति के बावजूद भी, मुद्रीकरण अन्य रूप में जारी रहा, क्योंकि सरकारी प्रतिभूतियों (G-secs) के प्राथमिक निर्गमन के बाद RBI ने उन्हें खरीदना जारी रखा। |
| **वर्ष 2006-2018: प्रत्यक्ष मुद्रीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध** | • **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (Fiscal Responsibility and Budget Management: FRBM) अधिनियम, 2003** के लागू होने के पश्चात् RBI को 1 अप्रैल 2006 से सरकार के प्राथमिक निर्गमनों में अभिदान (subscribe) करने से पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया अर्थात् RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों (G-secs) के खरीद पर रोक लगा दी गई। |
| **वर्ष 2018 से: कुछ आधारों पर प्रत्यक्ष मुद्रीकरण की अनुमति** | • **FRBM अधिनियम, 2003** में वर्ष 2017 में संशोधन करते हुए एक **मोचन खंड (escape clause)** का समावेश किया गया, जो विशेष परिस्थितियों में घाटे के मुद्रीकरण की अनुमति देता है।<br>○ यदि सरकार का राजकोषीय घाटा राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध की स्थिति, **राष्ट्रीय आपदा,** कृषि विफलता आदि के कारण निर्धारित सीमा से अधिक बढ़ जाता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के निर्गमनों में अभिदान कर सकता है अर्थात् ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों (G-secs) की खरीद कर सकता है। |

**प्रत्यक्ष मुद्रीकरण की माँग के पीछे उत्तरदायी कारण**

- **रिकवरी (अर्थव्यवस्था की पुनर्बहाली) कार्यक्रमों को वित्तपोषित करना:** मुद्रीकरण कोविड-19 संकट के दौरान सरकार की कई समस्याओं का समाधान कर सकता है, क्योंकि यह सरकार को असाधारण रिकवरी कार्यक्रमों से संबद्ध कुछ लागत को प्रत्यक्ष रूप से कवर करने के लिए आसान चलनिधि/तरलता प्रदान कर सकता है।
  - उदाहरण के लिए- इसका उपयोग **आत्मनिर्भर भारत 3.0,** जिसकी लागत लगभग 2.65 लाख करोड़ रुपये है, के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु वित्तपोषण के लिए किया जा सकता है।
- **अपस्फीति (deflation) का शमन करना और मध्यम मुद्रास्फीति (moderate inflation) को प्रोत्साहित करना:** मुद्रा का मुद्रण या नोटों की छपाई करने से आम जनता तक धन की पहुँच सुनिश्चित हो सकती है, जिससे आम जनता अधिक व्यय करने के लिए प्रोत्साहित होती है। यह सरकार के लिए ऐसे समय में, जब निजी मांग में गिरावट बनी हुई है, समग्र मांग को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है।
  - यदि नोटों की छपाई करने से मांग में वृद्धि होती है, तो भारतीय विनिर्माण कंपनियां मूल्यों में वृद्धि किए बिना तीव्रता से उत्पादन में वृद्धि कर सकती हैं।
- **वित्तीय स्थिरता बनाए रखना:** चूंकि किसी भी अर्थव्यवस्था में बचतें सीमित होती हैं, इसलिए सरकारी प्रतिभूतियों को जारी कर व्यापक घाटे को वित्तपोषित करने से सरकार के लिए ब्याज की दरों और ऋण की लागत में अत्यधिक वृद्धि हो सकती है। इससे ऋण की अदायगी संबंधी चूक (डिफ़ॉल्ट) की संभावना में वृद्धि हो सकती है, जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है।
- **तरलता का समावेश:** ऐसे समय में जब मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के कारण ब्याज दर में कटौती संभव नहीं है, तब प्रत्यक्ष मुद्रीकरण वित्तीय प्रणाली में तरलता का समावेश (बढ़ावा या वृद्धि) कर सकता है।
  - उदाहरण के लिए- RBI द्वारा वर्ष 2020 में मार्च और मई के मध्य रेपो दर में 115 आधार अंकों {Basis Points (BPS or BP)} की कटौती की गई थी। हालांकि, इससे अधिक ब्याज दर में कटौती करना संभव नहीं था, इसलिए इसके बाद रेपो दर को 4% के स्तर पर बनाए रखा गया था।
- **निम्न ब्याज दर बनाए रखना:** नोटों की छपाई करने से वित्तीय प्रणाली में पर्याप्त मुद्रा की उपलब्धता सुनिश्चित होती है, जिसके परिणामस्वरूप निम्न ब्याज दर बनी रहती है।
  - निम्न ब्याज दरें सरकार को ऋण लेने और सड़कों, अस्पतालों आदि जैसी उत्पादक परिसंपत्तियों में निवेश करने, कॉर्पोरेट को ऋण लेने एवं अपना विस्तार करने तथा लोगों को ऋण लेने और आर्थिक पुनरुद्धार के लिए व्यय करने में सक्षम बनाती हैं।

- **अन्य लाभ:**
    - ऋण द्वारा वित्तपोषित राजकोषीय कार्यक्रमों के विपरीत नोटों की छपाई कर घाटे की पूर्ति करने से भविष्य में कर संबंधी बोझ में वृद्धि नहीं होती है।
    - यह मुद्रास्फीति में वृद्धि कर एक निश्चित सीमा तक सरकार की बकाया देयताओं में कमी कर सकती है।

**भारत में प्रत्यक्ष मुद्रीकरण के उपयोग को लेकर व्यक्त चिंताएं**

- **उच्च मुद्रास्फीति:** सरकार के राजकोषीय घाटे के मुद्रीकरण से अनुत्पादक व्यय (unproductive spending) में वृद्धि हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
    - कुछ अनुमानों से यह ज्ञात होता है कि यदि RBI को 270 बिलियन डॉलर (आत्मनिर्भर भारत पैकेज 1.0 के बराबर की राशि) के दूसरे प्रोत्साहन पैकेज का वित्तपोषण करना पड़ता, तो वर्ष 2021 के दौरान मुद्रास्फीति में औसतन 12% तक की वृद्धि हो सकती थी।

**क्या आप जानते हैं?**

वर्ष 2008 में जिंबाब्वे ने अपनी अर्थव्यवस्था में संवृद्धि के लिए और अधिक मुद्रा (करेंसी) का मुद्रण (छपाई) करने का निर्णय लिया। किंतु, इसने अपनी स्थानीय मुद्रा के मूल्य को कम कर दिया। इसके परिणामस्वरूप वस्तुओं के मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि हो गई, जिसके कारण हाइपरइन्फ्लेशन (अति–मुद्रास्फीति) की स्थिति उत्पन्न गई। इसके कारण एक ही वर्ष में वस्तुओं की कीमतों में 23,10,00,000% की वृद्धि हो गई थी।

- **RBI की विश्वसनीयता में कमी:** मुद्रण की जाने वाली मुद्रा की मात्रा और समय का निर्धारण RBI की मौद्रिक नीति के बजाय सरकार की ऋण संबंधी आवश्यकता से निर्धारित होने से RBI की विश्वसनीयता का क्षरण होता है।
    - केंद्रीय बैंक के टूलकिट के नियमित भाग के रूप में मुद्रीकरण को अपनाने या इसकी उपलब्धता संबंधी दृष्टांतों को स्थापित करने से धीरे-धीरे मौद्रिक और राजकोषीय नीति के मध्य का अंतर क्षीण हो सकता है। इससे केंद्रीय बैंक की विश्वसनीयता को क्षति पहुंच सकती है और अपने अधिदेश की पूर्ति करने संबंधी इसकी क्षमता सीमित हो सकती है।
- **राजकोषीय विवेक पर प्रश्नचिन्ह:** प्रत्यक्ष मुद्रीकरण, सरकार की राजकोषीय समेकन (fiscal consolidation) संबंधी गतिविधियों को हतोत्साहित कर सकती है। भारत द्वारा पहले ही 3% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने की समयसीमा को कई बार आगे बढाया गया है।
- **राजकोषीय प्रभुत्व:** दीर्घावधि तक राजकोषीय अनुशासन के अभाव की स्थिति केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता को प्रभावित करती है, क्योंकि नकारात्मक आर्थिक परिणामों से बचने के लिए केंद्रीय बैंक को असंधारणीय एवं नियंत्रण से परे राजकोषीय घाटे का मुद्रीकरण करने के लिए विवश होना पड़ेगा, जिससे राजकोषीय प्रभुत्व (अर्थात् सरकारी हस्तक्षेप) स्थापित हो सकता है।
    - राजकोषीय प्रभुत्व विशेष रूप से समग्र समष्टि आर्थिक स्थिरता के लिए हानिकारक होता है। जबकि वास्तविकता यह है कि यदि वांछित स्तर से अधिक आरक्षित मुद्रा में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है, तो आर्थिक संवृद्धि और मुद्रास्फीति के अनुरूप मौद्रिक नीति संबंधी कार्रवाइयां आवश्यक हो जाती हैं।
- **तरलता या चलनिधि में वृद्धि करने में अप्रभावी:** राजकोषीय कार्यक्रम द्वारा प्रदान की गई धनराशि अंततः अपरिहार्य रूप से बैंकिंग प्रणाली में पहुंचती है। इससे केंद्रीय बैंक में बैंकों द्वारा रखी जाने वाली आरक्षित धन की मात्रा बढ़ सकती है क्योंकि आर्थिक तनाव या संकट के समय बैंक सामान्यतः ऋण प्रदान करने में अनिच्छुक होते हैं, इसलिए उनके द्वारा इस अतिरिक्त आरक्षित धन को केंद्रीय बैंक में रखने और उन पर ब्याज अर्जित करने की संभावना होती है।
- **मुद्रा का अवमूल्यन:** मुद्रा बाजार में आपूर्ति-मांग असंतुलन के कारण भारतीय रुपये का अवमूल्यन हो सकता है।
    - RBI अपने विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करके हस्तक्षेप कर सकता है। हालांकि, विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का परिणाम अंततः भुगतान संतुलन के संकट के रूप में परिणत हो सकता है।

**आगे की राह**

- **प्रत्यक्ष मुद्रीकरण से पहले राजकोषीय घाटे का उत्पादक उपयोग:** यदि अर्थव्यवस्था में पर्याप्त व अल्पप्रयुक्त संसाधन और अवसर (जैसा कि भारत के लिए श्रम की बहुतायत स्थिति) विद्यमान हैं तो मुद्रा का मुद्रण अत्यधिक मुद्रास्फीति को प्रेरित नहीं करेगा। इसलिए, इससे पहले कि भारत प्रत्यक्ष मुद्रीकरण का विकल्प अपनाए, सरकार को अपने राजकोषीय व्ययों की 'विश्वसनीयता' विकसित करनी चाहिए और उच्चतर विकास गुणक प्रभावों के लिए उत्पादक व्यय संबंधी निर्णय सुनिश्चित करना चाहिए।
- **विकल्पों का अन्वेषण करना:** सरकार जनता को **कोविड बॉण्ड्स** जारी कर अपनी ऋण संबंधी आवश्यकताओं का कुछ हिस्सा जुटा सकती है।
    - यदि कोविड बॉण्ड्स के मूल्य को उचित रूप से निर्धारित किया जाए तो इससे ऐसे बचतकर्ताओं को राहत पहुँच सकती है, जो वर्तमान समय में सावधि जमाओं (फिक्स्ड डिपॉजिट्स) पर बैंक की ओर से मिलने वाली निम्न ब्याज दरों से असंतुष्ट हैं। इसके अलावा, ऐसे

कोविड बॉण्ड्स अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि नहीं करेंगे और इसलिए इससे RBI के चलनिधि या तरलता प्रबंधन में हस्तक्षेप भी नहीं होगा।

- **अंतिम उपाय के रूप में प्रत्यक्ष मुद्रीकरण का उपयोग करना:** RBI वर्तमान में नोटों की छपाई कर रहा है और सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (Government Securities Acquisition Programme: GSAP) के माध्यम से द्वितीयक बाजार से बॉण्ड खरीद रहा है। **GSAP 1.0** का मूल्य 1 ट्रिलियन रुपये था; **GSAP 2.0** का मूल्य 1.2 ट्रिलियन रुपये होगा।
    - इसलिए, वर्तमान में बॉण्ड की प्रत्यक्ष खरीद संबंधी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि GSAP आवश्यक चलनिधि प्रदान करने, अर्थव्यवस्था हेतु प्रोत्साहन की पूर्ति करने और बॉण्ड प्रतिफल (bond yields) को सुगमतापूर्वक कम बनाए रखने में सफल रहा है।

**निष्कर्ष**

चूंकि कोविड-19 संबंधी लागत का बढ़ना जारी है, अत: सरकारी घाटे का आकार और उसके साथ-साथ मुद्रीकरण की मांग भी बढ़ेगी। प्रत्यक्ष मुद्रीकरण एक शक्तिशाली आपातकालीन साधन है, जिसमें अर्थव्यवस्था को पर्याप्त रूप से प्रोत्साहित करने और वास्तविक ब्याज दरों में प्रभावी रूप से कमी लाने की क्षमता मौजूद है। यदि इसे सफलतापूर्वक अपनाया जाता है तो इस कदम को विश्वसनीय माना जाएगा।

## 3.3. वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर (Global Minimum Corporate Tax Rate)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, एक ऐतिहासिक समझौते के तहत G-7 (ग्रुप ऑफ़ सेवेन) देशों के वित्त मंत्री कम से कम 15 प्रतिशत के एक **वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर** पर सहमत हो गए हैं।

**वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर के बारे में**

- विभिन्न देशों में संचालानरत वैश्विक कंपनियों (जैसे कि गूगल, अमेज़न, फेसबुक आदि) पर करारोपण संबंधी चुनौतियों के समाधान को लेकर लंबे समय से सरकारें प्रयासरत रही हैं।
    - ऐसी कंपनियां भारी राजस्व तो उत्पन्न करती हैं लेकिन इनके द्वारा **अत्यल्प कर का भुगतान** किया जाता है, क्योंकि ये कर वंचन के लिए **न्यूनतम कर क्षेत्राधिकार वाले देशों (टैक्स हेवन)** में कार्यालय स्थापित करती हैं। इससे इन कंपनियों को कर वंचन के अवसर प्राप्त हो जाते हैं।
    - इसके अतिरिक्त, **अमूर्त स्रोतों** जैसे कि औषध पेटेंट, सॉफ्टवेयर और बौद्धिक संपदा पर आरोपित रॉयल्टी शुल्क से प्राप्त होने वाली आय को भी कंपनियों द्वारा इन क्षेत्राधिकारों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इससे कंपनियां अपने पारंपरिक **घरेलू देशों** में उच्च करों का भुगतान करने से बच जाती हैं।
- वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर (अर्थात् वैश्विक रूप से निगम कर एक न्यूनतम दर) बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों (Multi-National Companies: MNCs) पर आरोपित किया जाने वाला **एक अतिरिक्त कर** है। यह संभावित रूप से इन कंपनियों को, उन देशों में करों के भुगतान हेतु बाध्य करता है जहां उनकी वस्तुओं या सेवाओं का विक्रय किया जाता है, भले ही उस देश में उनकी भौतिक उपस्थिति हो या ना हो।
- यह न्यूनतम कॉर्पोरेट कर कंपनियों को अल्प-कर वाले देशों में आय स्थानांतरण से होने वाले किसी भी प्रकार के लाभ को कम करने में मदद करेगा और साथ ही देशों को वैश्विक मानदंडों के अनुपालन हेतु बाध्य करेगा।
    - ज्ञातव्य है कि वर्ष 2000-2018 के मध्य, कई अमेरिकी कंपनियों ने कर छूट का लाभ उठाकर अपने संपूर्ण विदेशी मुनाफे का आधा हिस्सा केवल सात अल्प-कर वाले देशों, यथा- बरमूडा, केमैन आइलैंड्स, आयरलैंड, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड में सुरक्षित कर लिया था।

**वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर कैसे कार्य करेगा?**

- मान लीजिए, कोई कंपनी जिसका मुख्यालय **देश A** में है, वह **देश B में आय दर्ज करती है, जहां कर की दर 11% है।**
- 15% की वैश्विक न्यूनतम कर की दर के प्रभावी होने से, **देश A** द्वारा **कर में "बढ़ोतरी (टॉप अप)" की जाएगी** और संबंधित कंपनी से, देश B में प्राप्त होने लाभ पर **4% का अतिरिक्त कर वसूल लिया जाएगा।** यह अतिरिक्त कर **देश B की दर और वैश्विक न्यूनतम दर के मध्य के अंतर को प्रदर्शित करता है।**

**G-7 शिखर सम्मेलन के अन्य महत्वपूर्ण परिणाम {कॉर्बिस बे घोषणा-पत्र (Carbis Bay Declaration)}**

- आगामी 12 महीनों में **G-7 समूह, या तो दान के रूप में अधिशेष टीकों की आपूर्ति कर या कोवैक्स (Covax) को अतिरिक्त वित्त उपलब्ध करा कर एक बिलियन कोविड-19 टीकों की खुराक** सुनिश्चित करेगा। ज्ञातव्य है कि कोवैक्स संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित एक योजना है। इस योजना के तहत निम्न व मध्यम आय वाले देशों को टीकों की आपूर्ति की जाती है।

- G-7 समूह **जलवायु वित्त के क्षेत्र में अपने योगदान में वृद्धि** करेगा। साथ ही, निर्धन देशों को कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने में सहायता करने हेतु प्रति वर्ष 100 बिलियन डॉलर के अतिदेय व्यय (overdue spending) की प्रतिबद्धता को पूर्ण करेगा।
- **बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड (B3W) पार्टनरशिप को प्रोत्साहन:** यह (G-7 बैठक के दौरान आरंभ) विकासशील देशों में 40 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं में मदद करने के लिए एक मूल्य-संचालित, उच्च-मानक युक्त और पारदर्शी बुनियादी ढांचा साझेदारी है। इस प्रकार की साझेदारी की प्रासंगिकता को कोविड-19 महामारी ने और बढ़ा दिया है।
    - अवसंरचना से संबंधित इस योजना का उद्देश्य चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का विकल्प प्रस्तुत करना है।

**भारत पर संभावित प्रभाव**

- भारत को इससे लाभ प्राप्त होने की संभावना है, **क्योंकि यहाँ लागू निगम कर की दर इस न्यूनतम दर से अधिक है।** इस प्रकार, भारत निवेश को आकर्षित करना जारी रख सकता है।
    - ज्ञातव्य है कि वर्ष 2019 में, भारत द्वारा **निगम कर में बड़ी कटौती की घोषणा करते हुए इसे घरेलू कंपनियों के लिए 22%** और नई घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए **15%** निर्धारित किया गया था।
    - इस कटौती ने प्रभावी रूप से भारत के हेडलाइन कॉर्पोरेट कर की दर को **एशियाई देशों के औसत कर की दर (23%) के समतुल्य ला दिया है।**
- भारत से विदेशों में होने वाले निवेश (outbound investments) के संबंध में, यह **देश में कर आधार क्षरण (base erosion of tax) को रोकने में सहायता करेगा,** क्योंकि इसकी मदद से सरकार, भारतीय नागरिक के स्वामित्व वाले विदेशी व्यवसाय द्वारा 15% से कम कर भुगतान की स्थिति में शेष कर को वसूलने में सक्षम होगी।
- भारत **पहले से ही विदेशी सरकारों के साथ दोहरे कराधान से राहत समझौतों (Double Taxation Avoidance Agreement: DTAA),** कर सूचना विनिमय समझौतों और बहुपक्षीय समझौतों **में खामियों को दूर करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयासरत रहा है।** इस प्रकार, एक सामान्य कर दर का यह प्रस्ताव भारत के लिए कोई विशेष लाभ प्रदान नहीं करता है।

**वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर की आवश्यकता क्यों?**

- **एकरूपता लाना:** इसका उद्देश्य दशकों से चली आ रही "कर संबंधी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति" को समाप्त करना है, जिसमें देशों द्वारा कॉर्पोरेट दिग्गजों को अत्यधिक कम कर और कर से छूट प्रदान करने हेतु प्रतिस्पर्धात्मक प्रयास किए जाते रहे हैं।
- **टैक्स हेवन पर रोक:** यह अल्प कर प्रोत्साहन से होने वाले लाभों को सीमित करता है। साथ ही, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मुनाफे और कर राजस्व को अल्प-कर वाले देशों में स्थानांतरित करने से रोकता है, भले ही उनके द्वारा बिक्री कहीं भी की जाती हो।
- **महामारी से लड़ने के लिए अतिरिक्त कर राजस्व:** विभिन्न अनुमानों के अनुसार सरकारों को टैक्स हेवन से वार्षिक तौर पर लगभग 245 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होता है। यदि यह धन सरकारों को उपलब्ध होता, तो इसका उपयोग अन्य कार्यों के अतिरिक्त महामारी राहत से संबंधित भारी लागतों के प्रबंधन में किया जा सकता था।
- **वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा:** व्यवसायों के लिए समान अवसर प्रदान कर और देशों को सकारात्मक आधार पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित कर, जैसे कि **कार्यबल को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करना तथा अनुसंधान एवं विकास और बुनियादी ढांचे में निवेश** के द्वारा वैश्विक अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है।
- **वैश्विक डिजिटल बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कर लगाने की अनुमति:** यह विशाल डिजिटल बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुनाफे के एक भाग पर कर लगाने का अधिकार प्रदान करेगा और विश्व भर में आरोपित किए जाने वाले विभिन्न डिजिटल करों को समाप्त कर देगा। ध्यातव्य है कि यह भारत में अपनाए गए समकारी कर (equalization levy) के समान होगा।

**चुनौतियां**

- **वैश्विक सहमति:** सभी प्रमुख राष्ट्रों को इस संबंध में एक मंच पर ला पाना एक सबसे बड़ी चुनौती है, विशेष रूप से तब जबकि यह किसी राष्ट्र की कर नीति तय करने में उसके संप्रभुता के अधिकार को प्रभावित करता है।

- आयरलैंड (जहाँ कर की दर 12.5 प्रतिशत है) के द्वारा इस वैश्विक न्यूनतम कर का विरोध किया गया है तथा उसके द्वारा तर्क दिया गया है कि यह उसके आर्थिक मॉडल के लिए विघटनकारी हो सकता है।

- **कर की दर पर सहमति:** 15% का न्यूनतम कर पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करने में असमर्थ है और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि अन्य देश उच्च न्यूनतम वैश्विक कर दर को प्राथमिकता प्रदान कर सकते हैं।
- **विकासशील/अल्प-विकसित देशों में सामाजिक-आर्थिक विकास पर प्रभाव:** बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक स्रोत होती हैं। साथ ही, ये कंपनियां संसाधनों के कुशल उपयोग के साथ-साथ मांग उत्पन्न करने और कम आय वाले देशों में रोजगार उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करती हैं।
- **संप्रभुता का अधिकार:** कोई भी वैश्विक न्यूनतम कर, किसी भी देश की कर नीति (देश की आवश्यकता के अनुरूप) की क्षमता को सीमित करने के लिए संचालित किया जाता है।
- **डिजिटल कराधान का मुद्दा:** डिजिटल कराधान के मुद्दे पर वैश्विक न्यूनतम कर में स्पष्टीकरण का अभाव भारत जैसे देशों के लिए और अधिक निराशाजनक हो सकता है, जो विकास के ऐसे चरण में नहीं हैं कि अलग-अलग क्षेत्रों और उद्योगों के मध्य अंतर कर सकें।

**निष्कर्ष**

कोविड के बाद के विश्व में, जहां सभी देश अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः बेहतर स्थिति में लाने हेतु प्रयासरत होंगे, वहीं यह न्यूनतम कर दर कुछ मुद्दों/चिंताओं को भी जन्म दे सकता है। जैसे कि यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि **वैश्विक न्यूनतम कर आर्थिक सुधार को बाधित कर सकता है, विशेष रूप से उन देशों में जो कर लाभ/छूट के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले निवेश पर अत्यधिक निर्भर हैं।** साथ ही, कुछ सरकारों का मानना है कि किसी भी वैश्विक न्यूनतम कर व्यवस्था द्वारा **एक उचित कर प्रतियोगिता के तत्व को अभी भी लागू किया जाना चाहिए,** विशेष रूप से छोटे देशों के लिए ताकि वे उन बड़े देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सकें जिनके पास अंतर्निहित आर्थिक लाभ प्राप्त करने की क्षमता होती है। इसलिए, **देशों के बीच आम सहमति बनाने की आवश्यकता है, ताकि महामारी से ग्रस्त विश्व अपनी आर्थिक समस्याओं से शीघ्रता से बाहर आ सके** और दुनिया के सभी देशों में विकास के प्रयासों को तीव्र किया जा सके।

**आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) तथा वैश्विक न्यूनतम कर**

- **OECD / G20 इन्क्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS)** के अंतर्गत, 139 देशों और अधिकार-क्षेत्रों द्वारा कर वंचन की रणनीतियों {जिनके तहत कर से बचने के लिए कर नियमों में विद्यमान खामियों तथा असमानता (mismatches) का लाभ उठाया जाता है} के उन्मूलन हेतु साझा प्रयास किए गए हैं।
  - BEPS वस्तुतः **बहुराष्ट्रीय उद्यमों (Multi-National Enterprises: MNEs) द्वारा उपयोग की जाने वाली कर वंचन (बचाने) की रणनीति को संदर्भित करता है,** जिसके तहत कृत्रिम रूप से मुनाफे को कम या बिना कर वाले स्थानों पर स्थानांतरित करने हेतु कर नियमों में विद्यमान खामियों तथा असमानता का लाभ उठाया जाता है। ऐसे स्थानों या देशों में अत्यंत कम या किसी भी आर्थिक गतिविधि के अभाव के कारण कम या शून्य निगम कर का भुगतान करना पड़ता है।
- BEPS पर OECD/G20 समावेशी ढांचा **अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों के मध्य समन्वय को बेहतर बनाने, अधिक पारदर्शी कर वातावरण को सुनिश्चित करने और अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से उत्पन्न होने वाली कर चुनौतियों का समाधान करने हेतु प्रयासरत रहा है।**
- हाल ही में, **स्विट्जरलैंड, चीन और भारत सहित 130 देश अंतर्राष्ट्रीय कराधान नियमों में सुधार हेतु दो स्तंभों वाली एक नवीन योजना में शामिल हुए हैं** और यह सुनिश्चित करते हैं कि जहां भी बहुराष्ट्रीय उद्यम संचालानरत हैं, वहां कर के उचित हिस्से के भुगतान किए जाएं।
  - **स्तंभ-1 या पिलर-वन,** वस्तुतः डिजिटल कंपनियों सहित बड़ी MNEs (जहां भी संचालानरत हों और लाभ अर्जित करती हों) **द्वारा कर के भुगतान को सुनिश्चित करता है।**
  - **स्तंभ-2 या पिलर-टू:** यह विशाल **MNEs द्वारा कम से कम एक वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर के भुगतान को सुनिश्चित करता है,** जो वर्तमान में 15% पर प्रस्तावित है।

## 3.4. सूक्ष्म-वित्त का विनियमन (Microfinance Regulations)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सूक्ष्म-वित्त के लिए एक नई विनियामक व्यवस्था का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें सभी उधारदाताओं या ऋणदाताओं के लिए दिशा-निर्देशों का एक समान समुच्चय शामिल है।

**सूक्ष्म-वित्त के बारे में**

**सूक्ष्म-वित्त** वस्तुतः वित्तीय सेवा का एक रूप है जिसके तहत निर्धन और कम आय वाले परिवारों को छोटे ऋण तथा अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती हैं ताकि उधारकर्ता (अर्थात् ऋणी), आय सृजन गतिविधियों को प्रारंभ कर निर्धनता से मुक्त हो सकें।

**सूक्ष्म-वित्त का विकास**

- वर्ष 1983 में ग्रामीण बैंक की स्थापना के साथ सूक्ष्म-वित्त की शुरुआत **बांग्लादेश** से हुई थी। इस मॉडल के अंतर्गत, महिला उधारकर्ताओं (borrowers) को स्वयं सहायता समूहों (Self-Help Groups: SHGs) के रूप में संगठित किया जाता है, जिसके तहत उन्हें उधार प्रदान करने वाली संस्था से व्यक्तिगत या सामूहिक आवश्यकताओं के लिए ऋण प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है।
- विश्व भर के विभिन्न देशों में, **गैर-सरकारी संगठनों (Non-Governmental Organisations: NGOs)** की गतिविधियों के माध्यम से भी सूक्ष्म वित्त की शुरुआत हुई थी, जिन्हें विदेशी दाताओं द्वारा उनके उधार परिचालन कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर या आंशिक रूप से सहायता प्रदान की जाती थी।
- हालांकि, सूक्ष्म-वित्त के साथ भारतीय अनुभव अलग रहा है। **भारत** द्वारा सूक्ष्म वित्त प्रदान करने के लिए अपने विशिष्ट भौगोलिक प्रसार और कार्यात्मक पहुंच वाले **सार्वजनिक बैंकों के नेटवर्क का उपयोग किया गया है।**
    - इस प्रयोग में, **स्वयं सहायता समूहों, गैर-सरकारी संगठनों और बैंकों के मध्य** एक कड़ी मौजूद रही है। अनेक स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का गठन और पोषण गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किया जाता है तथा अपनी आंतरिक बचत के संदर्भ में परिपक्वता के निश्चित स्तर को पूरा करने के बाद ही वे बैंकों से ऋण लेने के हकदार होते हैं।

- **स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (SHG-Bank Linkage Programme),** जिसे भारत में वर्ष 1992 में प्रारंभ किया गया था, अब विश्व की सबसे बड़ी सूक्ष्म वित्त गतिविधि के रूप में परिवर्तित हो गया है। इसकी मदद से अब तक **1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कुल ऋण के साथ** 100 लाख से अधिक SHGs को वित्त पोषण प्रदान किया जा चूका है।
- वैश्विक स्तर पर संचालानरत समानांतर **बैंकिंग के स्थान पर** भारत में सूक्ष्म वित्त प्रयोग को **नाबार्ड द्वारा संबंधपरक (रिलेशनशिप) बैंकिंग के रूप में वर्णित किया** गया है।

**विवरण और पृष्ठभूमि**

- भारतीय सूक्ष्म-वित्त क्षेत्रक में, सूक्ष्म-वित्त प्रदान करने वाले संस्थानों की संख्या और सूक्ष्म-वित्त ग्राहकों को उपलब्ध कराए गए ऋण की मात्रा दोनों के मामले में **पिछले दो दशकों के दौरान अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।**

- वर्तमान में इसके तहत भारत की निर्धन आबादी के **लगभग 102 मिलियन खातों तक सेवाएँ प्रदान की जा रही** हैं।

- हालांकि, इस क्षेत्रक में वृद्धि होने के साथ, कुछ अपर्याप्तताएँ और विफलताएं भी उजागर हुईं हैं जो **वर्ष 2010 में आंध्र प्रदेश सूक्ष्म-वित्त संकट के रूप में परिलक्षित हुई थीं।**
  - इस संकट के लिए कुछ सूक्ष्म वित्त संस्थानों (Micro Finance Institutions: MFIs) के विवेकहीन प्रयास को जिम्मेदार ठहराया गया था, जिन्होंने व्यवसाय बढ़ाने की अपनी आतुरता में, पारंपरिक ज्ञान और अनुकूल प्रथाओं (जैसे कि ऋण देने और नैतिक वसूली प्रथाओं में उचित तत्परता बनाए रखना) का परित्याग कर दिया था।

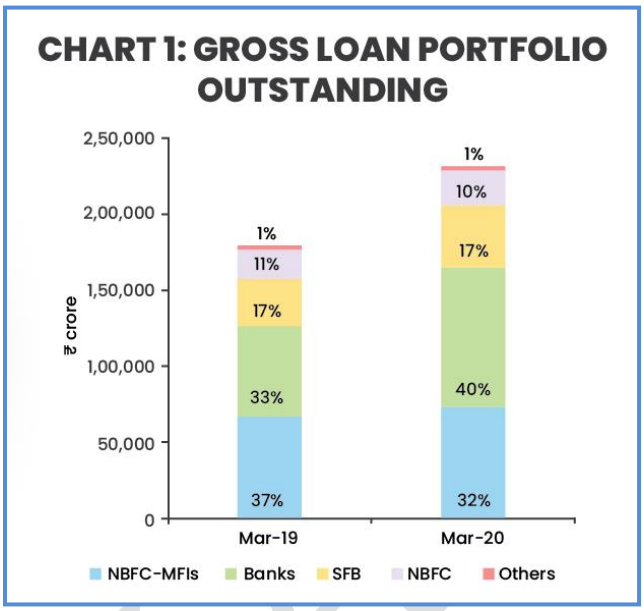


- हालांकि इस संकट से सीख लेकर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने MFI क्षेत्रक में आने वाली समस्याओं और चिंतनीय विषयों का अध्ययन करने के लिए **वाई. एच. मालेगाम समिति** का गठन किया।
  - मालेगाम समिति की अनुशंसाओं के आधार पर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने **'गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थान' {Non-Banking Financial Company-Micro Finance Institutions (NBFC-MFIs)}** के लिए **वर्ष 2011 में व्यापक विनियामक ढांचे को स्थापित किया।**
  - इसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक ने **'NBFC-MFI' को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है:**
    - जमा स्वीकार न करने वाली NBFC;
    - न्यूनतम निवल धारित (net owned) निधि 5 करोड़ रुपये (देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पंजीकृत NBFC-MFIs को न्यूनतम निवल धारित निधि 2 करोड रुपये रखने की आवश्यकता होती है); तथा
    - इसके निवल परिसंपत्तियों का (नकद, बैंक में शेष राशि और मुद्रा बाजार के लिखतों के अलावा अन्य संपत्ति) न्यूनतम 85% भाग "अर्हक परिसंपत्ति (qualifying assets)" के रूप में होना चाहिए।

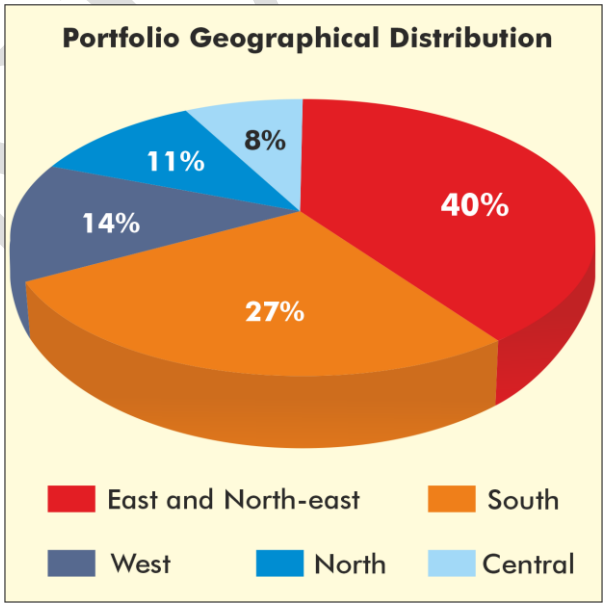


- यह व्यापक विनियामक ढांचा केवल NBFC-MFIs पर लागू होता है, जबकि अन्य ऋणदाता, जिनकी सूक्ष्म-वित्त पोर्टफोलियो में लगभग 70 प्रतिशत हिस्सेदारी है, उन पर इस प्रकार की नियामक शर्तें लागू नहीं होती हैं।
- इसलिए, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अब सूक्ष्म-वित्त क्षेत्रक में कार्य कर रही सभी **विनियमित संस्थाओं (Regulated Entities: REs) के लिए विनियमों के एक समान समुच्चय का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।**

***सूक्ष्म वित्त संस्थानों (MFIs) का विनियमन***

| मानदंड | NBFC-MFIs के लिए मौजूदा विनियामक ढांचा | विनियामक ढांचे में प्रस्तावित परिवर्तन |
|---|---|---|
| **सूक्ष्म-वित्त ऋणी या उधारकर्ता (borrower) की परिभाषा** | एक सूक्ष्म-वित्त ऋणी या उधारकर्ता की पहचान **वार्षिक घरेलू आय** से की जाती है जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1,25,000 रुपये और शहरी एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों के लिए 2,00,000 रुपये से अधिक न हो। | • समान परिभाषा के उद्देश्य से सभी **विनियमित संस्थाओं (REs) पर समान मानदंड लागू किए जाएंगे।**<br>○ **घरेलू आय** के आकलन के लिए सभी REs के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होनी चाहिए, जिसमें आय आकलन की विधि का उल्लेख हो। |
| **घरेलू ऋणग्रस्तता की सीमा** | उधारकर्ता की कुल ऋणग्रस्तता 1,25,000 रुपये (शिक्षा और चिकित्सा व्यय के लिए ऋण को | • **ऋण-आय अनुपात** के संदर्भ में ऋण राशि को घरेलू आय से संबंधित किया जाएगा। |

| | | |
|---|---|---|
| | छोड़कर) से अधिक न हो; | ○ तदनुसार, सभी ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि एक परिवार द्वारा देय समान मासिक किस्त (Equated Monthly Installment: EMI) उसकी आय के 50 प्रतिशत से अधिक न हो। |
| **ऋणों की प्रकृति** | संपार्श्विक (या जमानत) मुक्त ऋण, जहाँ समय से पहले ऋण के भुगतान पर कोई अर्थदंड नहीं हो। | संपार्श्विक मुक्त प्रकृति वाले सूक्ष्म वित्त ऋणों को सभी विनियमित संस्थाओं (REs) तक विस्तारित किया जाएगा। |
| **ऋणों की संख्या, ऋण राशि और अवधि पर सीमा** | • **ऋण राशि की सीमा 1,25,000 रुपये** (पहले चक्र में 75,000 रुपये तथा शिक्षा और चिकित्सा व्यय को पूर्ण करने हेतु लिए गए ऋण को ऋण सीमा से बाहर रखा गया है);<br>• 30,000 रुपये से अधिक के ऋण के लिए न्यूनतम **24 महीने की अवधि।**<br>• **एक ही उधारकर्ता को दो से अधिक NBFC-MFIs ऋण प्रदान नहीं किए जाएंगे।**<br>• **ऋण के न्यूनतम 50 प्रतिशत** को आय सृजन गतिविधियों के लिए प्रदान किया जाना है। | सभी सीमाओं को समाप्त कर दिया जाएगा। |
| **पुनर्भुगतान की अवधि** | NBFC-MFIs के सूक्ष्म-वित्त उधारकर्ताओं को उनकी पसंद के अनुसार साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक किश्तों में ऋण चुकाने की अनुमति प्रदान की गई है। | सूक्ष्म-वित्त उधारकर्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार **पुनर्भुगतान अवधि** में लचीलापन प्रदान करने के लिए सभी विनियमित संस्थाओं (REs) के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होनी चाहिए। |
| **सूक्ष्म ऋणों का मूल्य निर्धारण** | एक NBFC-MFI द्वारा प्रभारित किया जाने वाला अधिकतम ब्याज निम्नलिखित से कम होगा-<br>• 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक के ऋण पोर्टफोलियो वाले MFIs के लिए निधियों की लागत के अलावा 10% मार्जिन कैप तथा अन्य के लिए 12% मार्जिन कैप;<br>• परिसंपत्ति आकार के दृष्टिकोण से सबसे बड़े पांच वाणिज्यिक बैंकों की औसत आधार दर का 2.75 गुणा। | NBFC-MFIs की ब्याज दर के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।<br>• प्रत्येक NBFC-MFI के बोर्ड को प्रासंगिक कारकों जैसे कि निधि की लागत, मार्जिन और जोखिम प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए ब्याज दर मॉडल को अपनाना तथा ऋण और अग्रिम के लिए प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर को निर्धारित करना चाहिए।<br>• NBFC-MFIs, किसी भी अन्य NBFC की तरह, उचित व्यवहार संहिता द्वारा निर्देशित होंगे और ब्याज दरों के प्रकटीकरण एवं पारदर्शिता को सुनिश्चित करेंगे। |
| **गैर-लाभकारी कंपनियों को छूट** | उन सभी 'गैर-लाभकारी' सूक्ष्म-वित्त कंपनियों {कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के तहत पंजीकृत} को पंजीकरण मानदंडों से छूट प्रदान की गई है, जो-<br>• व्यावसायिक उद्यम के लिए अधिकतम 50,000 रुपये तथा आवास इकाई की लागत को पूर्ण करने के लिए किसी भी निर्धन व्यक्ति को अधिकतम 1,25,000 रुपये ऋण प्रदान करती हैं; और<br>• सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं करती हैं। | उन 'गैर-लाभकारी' सूक्ष्म-वित्त कंपनियों को छूट प्रदान की गई है, जो-<br>• ग्रामीण और शहरी/अर्ध शहरी क्षेत्रों के लिए क्रमशः 1,25,000 रुपये तथा 2,00,000 रुपये की वार्षिक घरेलू आय वाले परिवारों को संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करेंगी;<br>• यह निर्धारित करेंगी कि ऋण की EMIs घरेलू आय के 50 प्रतिशत से अधिक न हो; तथा<br>• जिसकी परिसंपत्ति का आकार 100 करोड़ रुपये से कम हो। |

**वर्तमान विनियामक ढांचे की समीक्षा की आवश्यकता क्यों?**

सूक्ष्म-वित्त क्षेत्रक में हो रहे हालिया परिवर्तन के साथ-साथ ग्राहकों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के कारण विनियमों की समीक्षा को बल मिला है ताकि सूक्ष्म-वित्त क्षेत्रक में कार्य करने वाली सभी विनियमित संस्थाएं (REs) एक उचित व्यवस्था के भीतर ग्राहक सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।

- **उधारकर्ताओं की अधिक ऋणग्रस्तता:** मौजूदा विनियम के तहत दो से अधिक NBFC-MFIs, एक ही उधारकर्ता को ऋण प्रदान नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार इससे अन्य उधारदाताओं द्वारा उन्हें ऋण देने की संभावनाओं में बढ़ोतरी होती है। इसके परिणामस्वरूप छोटे

उधारकर्ता अनेक उधारदाताओं से अलग-अलग ऋण प्राप्त करने में अधिक से अधिक सक्षम होते जाते हैं, जिससे उनकी ऋणग्रस्तता बढ़ती जाती है। परिणामस्वरूप पुनर्भुगतान में कठिनाई आती है और जबरन वसूली की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
    - ऋण-आय अनुपात के संदर्भ में ऋण राशि को घरेलू आय से जोड़ने की अनुशंसा यह सुनिश्चित करने के लिए है कि परिवार तनावग्रस्त न हो।
- **समान अवसर तैयार करना:** ब्याज दर की उच्चतम सीमा को लेकर मौजूदा विनियम के परिणामस्वरूप NBFC-MFIs अधिक ब्याज दर आरोपित करती हैं अर्थात् अपने ऋण के लिए अधिक ब्याज वसूलती हैं। परिणामस्वरूप, निधियों की तुलनात्मक रूप से कम लागत के बावजूद, बैंक भी NBFC-MFIs को अधिक ब्याज दर पर उधार देते हैं, जो MFIs की उच्चतम दर के आसपास बनी रहती है। अंततः उधारकर्ता बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा तथा बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियों से होने वाले लाभों से वंचित रह जाते हैं।
    - NBFC-MFIs द्वारा वसूल किए जाने वाले ब्याज दर पर उच्चतम सीमा को हटाने का प्रस्तावित कदम बाजार तंत्र को सूक्ष्म-वित्त क्षेत्रक में ब्याज दरों को पहले की तुलना में कम करने में सक्षम कर सकता है। साथ ही, ऋण मूल्य निर्धारण की पारदर्शिता पर मौजूदा तंत्रों के उपयोग द्वारा उधारकर्ताओं को सूचित निर्णय लेने में समर्थ बनाया जा सकता है।
- **संपार्श्विक या जमानत की अनिवार्यता को समाप्त कर सूक्ष्म ऋणों की उपलब्धता को बढ़ाना:** कम आय वाले उधारकर्ताओं के पास अक्सर संपार्श्विक की अनुपलब्धता होती है, जबकि ऋणदाता इसे प्राथमिकता देते हैं। उधारकर्ताओं के पास गिरवी रखने के लिए जो संपार्श्विक होता है, वह ऋणदाताओं के लिए बहुत कम मूल्य का होता है लेकिन उधारकर्ता के लिए अत्यधिक मूल्यवान होता है (उदाहरण के लिए- घरेलू सामान, फर्नीचर आदि)। यदि ऋणदाता इस तरह के संपार्श्विक को स्वीकार कर लेते भी हैं, तो यह मानसिक दबाव उत्पन्न करने तथा पुनर्भुगतान को प्रेरित करने हेतु होता है न कि नुकसान की वसूली के लिए।
- **ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता को समाप्त करना:** लघु कारोबार और कम-आय वाले परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवा समिति {Committee on Comprehensive Financial Services for Small Businesses and Low Income Households (इसे आमतौर पर **नचिकेत मोर समिति** के रूप में जाना जाता है)} द्वारा यह अनुशंसा की गई थी कि "आय-सृजन वाले ऋणों पर अधिक बल देने से उधारकर्ता अपनी अन्य या संपूर्ण वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक महंगे अनौपचारिक ऋणों की ओर बढ़ सकते हैं।"
    - इसलिए, आय सृजन के उद्देश्य से न्यूनतम 50 प्रतिशत ऋण देने की सीमा, जो वर्तमान में केवल NBFC-MFIs पर लागू है, को हटाने हेतु एक प्रस्ताव लाया गया है।
- **जोखिमों के अन्य स्तरों पर होने वाले स्थानांतरण को रोकना:** धारा 8 के तहत शामिल कंपनियां मुख्यतः अपनी वित्त-पोषण आवश्यकताओं के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से प्राप्त होने वाले ऋण सहित सार्वजनिक वित्त पर आश्रित होती हैं। अन्य वित्तीय मध्यस्थों के साथ उनके पारस्परिक संबंधों के कारण, उनके व्यवसाय से उत्पन्न होने वाला कोई भी जोखिम वित्तीय क्षेत्रक में स्थानांतरित हो सकता है। इसलिए, 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति वाली कंपनियों को भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमों से छूट प्रदान नहीं की गई है।

**निष्कर्ष**

सूक्ष्म-वित्त का प्रदर्शन बेहतर रहा है। ऐसे में अपने विनियामक ढांचे को अपडेट (अद्यतित) करने को लेकर भारतीय रिज़र्व बैंक का दूरदर्शी विचार, निर्धनता के विरुद्ध इस नीतिगत हथियार के आधार को और सुदृढ़ कर सकता है।

## 3.5. शहरी रूपांतरण (Urban Transformation)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)** ने तीन रूपांतरकारी शहरी मिशनों, यथा- **स्मार्ट सिटीज मिशन (SCM), अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (Atal Mission for Urban Rejuvenation and Urban Transformation: AMRUT)** तथा **प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U)** के 6 वर्ष पूर्ण होने के आलोक में एक समारोह का आयोजन किया।

**शहरी रूपांतरण क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?**

शहरीकरण वस्तुतः पारंपरिक ग्रामीण समाज का आधुनिक शहरी समुदाय की ओर होने वाला सामाजिक रूपांतरण है। शहरी रूपांतरण उन सभी **रणनीतियों और कार्रवाइयों** को निरूपित करता है जिनका उपयोग **व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर क्षतिग्रस्त एवं निम्न स्थिति वाले क्षेत्रों की आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, तथा पर्यावरणीय स्थितियों में सुधार के लिए** किया जाता है।

**उदाहरण के लिए,** पुणे में, भारत की **प्रथम श्रमिक-स्वामित्व वाली कचरा बीनने वालों की सहकारी समिति** एक कुशल अपशिष्ट-संग्रह प्रणाली का निर्माण करने में मदद कर रही है। यह प्रणाली और अधिक निवासियों तक पहुंच स्थापित करती है तथा इसके द्वारा यह भी प्रदर्शित किया जाता है कि किस प्रकार अनौपचारिक कामगारों को आधुनिक अर्थव्यवस्था में सम्मिलित किया जा सकता है।
निम्नलिखित कारणों से शहरी रूपांतरण का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हो गया है:

- **जनसंख्या वृद्धि:** अगले 20 वर्षों में भारतीय शहरों की आबादी 28.2 करोड़ से बढ़कर 59 करोड़ होने का अनुमान है। साथ ही, वर्ष 2050 तक, शहरों में रहने वाली आबादी का अनुपात बढ़कर 66% हो जाने की संभावना है।

- **रोजगार के अवसर:** औद्योगीकरण के कारण, अधिकांश लोग बेहतर आजीविका की तलाश में शहरी क्षेत्रों में प्रवास करते हैं। इसका कारण यह है कि शहरी क्षेत्रों के सभी विकासात्मक क्षेत्रकों जैसे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, खेलकूद और मनोरंजन आदि में रोजगार के अत्यधिक अवसर उपलब्ध होते हैं।
- **आर्थिक संवृद्धि:** भारत विश्व की **सर्वाधिक तीव्र गति से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्थाओं** में शामिल है और यह उच्च आर्थिक संवृद्धि **शहरों और कस्बों के प्रसार की देन** है। ऐसा अनुमान है कि **वर्ष 2030 तक भारत की GDP में भारतीय शहरों की हिस्सेदारी बढ़कर 70%** हो जाएगी।
- **संधारणीय विकास:** शहरी रूपांतरण ने **संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals: SDGs) 2030** में सम्मिलित स्थानीय एवं वैश्विक संधारणीयता तथा सुनम्यता (या लचीलापन) की ओर परिवर्तन को त्वरित करने के लिए शहरों की केंद्रीय भूमिका को उजागर किया है।

**शहरी रूपांतरण को प्रभावी बनाने के समक्ष आने वाली चुनौतियां क्या हैं?**

- **संस्थागत चुनौतियां:**
  - **74वें संविधान संशोधन अधिनियम को राज्यों द्वारा आधे-अधूरे मन से लागू किया गया है,** जिसके कारण **शहरी स्थानीय निकाय (Urban Local Bodies: ULBs)** कार्यात्मक और वित्तीय रूप से पूरी तरह से सशक्त नहीं बन पाए हैं।
  - **सार्वजनिक एकाधिकार,** संगठनात्मक अक्षमता, **उच्च रिसाव (कार्यान्वयन संबंधी खामियां) के रूप में तकनीकी त्रुटियां, निवारक रखरखाव का अभाव,** निम्नस्तरीय लेखा व्यवस्था के साथ-साथ कर्मचारियों की अत्यधिक संख्या और स्वायत्तता संबंधी अभाव के कारण **सार्वजनिक क्षेत्रक आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने में विफल रहा है।**
  - राज्य और राष्ट्रीय नियोजन संस्थानों में **योजना बनाने वाले योग्य पेशेवरों का अभाव है।**
  - **आधुनिक नियोजन ढांचे (विकेंद्रीकृत नियोजन) का भी अभाव है।** यह भूमि की प्रभावी उपयोगिता तथा परिवर्तनशील आवश्यकताओं के अनुरूप शहरों के प्रसार एवं वृद्धि को सीमित करता है।
  - ULBs अपने **राजस्व सृजन में पर्याप्त वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं और राजस्व सृजन अनुपात में कमी की प्रवृत्ति देखी गयी है।**
- **अवसंरचनात्मक चुनौतियां:**
  - **प्राकृतिक रूप से तथा प्रवास के कारण शहरी जनसंख्या में होने वाली वृद्धि** के कारण **सार्वजनिक सुविधाओं** जैसे कि आवास, शौचालय, परिवहन, जल, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर **अतिरिक्त दबाव उत्पन्न हुआ है।**
  - शहरी अवसंरचना और क्षमता निर्माण में **निवेश का अभाव** है।
  - उच्च आर्थिक संवृद्धि के बावजूद भी भारतीय शहर **उच्च आय असमानता और निम्न गुणवत्ता वाले जीवन** के केंद्र बने हुए हैं। वर्ष 2019 में, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स (या वैश्विक निवास करने योग्य सूचकांक) में **नई दिल्ली और मुंबई को 140 शहरों में क्रमशः 118वां और 119वां स्थान प्राप्त हुआ था।**
- **पर्यावरणीय चुनौतियां:**
  - अत्यधिक जनसंख्या और अधिक जन घनत्व के कारण **शहरी क्षेत्रों में बाढ़ एवं भूकंप का उच्चतर जोखिम बना रहता है।** शहरी क्षेत्र, ऊष्मा द्वीप (heat islands) के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। **साथ ही, इन्हें वायु और भूमिगत जल प्रदूषण तथा सतत जल संकट संबंधी समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है।**
  - **उदाहरण के लिए,** दिल्ली में प्रदूषण तथा मुंबई और चेन्नई में बाढ़ संबंधी समस्याएं **निम्नस्तरीय शहरी नियोजन एवं प्रबंधन** को उजागर करती हैं।
- **सामाजिक चुनौतियां:**
  - संसाधनों का अभाव, अत्यधिक जनसंख्या, बेरोजगारी, निर्धनता, और सामाजिक सेवाओं एवं शिक्षा की कमी अंततः विभिन्न सामाजिक समस्याओं तथा अपराधिक गतिविधियों जैसे कि **हिंसा, औषधियों के दुरूपयोग, मानव तस्करी, यौन उत्पीड़न, बाल श्रम आदि को बढ़ावा देते हैं।**

**इन चुनौतियों पर समाधान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम और उनकी प्रगति:**

| मिशन | विवरण | प्रगति |
|---|---|---|
| **प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी** | • इसका उद्देश्य **वर्ष 2022 तक सभी के लिए पक्का घर** सुनिश्चित करना है। यह योजना मलिन बस्तियों में रहने वालों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (Economically Weaker Sections: EWSs) और मध्यम आय समूह (Middle | • **अब तक लगभग 1.12 करोड़ घर स्वीकृत किए जा चुके हैं** और 50 लाख से अधिक घर बनकर तैयार हैं।<br>• पहली बार, 18 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले |

<table>
<tr>
<td>(PMAY-U)</td>
<td>Income Group: MIG) के लिए शहरी आवास की कमी को दूर करेगी।<br>• PMAY-U के घटकों में सम्मिलित हैं:<br>○ स्वस्थाने मलिन बस्तियों का पुनर्विकास (In-situ Slum Redevelopment: ISSR);<br>○ ऋण से संबद्ध सब्सिडी योजना (Credit Linked Subsidy Scheme: CLSS);<br>○ भागीदारी में किफायती आवास (Affordable Housing in Partnership: AHP);<br>○ लाभार्थी के नेतृत्व में व्यक्तिगत घर निर्माण/ संवर्द्धन {Beneficiary-led Individual House Construction/ Enhancement (BLC)}।<br>
</td>
<td>MIG को प्रदान किए गए होम लोन पर ऋण से संबद्ध सब्सिडी योजना (Credit Linked Subsidy Scheme: CLSS) के तहत ब्याज सब्सिडी सहायता प्रदान की जाएगी।<br>• कोविड-19 जनित प्रतिलोम प्रवास (रिवर्स माइग्रेशन) की अनुक्रिया में शहरी प्रवासियों/ निर्धनों के लिए किफायती किराये के आवासीय परिसरों (Affordable Rental Housing Complexes: ARHCs) की सुविधा आरंभ की गई है।<br>
</td>
</tr>
<tr>
<td>अमृत (AMRUT)</td>
<td>• इसके अंतर्गत पहले राष्ट्रीय जल मिशन योजना पर ध्यान केंद्रित किया गया जिसका उद्देश्य घरों को जलापूर्ति, सीवरेज आदि जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान करना तथा शहरों में सुविधाओं का निर्माण करना है।<br>• अमृत के तहत 500 शहरों का चयन किया गया है।<br>• 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहरों को इस मिशन के तहत कवर किया गया है।<br>
</td>
<td>• 105 लाख घरेलू नल और 78 लाख सीवर कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।<br>• 101 लाख के लक्ष्य के सापेक्ष 88 लाख स्ट्रीट लाइटों को ऊर्जा कुशल एल.ई.डी. लाइटों से प्रतिस्थापित कर दिया गया है, जिससे CO2 उत्सर्जन ने कमी आई है।<br>• टेरी (TERI) के अनुसार, अमृत योजना के कार्यान्वयन के कारण कार्बन फुटप्रिंट में 84.6 लाख टन की कमी हुई है।</td>
</tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| **स्मार्ट सिटी मिशन (SCM)** | • इसका उद्देश्य इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (IoT) का उपयोग कर स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट जल आदि जैसे 'स्मार्ट समाधानों' के माध्यम से **अपने नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण अवसंरचना, स्वच्छ और संधारणीय पर्यावरण प्रदान करने वाले शहरों को बढ़ावा देना है।**<br>• यह **6 मूलभूत सिद्धांतों** पर आधारित है (इन्फोग्राफिक देखें)। | • **70 स्मार्ट शहरों में एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र (Integrated Command and Control Centres: ICCCs) स्थापित और परिचालित कर दिए गए हैं,** जिनका उपयोग कोविड प्रबंधन के लिए समस्या निवारण कक्ष (वार-रूम के तौर पर) के रूप में किया जा रहा है।<br>• SCM के अंतर्गत स्मार्ट सोलर, स्मार्ट जल और उन्नत सार्वजनिक स्थलों के निर्माण से संबंधित परियोजनाएं प्रगति की ओर अग्रसर हैं।<br>• SCM के तहत 212 सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाएं स्थापित/ पूर्ण हो गई हैं। |
| | | |

**उपर्युक्त मिशनों को और सुदृढ़ करने हेतु हाल ही में उठाए गए अन्य कदम**

- **जलवायु स्मार्ट शहर आकलन ढांचा (Climate Smart Cities Assessment Framework: CSCAF) 2.0:** इसका उद्देश्य भारत में **शहरी जलवायु कार्रवाई के निर्धारण, कार्यान्वयन और निगरानी हेतु एक व्यापक रोडमैप/कार्ययोजना प्रदान करना है।**
  - CSCAF 2.0 पांच क्षेत्रकों पर आधारित है **जिनमें कुल 28 विविध संकेतक शामिल किए गए हैं** (इन्फोग्राफिक देखें)।
- **डेटा मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0:** इसके तहत प्रत्येक वर्ष, स्मार्ट शहरों को रैंकिंग प्रदान की जाती है, ताकि शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) अपने **डेटा पारितंत्र को विकसित करने तथा सुदृढ़ बनाए रखने की दिशा में निवेश** जारी रखें।
  - **इसके तहत 100 स्मार्ट शहरों की आंकड़ों से संबंधित तैयारी का आकलन किया जाता है।** ये आंकड़े ढांचागत स्तंभों के 5 घटकों (यथा- नीति, जनता, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और परिणाम) से संबंधित हैं।

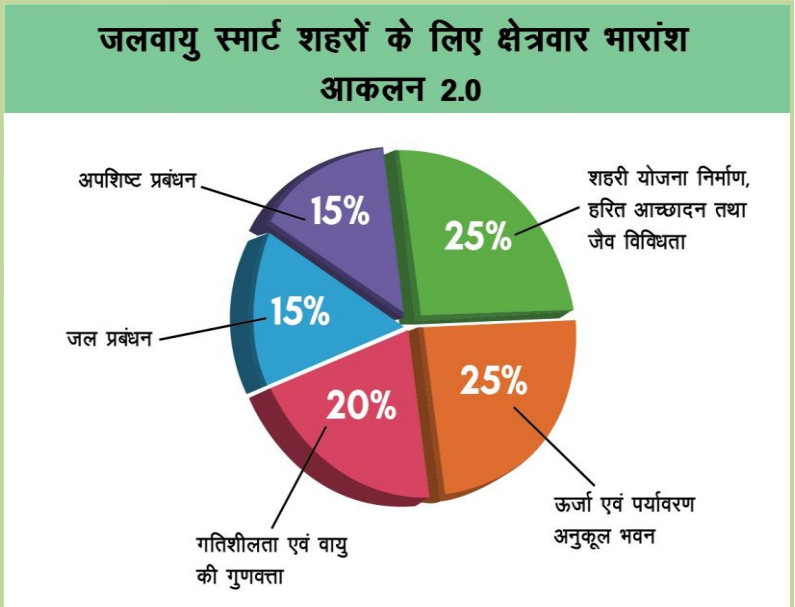


- **स्मार्ट शहरों के अंतर्गत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communication Technologies: ICT) पहल:**
  - **ICCC मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क (IMAF):** यह **स्वतः आकलन वाला टूल किट** है। इसे एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (Integrated Command and Control Centres: ICCCs) के प्रमुख घटकों (जैसे- कार्यशीलता, प्रौद्योगिकी, शासन और नागरिक/हितधारकों से संवाद या संपर्क) की परिपक्वता के आकलन के लिए विकसित किया गया है। यह शहरों को ICCCs में सुधार की संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है ताकि नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकें।

- **स्मार्ट सिटी ICT मानक:** यह स्मार्ट सिटी के अंतर्गत विद्यमान बहु-विक्रेता, बहु-नेटवर्क और बहु-सेवा परिवेश में उत्पादों के मध्य पारस्परिकता (इंटरऑपरेबिलिटी) को सुगम बनाता है।

- **इंडिया स्मार्ट सिटी फेलो रिपोर्ट: यह युवा नेतृत्व को प्रोत्साहित करने** तथा भारत के शहरी भविष्य को एक उन्नत दिशा प्रदान करने में मदद करता है।
- **ट्यूलिप (शहरी लर्निंग प्रशिक्षुता कार्यक्रम) {TULIP (The Urban Learning Internship Program)} रिपोर्ट:** यह स्नातकों को ULBs और स्मार्ट शहरों से जोड़ने हेतु उपयोग किया जाने वाला एक मंच है, जो संयुक्त रूप से हमारे शहरों के लिए नए समाधान तैयार करने में मदद करता है।
  - इसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ भागीदारी में आरंभ किया गया है।
- **राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान (National Institute of Urban Affairs: NIUA) के ज्ञान उत्पाद:**
  - **नवाचार, एकीकरण और संधारणीयता के लिए शहर में निवेश (City Investments to Innovate, Integrate and Sustain: CITIIS) कार्यक्रम:** इसे वर्ष 2018 में फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी और यूरोपीय संघ की भागीदारी में आरंभ किया गया था। शहरी बुनियादी ढांचे में संधारणीयता और नवाचार के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए इसमें प्रदर्शनकारी परियोजनाओं को विकसित करने का एक नया दृष्टिकोण है।

  - **शहरी सांख्यिकी/आंकड़ों की हस्तपुस्तिका:** यह अपनी तरह का पहला दस्तावेज है। जिसके तहत भारतीय शहरों में रहने वाले **दिव्यांगजनों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है।** इसके अंतर्गत दिव्यांगता की प्रकृति और कारण, दिव्यांगजनों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और उनके लिए विभिन्न भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचना की सुलभता आदि से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं।
  - **शहरों की अंतर्दृष्टि रिपोर्ट:** इसके अंतर्गत वंचित वर्ग, दिव्यांगजन, वृद्धजन, बच्चे और महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में भारतीय शहरों में शहरीकरण के रुझान का अन्वेषण किया जाता है। इस पहल को नई दिल्ली स्थित NIUA के **'सुलभ सुरक्षित समावेशी भारतीय शहरों का विकास (Building Accessible Safe Inclusive Indian Cities: BASIIC)'** कार्यक्रम के तहत संचालित किया गया है।
    - NIUA, **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान** है। इसे शहरीकरण से संबंधित अनुसंधान और कार्यान्वयन के मध्य विद्यमान अंतराल को समाप्त करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

**भविष्य में शहरी रूपांतरण को गति प्रदान करने हेतु दृष्टिकोण?**

- **शहरी गवर्नेंस:** नगरपालिका की सीमाओं के बाहर शहरों के विकास में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। इसे देखते हुए, भारत के बड़े शहरों के सफल प्रबंधन हेतु पूर्णकालिक महानगर प्राधिकरण का गठन और स्पष्ट रूप से उनकी भूमिकाओं को परिभाषित किया जाना चाहिए।
- **एकीकृत नियोजन और प्रबंधन:** इसके तहत वंचित वर्गों की आवश्यकताओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। उदाहरणस्वरूप- उन्हें आवास, स्वास्थ्य, जल, परिवहन और अन्य सुविधाएं वहनीय मूल्यों पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- **वित्त:** शहरी संस्थानों को अधिकार प्रदान करने के साथ उनके वित्तपोषण की व्यवस्था में और अधिक सुधारों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे केंद्र सरकार और राज्यों पर शहरों की निर्भरता में कमी आएगी तथा राजस्व के आंतरिक स्रोतों के सृजन को बढ़ावा मिलेगा।
- **प्रशिक्षित मानव संसाधन:** शहरी क्षेत्रों, विशेषकर पहाड़ी राज्यों, तटीय क्षेत्रों, नदी के किनारे अधिवासित क्षेत्रों तथा आपदा के प्रति सुभेद्य क्षेत्रों के लिए शहरी नियोजन में **विशेष ज्ञान और दक्षता के प्रोत्साहन पर बल** दिया जाना चाहिए।

## 3.6. भारत में पर्यटन क्षेत्रक (Tourism Sector in India)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, पर्यटन मंत्रालय ने देश में पर्यटन के विकास और प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय रणनीतियों और कार्ययोजनाओं (National Strategies and Roadmaps) के अनेक ड्राफ्ट (प्रारूप या मसौदा) तैयार किए हैं।

**भारत में पर्यटन क्षेत्रक का अवलोकन**

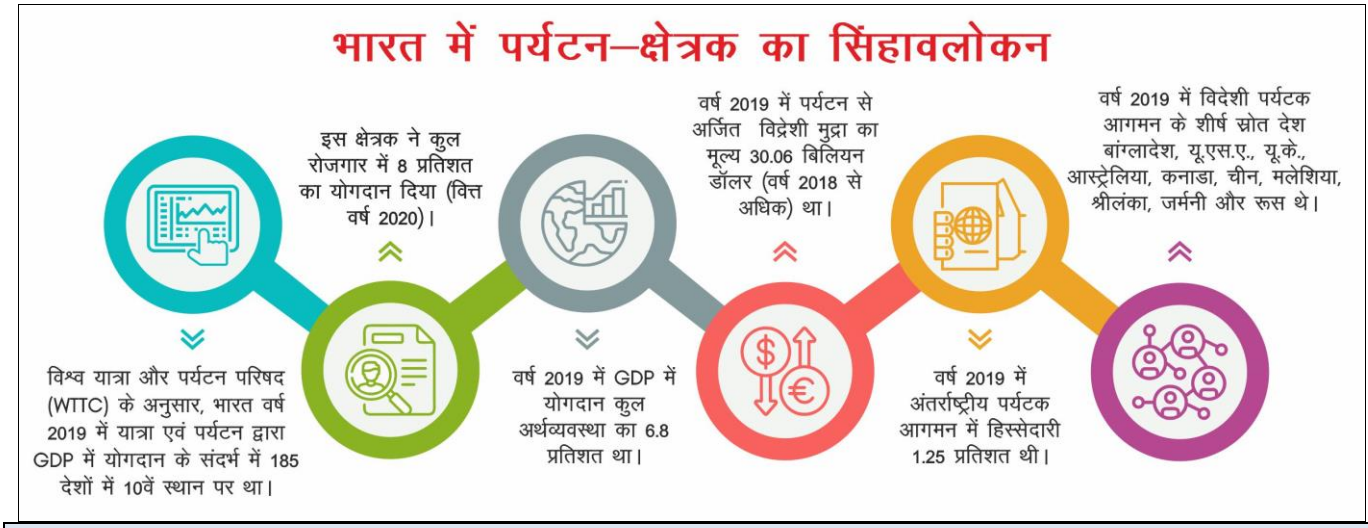


**पर्यटन मंत्रालय के बारे में**

- यह पर्यटन के विकास और प्रोत्साहन के उद्देश्य से **राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने वाली नोडल एजेंसी है।**
- **इस मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित स्वायत्त संस्थान भी हैं:**
  - भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान (Indian Institute of Tourism and Travel Management: IITTM)
  - राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं केटरिंग टेक्नोलॉजी परिषद् (National Council for Hotel Management and Catering Technology: NCHMCT); और होटल प्रबंधन संस्थान (Institutes of Hotel Management: IHMs)
  - भारतीय पाक कला संस्थान (Indian Culinary Institute: ICI)
- **भारतीय पर्यटन विकास निगम (India Tourism Development Corporation: ITDC)** सार्वजनिक क्षेत्रक का एकमात्र उपक्रम है जो पर्यटन मंत्रालय के अधीन है।

**पर्यटन के प्रोत्साहन के लिए हाल में की गई पहलें**

- **ई-वीजा की सुविधा का विस्तार किया गया है। अब पांच उप-श्रेणियों में यह सुविधा 169 देशों के नागरिकों को प्रदान की गई है।** ये पांच उप-श्रेणियां हैं: ई-टूरिस्ट वीजा, ई-बिज़नेस वीजा, ई-मेडिकल वीजा, ई-मेडिटल अटेंडेंट वीजा और ई-कॉन्फ्रेंस वीजा।
  - ई-मेडिकल वीजा और ई-मेडिकल अटेंडेंट वीजा के तहत भारत में **तीन बार प्रवेश करने की अनुमति है।**
- देश में ऐतिहासिक स्थानों और विरासत शहरों समेत **पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय की दो प्रमुख योजनाएं हैं:**
  - **स्वदेश दर्शन - थीम आधारित पर्यटन परिपथों का एकीकृत विकास (Swadesh Darshan - Integrated Development of Theme-Based Tourist Circuits):**
    - इस योजना के अंतर्गत थीम आधारित पंद्रह परिपथों की पहचान की गई है, जिन्हें विकसित किया जाना है। उनके नाम हैं: पूर्वोत्तर भारत परिपथ, बौद्ध परिपथ, हिमालयन परिपथ, तटीय परिपथ, कृष्ण परिपथ, मरुस्थल परिपथ, जनजातीय परिपथ, इको परिपथ, वन्यजीव परिपथ, ग्रामीण परिपथ, आध्यात्मिक परिपथ, रामायण परिपथ, विरासत परिपथ, तीर्थंकर परिपथ और सूफी परिपथ।
  - **प्रसाद- तीर्थस्थान जीर्णोद्धार और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (PRASHAD- Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual, Heritage Augmentation Drive):**
    - इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में **28** राज्यों में **51** स्थलों की पहचान की गई है जिन्हें विकसित किया जाएगा।
- पर्यटन मंत्रालय ने **ऐसे 17 प्रतिष्ठित स्थलों की पहचान की है, जिन्हें प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल विकास परियोजना (Iconic Tourist Sites Development Project) के अंतर्गत विकसित किया जाएगा।**
- पर्यटन मंत्रालय का **"अतुल्य भारत 2.0" अभियान,** संपूर्ण विश्व में किए जा रहे सामान्य प्रचारों से बाजार विशिष्ट प्रचार योजनाओं और सामग्री निर्माण की ओर एक बदलाव का प्रतीक है।
- **क्षेत्रीय संपर्क योजना 'उड़ान-3'** के अंतर्गत, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 46 पर्यटन मार्गों को शामिल करके **कनेक्टिविटी में और सुधार किया गया है।**
- हाल ही में, **केंद्र सरकार ने 5,00,000 पर्यटकों के लिए नि:शुल्क वीजा की घोषणा की है।** कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण जिन मान्यता प्राप्त टूर संचालकों और पर्यटक गाइडों का व्यापर बाधित हो गया है, उनकी सहायता के लिए **ऋण गारंटी योजना** की भी घोषणा की गई है।

**अतः पर्यटन क्षेत्रक की अपार संभावनाओं को देखते हुए**, मंत्रालय ने पर्यटन के निकेत (बाजार विशिष्ट) क्षेत्रों {ग्रामीण, चिकित्सा और स्वास्थ्य, MICE (Meetings-बैठक, Incentives-प्रोत्साहन, Conferences-सम्मेलन और Exhibitions-प्रदर्शनी)} के विकास के लिए रणनीति और कार्ययोजना के साथ संधारणीय पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति और कार्ययोजना के प्रारूप को जारी किया है।

## 3.6.1. संधारणीय पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति और कार्ययोजना का प्रारूप (Draft National Strategy and Roadmap for Sustainable Tourism)

**संधारणीय पर्यटन क्या है?**

- ऐसा पर्यटन जो आगंतुकों, उद्योग, पर्यावरण और आतिथेय (मेज़बान या होस्ट) समुदायों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने **वर्तमान और भविष्य के आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभावों की पूर्ण जिम्मेदारी ग्रहण करे,** उसे संधारणीय पर्यटन की संज्ञा दी गयी है।
    - **संधारणीय पर्यटन के उद्देश्य में** आतिथेय गंतव्यों की आर्थिक व्यवहार्यता, स्थानीय समृद्धि, सामाजिक समानता, रोजगार की गुणवत्ता, सामुदायिक कल्याण, सांस्कृतिक समृद्धि, जैविक विविधता और संसाधन संबंधी दक्षता शामिल होती हैं।
- **सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals: SDGs) 8, 12 और 14,** जो क्रमशः समावेशी और संधारणीय आर्थिक संवृद्धि (inclusive and sustainable economic growth), संधारणीय उपभोग और उत्पादन (sustainable consumption and production) तथा महासागरों एवं समुद्री संसाधनों के संधारणीय उपयोग (sustainable use of oceans and marine resources) से संबंधित हैं, **में पर्यटन को लक्ष्य के रूप में शामिल** किया गया है।
    - हालांकि, पर्यटन में **सभी SDGs को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देने की क्षमता है।**
- संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (United Nations World Tourism Organization: UNWTO) के अनुसार, संधारणीय पर्यटन को निम्नलिखित **तीन आधारभूत सिद्धांतों का पालन करना चाहिए:**

**संधारणीय पर्यटन के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति और कार्ययोजना क्यों?**

- **समावेशी सामुदायिक विकास:** पर्यटन, **समावेशी सामुदायिक विकास का एक प्रमुख चालक** हो सकता है, जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए लचीलापन, समावेशिता और सशक्तीकरण में योगदान देता है।
- **संधारणीयता में भारत की निम्नस्तरीय रैंकिंग:** एडवेंचर टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स-2020 में भारत का 96वां स्थान है, वर्ष 2019 में पर्यावरण संधारणीयता के तहत भारत का 128वां स्थान था।
    - यह रणनीति साहसिक (एडवेंचर) और पारिस्थितिक पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करते हुए **भारतीय पर्यटन क्षेत्रक के तहत संधारणीयता को मुख्यधारा** में शामिल करने के लिए तैयार की गई है।
    - **पारिस्थितिक पर्यटन की संभावनाएं:** यह वनों, जैव विविधता/वन्यजीवों और प्राकृतिक दर्शनीय भू-परिदृश्यों के संरक्षण हेतु एक प्रभावशाली साधन है। यह यात्रा और पर्यटन उद्योग का सबसे तेजी से बढ़ता क्षेत्र है और साथ ही, प्रकृति आधारित मनोरंजन में भी लोगों की रूचि तेजी से बढ़ रही है।

- **एडवेंचर टूरिज्म की संभावनाएं:** यह पर्यटन के सबसे व्यस्त मौसम के अतिरिक्त भी पर्यटकों को आकर्षित करता है, गंतव्य स्थल के प्राकृतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को उजागर करता है, उच्च मूल्य वर्ग वाले ग्राहकों को आकर्षित करता है, आदि।

- कोविड-19 संकट, पर्यटन पर निर्भर आजीविकाओं को बनाए रखने के प्रयासों को सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप संरेखित करने का एक ऐतिहासिक क्षण है।

**संधारणीय पर्यटन के लिए उठाए गए कदम**

- प्रमुख शहरों और विरासत स्थलों के साथ-साथ ग्रामीण भारत की ओर भी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए **'अतुल्य भारत' ब्रांड को बढ़ावा** देने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- वर्ष 2010 में ग्लोबल सस्टेनेबल टूरिज्म काउंसिल (GSTC) के संस्थानीकरण के साथ ही **भारत द्वारा भारतीय संदर्भ में संधारणीय पर्यटन के लिए GSTC मानदंड को अंगीकृत किया गया।**
- पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन उद्योग में पर्यावरणीय रूप से जवाबदेह और संधारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के उद्देश्य से **भारत के लिए संधारणीय पर्यटन मानदंड (Sustainable Tourism Criteria for India: STCI)** को आरंभ किया गया है।
- **विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत होटलों के वर्गीकरण के लिए दिशा-निर्देशों के तहत** होटलों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP), वर्षा जल संचयन प्रणाली, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली आदि जैसे पर्यावरण के अनुकूल विभिन्न उपायों को अनिवार्य रूप से शामिल करना होता है।
- मंत्रालय ने यह भी निर्धारित किया है कि **पहाड़ी और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में होटल की इमारतों की वास्तुकला** संधारणीय और ऊर्जा कुशल होनी चाहिए।
- पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित टूर ऑपरेटरों को **सुरक्षित एवं सम्मानजनक पर्यटन और संधारणीय पर्यटन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए एक प्रतिज्ञापत्र** पर हस्ताक्षर करना होता है।

*संधारणीय पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति और कार्ययोजना के प्रारूप की प्रमुख विशेषताएं*

| | |
|---|---|
| **उद्देश्य** | • **संधारणीय पर्यटन विकास को मुख्यधारा में लाना** और पारस्थितिकी पर्यटन व साहसिक पर्यटन (ecotourism and adventure tourism) के गंतव्य के रूप में भारत के आकर्षण और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना। |
| **चिन्हित किए गए रणनीतिक स्तंभ** | • भारत के संधारणीय पर्यटन मानदंड पर आधारित **संधारणीय पर्यटन के लिए प्रमाणीकरण योजना,** इकोटूरिज्म व एडवेंचर टूरिज्म के टूर ऑपरेटरों, गाइडों और अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए प्रमाणीकरण योजना, प्रमाणीकरण योजनाओं का डिजिटलीकरण और ब्रांडिंग आदि।<br>• संधारणीय पर्यटन के बारे में जागरूकता, समझ और स्वीकृति बनाने के लिए **सूचना, शिक्षा और संचार अभियान।**<br>• **क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं और संरक्षण एजेंसियों में क्षमता का निर्माण करना,** स्थानीय समुदायों को कौशल विकास और उद्यमिता में सहयोग करना आदि।<br>• **प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को रैंकिंग प्रदान करना।**<br>• **एडवेंचर टूरिज्म और इकोटूरिज्म के आधार पर एक उप-ब्रांड का निर्माण कर विपणन और प्रचार करना,** राज्य विशिष्ट/गंतव्य विशिष्ट आधारित अभियान विकसित करना आदि।<br>• 15 स्थल आधारित, 7 हवाई आधारित और 7 जल आधारित गतिविधियों के लिए **सुरक्षा मानक और विनियम तैयार किए गए हैं,** जो भारत में उपलब्ध साहसिक पर्यटन (एडवेंचर टूरिज्म) के संपूर्ण क्षेत्र को कवर करते हैं।<br>• प्रत्येक राज्य सॉफ्ट (जिसमें न के बराबर या कम जोखिम हो), हार्ड (जिसमें जोखिम और चुनौतियां शामिल हों) तथा अन्य श्रेणियों (स्थल, हवाई और जल आधारित गतिविधियों) के माध्यम से **साहसिक स्थलों की पहचान करेंगे** और एक विस्तृत विवरण पुस्तिका तैयार करेंगे।<br>• विपणन, परिचालन, उत्पाद निर्माण और अनुभव, गुणवत्ता का आश्वासन, वित्त आदि के क्षेत्रों में **निजी क्षेत्रक की भागीदारी को सुदृढ़ करना।**<br>○ राज्य सरकारों को विकास और प्रबंधन के लिए निजी क्षेत्रक के परिचालकों हेतु क्षेत्रों, जिन्हें इकोटूरिज्म ब्लॉक कहा जाएगा, को नामित करना चाहिए।<br>○ वनों के निकटवर्ती कृषि भूमि के स्वामियों को वैकल्पिक भूमि उपयोग के रूप में पारिस्थितिक पर्यटन (इकोटूरिज्म) को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।<br>○ होम-स्टे और सामुदायिक लॉज को उचित प्रोत्साहन के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा।<br>• पर्यटन मंत्रालय इस **रणनीति के क्रियान्वयन** के लिए एक **विस्तृत राष्ट्रीय कार्य योजना** तैयार करेगा।<br>○ संधारणीय पर्यटन, साहसिक पर्यटन (एडवेंचर टूरिज्म) और पारिस्थितिक पर्यटन (इकोटूरिज्म) के विकास हेतु पारितंत्र को सुदृढ़ करने के लिए पर्यटन मंत्रालय के सचिव अधीन **संधारणीय पर्यटन पर राष्ट्रीय बोर्ड (National Board on Sustainable Tourism)** का गठन किया जाएगा। |

## 3.6.2. ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीति और कार्ययोजना का प्रारूप (Draft National Strategy and Roadmap for Development of Rural Tourism)

**ग्रामीण पर्यटन के विषय में**

- पर्यटन का कोई भी रूप जो ग्रामीण स्थानों में ग्रामीण जीवन, कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करता हो, जिससे स्थानीय समुदाय लाभान्वित होते हों तथा जो अधिक समृद्ध पर्यटन संबंधी अनुभव के लिए पर्यटकों और स्थानीय लोगों के मध्य अंतःक्रिया को सक्षम बनाता हो, उसे ग्रामीण पर्यटन कहा जा सकता है।
- पर्यटन मंत्रालय की वर्ष 2011 की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में **172 ग्रामीण पर्यटन स्थल और 52 मान्यताप्राप्त (commissioned) ग्रामीण पर्यटन स्थल हैं।**
- **भारत में की गईं पहलें:**
  - **राष्ट्रीय पर्यटन नीति, 2002** में ग्रामीण पर्यटन को फोकस एरिया (जिस पर ध्यान दिया जाए) के रूप में मान्यता दी गई थी।
  - वर्ष 2003 में, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय द्वारा **एंडोजीनस टूरिज्म प्रोजेक्ट-ग्रामीण पर्यटन योजना** आरंभ की गई थी।
  - **हेल्प टूरिज्म संगठन** द्वारा **ग्रामीण होम-स्टे** की व्यवस्था करके पश्चिम सिक्किम में गांव-आधारित पर्यटन पहल को आरंभ किया गया।
  - **गुजरात के कच्छ जिले के होडका (Hodka) गांव** की ग्रामीण पर्यटन परियोजना ने विरासत श्रेणी (heritage category) में वर्ष 2010 का पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन (PATA) पुरस्कार जीता था।

**ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीति और कार्ययोजना के बारे में**

- **इसके उद्देश्य हैं:**
  - ग्रामीण पर्यटन के लिए रणनीतियों की पहचान करना और ग्रामीण पर्यटन हेतु केंद्र एवं राज्य के कार्यक्रमों में तालमेल एवं समानता लाना।
  - ग्रामीण पर्यटन के विकास से जुड़ी पहलों के समन्वय को सुगम बनाना और सर्वोत्तम प्रथाओं, विकास के अवसरों एवं चुनौतियों से संबंधित ज्ञान को साझा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन के विकास के लिए रणनीतिक क्षेत्रों/क्लस्टरों की पहचान करना और उनकी अनुशंसा करना।

***संधारणीय और जवाबदेह पर्यटन को बढ़ावा देते हुए पर्यटन को ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं रोजगार के लिए एक महत्वपूर्ण चालक बनाने के लिए इस रणनीति के प्रारूप में निम्नलिखित स्तंभों की पहचान की गई है:***

| स्तंभ | घटक |
|---|---|
| **राज्य की नीतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं की बेंचमार्किंग करना** | • **प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण पर्यटन के संदर्भ में राज्यों की रैंकिंग** करना।<br>• राज्य विशिष्ट रिपोर्ट तैयार करना जिसमें संबंधित क्षमताओं और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का विश्लेषण हो।<br>• निजी क्षेत्रक और सामुदायिक भागीदारी हेतु सफल मॉडल कार्यान्वित करने के लिए राज्यों के साथ कार्य करना। |
| **ग्रामीण पर्यटन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियां और प्लेटफॉर्म** | • ग्रामीण क्षेत्रों में **ब्रॉडबैंड इंटरनेट अवसंरचना** को सक्षम बनाना।<br>• विभिन्न अनुभागों में **क्षमता निर्माण** करना और वित्तीय, तकनीकी और नेटवर्किंग संबंधी सहायता प्रदान करना। |
| **ग्रामीण पर्यटन के लिए क्लस्टर विकसित करना** | • **पर्यटन विकास के लिए गांवों के क्लस्टरों (समूहों) की पहचान करना।**<br>• चिन्हित ग्रामीण पर्यटन क्लस्टर के लिए भौतिक अवसंरचना, डिजिटल अवसंरचना, सामाजिक अवसंरचना जैसे **घटकों को शामिल करते हुए विकास योजनाएं** तैयार की जानी चाहिए। |
| **ग्रामीण पर्यटन के लिए विपणन (मार्केटिंग) सहायता** | • ग्रामीण पर्यटन के विपणन के लिए **समन्वित और समकालिक दृष्टिकोण।**<br>• **अतुल्य भारत अभियान** के भाग के रूप में उत्पाद और थीम विशिष्ट ग्रामीण पर्यटन अभियान आरंभ किए जा सकते हैं।<br>• समग्र रूप से **"देखो अपना देश" अभियान** के तहत ग्रामीण पर्यटन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा।<br>• मुख्य रूप से ग्रामीण पर्यटन उद्यमियों को समर्थन देने के लिए **बाजार विकास सहायता योजनाएं तैयार की जा सकती हैं।** |
| **हितधारकों का क्षमता निर्माण** | • राष्ट्रीय, राज्य और क्लस्टर स्तर पर **क्षमता निर्माण संसाधन केन्द्रों (Capacity building resource centres)** को स्थापित किया जाएगा।<br>• **क्षमता निर्माण के लिए कई क्षेत्रों** की पहचान की गई है, जैसे- विरासत का निर्माण एवं रखरखाव, स्वच्छता और बुनियादी सेवा मानक आदि।<br>• ग्रामीण युवाओं के लिए उचित व्यवसायों में **कौशल प्रशिक्षण** और **उद्यमिता विकास कार्यक्रमों** को आयोजित किया जाएगा। |
| **अभिशासन (गवर्नेंस) और संस्थागत ढांचा** | • **इसके तहत व्यापक संस्थागत ढांचे** में निम्नलिखित शामिल होंगे:<br>○ केंद्रीय पर्यटन मंत्री के अधीन विजन ग्रुप,<br>○ पर्यटन मंत्रालय के सचिव के अधीन एक कार्य बल (टास्क फोर्स),<br>○ मुख्य सचिव के अधीन राज्य संचालन समिति,<br>○ जिला स्तरीय समिति,<br>○ क्लस्टर स्तरीय निगरानी एवं समन्वय समिति।<br>• रणनीति और कार्रवाई योग्य परियोजनाओं एवं योजनाओं के समन्वय तथा विकास करने के लिए एक **राष्ट्रीय नोडल एजेंसी।**<br>• प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा राज्य के पर्यटन विभाग की सहायता के लिए एक **राज्य नोडल एजेंसी** भी नामित की जा सकती है।<br>• इस रणनीति के कार्यान्वयन के लिए संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों और उद्योग जगत के हितधारकों के साथ परामर्श से एक **विस्तृत राष्ट्रीय कार्य योजना** तैयार करना। |

## 3.6.3. चिकित्सा और वेलनेस पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति और कार्ययोजना का प्रारूप (Draft National Strategy And Roadmap For Medical And Wellness Tourism)

**चिकित्सा और वेलनेस पर्यटन के बारे में**

- चिकित्सा पर्यटन को 'विदेशी पर्यटक की यात्रा और आतिथेय (मेज़बानी या होस्ट) से संबंधित गतिविधियों के रूप में' परिभाषित किया जा सकता है जिसके तहत पर्यटक चिकित्सीय सहायता के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने, उसमें सुधार करने या पहले जैसी स्वस्थ स्थिति को प्राप्त करने के लिए गंतव्य क्षेत्र में कम से कम एक रात ठहरता है।
- **इसे निम्नलिखित तीन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है**:
  - **चिकित्सीय उपचार (Medical Treatment):** इसमें आरोग्यता के उद्देश्य से उपचार कराया जाता है, जैसे- हृदय संबंधी सर्जरी, अंग प्रत्यारोपण आदि।
  - **खुशहाली और कायाकल्प (Wellness & Rejuvenation):** इसमें कायाकल्प या सौंदर्यीकरण से संबंधित सेवाएं, जैसे- कॉस्मेटिक सर्जरी, तनाव से राहत, स्पा आदि सम्मिलित हैं।
  - **वैकल्पिक उपचार (Alternative Cures):** औषधि की वैकल्पिक प्रणाली सुलभ कराना जैसे कि भारत द्वारा आयुष (आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) का विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है।
- **चिकित्सा पर्यटन को अब प्रायः चिकित्सा मूल्य यात्रा (Medical Value Travel: MVT) के रूप में संदर्भित किया जाता है** क्योंकि इसमें रोगी के स्वास्थ्य देखभाल संबंधी अपेक्षित व्यवहार के साथ-साथ उसका आतिथेय करने वाले राष्ट्रों पर इस तरह की यात्रा के व्यापक आर्थिक प्रभाव भी शामिल होते हैं।

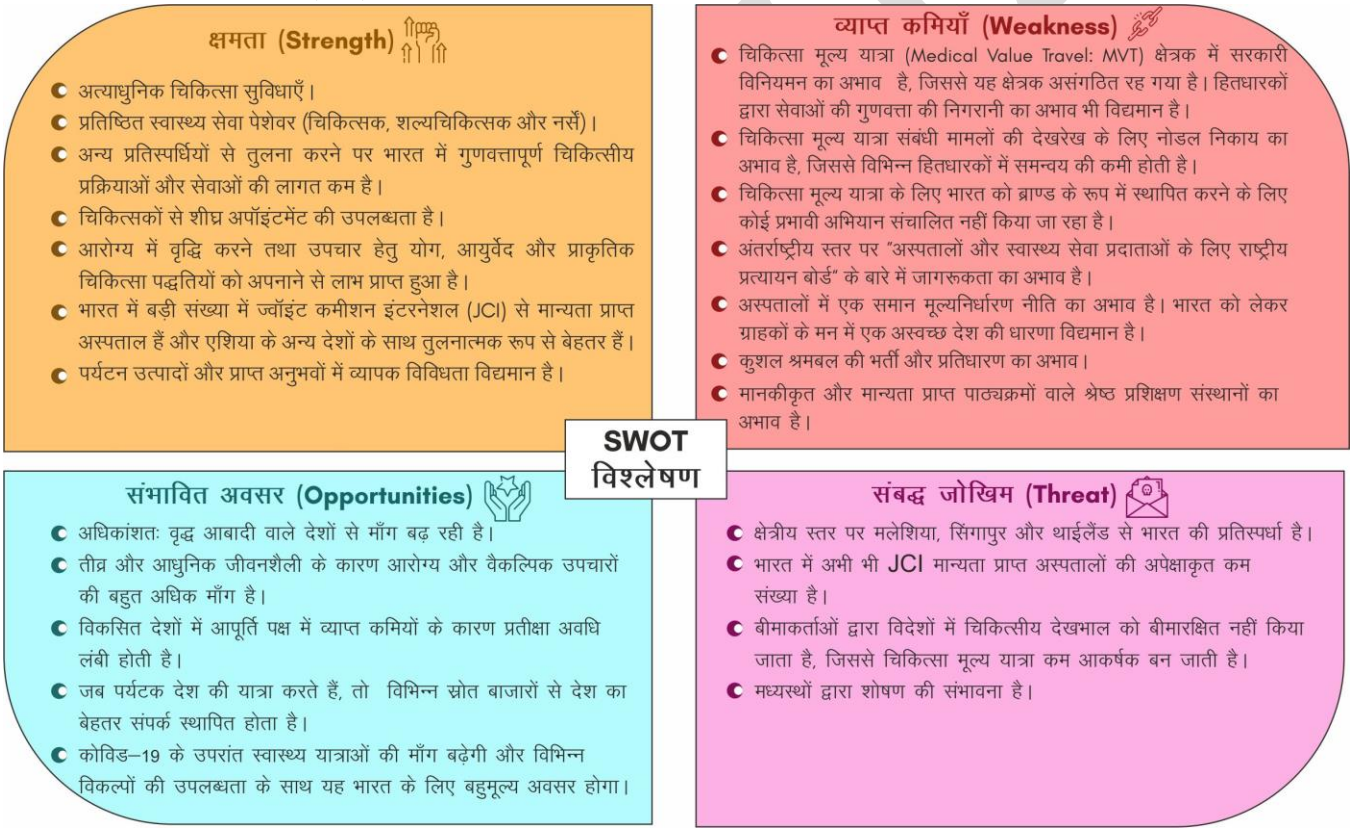


***भारत को चिकित्सा मूल्य यात्रा और वेलनेस गंतव्य स्थल के संदर्भ में एक संधारणीय और जवाबदेह गंतव्य के रूप में स्थापित करने की रणनीति में निम्नलिखित प्रमुख स्तंभ चिन्हित किए गए हैं:***

| स्तंभ | आवश्यकता | रणनीतियां जो निष्पादित की जाएंगी |
|---|---|---|
| **भारत को वेलनेस गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए एक ब्रांड विकसित करना** | • हालांकि वर्तमान में भारत का अतुल्य भारत अभियान के अंतर्गत प्रचार हो रहा है और अस्पताल भी निजी तौर पर अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं लेकिन **भारत को चिकित्सा और वेलनेस पर्यटन संबंधी गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करने हेतु कोई अभियान** | • **हील इन इंडिया अभियान:** ब्रांड इंडिया के प्रचार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर एक एकीकृत संचार रणनीति तैयार और निष्पादित की जाएगी।<br>• **भारतीय मिशनों के साथ भागीदारी:** इसके अंतर्गत भारतीय मिशनों द्वारा संबंधित बाजारों में "हील इन |

| | | |
|---|---|---|
| | **नहीं चलाया जा रहा है।** | इंडिया" ब्रांड को स्थापित किया जाएगा।<br>• **अन्य देशों की सरकारों के साथ कॉर्पोरेट समझौता:** इसके तहत स्रोत बाजारों से चिकित्सा मूल्य यात्रा को बढ़ावा दिया जाएगा।<br>• **प्रवासी भारतीयों को आकर्षित करना:** इन्हें अपनी चिकित्सीय और पर्यटन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आकर्षित किया जाएगा।<br>• **विपणन विकास सहायता योजना:** इसका उद्देश्य वेलनेस पर्यटन सेवा प्रदाताओं और चिकित्सा पर्यटन सेवा प्रदाताओं को लाभ पहुंचाना है। |
| **चिकित्सा और वेलनेस पर्यटन के लिए व्यवस्था (इकोसिस्टम) को सुदृढ़ बनाना** | • विभिन्न हितधारकों की भूमिका और उत्तरदायित्व के बारे में उनके मध्य संबंध और समझ को स्थापित करना तथा इस क्षेत्रक को बढ़ावा देने के लिए साझेदारियां विकसित करना। | • पंजीकरण, संगठन निर्माण आदि से संबंधित सुविधा प्रदान करके **चिकित्सा मूल्य यात्रा सुविधा प्रदाताओं को संगठित करना।**<br>• इस क्षेत्र में सफल परिचालन के निर्धारित वर्षों के बाद **अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (National Accreditation Board for Hospitals & Healthcare Providers: NABH)** द्वारा प्रत्यायन को अनिवार्य कर दिया जाएगा।<br>• **चिकित्सा सेवा प्रदाताओं** जैसे कि अस्पतालों को उनके पंजीकरण में सहायता करके संगठित करना और उन्हें स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता, मात्रा व प्रदत्त सेवाओं के रेंज जैसे कारकों के आधार पर श्रेणीबद्ध करना।<br>• **वेलनेस/निरोगता पर्यटन संचालकों को संगठित करना** और सेवाओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए उद्यमों एवं कर्मचारियों की क्षमता निर्माण करना।<br>• **पर्यटन मंत्रालय** द्वारा राज्यों को प्रोत्साहित करने और उनके मध्य प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्यों एवं पर्यटन गंतव्यों का **आकलन और रैंकिंग** की जाएगी। |
| **ऑनलाइन MVT पोर्टल स्थापित कर डिजिटलीकरण का मार्ग प्रशस्त करना** | • **अंतर्राष्ट्रीय रोगियों की सहायता के लिए एक ही स्थान पर संपूर्ण समाधान (वन स्टॉप सॉल्यूशन)** उपलब्ध कराना। यह छानबीन करने, योजना बनाने, सेवाओं की बुकिंग करने, भुगतान करने और ऑपरेशन के बाद की सेवाओं के संबंध में सहायता प्रदान करेगा। | • **इस पोर्टल की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं होंगी:**<br>○ इस उद्योग {जैसे कि अप्रवासन (Immigration), सरकारी निकाय, सेवा प्रदाता आदि} में कार्यरत सभी हितधारकों के लिए एक लॉग-इन अकाउंट होगा।<br>○ अंतर्राष्ट्रीय रोगियों के बारे में डेटा एकत्रित करना।<br>○ विनियमनों को बेहतर ढंग से बनाए रखना।<br>• यह ऑनलाइन पोर्टल **उद्योग के औपचारीकरण, विनियमों को लागू करने, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराने,** सरकार की ओर से केंद्रित और संकेंद्रित प्रयास करने में सहायता करेगा। |
| **MVT की सुलभता को बढ़ाना** | • भारत को एक अधिक आकर्षक गंतव्य बनाना। | • **उदारीकृत वीजा नीति** (ई-वीजा सुविधा पहले ही प्रदान की जा चुकी है)।<br>• **बेहतर हवाई परिवहन सुविधा,** विशेष तौर पर अफ्रीका और मध्य-पूर्व के पर्यटकों के लिए।<br>• प्रमुख हवाई अड्डों पर **हेल्पडेस्क और MVT कंसीर्ज और लाउंज** स्थापित किए जाएंगे। |
| **वेलनेस पर्यटन को प्रोत्साहन देना** | • चूंकि वेलनेस/ निरोगता एक बहुआयामी (क्योंकि यह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और पर्यावरणीय क्षेत्रों तक विस्तृत है) दृष्टिकोण है, **इसलिए वेलनेस संबंधी यात्रा भी** | • प्रत्येक गंतव्य की कुछ न कुछ विशिष्टताएं होती हैं जो निरोगता/ वेलनेस यात्रियों को उपलब्ध कराई जा सकती है। इससे सभी प्रकार के व्यवसायों और प्रदाताओं के लिए अवसर सृजित होते हैं।<br>• निरोगता, आतिथ्य और यात्रा संबंधी व्यवसायों का |

| | | |
|---|---|---|
| | बहुआयामी होनी चाहिए। | अभिसरण करना, जिससे यात्रियों को अपनी यात्रा संबंधी विभिन्न पक्षों में निरोगता को शामिल करने में सहायता प्राप्त होगी।<br>• अतुल्य भारत अभियान, बाजार विकास सहायता योजना आदि के माध्यम से **पर्यटन निरोगता कंपनियों (Tourism Wellness Companies) को सरकार द्वारा सहायता प्रदान** की जाएगी।<br>• संस्थागत कार्यवाहियों के विनियमन, मानकीकरण, प्रत्यायन और सरलीकरण के माध्यम से **एक प्रभावी गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम** निष्पादित किया जाएगा। |
| **गवर्नेंस और संस्थागत रूपरेखा** | प्रचार, व्यवसाय के विकास, सहायता संबंधी सेवा, नेटवर्किंग, विनियमन और शिकायत निवारण के लिए **वन स्टॉप सेंटर के रूप में एक बोर्ड की स्थापना करना।** | • **राष्ट्रीय चिकित्सा और निरोगता पर्यटन संवर्धन बोर्ड (National Medical & Wellness Tourism Promotion Board: NMWTB)** का गठन वर्ष 2015 में किया गया था।<br>• अब इस बोर्ड में एक **परामर्शदात्री समिति, एक तकनीकी समिति और कार्यकारिणी समिति** होगी जो इसके कार्यों को निष्पादित करेंगी।<br>• चिकित्सा मूल्य यात्रा व्यवसाय या भविष्य में इसकी संभावना की अर्थपूर्ण उपस्थिति वाले राज्यों में **राज्य चिकित्सा और निरोगता पर्यटन संवर्धन बोर्ड (State Medical and Wellness Tourism Promotion Board)** का गठन किया जा सकता है। |

## 3.6.4. बैठकों, प्रोत्साहनों, सम्मेलनों एवं प्रदर्शनियों के लिए राष्ट्रीय रणनीति और कार्ययोजना का प्रारूप {Draft National Strategy and Roadmap For MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions)}

**MICE (बैठकों, प्रोत्साहनों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों) के बारे में**

- MICE कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय, उद्योग, सरकार तथा अकादमिक समुदाय के लिए एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म तैयार करना और उन्हें अर्थपूर्ण संवाद में संलग्न करना है।
- MICE को 'मीटिंग इंडस्ट्री' या 'इवेंट इंडस्ट्री' के रूप में जाना जाता है। सामान्यत: इसके तहत किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए वृहद समूहों को एक साथ एकत्रित किया जाता है।
- **MICE के चार तत्व हैं:**
  - **बैठक (Meeting):** इसके तहत चर्चा करने या सूचना के आदान-प्रदान के लिए लोगों के समूह को एक साथ एकत्रित किया जाता है। उदाहरण के लिए- वार्षिक बैठकें, बोर्ड की बैठकें, विक्रय से संबंधित बैठकें, उत्पाद के शुभारंभ के दौरान, प्रस्तुति या प्रशिक्षण के दौरान बैठकें आदि।
  - **प्रोत्साहन (Incentives):** यह कर्मचारियों, वितरकों या ग्राहकों के लिए कॉर्पोरेट प्रायोजित यात्राएं हैं। MICE के अन्य प्रकारों के विपरीत प्रोत्साहन, व्यवसाय के बजाए अवकाश (leisure) पर ध्यान देता है।
  - **सम्मेलन (Conferences):** सम्मेलन ऐसे आयोजन होते हैं जहां उपस्थित लोगों का मुख्य कार्य या उद्देश्य शैक्षणिक और ज्ञान सत्रों में भाग लेना, बैठकों/चर्चाओं में भाग लेना, अपने सहकर्मियों या अन्य लोगों से मिलना-जुलना, अन्य संगठित गतिविधियों में भाग लेना होता है।
  - **प्रदर्शनियां (Exhibitions):** प्रदर्शनियां व्यावसायिक रूप से आयोजित कार्यक्रम (events) हैं जहां उत्पादों तथा सेवाओं का प्रदर्शन किया जाता है।

**MICE को विकसित करने के लाभ**

- यह अर्थव्यवस्था को न केवल आय सृजन के रूप में सुदृढ़ता प्रदान करता है, बल्कि **आतिथ्य सेवा (hospitality service) उद्योग के संबंध में अत्यधिक रोजगार के अवसरों का भी सृजन करता है।**

- MICE पर्यटन वर्षपर्यंत चलने वाला व्यवसाय है। यह विमानन, होटल, रेस्तरां व ट्रैवल एजेंसियों के लिए **मंदी के समय की कमी को प्रति संतुलित करने लिए लाभकारी है।**
    - भारत के प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक लाभ के बावजूद **भारतीय MICE की वैश्विक MICE व्यवसाय में 1% से भी कम हिस्सेदारी है।**
- **MICE पर्यटकों को अवकाश (leisure) पर्यटकों के रूप में परिवर्तित करना।**
- स्थानीय सरकार तथा निजी क्षेत्रक को सहायता करना, जिससे वे निवेश में वृद्धि कर सकें ताकि गंतव्य देश के आतिथ्य सेवा के सामान्य परिवेश में सुधार हो सके।

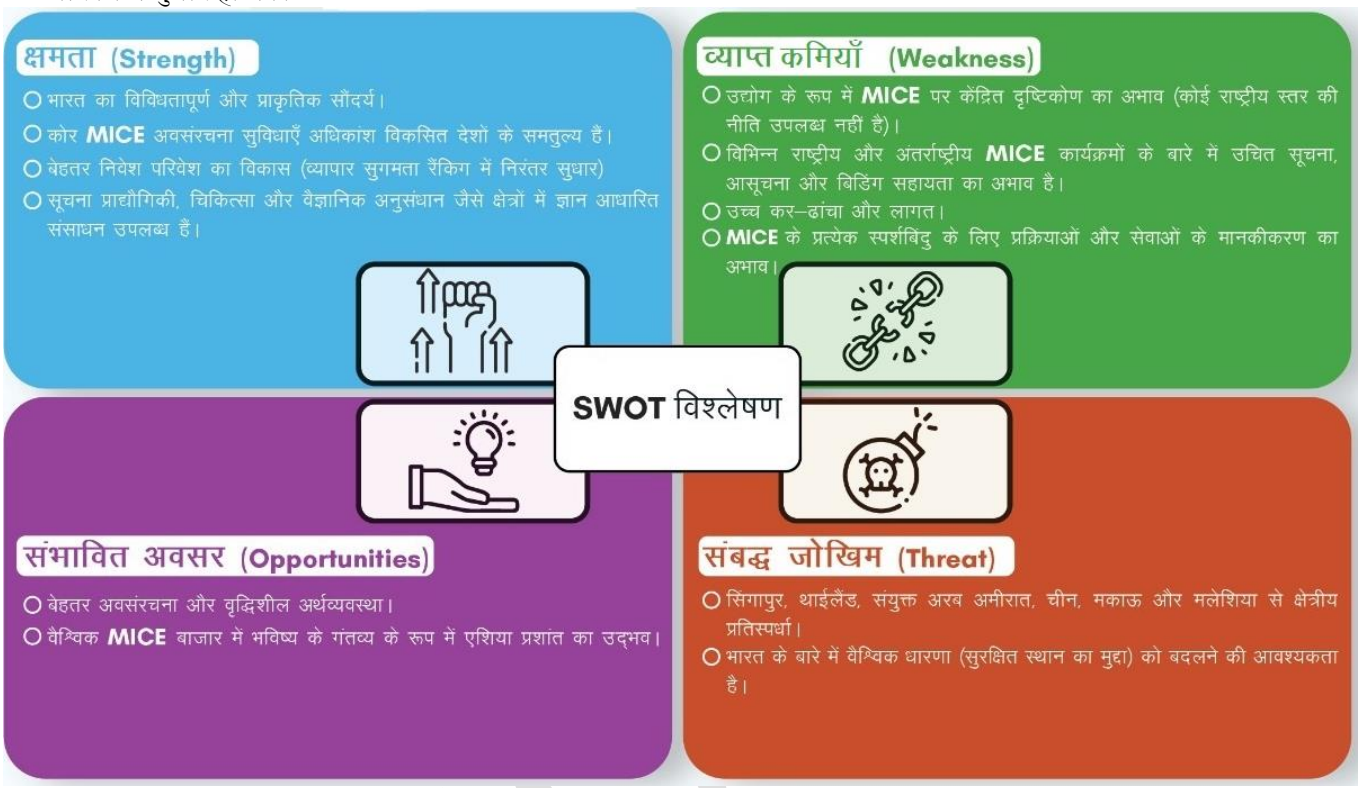


***MICE के लिए राष्ट्रीय रणनीति और कार्ययोजना के प्रारूप की मुख्य विशेषताएं:***

| | |
|---|---|
| **लक्ष्य (aim)** | • विश्व में **भारत को MICE गंतव्य के रूप में स्थापित करना** और वृहद सम्मेलनों तथा प्रदर्शनियों का केंद्र बनाना। |
| **उद्देश्य (goals)** | • MICE व्यवसाय में भारत की भागीदारी को वर्तमान के लगभग 1% से बढ़ाकर अगले पांच वर्षों में 2% करना।<br>• **इंटरनेशनल कांग्रेस एंड कन्वेंशन एसोसिएशन (ICCA)** के तहत भारत को अगले पांच वर्षों में शीर्ष 20 में शामिल करना (वर्ष 2019 में भारत का 28 वां स्थान था)।<br>• **राज्य सरकारों** को देश के बड़े MICE गंतव्यों, यथा- दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता तथा गोवा में अगले दो वर्षों में **6 शहर स्तरीय MICE प्रचार ब्यूरो स्थापित** करने और अगले पांच वर्षों में 20 बड़े शहरों में MICE प्रचार ब्यूरो स्थापित **करने हेतु प्रोत्साहित करना।**<br>• **अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करने हेतु बोली लगाने के लिए सम्मेलन ब्यूरो (Convention Bureaus) को प्रोत्साहित करना** तथा यह लक्ष्य निर्धारित करना कि देश में आ रहे 50 प्रतिशत इवेंट्स MICE ब्यूरो के माध्यम से आएं। |
| **मुख्य रणनीतिक स्तंभ** | • **राष्ट्रीय स्तर** पर (MICE के लिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, भारतीय MICE बोर्ड स्थापित करना) **राज्य स्तर** पर (राज्य MICE प्रचार समिति तथा ब्यूरो), **शहर स्तर** पर (शहर MICE प्रचार ब्यूरो, समन्वय समिति) अभिशासन (गवर्नेंस) तथा संस्थागत रूपरेखा उपलब्ध कराई जाएगी।<br>• **MICE के लिए पारितंत्र का विकास करना** (MICE गंतव्य, हार्डवेयर और सेवाओं के पहलुओं के लिए सफल कारक को चिन्हित करना, MICE गंतव्य के रूप में विकास के लिए शहरों को प्राथमिकता देना आदि)<br>• **भारतीय MICE उद्योग के प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना** (MICE अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए अवसंरचना का दर्जा, राज्यों द्वारा MICE अवसंरचना को उद्योग का दर्जा, MICE अवसंरचना का विकास करने हेतु PPP आदि)<br>• **MICE इवेंट्स के लिए व्यापार सुगमता को बढ़ाना** (प्रमुख स्मारकों तथा अन्य आकर्षक स्थलों तक पहुंच, अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए एकल खिड़की स्वीकृति आदि) |

| | |
|---|---|
| | • **MICE गंतव्य के रूप में भारत की मार्केटिंग करना** {अतुल्य भारत के अंतर्गत उप ब्रांड "मीट इन इंडिया", भारतीय मिशनों से सहायता, वार्षिक अतुल्य MICE भारत (iMICE India) इवेंट आदि}<br>• **MICE उद्योग के लिए कौशल विकास** (उपर्युक्त गतिविधियों और प्रासंगिक कौशल संबंधी सम्मुच्चय की श्रेणी को कवर करने के लिए MICE समन्वयक कार्यक्रम)। |

## 3.7. सुधार-आधारित और परिणाम-से जुड़ी, संशोधित वितरण क्षेत्रक योजना (Reforms-Based and Results-Linked, Revamped Distribution Sector Scheme)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने "सुधार-आधारित तथा परिणाम-से जुड़ी, संशोधित वितरण क्षेत्रक योजना" को मंजूरी प्रदान कर दी है।

**इस योजना के बारे में**

- **योजना का लक्ष्य:** इस योजना का उद्देश्य सभी विद्युत वितरण कंपनियों (Distribution Companies: DISCOMs) तथा विद्युत विभाग की **परिचालनात्मक दक्षता एवं वित्तीय संधारणीयता में सुधार** करना है। हालांकि, **इसके अंतर्गत निजी क्षेत्रक की वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को शामिल नहीं किया गया है।**
  - इस योजना के तहत आपूर्ति अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए **डिस्कॉम्स को सशर्त वित्तीय सहायता प्रदान** की जाएगी।
- **पात्रता:** इस वर्ष योजना के अंतर्गत वित्तपोषण संबंधी पात्रता के लिए डिस्कॉम्स को न्यूनतम 60% अंकों का स्कोर करना होगा और साथ ही निम्नलिखित प्रदर्शन मापदंडों के संबंध में न्यूनतम मानदंडों को पूर्ण करना होगा, जैसे-
  - समग्र तकनीकी तथा वाणिज्यिक (Aggregate Technical and Commercial: AT&C) हानि;
  - आपूर्ति की औसत लागत (Average Cost of Supply: ACS)- प्राप्त औसत राजस्व (Average Revenue Realised: ARR) अंतर;
  - अवसंरचना उन्नयन प्रदर्शन;
  - उपभोक्ता सेवाएं;
  - विद्युत आपूर्ति के घंटे;
  - कॉर्पोरेट शासन इत्यादि।
- **समय अवधि:** इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ही लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
- **योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसियां:** इस योजना के क्रियान्वयन के लिए **REC लिमिटेड** (इसे पहले ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) तथा **पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (PFC)** को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।
- **वित्तीय परिव्यय:** इस योजना का परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये होगा और इसमें केंद्र सरकार की ओर से 97,631 करोड़ रुपये का अनुमानित सकल बजट समर्थन (Gross Budgetary Support: GBS) प्रदान किया जाएगा।

- **वित्तीय सहायता:**
  - **प्रीपेड-स्मार्ट मीटर हेतु:** इस योजना के अंतर्गत समग्र परियोजना के लिए प्रति उपभोक्ता मीटर लागत का 15% या 900 रुपये (जो भी कम हो) का अनुदान (विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए 22.5% या 1,350 रुपये जो भी कम हो) प्रदान किया जाएगा।
  - **स्मार्ट मीटर के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए:** डिस्कॉम्स को प्रदान की जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता, अनुमोदित लागत का 60% (विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए 90%) होगी।
  - इसके अतिरिक्त, यदि डिस्कॉम्स दिसंबर 2023 तक स्मार्ट मीटर की लक्षित संख्या को पूर्ण कर लेते हैं तो वे उपर्युक्त अनुदानों के अतिरिक्त 50% का विशेष आर्थिक प्रोत्साहन का लाभ भी उठा सकते हैं।

**योजना के घटक**

| घटक | प्रावधान | लाभ |
|---|---|---|
| **उपभोक्ता मीटर तथा सिस्टम मीटर** | • कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपलब्ध कराना।<br>• **शहरी क्षेत्रों, संघ राज्यक्षेत्रों, अमृत (AMRUT) शहरों, सरकारी कार्यालयों तथा उच्च हानि वाले क्षेत्रों के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग को प्राथमिकता देना।**<br>• इसमें सभी फीडरों तथा वितरण ट्रांसफार्मर के लिए सूचनीय AMI (उन्नत मीटरिंग अवसंरचना/ Advance Metering Infrastructure) मीटर के अंगीकरण का प्रस्ताव शामिल है, जिससे डिस्कॉम द्वारा नुकसान में कमी के लिए बेहतर योजना बनाई जा सके। | **डिस्कॉम्स के लिए**<br>• **यह ऊर्जा लेखांकन** को सक्षम करता है ताकि विदयुत क्षति को कम करने के लिए बेहतर योजना बनाई जा सके।<br>**उपभोक्ताओं के लिए**<br>• उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए डिस्कॉम्स को सुदृढ़ करना।<br>• प्रीपेड स्मार्ट मीटर के अंतर्गत 25 करोड़ उपभोक्ता को कवर करना।<br>• मासिक आधार की बजाए नियमित आधार पर उपभोक्ता अपनी विद्युत खपत की निगरानी कर सकेंगे। |
| **फीडर पृथक्करण** | • **गैर-पृथक फीडरों के लिए फीडर पृथक्करण वित्तपोषण पर ध्यान देना।**<br>• सभी फीडरों के सौरकरण या सोलराइजेशन (सौर ऊर्जा का उपयोग कर संचालन योग्य बनाना) हेतु प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) योजना के साथ अभिसरण। | • फीडरों के सोलराइजेशन (सौर ऊर्जा का उपयोग कर संचालन योग्य बनाना) से सिंचाई के लिए दिन की अवधि में सस्ती/मुफ्त विद्युत सुनिश्चित होगी तथा **किसानों की आय में भी अतिरिक्त वृद्धि होगी।** |
| **शहरी क्षेत्रों में वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण** | • सभी शहरी क्षेत्रों में पर्यवेक्षी नियंत्रण तथा डेटा अधिग्रहण (Supervisory Control and Data Acquisition: SCADA) को सुनिश्चित करना।<br>• 100 शहरी केंद्रों में वितरण प्रबंधन प्रणाली (Distribution Management System: DMS) को स्थापित करना। | • डेटा का विश्लेषण करने के लिए **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी सुविधाओं का उपयोग किया जाएगा** ताकि डिस्कॉम्स को विद्युत की क्षति को कम करने, मांग संबंधी पूर्वानुमान, दिन की अवधि आधारित (Time of Day: ToD) टैरिफ, अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy: RE) का एकीकरण तथा अन्य पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण के संबंध में सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सके। |

**समग्र तकनीकी तथा वाणिज्यिक क्षति (Aggregate Technical and Commercial Losses: AT&C)**

- तकनीकी क्षति का तात्पर्य पारेषण तथा वितरण के दौरान होने वाली विद्युत की हानि से है। इसमें विद्युत की चोरी करना भी शामिल है।
- वाणिज्यिक क्षति का तात्पर्य मुख्यतः अपर्याप्त बिलिंग, संग्रहण और भुगतान संबंधी चूक के कारण राजस्व की वसूली में हुई विफलता या हानि से है।

**भारत में डिस्कॉम्स (DISCOMs) क्षेत्रक के समक्ष मौजूदा चुनौतियां**

- **उच्च ऋणग्रस्तता:** अनेक डिस्कॉम्स, उत्पादकों को पिछले बकाया राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे हैं। वर्ष 2018-19 के लिए राज्य विद्युत संस्थाओं के कार्य निष्पादन पर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की एक रिपोर्ट में प्रदर्शित किया गया है कि कोविड-19 से पहले उत्पादकों का बकाया लगभग 2,27,000 करोड़ रुपये था। क्रिसिल की रिपोर्ट में भी आने वाले समय में उनके ऋण में 30 प्रतिशत की वृद्धि (लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपये) होने की संभावना व्यक्त की गई है।

- **उच्च AT&C क्षति:** भारत की औसत AT&C क्षति लगभग 21.4 % है, जबकि तुलनात्मक रूप से देखें तो यूनाइटेड किंगडम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में AT&C क्षति लगभग 6-7 % है।
- **बिलिंग संबंधी समस्या:** डिस्कॉम्स सभी ग्राहकों की कुशलतापूर्वक बिलिंग करने में अक्षम रहे हैं तथा ये नियमित मीटर रीडिंग की अपेक्षा अनुमानित तथा अनंतिम बिलिंग पर अत्यधिक निर्भर रहे हैं।
    - कई स्थानों पर/क्षेत्रों में उपभोक्ताओं द्वारा गैर-कानूनी रूप से विद्युत की चोरी की जाती है।
    - डिस्कॉम्स, उपभोक्ताओं से समय पर बिल की राशि को एकत्रित करने में भी असमर्थ रहे हैं।

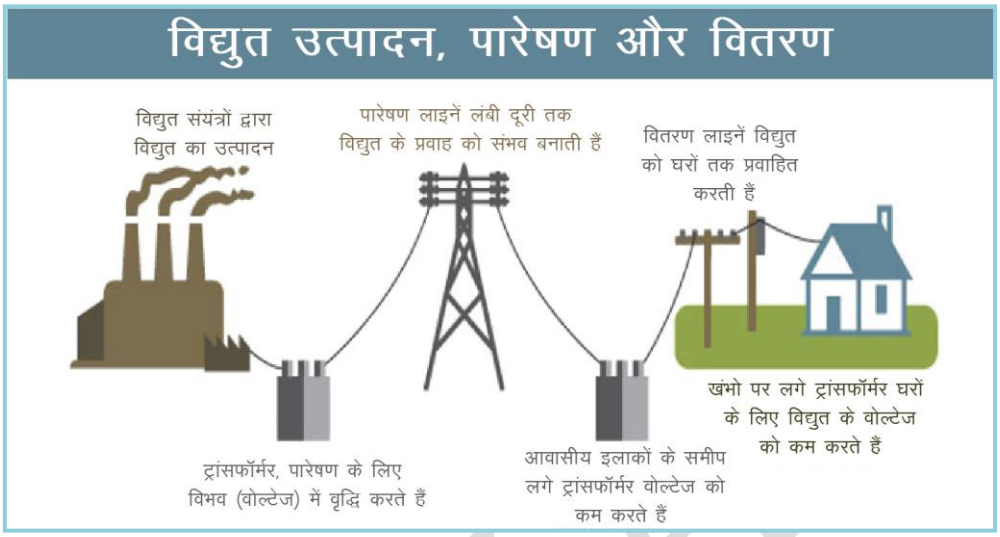


- **प्रशुल्क (टैरिफ) संबंधी समस्याएं:**
    - **वास्तविक लागत संबंधी टैरिफ का अभाव:** सैद्धांतिक रूप से टैरिफ/प्रशुल्क का डिजाइन वास्तविक लागत पर केन्द्रित होना चाहिए। इसे वोल्टेज (विद्युत) के उपभोग के अनुपात में विभिन्न उपयोगकर्ताओं, जैसे- औद्योगिक, वाणिज्यिक इत्यादि के लिए आपूर्ति की अलग-अलग लागत के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। हालांकि, डिस्कॉम्स द्वारा आपूर्ति लागत को समान रूप से औसत कर लिया जाता है और तब टैरिफ को उपभोक्ताओं से वसूल (आपूर्ति लागत) करने के लिए डिजाइन किया जाता है।
    - **अनुचित/विकृत क्रॉस-सब्सिडी:** भारत में बिजली की दरों को, उपभोक्ता की भुगतान की क्षमता संबंधी सामाजिक-आर्थिक पक्षों को ध्यान में रखते हुए, पूर्व निर्धारित स्तर पर निश्चित कर दिया गया है। क्रॉस सब्सिडी के परिणामस्वरूप व्यवसायों और उद्योगों को अत्यधिक टैरिफ/प्रशुल्क का भुगतान करना पड़ता है। इस प्रकार, उद्योग "कैप्टिव पवार प्लांट" आधारित विद्युत उत्पादन की ओर स्थानांतरण कर रहें हैं, जिसके कारण राज्य उपयोगिताओं (utilities अर्थात् वितरण कंपनियों) के राजस्व में और गिरावट आएगी।
    - **टैरिफ में वृद्धि का अभाव:** प्रशुल्क में अपर्याप्त वृद्धि के परिणामस्वरूप अन्य संबद्ध लागतों में भी वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2021 में, अधिकांश विद्युत विनियामकों को उपभोक्ता टैरिफ में वृद्धि न करने देने से वित्तीय अस्थिरता उत्पन्न हुई थी।
- **राज्य का एकाधिकार:** डिस्कॉम क्षेत्रक में राज्य का एकाधिकार, उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध विकल्प को सीमित करता है। यह वाणिज्यिक आधार पर डिस्कॉम्स में बदलाव के समक्ष भी बाधा उत्पन्न करता है।
- **सब्सिडी तथा अन्य भुगतान संवितरण में विलंब:** आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान तथा तेलंगाना जैसे राज्यों ने पूर्ण सब्सिडी भुगतान में लगातार चूक की है। ऐसे विलंब से डिस्कॉम्स की अल्प-अवधि वाली कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं में वृद्धि हुई है।
    - साथ ही, वैश्विक महामारी के दौरान वित्तीय स्थिति कमजोर रहने के कारण, कई राज्य डिस्कॉम को समय पर बकाया का भुगतान नहीं कर पाए हैं।
- **वैश्विक महामारी के दौरान मांग में कमी:** वैश्विक महामारी तथा अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव ने उच्च भुगतान वाले वाणिज्यिक व औद्योगिक (Commercial and Industrial: C&I) उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधी मांग को कम कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप डिस्कॉम्स के राजस्व घाटे में वृद्धि हुई है। साथ ही, इसके कारण C&I उपभोक्ताओं द्वारा होने वाले क्रॉस-सब्सिडी अंतर्वाह में भी कमी आई है।
- **अन्य क्षति:** इसमें महंगे ताप विद्युत खरीद समझौते, आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा अवसंरचना विकास का अभाव आदि शामिल हैं।

**आगे की राह**

डिस्कॉम्स की स्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं:

- **डिस्कॉम्स की राजस्व वसूली में निम्नलिखित के माध्यम से सुधार किए जा सकते हैं:**
    - डिस्कॉम्स कर्मचारियों के लिए प्रदर्शन-बद्ध प्रोत्साहन तथा प्रभावी निगरानी प्रणाली।
    - ऑनलाइन और समय पर बिल भुगतान के लिए प्रोत्साहन।
    - बिलिंग तथा संग्रहण में सुधार के लिए कर्मचारियों की क्षमता को बढ़ाना।
    - गैर-भुगतान के मामले पर ध्यान देने के लिए बिल संग्रहण अवसंरचना तथा सामुदायिक भागीदारी में निवेश को बढ़ाना।

- **सब्सिडी में कमी के जरिए राजकोषीय विस्तार करना:**
  - आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब इत्यादि राज्यों में संचालानरत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मॉडल से सीख लेना।
  - घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं तक सब्सिडी पहुँच के लिए रूपरेखा विकसित करना।
- **सरकारी बकाया राशि को निम्नलिखित के माध्यम से कम करना:**
  - लंबित बकाया राशि तथा एरियर के भुगतान के लिए समय-बद्ध योजना को लागू करना।
  - बकाया राशि में वृद्धि को रोकने के लिए राज्य के विभागों हेतु अदेयता प्रमाण-पत्र (No Dues Certificates) अनिवार्य करना।

**निम्नलिखित के माध्यम से नियमित टैरिफ संशोधन और निष्क्रिय विनियामक संपत्तियों पर ध्यान केन्द्रित करना:**

  - डिस्कॉम्स की परिसंपत्तियों के आधार पर प्राप्त होने वाली राशि (receivables) का प्रतिभूतिकरण कर बॉण्ड जारी करना जैसा कि राजस्थान में किया गया है।
  - मुद्रास्फीति समायोजित टैरिफ में वृद्धि करना।

## 3.8. भारत का कृषि निर्यात (India's Agricultural Export)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

विगत वर्ष की तुलना में **18 प्रतिशत की वृद्धि** दर्ज करते हुए वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का कृषि निर्यात 41.8 अरब डॉलर पर पहुंच गया।

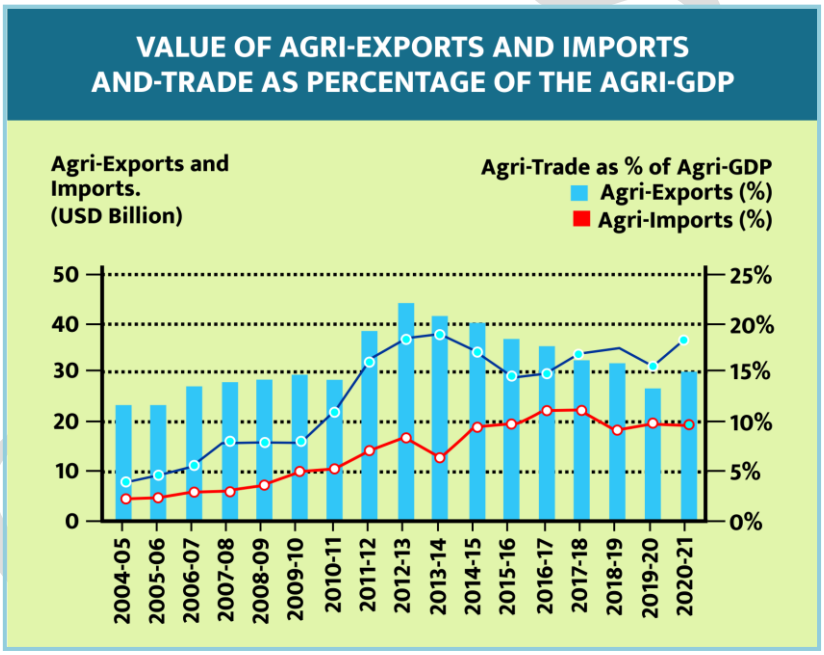


**भारत का कृषि-निर्यात पारितंत्र**

- वर्ष 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत होने के उपरांत से, भारत **कृषि उत्पादों का निवल निर्यातक** रहा है।
- भारत का कृषि उत्पादों के वैश्विक व्यापार में अग्रणी स्थान है।
- हालांकि, इसकी **संपूर्ण कृषि निर्यात बास्केट की विश्व कृषि व्यापार में हिस्सेदारी 2.5% से कुछ अधिक** ही है।
- भारत के लिए प्रमुख निर्यात गंतव्य संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, ईरान, नेपाल और बांग्लादेश हैं।
- भारत से निर्यात किए जाने वाले प्रमुख कृषि उत्पादों में **समुद्री उत्पाद, बासमती चावल, भैंस का मांस, मसाले, गैर-बासमती चावल, कच्चा कपास, खली (oil meal), चीनी, अरंडी का तेल और चाय** शामिल हैं।

**भारत के कृषि निर्यात में हुए हालिया वृद्धि को प्रेरित करने वाले कदम**

- **नीतिगत स्तर पर हस्तक्षेप:** भारत में चावल की कृषि में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले **ट्राईसाइक्लाज़ोल** (Tricyclazol) और **बुप्रोफेज़िन** (Buprofezin) जैसे रसायनों के लिए कठोर मानदंड अधिरोपित किए गए हैं। ज्ञातव्य है कि इन रसायनों की उपस्थिति व कीटनाशक अवशेषों की समस्याओं के कारण **यूरोपीय संघ को किया जाने वाला बासमती चावल (प्रमुख पारंपरिक निर्यात उत्पाद)** का निर्यात प्रभावित हुआ था।
  - इसलिए, यूरोपीय संघ को निर्यात किए जाने वाले बासमती चावल का **निर्यात निरीक्षण परिषद** द्वारा परीक्षण किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके कारण चेतावनियों की संख्या में कमी आई है।
    - **निर्यात निरीक्षण परिषद** वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन भारत का आधिकारिक निर्यात-प्रमाणन निकाय है।
  - पंजाब ने वर्ष 2020 की खरीफ ऋतु के दौरान ट्राईसाइक्लाज़ोल और बुप्रोफेज़िन सहित नौ रसायनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था।
  - **कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority: APEDA)** ने व्यापार निकायों के सहयोग से बासमती उत्पादक क्षेत्रों में जागरूकता सृजन करने के उपाय किए हैं।

- **नए बाजारों में उत्पादों का विस्तार:** वर्ष 2020-21 में भारतीय खाद्यान्न की मांग अधिक थी। इसी दौरान **पहली बार विभिन्न देशों को खेप भेजी गई,** यथा- तिमोर-लेस्ते, प्यूर्टो रिको और ब्राजील जैसे देशों को चावल तथा यमन, इंडोनेशिया, भूटान आदि देशों को गेहूं का निर्यात किया गया था।
- **कोविड-19 द्वारा प्रदत्त अवसर:** गैर-बासमती चावल के निर्यात में तीव्र वृद्धि के लिए **थाईलैंड और वियतनाम जैसे प्रमुख चावल निर्यातकों की तुलना में कम कीमतों** को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। निर्यात में वृद्धि का एक और कारक यह भी है कि इन देशों ने लॉकडाउन के कारण निर्यात रोक दिया था।
- **जैविक उत्पादों की माँग में वृद्धि:** जैविक उत्पादों के निर्यात में वर्ष दर वर्ष **51 प्रतिशत** की वृद्धि हुई है। इनमें खाद्यान्न और मोटा अनाज, मसाले एवं चटनियां, चाय, औषधीय पादप उत्पाद, सूखे मेवे व चीनी जैसे उत्पाद शामिल हैं। महामारी के कारण इस प्रकार के उत्पादों की माँग में बढ़ोतरी को इस वृद्धि के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

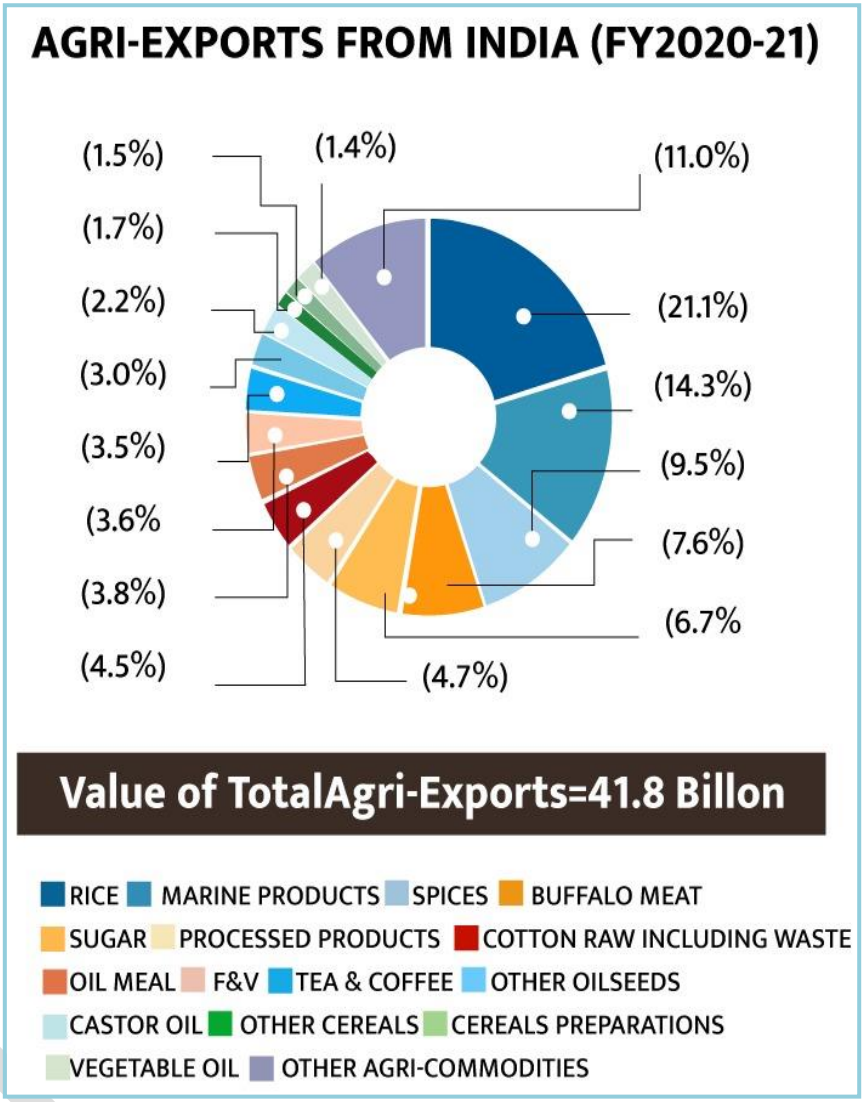


**भारत के कृषि निर्यात क्षेत्रक में चुनौतियां**

- **स्थायी व्यापार नीति व्यवस्था का अभाव:** कुछ कृषि जिंसों की घरेलू कीमत और उत्पादन में अस्थिरता को देखते हुए, **मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के अल्पकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु एक साधन के रूप में व्यापार नीति का उपयोग करने की प्रवृत्ति** रही है। इस प्रकार के परिस्थितिजन्य उपाय, निर्यात आपूर्ति श्रृंखलाओं को भंग कर देते हैं और विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की छवि को क्षति पहुंचाते हैं। इससे भारतीय उत्पादों के लिए मूल्य प्राप्ति प्रभावित होती है।
- **अवसंरचना और संभार तंत्र:** पत्तनों या टर्मिनलों से स्थल-रुद्ध उत्पादन क्षेत्रों (जैसे- बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर के राज्य और पहाड़ी क्षेत्र आदि) की निम्नस्तरीय कनेक्टिविटी एक बड़ी चुनौती है। साथ ही, अधिकांश राज्यों में खेतों से मुख्य सड़क तक की संपर्क सड़कें अविकसित हैं। निर्यातकों को पोत-लदान की लंबी प्रतीक्षा अवधि के कारण पत्तनों पर भीड़ का भी सामना करना पड़ता है।
- **बागवानी वस्तुओं की कम मात्रा:** बागवानी उत्पादों के निर्यात के लिए एक ही किस्म के उच्च गुणवत्ता युक्त मानकीकृत उत्पादों की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। भारत में लघु आकार की भूमि-जोतों और किसानों में जागरूकता की कमी का परिणाम प्रायः कम या अनुपस्थित मानकीकरण के साथ कई फसलों की विभिन्न किस्मों की सीमित मात्रा के रूप में परिणत होता है।
- **निम्न स्तरीय प्रशिक्षण और कौशल स्तर का विकास:**
  - **खेत स्तर पर:** फसल कटाई पूर्व और उपरांत अपर्याप्त प्रबंधन से आयातक देशों द्वारा **स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपायों (Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS)** को सख्ती से लागू करके तथा **व्यापार में तकनीकी बाधाओं पर समझौते (Technical Barriers to Trade: TBT)** के माध्यम से उत्पादों को अस्वीकार करने का मार्ग प्रशस्त होता है।
  - **निर्यातकों के स्तर पर:** निर्यातकों में निर्यात से संबंधित मौजूदा योजनाओं और नीतियों के साथ-साथ निर्यात के लिए अपनाए जाने वाले प्रलेखन एवं प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता का अभाव है।
- **राज्यों की निम्न भागीदारी:** कृषि राज्य सूची का विषय है, जबकि "व्यापार और वाणिज्य" संघ सूची में शामिल हैं। इस प्रकार राज्य प्रायः देश के कृषि निर्यात में अपने लिए कोई औपचारिक भूमिका नहीं देखते हैं।
- **15वें वित्त आयोग द्वारा रेखांकित की गई चुनौतियाँ:** अल्प उत्पादन और कृषि उत्पादकता; मूल्य वर्धन पर कम ध्यान तथा बड़ा घरेलू बाजार भारत की कृषि निर्यात क्षमता में बाधक हैं।

**संबंधित तथ्य**

**कृषि निर्यात सुविधा केंद्र (Agriculture Export Facilitation Centre: AFEC), पुणे**

- यह भारत का प्रथम AFEC है, जिसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड/NABARD) के सहयोग से **मराठा चैंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर (MCCIA)** द्वारा स्थापित किया गया है।
- इसका उद्देश्य आवश्यकता आधारित सूचनाओं का प्रसार कर, समय पर मार्गदर्शन प्रदान कर और सभी हितधारकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन कर **महाराष्ट्र के कृषि और खाद्य निर्यात को बढ़ावा देना** है।
- यह निर्यातकों को हर संभव सहायता प्रदान करने हेतु वन-स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में कार्य करेगा।

**आगे की राह**

- **कृषि निर्यात नीति, 2018** में वर्ष 2022 तक 60 अरब डॉलर से अधिक के कृषि निर्यात और आगामी कुछ वर्षों में 100 अरब डॉलर के कृषि निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें कृषि निर्यात को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित अनुशंसाएं की गई हैं:
- **स्थायी व्यापार नीति व्यवस्था:** अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सकारात्मक संकेत प्रेषित करने के लिए राज्य के सीमित हस्तक्षेप के साथ स्थायी और पूर्वानुमान योग्य नीति निर्माण करना अनिवार्य है। ऐसा करने का एक तरीका यह तय करना है कि निर्यात प्रतिबंध का उपयोग केवल दुर्लभतम परिस्थितियों में ही किया जाए। इस एकमात्र उपाय से ही किसानों को विदेशी बाजारों के लिए योजना निर्माण हेतु कुछ आत्मविश्वास प्राप्त हो सकता है।
- **अवसंरचना और संभार-तंत्र:** प्रमुख पत्तनों की पहचान की जानी चाहिए, जहां वर्तमान/अनुमानित बल्क और कंटेनर कृषि यातायात द्वारा अवसंरचना एवं आधुनिकीकरण पहलों की मांग की जाती है।
    - **समुद्री पत्तन:** समर्पित पेरिशेबल बर्थ (शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पादों के लिए विशिष्ट लदान बिंदु), कृषि उत्पादों के लिए जेट्टी का विकास।
    - **रेलवे:** कृषि उत्पादों व रीफर वैगनों का संचालन करने के लिए स्टेशनों पर अवसंरचना निर्माण।
    - **विमानपत्तन:** पत्तनों पर मौजूदा निष्क्रिय अवसंरचनाओं, जैसे- सेंटर फॉर पेरिशेबल कार्गो (CPC) को संचालित करने में विद्यमान चुनौतियों को दूर करना तथा नए CPCs, लोडर्स, क्वारंटाइन क्षेत्रों एवं भीतरी भागों से बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता की पहचान करना।
- **निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समग्र दृष्टिकोण:** समग्र सरकारी दृष्टिकोण उन्नत किस्मों के लिए अनुसंधान और विकास, मूल्य वर्धन एवं पैकेजिंग तथा उत्तम मानक विधान की स्थापना से संबंधित मुद्दों का समाधान करेगा। साथ ही, यह भारतीय उत्पादों द्वारा सामना की जाने वाली स्वच्छता और पादप स्वच्छता (SPS) तथा व्यापार के समक्ष तकनीकी बाधाओं (TBT) के प्रति प्रतिक्रिया, वृद्धि कर रहे क्षेत्रों की पहचान करने और उन क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने के लिए रणनीतियों से संबंधित मुद्दों का भी निपटान करेगा।
- **कृषि निर्यात में राज्य सरकारों की अधिकाधिक भागीदारी:** कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नोडल विभाग/एजेंसी की पहचान करने; राज्य निर्यात नीति में कृषि निर्यात को शामिल करने; अवसंरचना और संभार-तंत्र द्वारा कृषि निर्यात को सुगम बनाने; निर्यात में सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर संस्थागत तंत्र स्थापित करने आदि जैसी पहलों के माध्यम से भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- **क्लस्टरों पर ध्यान केंद्रित करना:** निर्यात केंद्रित क्लस्टरों के परिणामस्वरूप उत्पादन का फसल कटाई पूर्व और उपरांत अधिक केंद्रित प्रबंधन होना अपेक्षित है। साथ ही, उन क्लस्टरों से निर्यात का अत्यंत उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला का उन्नयन होने की भी संभावना है।
- **कौशल विकास:** ग्राहकों की परिवर्तित होती प्राथमिकताओं के साथ समन्वय बनाए रखने के लिए नियमित आधार पर कार्य बल को कौशल विकास का अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। साथ ही, विभिन्न खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा असंगठित खंडों के खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं की क्षमता का विकास करने की भी आवश्यकता है, ताकि उन्हें विदेशी बाजारों और वैश्विक कृषि-व्यापार मूल्य श्रृंखला का दोहन करने के लिए समर्थ बनाया जा सके।
- **"ब्रांड इंडिया" का विपणन एवं प्रचार:** जैविक, मूल्य वर्धित, नृजातीय, भौगोलिक संकेतक, क्षेत्र विशिष्ट और ब्रांडेड उत्पादों के विपणन के लिए समर्पित पृथक निधि का गठन किया जाना चाहिए।
- **अन्य:** कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम में सुधार और मंडी शुल्क को सुव्यवस्थित बनाना, मूल्य वर्धित निर्यात को बढ़ावा देना; जैविक और नृजातीय उत्पादों के लिए एक समान गुणवत्ता एवं पैकेजिंग मानक विकसित करना; व्यापार करने की सुगमता व डिजिटलीकरण; निर्यात उन्मुख गतिविधियों तथा अवसंरचना में निजी निवेश आकर्षित करना आदि।

## 3.9. एग्रीस्टैक (Agristack)

### सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, किसानों के अधिकारों और डिजिटल अधिकारों के लिए काम करने वाले कई संगठनों ने सरकार द्वारा 'एग्रीस्टैक' सृजित करने संबंधी योजना पर चिंता व्यक्त की है।

### एग्रीस्टैक (AgriStack) के बारे में

- एग्रीस्टैक वस्तुतः केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित **प्रौद्योगिकियों और डिजिटल डेटाबेस का एक संग्रह है,** जिसका उद्देश्य किसानों और कृषि क्षेत्रक पर ध्यान केंद्रित करना है।
- **एग्रीस्टैक** में एकल प्रौद्योगिकी प्लेटफ़ॉर्म पर **किसान स्टैक, फार्म स्टैक** और **फसल स्टैक** एकीकृत रूप में हो सकते हैं। यह प्रौद्योगिकी प्लेटफ़ॉर्म मौजूदा डिजिटल भूमि अभिलेखों, खेतों के भूसंपत्ति मानचित्रों (cadastral maps) और अन्य जानकारी या डेटा को आपस में लिंक करता या जोड़ता है। यहाँ **स्टैक** का आशय डेटा के ढेर या भंडार से है।
  - **किसान स्टैक** में विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में आधार (Aadhaar) सहित किसान से जुड़े डेटा शामिल हो सकते हैं। इसी प्रकार, **फार्म स्टैक** में भूसंपत्ति मानचित्र सहित किसान के स्वामित्व वाले प्रत्येक खेत (खेत की पहचान के साथ) से जुड़ी भू-स्थानिक जानकारी हो सकती है और **फसल स्टैक** में खेतों से संबंधित फसल डेटा शामिल हो सकता है।

- इस डेटा को राज्य सरकार के विभागों और सार्वजनिक निकायों के **भूमि पंजीकरण, भू-संपत्ति मानचित्रों और उपग्रह चित्रों से परस्पर जोड़ा जाएगा।**
- समय के साथ, सरकार की योजनाओं जैसे कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), पी.एम.-किसान और मृदा स्वास्थ्य कार्ड को भूमि अभिलेखों के विवरण के साथ एक साझा/सामान्य डेटाबेस के माध्यम से एकीकृत किया जाएगा।
- हाल ही में **कृषि विभाग, सहकारिता एवं किसान कल्याण (Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)** ने माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के साथ उसकी क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं के माध्यम से 'एकीकृत किसान सेवा इंटरफेस' (Unified Farmer Service Interface) निर्मित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया है।
  - यह एकीकृत किसान सेवा इंटरफेस उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के 100 गांवों में प्रायोगिक परियोजना के रूप में आरंभ किया जाएगा।
  - यह मंत्रालय की **'एग्रीस्टैक'** सृजित करने की योजना को गति प्रदान करेगा।
- साथ ही, एग्रीस्टैक के अंतर्गत विभिन्न परिचालन गतिविधियों जैसे कि फसल कटाई के पूर्व और पश्चात् सलाह जारी करना, राष्ट्रीय कृषि जिओ-हब का निर्माण करना आदि के लिए अग्रलिखित के साथ चार अन्य MoU पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं- स्टार एग्रीबाजार टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, कृषि प्रबंधन और सेवाओं के लिए पतंजलि जैविक अनुसंधान संस्थान प्राइवेट लिमिटेड, अमेज़न वेब सर्विसेज इंडिया और ईसरी (ESRI) इंडिया टेक्नोलॉजीज लिमिटेड।

- इसके अलावा सरकार, कृषि के लिए डिजिटल पारितंत्र बनाने हेतु **केंद्रीकृत किसान डेटाबेस (centralised farmers database) तैयार कर रही है** और इसके आधार पर विभिन्न सेवाओं का निष्पादन कर रही है।
    - इस डेटाबेस को देश भर के किसानों के भूमि-अभिलेखों (land records) के साथ जोड़ा जाएगा और **विशिष्ट किसान पहचान-पत्रों (unique farmer IDs) को सृजित किया जाएगा।**
    - विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले समस्त लाभों और सहायता से संबंधित जानकारियों को **किसानों के लिए एकीकृत डेटाबेस (integrated database for farmers)** के तहत एक ही स्थान पर रखा जा सकता है।

**एग्रीस्टैक के लाभ**

- **औपचारिक ऋण तक बेहतर पहुंच:** यह किसी विशिष्ट भूमि खंड के लिए कृषि संबंधी ऋण प्रवाह का सूक्ष्मता से अध्ययन करना सक्षम बना सकता है। यह ऋण प्रवाह और ब्याज सहायता को अधिक पारदर्शी बनाने में भी सक्षम करेगा।
    - यह लघु और सीमांत किसानों के लिए वित्तपोषण को सक्षम कर सकता है।

- **फसल बीमा उत्पादों और वितरण में सुधार:** यह सुधार विशेष रूप से भौगोलिक सूचना प्रणाली (Geographic Information System: GIS) और सुदूर संवेदी प्रौद्योगिकियों के माध्यम से किया जा सकता है।
- **विपणन और मूल्य संबंधी अन्वेषण हेतु निर्बाध तंत्र:** यह जिंसों (commodity) के मूल्यों में उतार-चढ़ाव में जोखिम को समाप्त करने तथा मांग-आपूर्ति पूर्वानुमान और मौसम सलाह के लिए बाजार आसूचना (market intelligence) के प्रावधान को सक्षम कर सकता है।
    - इसके तहत एक ऐसा बाजार स्थान सृजित किया जा सकता है जहाँ **विभिन्न उद्यमी और उत्पादों एवं सेवाओं के आपूर्तिकर्ता मिल सकते हैं।**
- **आदान (इनपुट) की बेहतर गुणवत्ता:** एग्रीस्टैक वस्तुतः किसानों और उनकी खेती के बारे में प्रासंगिक हितधारकों (जैसे- बीज, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, मशीनों से संबंधित कंपनियां या फिनटेक कंपनियां) के संदर्भ में आसानी से समस्त जानकारी प्रदान करके सूचना प्रवाह में व्याप्त विषमता को दूर कर सकता है।
- **हितधारकों को फीडबैक देने के लिए GIS और IoT (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) सेवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है।** उदाहरण के लिए, फसल की कटाई के बाद के चरण में फसल कटाई उपकरण आपूर्तिकर्ताओं और खरीदारों को सूचित किया जा सकता है, जो सेवाएं प्रदान करने के लिए किसान से संपर्क कर सकते हैं।
- यह सटीक लक्ष्यीकरण के माध्यम से प्रदान की जा रही **सहायता में किसी प्रकार की त्रुटि को निषिद्ध करता है।**

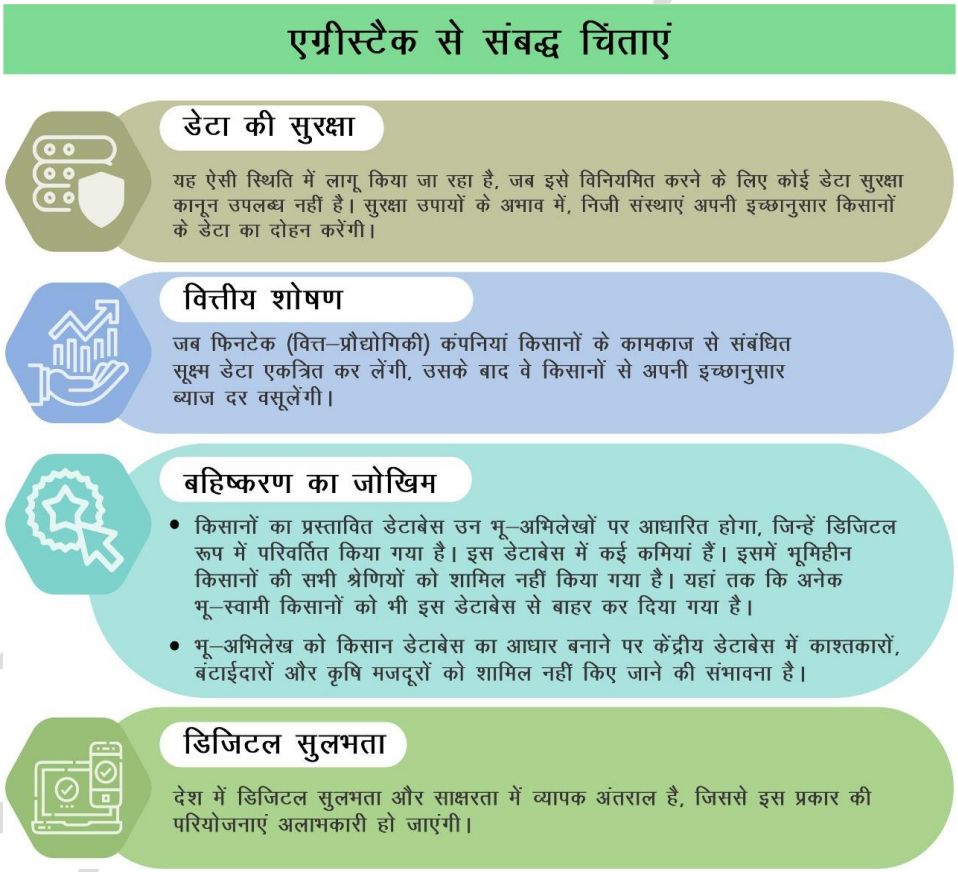


**आगे की राह**

- **डिजिटल सुरक्षा और निजता सुनिश्चित करना:** जिन किसानों के डेटा का उपयोग किया जा रहा है, उनके हितों का संरक्षण करने के लिए सरकार को एक सुदृढ़ फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए।
- **व्यापक परामर्श:** चूंकि कृषि राज्य सूची का विषय है, इसलिए **राज्य सरकारों को बोर्ड में शामिल करना महत्वपूर्ण होगा।** अंतर-मंत्रालयी/केंद्र-राज्य परामर्शों के माध्यम से साझा कृषि डेटा मानकों और सहभाजन प्रणालियों को सृजित करने की आवश्यकता है।
- **सूचना का बाधा रहित प्रवाह सुनिश्चित करना:** इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि डेटा और प्रौद्योगिकी में किसानों को सशक्त बनाने की क्षमता है, लेकिन यह तभी संभव है जब सूचना का प्रवाह संतुलित एवं बाधा रहित हो।

**कृषि में डिजिटलीकरण की दिशा में सरकार द्वारा किए गए अन्य प्रयास**

- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता-बुवाई ऐप (AI-Sowing App):** माइक्रोसॉफ्ट ने अंतर्राष्ट्रीय अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान (International Crops Research Institute for the Semi-arid Tropics: ICRISAT) के सहयोग से यह ऐप विकसित किया है। यह ऐप किसानों को बीज की बुवाई करने की इष्टतम तिथि के संबंध में परामर्श प्रेषित करता है।
- नीति आयोग ने वास्तविक समय आधारित आंकड़े प्रदान करने और किसानों को आवश्यक परामर्श देने के लिए AI द्वारा समर्थित **फसल उपज पूर्वानुमान मॉडल** (crop yield prediction model) विकसित करने के लिए **आई.बी.एम.** के साथ भागीदारी की है।
- **किसान सुविधा:** यह एक सर्वव्यापी स्मार्टफोन ऐप है जो किसानों को मौसम, डीलरों, बाजार मूल्यों, पादप संरक्षण, कृषि संबंधी परामर्श, एकीकृत पीड़क प्रबंधन से संबंधित पद्धतियों आदि के संबंध में प्रासंगिक जानकारी प्रदान करके सहायता करता है।
- **एम. किसान (MKisan) एप्लीकेशन:** यह ऐप किसानों और हितधारकों को एम. किसान पोर्टल पर पंजीकरण किए बिना पोर्टल के माध्यम से विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रेषित सलाह और अन्य जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
- **फार्म-ओ-पीडिया (Farm-o-pedia):** यह सीडैक मुंबई द्वारा विकसित एक बहुभाषी एंड्रॉइड ऐप है जो ग्रामीण गुजरात के किसानों को लक्षित करता है। इस ऐप का प्रमुख कार्य किसानों को मृदा और मौसम के अनुसार उपयुक्त फसल उगाने, फसलवार जानकारी प्रदान करने, मौसम संबंधी

निगरानी और पशु प्रबंधन में सहायता करना है।

- **फसल बीमा ऐप:** इस ऐप का उपयोग क्षेत्र, बीमा सुरक्षा की राशि और ऋण राशि के आधार पर अधिसूचित फसलों के लिए बीमा प्रीमियम की गणना करने के लिए किया जाता है।
- **शेतकरी (Shetkari) मासिक ऐप:** यह शेतकरी मासिक नामक कृषि पत्रिका को डाउनलोड करने में सहायता करता है और इसे पढ़ने के लिए इंटरनेट की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
- **एग्री मार्केट ऐप:** यह डिवाइस की लोकेशन के 50 किलोमीटर की त्रिज्या/दायरे में अवस्थित बाजारों में समस्त फसलों के बाजार मूल्य की जानकारी प्रदान करता है।
- **पूसा कृषि ऐप:** विभिन्न प्रकार की फसलों के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

## 3.10. बागवानी (Horticulture)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, केंद्रीय कृषि मंत्री ने **बागवानी** की समग्र वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए **बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम (Horticulture Cluster Development Programme)** का शुभारंभ किया है।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- यह **केंद्रीय क्षेत्रक का एक कार्यक्रम है**, जिसे **राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड** द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इसे प्रायोगिक चरण के तहत **12 बागवानी क्लस्टरों** (कुल चयनित 53 क्लस्टरों में से) में आरंभ किया जाएगा, जिसमें **11 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों** के लगभग **10 लाख किसान** शामिल होंगे।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य **भौगोलिक विशेषज्ञता का लाभ उठाना** और **एकीकृत एवं बाजार की अगुवाई वाले विकास** को बढ़ावा देते हुए भारतीय बागवानी क्लस्टरों (या समूहों) को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है।
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा **'एकीकृत बागवानी विकास मिशन'** हेतु **वर्ष 2021-22 के लिए 2,250 करोड़ रुपये का आबंटन (पहले की तुलना में अधिक)** भी प्रदान किया गया है।

**एकीकृत बागवानी विकास मिशन (Mission for Integrated Development of Horticulture: MIDH)**

- यह **बागवानी क्षेत्रक के समग्र विकास हेतु केंद्र प्रायोजित योजना है।**
- MIDH के तहत, भारत सरकार द्वारा **पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में विकास कार्यक्रमों के लिए कुल परिव्यय का 60% योगदान किया जाता है।** पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों के मामले में भारत सरकार द्वारा **90% योगदान किया जाता है।**
- MIDH राज्य सरकारों / राज्य बागवानी मिशनों को केसर मिशन और अन्य बागवानी संबंधी गतिविधियों, जैसे- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) / संधारणीय कृषि पर राष्ट्रीय मिशन (Nationa Mission on Sustainable Agriculture: NMSA) के लिए **तकनीकी सलाह और प्रशासनिक सहायता** भी प्रदान करता है।
- **इस मिशन के तहत रणनीतियाँ:**
  - अनुसंधान एवं विकास प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।
  - उत्पादन के पूर्व, उत्पादन के दौरान, उत्पादन के पश्चात् के प्रबंधन को शामिल करते हुए एक संपूर्ण व समग्र दृष्टिकोण अपनाना।
  - विविधीकरण, उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विस्तार आदि के माध्यम से उत्पादकता में सुधार करना।
  - फसल कटाई के बाद के प्रबंधन, मूल्यवर्धन के लिए प्रसंस्करण और विपणन अवसंरचना में सुधार करना।
  - अनुसंधान एवं विकास, प्रसंस्करण और विपणन एजेंसियों के बीच साझेदारी, अभिसरण और समन्वय को बढ़ावा देना।
  - किसान उत्पादक संगठनों (Farmer Producer Organizations: FPOs) को बढ़ावा देना।
  - क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास का समर्थन करना।
- **MIDH के तहत योजनाएं:**

**MIDH के अंतर्गत योजनाएं**

| उप–योजनाएं | लक्षित समूह / परिचालन का क्षेत्र |
|---|---|
| राष्ट्रीय बागवानी मिशन (**National Horticulture Mission: NHM**) | पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्रों को छोड़कर सभी राज्य और संघ राज्यक्षेत्र |
| पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्य बागवानी मिशन (**Horticulture Mission for North East and Himalayan States: HMNEH**) | पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्रों के सभी राज्य |
| राष्ट्रीय बांस मिशन (**National Bamboo Mission: NBM**) | सभी राज्य और संघ राज्यक्षेत्र |
| राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (**National Horticulture Board: NHB**) | सभी राज्य और संघ राज्यक्षेत्र में वाणिज्यिक बागवानी पर केंद्रित |
| नारियल विकास बोर्ड (**Central Development Board: CDB**) | सभी राज्य और संघ राज्यक्षेत्र जहां नारियल उगाया जाता है |
| केंद्रीय बागवानी संस्थान (**Central Institute for Horticulture: CIH**) | पूर्वोत्तर के राज्य; मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रण |

- **MIDH के तहत** सुदूर संवेदन, भौगोलिक सूचना प्रणाली और क्षेत्र सर्वेक्षण के माध्यम से बेहतर बागवानी आकलन और विकास के लिए वर्ष 2014 में **चमन (CHAMAN) कार्यक्रम {अर्थात् "भू-सूचना विज्ञान का उपयोग कर बागवानी आकलन और प्रबंधन पर समन्वित कार्यक्रम" (Coordinated programme on Horticulture Assessment & Management using geoiNformatics)}** का शुभारंभ किया गया था।

**बागवानी के बारे में**

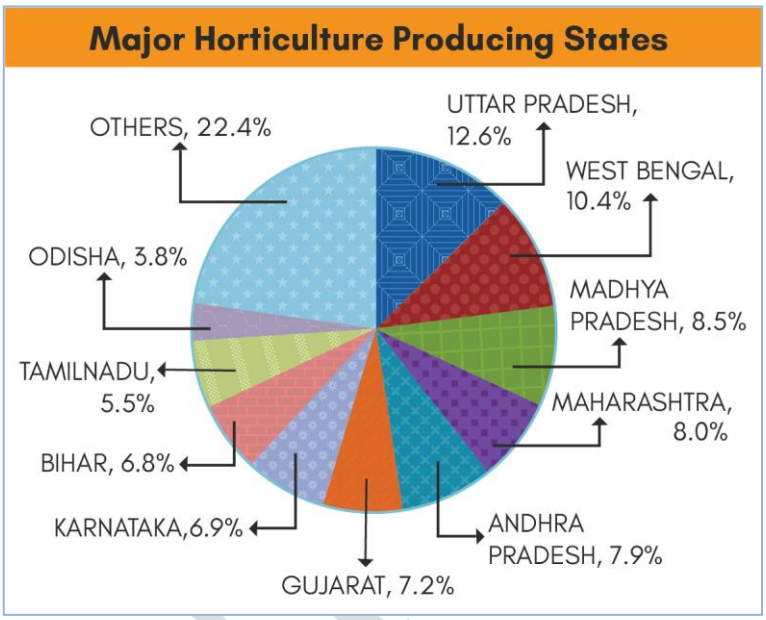


- व्यापक रूप से बागवानी में **फल और सब्जियां, मसाले और चटनी (condiments), सजावटी फूल व बगीचे, औषधीय और सुगंधित पादप** जैसी बागवानी फसलों का उत्पादन, उपयोग और उनकी गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है।
- **उच्च मूल्य वाली फसलें,** प्रति इकाई क्षेत्रफल में **उच्चतर उत्पादकता** और सिंचाई तथा आदान लागत की कम आवश्यकता बागवानी फसलों की प्रमुख विशेषताएं हैं।
- भारत में **विविध कृषि-जलवायविक दशाओं और फसलों एवं आनुवंशिक संसाधनों की समृद्ध विविधता** के कारण वर्षपर्यंत विविध प्रकार की बागवानी फसलों का उत्पादन होता है।
- भारत का फलों के वैश्विक उत्पादन में 21% और सब्जी उत्पादन में 13% की भागीदारी है। इस प्रकार यह चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। केला, आम, लाईम (चकोतरा) और नींबू, पपीता और भिंडी के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है।
  - देश के कुल बागवानी उत्पादन में फलों और सब्जियों की लगभग 90% भागीदारी है।

| | 2018-19 | 2019-20* | 2020-21** |
|---|---|---|---|
| Area (in mn hectares) | 25.74 | 26.46 | 27.17 |
| Production (in mn tonnes) | 311.05 | 320.77 | 326.58 |

*Final Estimates **First Estimates

**बागवानी का महत्व**

- **उभरता क्षेत्रक:** कृषि आय में वृद्धि करने, आजीविका संबंधी सुरक्षा प्रदान करने और निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जित करने की क्षमता के कारण बागवानी को उभरते क्षेत्रक (Sunrise sector) के रूप में मान्यता प्राप्त हो रही है।
- **उच्च निर्यात मूल्य:** भारत में कृषि जिंसों के कुल निर्यात में बागवानी क्षेत्रक लगभग 37% की भागीदारी करता है। बागवानी उत्पादों के कुल निर्यात के तहत विगत कई वर्षों के दौरान निरंतर वृद्धि (प्रति वर्ष 18%) दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त, बागवानी फसलों के निर्यात से होने वाली आय का मूल्य, कुल खाद्यान्न के निर्यात के मूल्य से अधिक रहा है।
- **उत्पादन में वृद्धि:** वित्त वर्ष 2012-13 से बागवानी फसलों का उत्पादन, खाद्यान्न के उत्पादन से अधिक हो गया है (चित्र देखें)। वित्त वर्ष 2020-21 में कुल बागवानी उत्पादन 326.58 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में 5.81 मिलियन टन अधिक है।

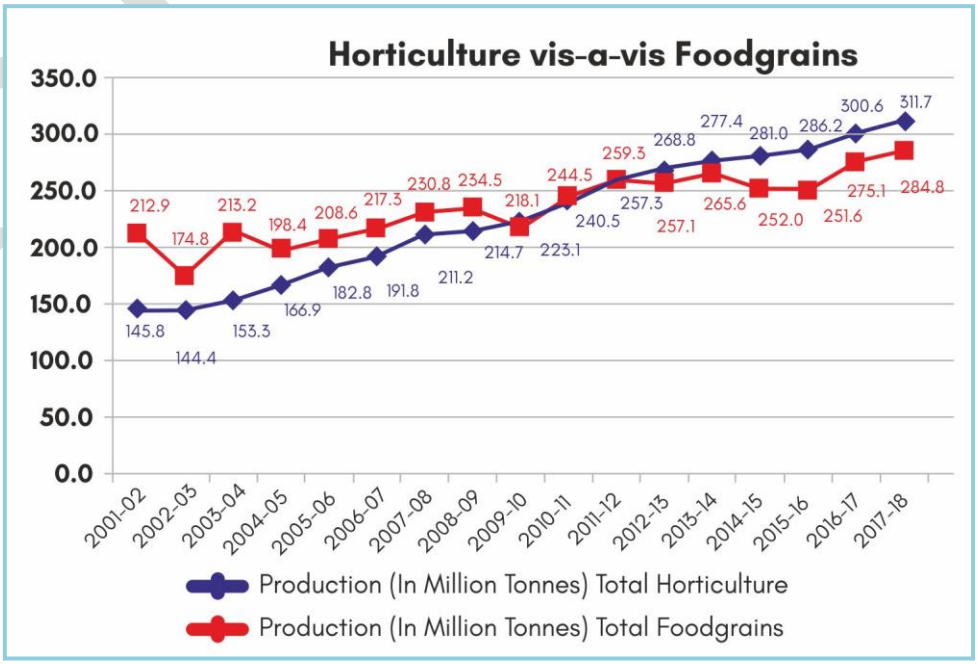

- **खाद्यान्नों की तुलना में उच्च उत्पादकता:** बागवानी की उत्पादकता वर्ष 2001-02 के 8.8 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 12.3 टन प्रति हेक्टेयर हो गई, जबकि इसी अवधि में कुल खाद्यान्न की उत्पादकता 1.7 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 2.3 टन हुई।
- **मांग में वृद्धि:** बढ़ती जनसंख्या, बदलती खाद्य आदतों, बागवानी फसलों के उच्च पोषण के बारे में अवगत होना और मूल्यवर्धन को अधिक महत्व देने के कारण बागवानी उत्पादों की मांग में वृद्धि हो रही है।
    - वर्ष 2050 तक देश में फलों और सब्जियों की अनुमानित मांग 650 मिलियन मीट्रिक टन होने की संभावना है।

**बागवानी के विकास में बधाएं**

- **प्रति हेक्टेयर कम उपज:** भारत में बागवानी क्षेत्रक की विशेषताएं छोटे व पृथक्कृत खेत, वर्षा सिंचित फसलें, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री (जैसे- बीज और पौधे) की अपर्याप्त आपूर्ति हैं, जिसके कारण प्रति हेक्टेयर कम उपज होती है।
- **फसल कटाई के उपरांत की अपर्याप्त अवसंरचना:** आपूर्ति और मांग के मध्य त्रुटिपूर्ण समन्वय तथा बागवानी फसलों की मौसमी और शीघ्र खराब होने की प्रकृति के कारण बागवानी उत्पादों के लिए पर्याप्त शीत भंडारण सुविधाओं और संबद्ध अवसंरचना की आवश्यकता होती है, जो पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं। पूंजी गहन प्रकृति और निवेश से लाभ प्राप्त होने में लगने वाली लंबी अवधि इस क्षेत्रक में निवेश को हतोत्साहित करती है।
- **अत्यधिक बर्बादी:** कुल वार्षिक उत्पादन का 30-40 प्रतिशत हिस्सा उपभोग से पहले ही बर्बाद हो जाता है। अनुपयुक्त परिवहन कंटेनरों, विभिन्न फलों और सब्जियों की एक साथ ओवरलोडिंग, परिवहन वाहनों के भीतर ऊष्मा का संचयन होना आदि कारणों से बागवानी उत्पादों की परिवहन के चरण के दौरान अत्यधिक बर्बादी होती है ।
- **उत्पादन की उच्च लागत:** जैविक और अजैविक तनाव, उर्वरकों पर अधिक निर्भरता, बाजारों तक निम्न पहुंच और अपेक्षाकृत कम उपज के कारण सौदेबाजी की शक्ति के अभाव के कारण बागवानी उत्पादों के संबंध में कम प्रतिफल प्राप्त होता है। मूल्यों में बार-बार होने वाले परिवर्तन किसानों को कम जोखिम वाले खाद्यान्नों की खेती करने हेतु विवश करते हैं।
- **सरकार द्वारा सीमित समर्थन:** उदाहरण के लिए, अधिकांश बागवानी फसलों को अनाज और दालों के लिए उपलब्ध न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी प्रणाली के तहत शामिल नहीं किया गया है। किसानों को संबंधित फसलों की मांग के बारे में जानकारी का अभाव होता है और इसलिए वे खेती करने के लिए फसल के चयन हेतु असत्यापित मूल्य संकेतों पर निर्भर रहते हैं।
- **निर्यात संबंधी बाधाएं:** निर्यात योग्य कम अधिशेष, वैश्विक बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा, निम्नस्तरीय बाजार आसूचना, जिंसों के लिए ब्रांड का अभाव और कच्चे माल के रूप में निर्यात में वृद्धि इस क्षेत्रक में निर्यात संबंधी संवृद्धि को बाधित करने वाले बाजार संबंधी प्रमुख अवरोध है।
- **गैर व्यापार बाधाओं जैसे स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय:** जिंसों के संबंध में निम्नस्तरीय या असमान मानकों ने संबंधित बाजार तक पहुँच को प्रभावित किया है।

**आगे की राह**

- निर्यात गंतव्य के मौजूदा आधार को और अधिक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, ताकि मूल्यों में उतार-चढ़ाव को कम किया जा सके, जोखिम को अधिकाधिक वितरित किया जा सके और निर्यात की मात्रा का विस्तार किया जा सके।
- बागवानी क्षेत्रक के विकास में स्थान विशिष्ट अनुसंधान और विकास कार्यक्रम; शीत भंडारण, विपणन यार्ड और ग्रामीण सड़कों के संदर्भ में अवसंरचना का विकास; और प्रसंस्करण सुविधाओं तक पहुँच और उनकी व्यापकता को बढ़ाना प्रमुख साधन होंगे। बागवानी उत्पादों के प्रसंस्करण में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने और उद्यमिता विकास के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

## 3.11. कपास की कृषि (Cotton Cultivation)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, **कॉटन 2040 इनिशिएटिव** द्वारा "वैश्विक कपास उत्पादन के लिए भौतिक जलवायु जोखिम आकलन" (Physical Climate risk assessment for global cotton production) तथा "भारत के लिए भौतिक जलवायु जोखिम और सुभेद्यता आकलन" (Physical Climate Risk and vulnerability Assessment for India) नामक शीर्षक से दो रिपोर्ट्स जारी की गई हैं।

**भारत के लिए भौतिक जलवायु जोखिम और सुभेद्यता आकलन**

यह रिपोर्ट भारत की कपास मूल्य श्रृंखला के लिए प्रथम बार किए गए **विस्तृत भौतिक जलवायु जोखिम और सुभेद्यता मूल्यांकन पर आधारित है।**

**प्रमुख निष्कर्ष**

- जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2040 तक **भारत के कपास उत्पादक क्षेत्रों में से एक तिहाई क्षेत्र,** तापमान में वृद्धि, वर्षण प्रतिरूप में परिवर्तन होने और चरम मौसम की घटनाओं **जैसे उच्च जोखिम के प्रति सुभेद्य हो सकते हैं।**
- 2040 के दशक में संपूर्ण भारत के कपास उत्पादक क्षेत्र वर्तमान परिस्थितियों की तुलना में **अधिक उष्मीय दबाव** का सामना कर रहे होंगे।
- कुछ क्षेत्रों में, तापमान में वृद्धि के साथ ही जल उपलब्धता की कमी का दबाव भी परिलक्षित होने का अनुमान है।
- सभी जिलों में **श्रम उत्पादकता में अत्यधिक गिरावट वाले दिनों की संख्या में बढ़ोतरी होने** का भी अनुमान है।
- अध्ययन में शामिल कपास उत्पादक सभी जिलों में **बहुआयामी निर्धनता, कार्य में महिलाओं की भागीदारी की अल्प दर, पुरुष और महिला साक्षरता की निम्न दर, बैंकिंग सेवाओं, प्रौद्योगिकी और सूचना तक सीमित पहुंच** आदि सुभेद्यताओं के होने की संभावना व्यक्त की गयी है।

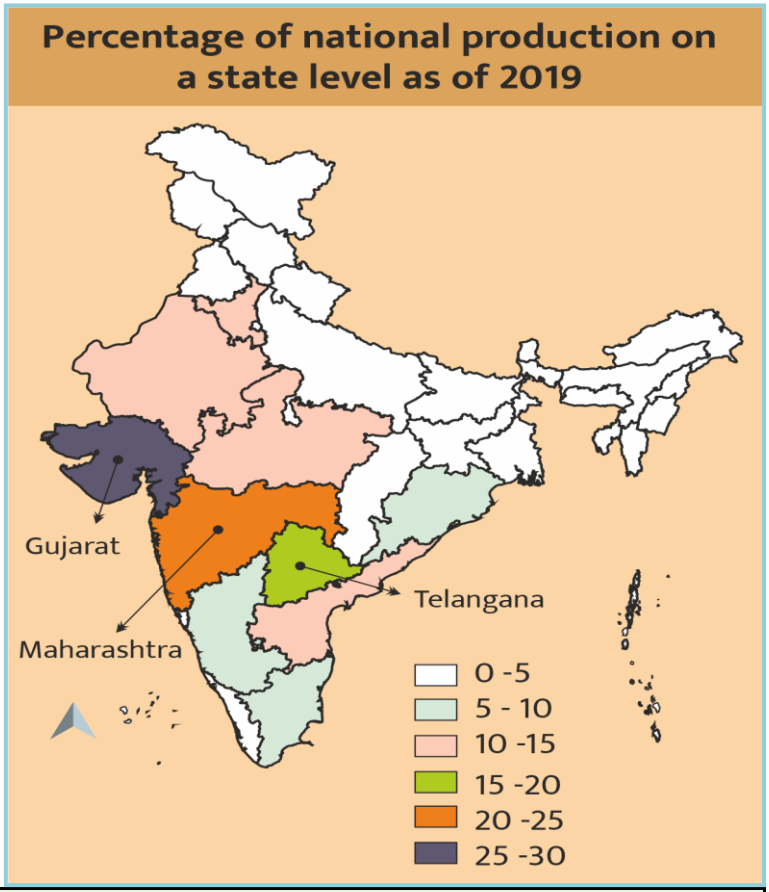


**वैश्विक कपास उत्पादन के लिए भौतिक जलवायु जोखिम मूल्यांकन**

**प्रमुख निष्कर्ष**

- विश्व के सभी कपास उत्पादक क्षेत्र, **जलवायु संबंधी कम से कम एक जोखिम से प्रभावित होंगे।**
- सर्वाधिक कपास उत्पादक छह देश, यथा- भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, पाकिस्तान और तुर्की- **विशेष रूप से वनाग्नि, सूखे व अतिवृष्टि जैसे बढ़ते जलवायु जोखिमों के प्रति सुभेद्य हैं।**

**कॉटन 2040**

- **कॉटन 2040,** एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स और खुदरा विक्रेताओं, व्यापारियों, किसानों एवं मूल्य श्रृंखला के अन्य हितधारकों को एक साथ लाकर **संधारणीय वैश्विक कपास उद्योग** की परिकल्पना करता है।
- इस कार्य में इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संधारणीयता के लिए कार्य करने वाली एक अग्रणी एवं अलाभकारी संस्था **"फोरम फॉर फ्यूचर"** द्वारा भी सहायता प्रदान की जाती है।

**भारत में कपास की कृषि**

- कपास एक **खरीफ फसल** है और दक्कन के पठार की **काली कपास मृदा (उच्च जल धारण क्षमता से युक्त) में भलीभांति वृद्धि करती है।**
  - इसके लिए **20-28 डिग्री सेल्सियस के मध्य वार्षिक तापमान** की आवश्यकता होती है और **55-110 से.मी. की वर्षा** आदर्श है। इसके लिए **न्यूनतम 180 पाला रहित दिनों की आवश्यकता** होती है।
- कपास की अधिकांश कृषि **दस प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में की जाती है,** जिन्हें तीन विविध कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है (तालिका देखें)।

| उत्तरी क्षेत्र | मध्य क्षेत्र | दक्षिणी क्षेत्र |
|---|---|---|
| • पंजाब, हरियाणा और राजस्थान।<br>• कपास के कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 16.8% भाग। | • गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश।<br>• कपास के कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 54.6% भाग। | • तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु।<br>• कपास के कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 26.9% भाग। |

**भारत में कपास की कृषि के समक्ष मौजूद चुनौतियां**

- **निम्न उत्पादकता:** यद्यपि भारत विश्व में कुल कपास उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, किंतु अन्य देशों, जैसे- **संयुक्त राज्य अमेरिका (955 कि.ग्रा./ हेक्टेयर) और चीन (1,764 कि.ग्रा. / हेक्टेयर)** की तुलना में **भारत** में इसकी उत्पादकता (454.43 कि.ग्रा. / हेक्टेयर) अत्यंत कम है।
- **आदानों की लागत में निरंतर वृद्धि:** यद्यपि जी.एम. कंपनियां उन्नत तकनीक प्रदान करती हैं, किंतु वे कपास के बीजों और उर्वरकों का उच्च मूल्य पर विक्रय करती हैं। कपास की कृषि में निवेश की लागत अधिक होने और गैर-आनुपातिक बाजार मूल्य के कारण समय के साथ इसकी लाभप्रदता में गिरावट हो रही है।
  - इसके अतिरिक्त, कृत्रिम आदानों, जैसे- कीटनाशकों के प्रयोग से स्थिति और प्रतिकूल हो जाती है।

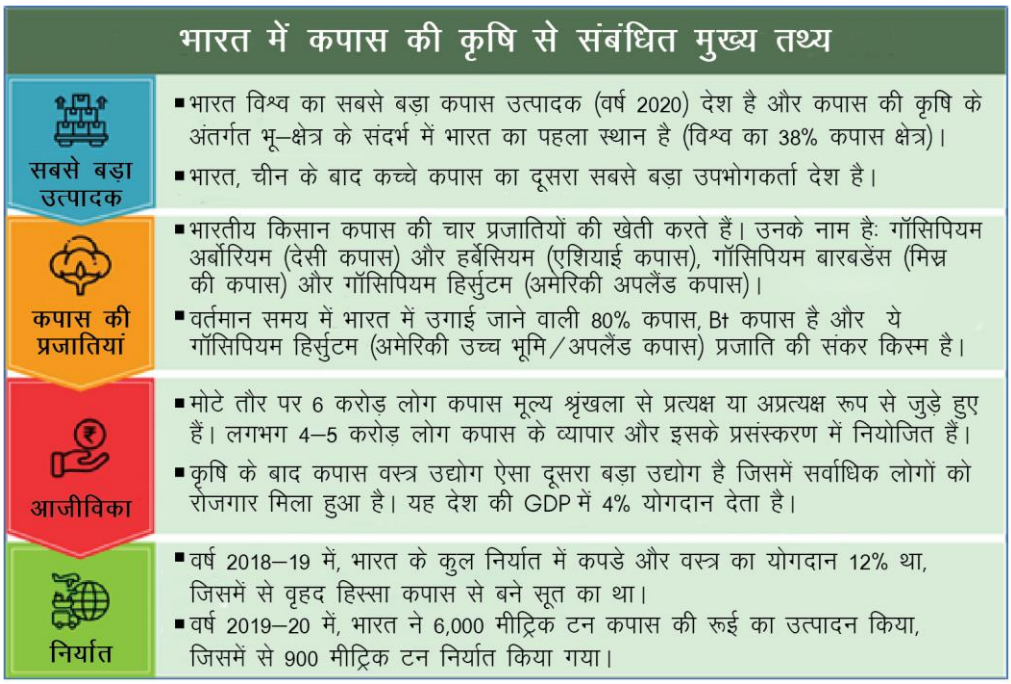


- **अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं:** भारत का **लगभग 62% कपास उत्पादन वर्षा आधारित क्षेत्रों में और 38% उत्पादन सिंचित भूमि** पर किया जाता है। सिंचाई सुविधाओं की कमी कपास की कृषि को मानसून की अनियमितता के प्रति सुभेद्य बनाती है।
- **निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी:** कृषि के साथ ही ओटाई की प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक के अभाव ने उपज को प्रभावित किया है। बुवाई और बिनाई (picking) के लिए छोटे पैमाने की कम लागत वाली मशीनों की अनुपलब्धता, श्रमिकों की कमी और मजदूरी की दर में वृद्धि के परिणामस्वरूप कृषि कार्यों के संचालन में विलंब होता है, जिससे कपास के संदूषित होने का जोखिम बढ़ जाता है।
- **अप्रत्याशित बाजार मूल्य:** कपास के बाजार मूल्यों में उतार-चढ़ाव और पश्चिमी देशों में कपास उत्पादक किसानों को अत्यधिक परिमाण में दी जाने वाली सब्सिडी के कारण वैश्विक बाजार में कम कीमतों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थता से भी कपास उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
- **जलवायु के प्रति कपास की संवेदनशीलता:** कपास मुख्य रूप से गर्म और शुष्क जलवायु में उपजाई

जाती है, किंतु फसल विकास के विभिन्न चरणों के दौरान यह **विभिन्न जलवायु मानकों के प्रति संवेदनशील** होती है।

- जलवायु मापदंडों में धीरे-धीरे बदलाव, चरम मौसमी घटनाओं की प्रवृत्ति में तीव्र परिवर्तन, **जलवायु संबंधी आपदाओं में वृद्धि**, **अधिक अनियमित और कम विश्वसनीय वर्षा की स्थितियाँ** आदि ने कपास की कृषि के समक्ष जोखिम में बढ़ोतरी की है।
- **अंतिम उपज प्राप्त करने में लगने वाला लंबा समय** (150-180 दिन) कपास को रोग और कीटों के प्रति अतिसंवेदनशील बना देता है। इसके अतिरिक्त **गर्म जलवायु, कीटों और रोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल होती है**, जिससे कपास के समक्ष एक अन्य जोखिम उत्पन्न हो जाता है।
- यद्यपि यह फसल जलभराव की अल्पावधियों के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोधी होती है, किंतु अतिवृष्टि **कपास के खेतों को जलमग्न** कर सकती है और फसलों को व्यापक स्तर पर हानि पहुंचा सकती है।

- **आनुवंशिक शुद्धता का क्षरण:** कपास की किस्मों और संकर बीजों की **आनुवंशिक शुद्धता में गिरावट** एवं कपास तंतुओं के अधिमिश्रणों में विसंगतियों के कारण, कपास उत्पादन की गुणवत्ता का आकलन करना कठिन हो जाता है। जबकि **आयातक, गुणवत्ता से संबंधित सुसंगता पर पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं।**
  - इसके अतिरिक्त, कृत्रिम रेशों के उत्पादन की कम लागत और उच्च स्थायित्व के कारण प्रतिस्पर्धा आरंभ हो गई है।
- **अन्य चुनौतियां:** मृदा में जैविक पदार्थों की निम्न मात्रा, भारतीय मृदा की उर्वरता या उत्पादकता (fertiliser factor productivity) में उल्लेखनीय गिरावट, बी.टी. कपास और कीटनाशकों के प्रति कीटों में प्रतिरोधक क्षमता का विकास, उर्वरकों का असंतुलित उपयोग व सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, मानव स्वास्थ्य पर कीटनाशकों के प्रतिकूल प्रभाव, मृदा की गुणवत्ता में गिरावट, जल प्रदूषण, सूक्ष्मजीवीय विविधता की कमी आदि।

**आगे की राह**

**केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान** (भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा स्थापित) ने अपनी रिपोर्ट **'विजन 2050'** में सुझाव दिया है कि **कपास अनुसंधान के लिए अधिक वित्त पोषण के माध्यम से विभिन्न** क्षेत्रों में व्याप्त कमियों का निवारण करने में सहायता मिल सकती है। ***(इन्फोग्राफिक देखें)***

## 3.12. भारत में अर्धचालकों का विनिर्माण (Semiconductors Manufacturing in India)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

भारत सरकार कथित तौर पर **देश में सेमीकंडक्टर (अर्धचालक) चिप विनिर्माण इकाई स्थापित करने वाली प्रत्येक कंपनी को लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर नकद** प्रदान करने की योजना पर कार्य कर रही है।

**अर्धचालक के बारे में**

- अर्धचालक एक **भौतिक पदार्थ है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और उपकरणों में विद्युत धारा के प्रवाह को प्रबंधित और नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।** यह या तो विद्युत के स्वतंत्र प्रवाह की अनुमति नहीं देता है या विद्युत धारा को पूर्णतः विकर्षित/बाधित करता है।
- अर्धचालक **इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का एक अनिवार्य घटक है।** यह संचार, कंप्यूटिंग, स्वास्थ्य देखभाल, सैन्य प्रणालियों, परिवहन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य अनुप्रयोगों को उन्नत करने में सक्षम बनाता है।
- इसे सामान्यत: सिलिकॉन, जर्मेनियम या अन्य शुद्ध तत्वों का उपयोग करके निर्मित किया जाता है। अर्धचालक इन तत्वों में अशुद्धियों को मिश्रित करके बनाए जाते हैं।
  - तत्व की चालकता (conductance) या प्रेरकत्व (inductance) मिश्रित की गई अशुद्धियों के प्रकार और क्षमता पर निर्भर करती है।
- अर्धचालक के **दो मूलभूत प्रकार** होते हैं:
  - **N-प्रकार के अर्धचालक:** इनका उपयोग तब किया जाता है, जब इनकी चालकता अधिक होती है, या बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं।
  - **P-प्रकार के अर्धचालक:** इनका उपयोग तब किया जाता है, जब इनका प्रेरकत्व (inductance) अधिक होता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन कम संख्या में होते हैं।
- वैश्विक अर्धचालक उद्योग में **संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान का प्रभुत्व** है। **अमेरिका** 47% हिस्सेदारी के साथ बाजार में अग्रणी है। इसके उपरांत 19% हिस्सेदारी के साथ **दक्षिण कोरिया** का स्थान है।

**भारत अर्धचालकों के विनिर्माण को सुविधाजनक बनाने का प्रयास क्यों कर रहा है?**

- **वैश्विक आपूर्ति में कमी से निपटने के लिए:** विगत वर्ष कोविड-19 महामारी के प्रकोप के पश्चात् इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि के परिणामस्वरूप वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए कई देश स्वयं चिप विनिर्माण इकाईयां विकसित करने के लिए प्रेरित हुए हैं।

- वर्ष 2020 में अर्धचालकों की मांग में व्यापक वृद्धि हुई है। इससे विश्व भर में उत्पादन संबंधी आवश्यकताओं में भी बढ़ोत्तरी हुई है। कोविड-19 के कारण विश्व भर में चिप की बिक्री, वर्ष 2019 के 412.2 बिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2020 में 439 बिलियन डॉलर हो गई थी।

- **इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण:** भारत, चीन के पश्चात् विश्व में स्मार्टफोन का दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माता है और चिप्स इन उपकरणों का प्रमुख घटक है। इसके अतिरिक्त, 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी कई आधुनिक प्रौद्योगिकियां आगामी वर्षों में चिप्स की मांग में वृद्धि कर सकती हैं।
- **सामरिक आवश्यकता:** अर्धचालक निर्माण के कुछ सामरिक लाभ भी हैं, क्योंकि देश रक्षा और विद्युत जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे के लिए आयात पर निर्भर नहीं रहना चाहता है।
- **आयात पर होने वाले व्यय में कमी:** वर्तमान में भारत चिप्स की मांग की पूर्ति के लिए आयात पर निर्भर है। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन (IESA) के अनुसार, भारत ने वर्ष 2019 में लगभग 21 बिलियन डॉलर मूल्य के सेमीकंडक्टर्स की खपत की है।
- **नवाचार को प्रोत्साहन:** वृहद पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक सामानों का उत्पादन और निर्यात, भारतीय उद्योग को विदेशी प्रतिस्पर्धा व नवोन्मेषों के संपर्क में लाएगा। इससे भविष्य के लिए नवाचार की अपनी क्षमताओं में सुधार करने हेतु भारत को सहायता प्राप्त होगी।

**अर्धचालक विनिर्माण में भारत के समक्ष चुनौतियां**

- **जटिल विनिर्माण प्रक्रिया:** चिप विनिर्माण एक अत्यधिक जटिल प्रक्रिया है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता और कौशल केवल कुछ देशों के पास ही है।
  - भारत ने अर्धचालक उद्योग में डिजाइन और वेरिफिकेशन में सराहनीय कार्य किया है। अधिकांश वैश्विक अर्धचालक कंपनियों द्वारा इस क्षेत्र में किए गए अनुसंधान एवं विकास (R&D) में अप्रत्यक्ष रूप से भारत का भी कुछ योगदान है। किंतु फिर भी अधिकांश चिप्स, मेमोरी और डिस्प्ले उपकरण देश में आयात किए जाते हैं।
- **बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता:** अर्धचालक इकाई स्थापित करने के लिए दो से तीन वर्षों में लगभग 50,000 करोड़ रुपये से लेकर 75,000 करोड़ रुपये तक के बड़े निवेश की आवश्यकता होती है। इस प्रकार का निवेश दिग्गज अभिकर्ताओं के लिए भी चुनौतीपूर्ण होता है।
- **कुशल कार्यबल का अभाव:** योग्य कार्यबल की उपलब्धता अर्धचालक फर्मों के लिए एक प्रमुख आवश्यकता है और इस मामले में भी भारत की कमी स्पष्टतः प्रकट हो जाती है।
- **अति विशिष्ट कच्चे माल की आवश्यकता:** सिलिकॉन के अतिरिक्त, अर्धचालक निर्माण में कई प्रकार के रसायन और गैसें भी शामिल हैं, जो अब तक भारत में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं और इनका आयात करना पड़ता है।
- **सहायक अवसंरचना में व्याप्त अंतराल:** चिप विनिर्माण इकाइयों को भारी मात्रा में जल और निर्बाध विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता होती है, जो भारत में एक समस्या हो सकती है।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धा:** हमारे लिए पड़ोसी देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करना भी कठिन है, जो बेहतर लागत-दक्षता और प्रथम प्रस्तावक लाभ के कारण वैश्विक चिप निर्माताओं के लिए पसंदीदा स्थान बन गए हैं।
- **इच्छा का अभाव:** एक उदाहरण वर्ष 2007 में इंटेल के प्लांट से संबंधित है। अर्धचालक नीति लागू होने में विलंब ने चिप दिग्गज इंटेल को भारत की बजाय वियतनाम को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया।

**किए गए उपाय**

- इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ESDM) के क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत **100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति** प्रदान की गई है।
- भारत में वृद्धिशील **इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ESDM)** क्षेत्र में निवेश हेतु वैश्विक और घरेलू कंपनियों को आकर्षित करने के लिए **वर्ष 2012 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति लागू की गई थी।**
- अर्धचालकों के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए **केंद्रीय बजट 2017-18 में मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम (M-SIPS) और इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड (EDF) जैसी प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत आवंटन में वृद्धि** की गई थी।
- **इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर योजना** आरंभ की गई है। यह ग्रीनफील्ड क्लस्टरों में बुनियादी ढांचे और सामान्य सुविधाओं के विकास के लिए लागत का 50% तथा ब्राउनफील्ड क्लस्टर के लिए लागत का 75% प्रदान करती है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में **सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं की स्थापना के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का पुनर्गठन** किया है।
- IESA के अनुसार, ESDM उद्योग सरकार के "मेक इन इंडिया" अभियान से लाभान्वित होगा और आगामी दो वर्षों में **10,000 करोड़ रुपये (1.5 बिलियन डॉलर) के निवेश प्रस्तावों के आने का अनुमान** है।

**आगे की राह**

- **सहायक अवसंरचना:** तीव्र परिवहन, शुद्ध जल की व्यापक उपलब्धता, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, संचार, प्रदूषण मुक्त वातावरण आदि के साथ एक विश्व स्तरीय संधारणीय अवसंरचना प्रदान करने की आवश्यकता है।

- **असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग (ATMP) से प्रारम्भ करना:** ATMP कंपनियां अधिक रोजगार सृजन करती हैं और इनमें पूर्ण फैब्रिकेशन प्लांट (fabs) की तुलना में कम निवेश की आवश्यकता होती है।
- **स्थायी एवं दीर्घकालीन नीति:** वर्तमान में लागू की गई नीति (जिसमें सभी प्रकार की सब्सिडी शामिल है) कम से कम 10 से 15 वर्षों के लिए वैध और स्थायी होनी चाहिए। इसे एक ठोस दीर्घकालिक योजना एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर समर्थन प्रदान करना चाहिए।
- **उद्योग एवं शिक्षा जगत के मध्य सहयोग:** नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारत के उच्च शिक्षा परिदृश्य में अनुसंधान और नवाचार पर अधिक बल देने के साथ, अब भारत में अर्धचालक निर्माता कंपनियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने में उद्योग और शिक्षाविदों के बीच बेहतर समन्वय की संभावना है।

## 3.13. एक राष्ट्र एक मानक (One Nation One Standard)

### सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रेलवे का अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन (Research Design and Standards Organisation: RDSO), भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के "एक राष्ट्र एक मानक मिशन" के अंतर्गत **मानक विकास संगठन (Standard Developing Organization: SDO)** घोषित होने वाला प्रथम संस्थान बन गया है।

### अन्य संबंधित तथ्य

- यह **अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन** को WTO-TBT [विश्व व्यापार संगठन-व्यापार के समक्ष तकनीकी बाधाओं {WTO-Technical Barriers to Trade (WTO-TBT)}] के अंतर्गत उल्लिखित सर्वोत्तम प्रथाओं के नियम (code of good practices) के अनुसार अपनी मानक निर्माण प्रक्रियाओं को पुनः निर्धारित करने में मदद करेगा।
- **BIS-SDO मान्यता योजना के तहत** RDSO ने SDO के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु प्रयास किया था।
    - इस योजना के तहत **"एक राष्ट्र एक मानक"** के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए BIS, अन्य मानक विकास संगठनों (SDOs) की मान्यता की परिकल्पना करता है।

**विश्व व्यापार संगठन-व्यापार के समक्ष तकनीकी बाधाओं {WTO-Technical Barriers to Trade (WTO-TBT)} के बारे में**

- **भारत, WTO-TBT समझौते का एक हस्ताक्षरकर्ता है।** इसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और भारत के भीतर संचालित गैर-सरकारी मानकीकरण निकाय एवं क्षेत्रीय मानकीकरण निकाय, WTO-TBT समझौते के अनुलग्नक-3 में उल्लिखित **मानकों के निर्माण, अंगीकरण और अनुप्रयोग हेतु सर्वोत्तम प्रथाओं के नियम (Code of Good Practice for the Preparation, Adoption and Application of Standards)** को स्वीकार करते हैं और उनका अनुपालन करते हैं।

**उत्पाद मानकीकरण (Product standardization) क्या है?**

- यह विभिन्न बाजारों में उपलब्ध किसी विशेष वस्तु या सेवा के विभिन्न दोहराव या पुनरावृत्तियों के बीच **एकरूपता और निरंतरता को बनाए रखने की प्रक्रिया** को संदर्भित करता है।
- यह **किसी विशिष्ट उद्योग में उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं की सतत गुणवत्ता** को सुनिश्चित करता है। साथ ही, यह निर्धारित करने में भी मदद करता है कि उत्पादित वस्तुएं उसी उद्योग में उत्पादित अन्य तुलनीय उत्पादों या सेवाओं के समतुल्य हैं या नहीं।
- मानकीकरण **उत्पादित वस्तुओं की सुरक्षा, अंतर-संचालनीयता (interoperability) और अनुकूलता को सुनिश्चित** करने में भी सहयोग करता है।
- यह **व्यापार एवं वाणिज्य को भी प्रोत्साहित करता** है। इसके अतिरिक्त, प्रक्रियाओं को अधिक कुशल बनाता है तथा संसाधनों को संरक्षण प्रदान करने के साथ-साथ **वस्तुओं और सेवाओं की तुलना को भी सरल** बनाता है।

### एक राष्ट्र एक मानक (ONOS) के बारे में:

- इसका लक्ष्य देश में विभिन्न मानक विकास संगठनों (SDOs) द्वारा अपनाए गए मानकों के मध्य समन्वय स्थापित करना है। साथ ही, इस ONOS अवधारणा के तहत **विभिन्न एजेंसियों द्वारा उत्पादों के मानकों के निर्धारण की बजाय, एक उत्पाद के लिए एक मानक दस्तावेज के निर्माण पर बल देना है।**
- वर्तमान में, **BIS एकमात्र राष्ट्रीय निकाय है, जो मानकों का निर्धारण** करता है। हालांकि, विभिन्न संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) द्वारा भी विशिष्ट डोमेन में मानक विकसित किए जाते रहे हैं।
    - उदाहरण के लिए, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) खाद्य पदार्थों से संबंधित मानकों का निर्धारण करता है, जबकि ऑटोमोबाइल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल क्षेत्र से संबद्ध मानकों का निर्धारण करता है।

**संबंधित तथ्य**

**स्वर्ण आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग:**

- इसे **16 जून से चरणबद्ध तरीके से लागू** किया जाएगा तथा साथ ही **आभूषण विक्रेता को केवल 14, 18 और 22 कैरेट के स्वर्ण आभूषणों के विक्रय की अनुमति** प्रदान की गई है।
  - सरकार ने घड़ियों, फाउंटेन पेन तथा कुंदन, पोल्की और जड़ाऊ जैसे विशेष प्रकार के आभूषणों पर स्वर्ण हॉलमार्किंग की अनिवार्यता से छूट प्रदान की है।
- स्वर्ण हॉलमार्किंग **शुद्धता प्रमाणित करने का एक तरीका है तथा अब तक इसकी प्रकृति स्वैच्छिक रही है।**
  - वर्ष 2000 से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्वर्ण आभूषणों के हॉलमार्किंग की योजना को संचालित किया जा रहा है। **वर्तमान में लगभग 40% स्वर्ण आभूषणों की हॉलमार्किंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।**
- **हालमार्किंग के लाभ:** इससे आभूषणों की विश्वसनीयता में बढ़ोतरी होगी, लोगों को मानक के विपरीत कम कैरेट (सोने की शुद्धता) वाले स्वर्ण आभूषणों के विक्रय आदि से संरक्षण प्राप्त होगा।

**ONOS के लाभ**

- **अंतर्राष्ट्रीय मान्यता:** मानक निर्धारण करने वाले विभिन्न निकायों के एकीकरण से देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता में एकरूपता आएगी तथा 'ब्रांड इंडिया' की छवि को प्रोत्साहन मिलेगा।
- **वैश्विक बाजार तक पहुंच:** यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों को निर्धारित करने वाली संस्थाओं के मानदंडों के अनुरूप होने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकरण के अवसर प्रदान करेगा। साथ ही, इन आपूर्ति श्रृंखलाओं में उद्योगों की व्यापक भागीदारी को सुनिश्चित करने में भी सहयोग करेगा।
  - यह **भारतीय मानकों के अनुरूप बाजार की प्रासंगिकता को भी सुनिश्चित** करेगा।
- **उपभोक्ताओं को लाभ:** यह भारतीय उपभोक्ताओं के संदर्भ में उद्योग/विक्रेताओं के मध्य प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने, लागत को कम करने तथा उत्पाद और सेवाओं की गुणवत्ता में व्यापक सुधार को प्रोत्साहित करने में भी सहायता करेगा।
- **उत्पाद नवाचार:** यह एक साथ कार्य करने के लिए एक बुनियादी दस्तावेज की उपलब्धता को सुनिश्चित करने और उभरती प्रौद्योगिकियों को सुचारू रूप से सम्मिलित करने का अवसर प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, "मेक-इन-इंडिया" को प्रोत्साहित करते हुए आयात निर्भरता को भी कम करने में मदद करेगा।
- **घरेलू मानकों को बढ़ावा देना:** यह अधिकतम औद्योगिक उत्पादों को भारतीय मानकों के अंतर्गत लाने में मदद करेगा। इससे गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने के लिए विदेश जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
- **वित्त की सुगम उपलब्धता:** मानकीकृत वस्तुओं के लिए बैंक आसानी से अग्रिम ऋण प्रदान कर देते हैं, क्योंकि मानकीकृत वस्तुओं की कीमतें आसानी से स्थापित की जा सकती हैं।

**भारत में मानकीकरण के लिए की गई पहलें:**

- **मानकीकरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय-रणनीति:** यह सभी क्षेत्रों में विकास की वर्तमान स्थिति, मौजूदा बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता तथा घरेलू आर्थिक विकास और वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार के संबंध में नीति निर्देशों पर विचार करती है।
- **भारतीय मानकों का निरूपण BIS की प्रमुख गतिविधियों में से एक है।** इन गतिविधियों को 17 डिवीजन काउंसिल के माध्यम से संचालित किया जाता है। ये काउंसिल अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों जैसे सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रोटेक्निकल, केमिकल, सेवाओं आदि का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- **'पहचान' पहल:** भारतीय हस्तशिल्प को संगठित और मानकीकृत करने के लिए, सरकार ने पहचान पहल के तहत लगभग 22.85 लाख शिल्पियों को पंजीकृत किया है।
- **गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (Quality Control Orders: QCOs):** उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा QCOs जारी किए जाते हैं।

**भारत में मानकीकरण से संबद्ध चुनौतियां:**

- **विनियमों का अभाव:** मशीनरी सुरक्षा और रसायन जैसे क्षेत्रों में भारत द्वारा विनियमों को विकसित करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए, भारतीय बाजार में इस क्षेत्र से संबंधित आयात और यहां तक कि घरेलू निर्माता भी विनियमन से मुक्त हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अंगीकरण की मंद गति:** उदाहरण के लिए, उद्योग की असंगठित प्रकृति के कारण खाद्य उद्योग में जोखिम विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु (Hazard Analysis and Critical Control Points: HACCP) प्रणाली के अंगीकरण का विरोध किया जाता रहा है।
- **निम्नस्तरीय परीक्षण सुविधा:** भारत में परीक्षण सुविधाएं अपर्याप्त हैं, इसलिए निर्माताओं को उत्पादों के परीक्षण हेतु समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

- **मानकों का दुरुपयोग:** कई निर्माता अनधिकृत तरीके से मानकों का उपयोग करते हैं। साथ ही, उत्पादकों के मध्य उत्तरदायित्व और राष्ट्रीय भावना का अभाव रहा है तथा यह मानकीकरण के विकास में एक बड़ी बाधा है।
- **जागरूकता की कमी:** लोगों में (विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में) मानकों और ग्रेड्स के संबंध में सामान्य जागरूकता की अत्यंत कमी रही है।

**आगे की राह**

- मानकों के गतिशील और तीव्र विकास के लिए मानक विकास संगठनों (SDOs) की क्षमता में वृद्धि कर तथा उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नए SDOs की स्थापना को प्रोत्साहित कर **भारत में मानकों के विकास से संबंधित गतिविधियों के अभिसरण पर बल दिया जाना चाहिए।**
  - BIS, मानक विकास संगठन मान्यता योजना इस दिशा में एक सही कदम है।
- विभिन्न क्षेत्रों में मानकों के विकास के लिए आवश्यकताओं को स्पष्ट करने और उन्हें प्राथमिकता प्रदान करने के लिए मंचों और प्रक्रियाओं के निर्माण द्वारा **नए मानकों की पहचान, उनके विकास तथा उनमें परिवर्तन के लिए एक गतिशील तंत्र की स्थापना हेतु प्रयास किया जाना चाहिए।**
- मानक विकसित करने की दिशा में राज्यों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (Micro, Small and Medium Enterprises: MSMEs) सहित **सभी हितधारकों की समावेशी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।**
- व्यापार में तकनीकी बाधाओं को कम करने और भारतीय उत्पादों एवं सेवाओं के लिए बाजार पहुंच में सुधार करने हेतु **अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ भारतीय मानकों के समन्वय/अभिसरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।**
- उन क्षेत्रों की पहचान करना, **जहां भारत** न केवल अपनी व्यावसायिक क्षमता प्रकट करने के लिए बल्कि वैश्विक मानकीकरण प्रयासों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु भी **मानकीकरण की दिशा में कार्य** कर सकता है।

**भारत में प्रयुक्त कुछ मानक**

| मार्क / चिन्ह | प्रमाणन एजेंसी | विवरण |
|---|---|---|
| ISI मार्क | भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) | यह कई उत्पादों, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए अनिवार्य है। परंतु अन्य विनिर्मित वस्तुओं की स्थिति में, यह स्वैच्छिक है। |
| BIS हॉलमार्क | BIS | इससे यह पुष्टि होती है कि आभूषण BIS द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है। |
| फल उत्पाद आदेश (FPO) चिन्ह | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय | यह एक प्रमाणन चिन्ह है जो भारत में बेचे जाने वाले उन सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए अनिवार्य है जिन पर खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 लागू होता है। |
| भारतीय जैविक प्रमाणीकरण | कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA). | यह भारत में विनिर्मित उन खाद्य पदार्थों के लिए प्रमाणन चिन्ह है जिसकी खेती जैविक रूप से हुई है। |
| कृषि विपणन (AGMARK) | विपणन और निरीक्षण निदेशालय | यह कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (वर्ष 1986 में संशोधित) के माध्यम से भारत में विधिक रूप से लागू है। |

- राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और चिंताओं से संबद्ध मुद्दों को उठाने, उन पर विचार करने तथा उनके संभावित समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए **अंतर्राष्ट्रीय मानकों की स्थापना से संबद्ध परियोजनाओं** में भी भारत को भाग लेना चाहिए।

## 3.14. उपभोक्ता संरक्षण (ई-वाणिज्य) नियम, 2020 {Consumer Protection (E-Commerce) Rules, 2020}

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, उपभोक्ता मामले विभाग ने **उपभोक्ता संरक्षण (ई-वाणिज्य) नियम, 2020** में **संशोधन** हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- इससे पूर्व, सरकार द्वारा 23 जुलाई 2020 से प्रभावी **उपभोक्ता संरक्षण (ई-वाणिज्य) नियम, 2020** को अधिसूचित किया गया था।

- इन नियमों को **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019** के तहत तैयार किया गया था और इनका उद्देश्य सभी ई-वाणिज्यिक गतिविधियों एवं लेनदेन को विनियमित करके, इसे उक्त अधिनियम का पूरक बनाना है।

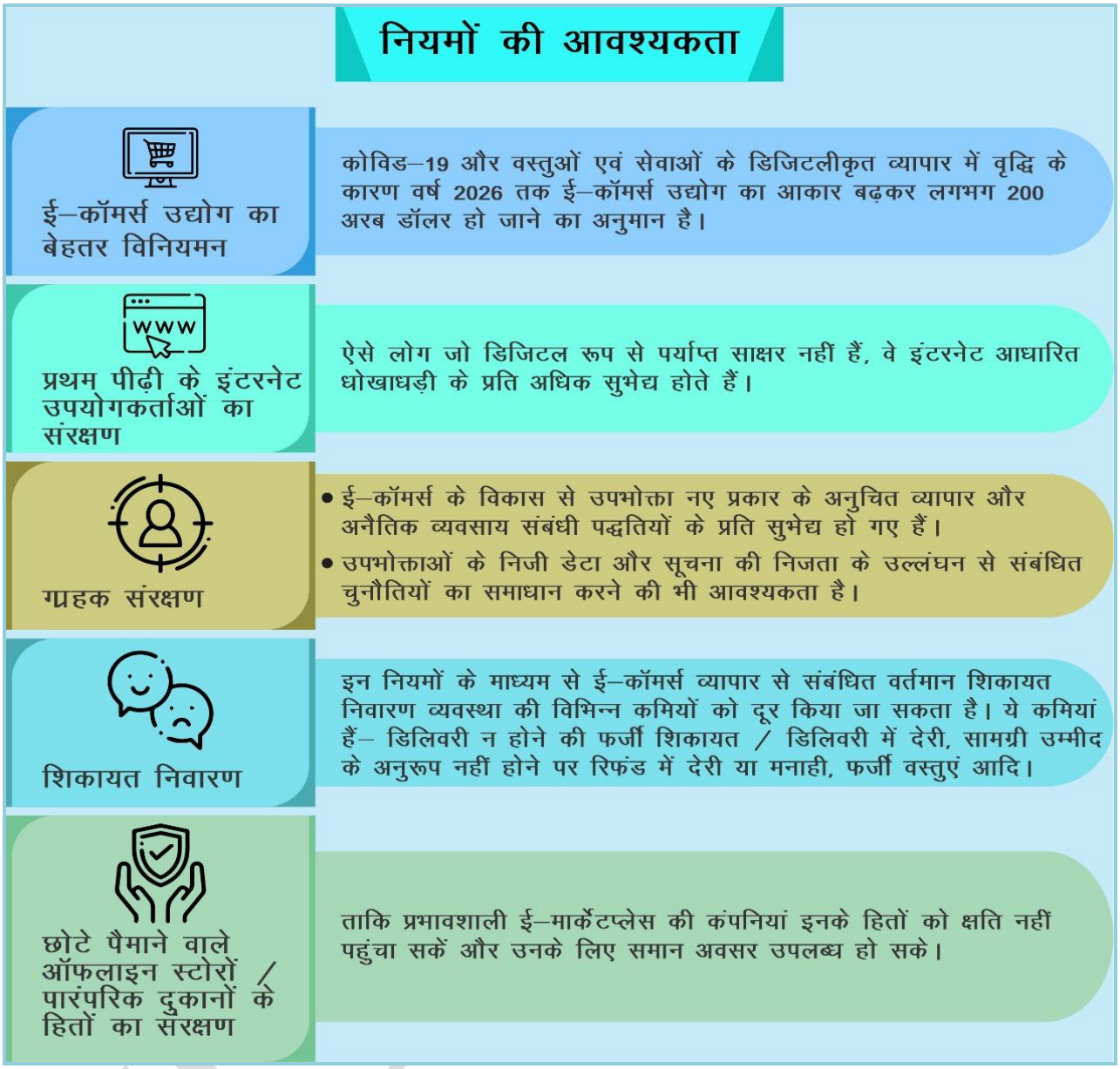


**प्रारूप संशोधन में शामिल प्रमुख प्रावधान**

| प्रावधान | प्रस्तावित संशोधन | निहितार्थ |
|---|---|---|
| **ई-कॉमर्स इकाई की परिभाषा** | • ई-कॉमर्स संस्था से आशय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का संचालन करने वाली संस्थाओं से है। साथ ही, इसमें इन प्लेटफॉर्म्स की मदद से किसी उपयोगकर्ता (यूजर) द्वारा किए गए ऑर्डर की पूर्ति के उद्देश्य से किसी व्यक्ति द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(76) के तहत परिभाषित अन्य 'संबंधित पक्ष' (any 'related party') को भी इसके परिभाषा के अधीन लाया जाएगा।<br>• हालांकि, इसमें ई-कॉमर्स संस्था के प्लेटफ़ॉर्म पर विक्रय हेतु अपनी वस्तुओं या सेवाओं को प्रस्तावित करने वाले विक्रेता शामिल नहीं हैं। | • ये संशोधन यह सुनिश्चित करने में कंपनियों की मदद करेंगे कि **अंतिम छोर तक वितरण संबंधी सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा प्रासंगिक नियमों और विनियमों का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं।** हालांकि, इन नियमों का अनुपालन स्वयं ई-कॉमर्स संस्थाओं के लिए अनिवार्य है। |
| **ई-कॉमर्स इकाई का पंजीकरण** | • प्रत्येक ई-कॉमर्स इकाई, जो भारत में व्यापार वाणिज्य हेतु इच्छुक है, उसे **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade: DPIIT)** के | • **ये ई-कॉमर्स इकाइयों और उनकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।** साथ ही, उन्हें |

| | | |
|---|---|---|
| | पास अपना पंजीकरण कराना होगा। | उपयोगकर्ताओं के समक्ष किसी भी प्रकार के भ्रामक विज्ञापन को प्रदर्शित या प्रचारित करने से प्रतिबंधित करते हैं। |
| **ई-कॉमर्स इकाई के दायित्व** | • यह ई-कॉमर्स इकाइयों (या प्लेटफ़ॉर्म) पर **आयातकों के नाम और विवरण** का उल्लेख करने, वस्तुओं के उद्गम देश (country of origin) का नाम उल्लिखित करने, अपनी वेबसाइट पर एक फिल्टर तंत्र प्रदान करने तथा विक्रय की जाने वाली वस्तुओं को सूचीबद्ध करते समय अर्थात् पूर्व-खरीद चरण में वस्तुओं की उत्पत्ति के बारे में अधिसूचना संबंधी शर्तों को लागू करता है। | • इस संशोधन का उद्देश्य आयातित और घरेलू सामानों के मध्य समानता सुनिश्चित करना तथा गैर-भेदभावपूर्ण नियमों की स्थापना करना है।<br>• यह आयातित उत्पादों की खरीद के दौरान **उपभोक्ताओं को एक सूचित निर्णय लेने में सहायता** करने के लिए अतिरिक्त तंत्र की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।<br>• यह उत्पादों के उद्गम देश के आधार पर निर्णय लेने और एक सूचित विकल्प का प्रयोग करने के दौरान उपभोक्ताओं के लिए मार्गदर्शक का कार्य करेगा। |
| **शिकायत निवारण** | • **प्रत्येक ई-कॉमर्स इकाई निम्नलिखित की नियुक्ति करेगी:**<br>○ **मुख्य अनुपालन अधिकारी (Chief Compliance Officer),** जो अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी होगा।<br>○ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ चौबीसों घंटे समन्वय के लिए एक **नोडल संपर्क कार्मिक (Nodal contact person)।**<br>○ उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए **स्थायी शिकायत अधिकारी (Resident Grievance Officer)।** | • **इस संशोधन का मूल उद्देश्य सुदृढ़ उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र** की स्थापना करना और उपभोक्ताओं को इसके बारे में सूचित करना है।<br>• **नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित** करना भी इस संशोधन का उद्देश्य है। |
| **भ्रामक/त्रुटिपूर्ण विक्रय गतिविधियों पर नियंत्रण** | • "भ्रामक/त्रुटिपूर्ण विक्रय" का आशय किसी ई-कॉमर्स इकाई द्वारा की जाने वाली ऐसी बिक्री से है, जिसमें जानबूझकर वस्तुओं या सेवाओं के बारे में गलत/भ्रामक सूचना प्रदान की जाती है। इसके तहत इन इकाइयों द्वारा वस्तुओं के बारे में ऐसी सूचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं, जो खरीदने वाले उपयोगकर्ता को उपयुक्त प्रतीत हों। | • इसका उद्देश्य अपनी स्थिति का दुरुपयोग करने वाली ऐसी सभी ई-कॉमर्स संस्थाओं द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के बारे में **सूचना/जानकारी को गलत तरीके से प्रस्तुत करने से रोकना है।** |
| **क्रॉस-सेलिंग (परस्पर बिक्री) का विनियमन** | • 'क्रॉस-सेलिंग' वस्तुतः ई-कॉमर्स इकाई के राजस्व को अधिकतम करने के उद्देश्य से की जाने वाली **संबंधित, निकटवर्ती और पूरक उत्पादों/सेवाओं की बिक्री** को संदर्भित करती है। | • इस खंड (Clause) का लक्ष्य **पारदर्शिता सुनिश्चित** करना है, **ताकि ऐसी किसी भी तरह की प्रथाओं को रोका जा सके, जिन्हें भ्रामक और हेरफेर करके प्रस्तुत किया जाता है।** यह संशोधन घरेलू उत्पादों के लिए उचित अवसर सुनिश्चित करने हेतु किया गया है। |
| **फ्लैश सेल (सीमित समय के लिए अत्यंत कम कीमतों पर वस्तुओं का विक्रय) का विनियमन** | • इसके तहत फ्लैश सेल को ई-कॉमर्स इकाई द्वारा बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं को अत्यधिक छूट के साथ कम कीमत पर विक्रय करने के रूप में परिभाषित किया गया है। यह पूर्व निर्धारित अवधि (अत्यधिक छूट या आकर्षक ऑफर के साथ) पर संपन्न होता है। | • इसका लक्ष्य उस तत्काल, **अघोषित विक्रय को रोकना है,** जो विशेष विक्रेताओं को लाभ प्रदान करने या तरजीह देने के उद्देश्य से किया जा सकता है।<br>• साथ ही, यह ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर **धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने** तथा उपभोक्ताओं को लाभ प्रदान करने हेतु पारदर्शिता को बनाए रखने पर बल देता है। |
| **संबंधित पक्षकारों द्वारा प्लेटफॉर्म पर विक्रय करने पर पूर्ण प्रतिबंध** | • **यह ई-कॉमर्स इकाई से संबंधित पक्षकारों और संबद्ध उद्यमों को प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं के रूप में सूचीबद्ध होने से प्रतिबंधित करता है।** साथ ही, यह संबंधित पक्षों और संबद्ध उद्यमों को अनुचित लाभ देने के उद्देश्य से प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध जानकारी के साझाकरण को भी प्रतिबंधित करता है। | • **इसका उद्देश्य ई-कॉमर्स इकाई** (एक शुद्ध मार्केटप्लेस के रूप में) **को विक्रेताओं से पूरी तरह से अलग करना** और 'संबंधित विक्रेताओं' की अवधारणा को समाप्त करना है। |

**प्रस्तावित संशोधन से संबद्ध मुद्दे**

- **फर्मों/इकाइयों पर अतिरिक्त बोझ:** प्रारूप नियमों से ई-कॉमर्स फर्मों/इकाइयों के अनुपालन बोझ में भी वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, विभिन्न प्रस्तावों के अनुरूप होने के लिए या तो इन्हें अपने मौजूदा व्यापार मॉडल में बदलाव या अपने उत्पादों में परिवर्तन करना होगा।
    - उदाहरण के लिए: प्रस्तावित नियम, ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस को विक्रय संबंधी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी बनाते हैं।
- **व्यवसाय सुगमता पर प्रभाव: कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसायटी (CUTS)** इंटरनेशनल (उपभोक्ता संगठन और नीति निर्माण से संबंधित एक थिंक-टैंक) ने कहा है कि इन नियमों से नीतिगत अनिश्चितता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, यह वाणिज्यिक पारिस्थितिकी तंत्र और निवेश के परिवेश पर भी प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करेगा।
- **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (Micro, Small and Medium Enterprises: MSMEs) के समक्ष चुनौतियां:** कुछ राज्य आशंकित हैं कि हाल के वर्षों में विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स द्वारा विकसित MSMEs से संबद्ध नौकरियों और उनकी बाजार पहुंच पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- **परिभाषाओं में अस्पष्टता:** अस्पष्ट परिभाषाओं (फ्लैश सेल या त्रुटिपूर्ण/भ्रामक विक्रय के संबंध में) से नियमों के असंगत प्रयोग को बढ़ावा मिल सकता है और मनमानीपूर्ण कार्रवाईयों में भी वृद्धि हो सकती है।
- **उपभोक्ताओं के लिए नुकसान:** इसका आशय यह है कि अब उपभोक्ताओं को फ्लैश सेल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा अल्पावधि के लिए मिलने वाली छूट प्राप्त नहीं होगी।

**आगे की राह**

- **डेटा सुरक्षा: उपयोगकर्ता के व्यक्तिगत डेटा को** उनकी संवेदनशीलता के स्तर के अनुसार **वर्गीकृत किया जा सकता है** और प्रत्येक स्तर के लिए उपयुक्त सुरक्षा स्तर निर्दिष्ट किया जा सकता है।
    - इसके अतिरिक्त, सभी प्रमुख ई-मार्केटप्लेस संस्थाओं को भारत में अपने डेटा केंद्र स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **स्पष्ट परिभाषाएं: अनुचित व्यापार व्यवहार (फ्लैश सेल व त्रुटिपूर्ण/भ्रामक बिक्री सहित) संबंधी परिभाषाओं को अधिक स्पष्ट किया जाना चाहिए।** साथ ही, ऐसी भ्रामक प्रथाओं से निपटने के लिए व्यावहारिक विधिक उपायों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- **भ्रामक रणनीतियों को हतोत्साहित करने के लिए सुधारात्मक उपायों को बढ़ावा देना:** एल्गोरिदम में हेरफेर, उत्पाद के बारे में फ़र्जी रिव्यु और गलत रेटिंग प्रदान करने जैसी भ्रामक गतिविधियों को रोकने संबंधी सुधारात्मक उपायों को भी अपनाया जाना चाहिए, ताकि उपभोक्ता हित को किसी भी तरह की हानि न पहुंचे।
- **उपयुक्त शिकायत निवारण तंत्र:** नियमों में विभिन्न स्तरों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, ताकि शिकायत का समाधान न होने की स्थिति में **ग्राहक उचित प्राधिकारी से संपर्क कर सके।**

**संबंधित तथ्य**

- हाल ही में, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने अपने **ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) परियोजना के लिए एक सलाहकार समिति को** नियुक्त किया है।
- ONDC के माध्यम से DPIIT का उद्देश्य **ई-कॉमर्स प्रक्रियाओं** (विक्रेताओं की ऑनबोर्डिंग, विक्रेता की खोज, मूल्य निर्धारण और उत्पाद सूचीकरण सहित) को एक **ओपन-सोर्स के रूप में स्थापित** करना है, ताकि उन्हें किसी के द्वारा तथा सभी ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं द्वारा एक्सेस किया जा सके।
    - एक सॉफ्टवेयर या किसी प्रक्रिया को ओपन-सोर्स के रूप में स्थापित करने का आशय **कोड या उस प्रक्रिया के चरणों को दूसरों के उपयोग, पुनर्वितरण और संशोधित करने के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराने से है।**
- ONDC से **संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को डिजिटलीकृत करने, संचालन का मानकीकरण करने, आपूर्तिकर्ताओं के समावेशन को बढ़ावा देने,** लॉजिस्टिक्स में दक्षता प्राप्त करने और उपभोक्ताओं के लिए मूल्य वर्धन में सहायता मिलेगी।
- यदि ONDC लागू हो जाता है, तो इसका तात्पर्य यह होगा कि **समान प्रक्रियाओं के आधार पर ही सभी ई-कॉमर्स कंपनियां संचालित होंगी।**
    - यह बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिनके पास **संचालन के इन क्षेत्रों के लिए स्वामित्व प्रक्रियाएं और तकनीक** उपलब्ध हैं।
- DPIIT की ONDC परियोजना के कार्यान्वयन का दायित्व **भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India: QCI)** को सौंपा गया है।

SMART QUIZ

विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अर्थव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

हिन्दी माध्यम | ADMISSION OPEN
ENGLISH MEDIUM | OPEN

- संदेह समाधान सत्र एवं मार्गदर्शन
- मई 2020 से अगस्त 2021 तक द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, लाइवमिंट, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, योजना, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, इंडिया ईयर बुक, RSTV आदि का समग्र कवरेज।
- प्रारंभिक परीक्षा हेतु विशिष्ट लक्ष्योन्मुखी सामग्री।
- लाइव और ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाएं जो दूरस्थ अभ्यार्थियों के लिए सहायक होंगी जो क्लास टाइमिंग मे लचीलापन चाहते हैं।

1 वर्ष का
करेंट अफेयर्स
प्रीलिम्स 2021 के लिए मात्र 60 घंटे में

# 4. सुरक्षा (Security)

## 4.1. एकीकृत थिएटर कमान (Integrated Theatre Commands)

### सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, एकीकृत थिएटर कमान के प्रस्तावित मॉडल से संबंधित मुद्दों के आलोक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) ने तीनों सेनाओं के उप प्रमुखों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की।

**भारत में सैन्य कमान की वर्तमान प्रणाली**

- वर्ष 1947 से, तीनों सेनाओं को पृथक रूप से संचालित किया जाता रहा है। हालांकि, उनके मध्य पर्याप्त समन्वय रहते हुए भी वास्तविक रूप में एकीकरण का अभाव रहा है।
- भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना में प्रत्येक के पास बहुविध कमान (multiple commands) मौजूद हैं, जिन्हें उनकी कमान संरचना के संदर्भ में लंबवत रूप में विभाजित किया गया है।
    - वर्तमान संरचना में तीनों सैन्य सेवाओं की कुल 17 सैन्य कमान हैं, इनमें से **सात कमान थल सेना और सात कमान वायुसेना से संबंधित हैं तथा तीन नौसेना** के नेतृत्वाधीन हैं। इन विभिन्न कमानों की मौजूदगी से संसाधनों के अपव्यय एवं दोहराव की स्थिति उत्पन्न होती है।
- इनके अतिरिक्त, **परमाणु संपत्तियों** की सुरक्षा के लिए दो एकीकृत कमान, यथा- **अंडमान और निकोबार कमान (ANC)** तथा **स्पेशल फोर्सेज़ कमान (SFC)** भी स्थापित की गई हैं।
- वर्ष 2019 में **चार त्रि-सेवा संस्थानों** (यथा- डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, डिफेंस स्पेस एजेंसी, साइबर एजेंसी और आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन) को स्थापित किया गया था।

Seventeen existing Commands of the Indian Armed Forces.

**एकीकृत थिएटर कमान के बारे में**

- एकीकृत थिएटर कमान वस्तुतः सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों के लिए **एकल कमांडर के अधीन तीनों सेनाओं की एकीकृत कमान** की परिकल्पना को संदर्भित करती है।
    - एकीकृत थिएटर कमान का कमांडर अपनी क्षमता के अधीन किसी भी विपरीत परिस्थिति में सरलता से तीनों सैन्य बलों (थल सेना, वायुसेना और नौसेना) से सभी आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सक्षम होगा।

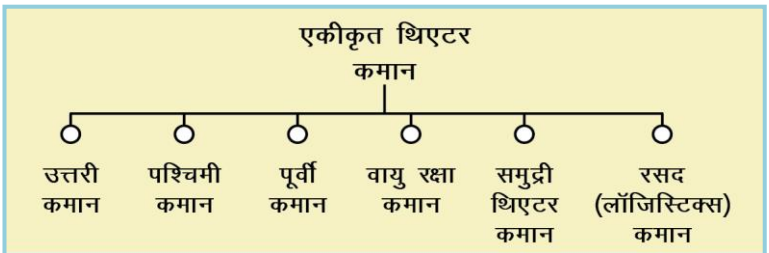

**पश्चिमी और पूर्वी थिएटरों का नेतृत्व सेना के जनरलों** द्वारा किया जाएगा, जिनके अधीन वरिष्ठ थ्री–स्टार एयर कंपोनेंट कमांडर होंगे। **एयर डिफेंस कमान** का नेतृत्व वायु सेना के एक शीर्ष **थ्री–स्टार अधिकारी** और **मैरीटाइम थिएटर कमान** का नेतृत्व एक **शीर्ष वाइस एडमिरल** द्वारा किया जाएगा।

- एकीकृत थिएटर कमान के विचार को **कारगिल समीक्षा समिति और डी. बी. शेकटकर समिति** दोनों द्वारा प्रस्तावित किया गया है।
- वर्ष 2016 में **शेकटकर समिति** ने 3 एकीकृत थिएटर कमान की स्थापना की सिफारिश की थी:
    - चीनी सीमा के लिए उत्तरी कमान;
    - पाकिस्तानी सीमा के लिए पश्चिमी कमान; और
    - समुद्री सीमाओं के लिए दक्षिणी कमान।

- वर्तमान में जो थिएटर मॉडल विचाराधीन है, उसके तहत कम से कम **छह नए एकीकृत कमान** स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।
- इस थिएटर मॉडल में एक अंतर्निहित लचीलेपन का समावेश किया जाएगा, ताकि संक्रमण चरण के दौरान यदि कोई विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होती है तो देश को किसी संकट में डाले बिना इसे वापस वर्तमान कमान और नियंत्रण संरचना में सरलता से तब्दील किया जा सके।
- भारत के **चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ** को इस थिएटर मॉडल को मूर्त रूप देने हेतु अधिदेशित किया गया है। हालांकि, यह संभावना व्यक्त की गई कि तीनों सेवाओं के एकीकृत संचालन को वर्ष 2023 तक आरंभ कर लिया जाएगा।

**संबंधित तथ्य**

**अन्य देशों में एकीकृत थिएटर कमान**

- सैन्य शाखाओं के मध्य बेहतर एकीकरण के लिए विश्व के 32 से अधिक देशों में पहले से ही थिएटर या संयुक्त कमान को किसी न किसी रूप में स्थापित किया जा चुका है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन ऐसे देशों के उदाहरण हैं। **एक रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले थिएटर कमान प्रणाली को स्थापित किया गया था और "वर्तमान में उसके पास छह भौगोलिक और चार कार्यात्मक कमान मौजूद हैं।"**
- कहा जाता है कि **रूस** ने वर्ष 2008 में अपने सशस्त्र बलों के पुनर्गठन के साथ इस दिशा में प्रयासों को प्रारंभ किया था **और "अब तक रूस ने चार थिएटर कमान स्थापित कर लिए हैं।"**

**थिएटर कमान की आवश्यकता क्यों?**

- **युद्ध की बदलती प्रकृति:** वर्तमान समय में युद्ध की बदलती प्रकृति शांति काल में भी सेनाओं के मध्य युद्ध की तैयारियों और अंतर-संचालन (interoperability) को बढ़ाने के लिए, उनके बीच आपसी सहयोग एवं समन्वय की मांग करती है।
  - इसके अतिरिक्त, ये रणनीतिक कमान साइबर और स्पेस प्रक्षेत्र (डोमेन) के साथ आधुनिक एवं हाइब्रिड युद्ध संबंधी स्थितियों को भी समायोजित करने में सक्षम होंगे।
- **बेहतर संसाधन दक्षता:** इष्टतम आवंटन और स्रोतों के उपयोग के माध्यम से यह नया मॉडल, दोहराव की स्थिति को सीमित कर लागत को कम करेगा।
  - एक कमान के अधीन सैनिकों की सामरिक तैनाती, सैनिकों की अतिरिक्त/अनावश्यक तैनाती को कम करने में मदद करेगी। साथ ही इससे वेतन, भत्ते और पेंशन आदि के लिए आवंटित रक्षा बजट की राशि में भी कमी आएगी।
  - संयुक्त प्रशिक्षण और एकीकरण के परिणामस्वरूप सेनाओं के भीतर बेहतर कमांड और संचार को बढ़ावा मिलेगा।
  - इसके अतिरिक्त, तीनों सेनाओं के भीतर चिकित्सा सेवाओं का एकीकरण एकीकृत कमान की चिकित्सा शाखा को उन्नत करने में मदद करेगा।
- **बेहतर खरीद:** तीनों सेवाओं के लिए एक साथ सैन्य प्रणालियों और उपकरणों की थोक खरीदारी से रक्षा उद्योग की लागत में कमी आएगी। साथ ही, इससे रक्षा उद्योग से संबंधित लाभों को सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी।
- **निर्णयन प्रक्रिया में सुधार:** थिएटर कमान, संयुक्त संचालन के मामले में त्वरित निर्णय लेने में सहयोग कर सकती है। साथ ही, एकीकृत थिएटर कमांडर वैयक्तिक सेवाओं के प्रति जवाबदेह भी नहीं होगा।
- **पड़ोसी देशों की सैन्य क्षमताओं में सुधार:** चीनी सेना के भीतर व्यापक सैन्य सुधार थिएटर कमान की बढ़ती आवश्यकता को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख कारक रहा है।
  - नियंत्रण रेखा (Line of Control: LOC) के साथ-साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control: LAC) पर अधिक सक्रियता की संभावना ने विभिन्न अर्थों में भारतीय सेना में व्यापक सुधारों की मांग को बढ़ा दिया है।

**एकीकृत थिएटर कमान को अमल में लाने में चुनौतियां**

- **भारत का भौगोलिक विस्तार:** विभिन्न विशेषज्ञों का मानना है कि भारत भौगोलिक रूप से इतना बड़ा नहीं है कि इसे विभिन्न थिएटरों में विभाजित किया जाए, क्योंकि भारत में एक थिएटर से संसाधनों को दूसरे थिएटर तक सुगमतापूर्वक ले जाया जा सकता है।
  - विशेषज्ञों का तर्क है कि मौजूदा मॉडल हमारे क्षेत्र और संचार मार्गों की रक्षा के लिए पर्याप्त है और परिवहन में व्यवहार्य है।
- **अंतर-सेवा संघर्ष की संभावना:** कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि यह मॉडल सेनाओं की स्वतंत्र सेवा पहचान को प्रभावित करेगा और अंतर-सेवा टकराव की स्थिति को उत्पन्न करेगा।
  - जहां थल सेना और नौसेना थिएटर कमान के पक्ष में हैं, वहीं वायुसेना ने इस मॉडल में अपनी वायु संपत्तियों के विभाजन, प्रमुखों की शक्तियों को कम करने आदि को लेकर चिंता व्यक्त की है।
- **अल्प संसाधन:** कुछ रिपोर्टों के अनुसार, कम उपलब्ध संसाधनों तथा इनके अलग-अलग थिएटर कमानों में विस्तार को लेकर वायुसेना ने चिंता प्रकट की है।
- **थिएटर कमांडर की विशेषज्ञता का अभाव:** थिएटर कमांडर का सीमित प्रक्षेत्र ज्ञान (limited domain knowledge) और उसकी अल्प विशेषज्ञता सैन्य कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकती है।

- **परिचालन संबंधी बाधाएं:** थिएटर कमान प्रणाली के तहत तीनों सेवाओं को एकीकृत करने में अग्रलिखित बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि- कौन किसे रिपोर्ट करेगा और कमान की श्रृंखला को कैसे संचालित किया जाएगा आदि। इसके अतिरिक्त, इनमें परिचालन कमान और परिसंपत्तियों पर नियंत्रण के मुद्दे भी शामिल हैं।
- **वित्तीय बाधाएं:** बजटीय आबंटन और धन के वितरण को ऐसे कारकों के रूप में इंगित किया गया है, जिन पर स्पष्ट रूप से कार्य किया जाना आवश्यक है, ताकि एक निर्बाध थिएटर कमान प्रणाली की स्थापना को सुनिश्चित किया जा सके।
- **चीफ ऑफ स्टाफ की भूमिका में कमी:** क्योंकि तीनों सेनाओं के प्रमुख या चीफ ऑफ स्टाफ की भूमिका केवल संसाधनों की तैनाती (थिएटर कमांडर को संसाधन उपलब्ध कराने) तक सीमित होगी, जबकि संसाधनों के उपयोग का उत्तरदायित्व थिएटर कमांडर पर होगा। अतः इससे चीफ ऑफ स्टाफ की भूमिका कम हो सकती है।

**आगे की राह**

- **मतभेदों का निवारण करना:** योजनाओं को सुदृढ़ करने और सभी हितधारकों को शामिल करने हेतु सरकार ने CDS के तहत आठ सदस्यीय पैनल का गठन किया है।
- **वित्त मंत्रालय की सहमति:** इस पर विचार किया जाना आवश्यक है, क्योंकि थिएटरों की स्थापना और विभिन्न संरचनाओं के एकीकरण के वित्तीय प्रभाव भी उत्पन्न होंगे।
- **निर्णयन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना:** यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि थिएटर कमांडर किसे रिपोर्ट करेंगे। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में कमांडर राजनीतिक नेतृत्व को रिपोर्ट करते हैं।
- **लक्षित हस्तक्षेप के माध्यम से अन्य सुधार:** एक सुदृढ़ और जीवंत रक्षा-औद्योगिक विनिर्माण परिसर को विकसित करने, युद्ध की बदलती प्रकृति की पहचान करने, तकनीकी क्षमताओं पर अधिक निर्भरता आदि जैसी प्रणालियों को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

# 5. पर्यावरण (Environment)

## 5.1. सकल पर्यावरण उत्पाद (Gross Environment Product: GEP)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) के अवसर पर **उत्तराखंड** अपने सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product: GDP) की गणना में **सकल पर्यावरण उत्पाद (Gross Environment Product: GEP) को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य** बन गया है। दूसरे शब्दों में, उत्तराखंड अब **GDP की तर्ज पर GEP की गणना करेगा।**

**अन्य संबंधित तथ्य**

- इसके तहत **चार महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों,** यथा- **वायु, जल, वन** और **मृदा** को मौद्रिक मूल्य प्रदान किया जाएगा। इन प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता और मात्रा उत्तराखंड के GEP को निर्धारित करेगी।
  - पर्यावरणविदों का अनुमान है कि **उत्तराखंड अपनी जैव विविधता के माध्यम से राष्ट्र को प्रति वर्ष लगभग 95,112 करोड़ रुपये की सेवाएं प्रदान करता है।**
- राज्य में GEP के संदर्भ में चर्चा, केदारनाथ आपदा (वर्ष 2013) के बाद आरंभ हुई थी और ग्रीष्म ऋतु के दौरान राज्य में जल की अत्यधिक कमी ने इस चर्चा को और गति प्रदान की।

**सकल पर्यावरण उत्पाद (GEP) क्या है?**

- GEP वार्षिक आधार पर किसी क्षेत्र में मानव कल्याण/कुशलक्षेम के लिए आपूर्ति की जाने वाली समस्त पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का कुल मूल्य होता है और इसे जैवभौतिक (biophysical) मूल्य और मौद्रिक (monetary) मूल्य में मापा जा सकता है।
- यह **पर्यावरण के समग्र स्वास्थ्य** को इंगित करता है क्योंकि GEP के तहत वनावरण, मृदा अपरदन, वायु की गुणवत्ता और नदी के जल में घुलित ऑक्सीजन जैसे प्रमुख संकेतकों को मापा जाता है।
- **हरित GDP,** जिसे राज्य के कुल उत्पादन में से पर्यावरण को हुई क्षति को घटाकर प्राप्त किया जाता है, **के विपरीत GEP एक वर्ष में पर्यावरण के घटकों में सुधार का आकलन करेगा।** इसके अतिरिक्त, यह पारिस्थितिकी तंत्र में हुई क्षति को पर्यावरण संरक्षण और संसाधन उपयोग के माध्यम से कम करने की दिशा में राज्य द्वारा किए गए प्रयासों से भी अवगत कराता है।

**GEP की आवश्यकता क्यों?**

- **केवल आर्थिक संवृद्धि, वास्तविक आर्थिक विकास का द्योतक नहीं हो सकती** और यह बढ़ती असमानता एवं पर्यावरणीय निम्नीकरण के साथ मिलकर मानव कल्याण में कमी कर सकती है।
  - औद्योगिक विकास के दौरान संसाधनों के क्षरण से ग्रामीण विकास अनुपातहीन रूप से प्रभावित होता है क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्यतः ऐसे प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर होती है। इस प्रकार, GEP **पारिस्थितिकी को समान महत्व प्रदान कर एक संतुलित विकास दृष्टिकोण का निर्माण करता है।**

- सकल घरेलू उत्पाद में GEP के लेखांकन को शामिल करने से संधारणीय विकास की दिशा में देश की संवृद्धि का वास्तविक आकलन किया जा सकेगा।

- **पारंपरिक प्रणालियों में व्याप्त कमियां:** पारंपरिक राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (System of National Accounts: SNA) जैसे GDP या सकल राष्ट्रीय उत्पाद (Gross National Product: GNP) न तो प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं की गणना करते हैं तथा न ही विकासात्मक प्रक्रिया के दौरान होने वाले पर्यावरण/संसाधन निम्नीकरण के मूल्य की गणना करते हैं।
  - **पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं से तात्पर्य "पारिस्थितिक तंत्र से लोगों को प्राप्त होने वाले लाभों" से है,** जैसे- **प्रोविजनिंग/प्रावधान सेवाएं** (भोजन, लकड़ी आदि) और **विनियामक सेवाएं** (जल स्वच्छीकरण, कार्बन पृथक्करण आदि)।
- **पर्याप्त नीतियां बनाना:** GEP हमें **हमारे पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों पर मानव जनित दबाव के प्रभाव** को समझने में सहायता करता है। यह हमें पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था को संतुलित करने वाली नीतियां बनाने में सक्षम करेगा।

**GEP को GDP में शामिल करने से संबंधित मुद्दे**

- **ज्ञान संबंधी अंतराल:** संबंधित डेटा का अभाव और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के लिए मौद्रिक मूल्य निर्दिष्ट करना एक प्रमुख चुनौती है। पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं को मौद्रिक मूल्य प्रदान करना एक सीमित सीमा तक ही संभव है।
  - उदाहरण के लिए, भारत में पीपल के वृक्ष को एक पवित्र वृक्ष माना जाता है और इसके इर्द-गिर्द धार्मिक समारोह आयोजित किए जाते हैं। यहां इस वृक्ष का आर्थिक मूल्यांकन, किसी विशेष क्षेत्र की जटिलता तथा पारिस्थितिक, सामाजिक-सांस्कृतिक और संस्थागत विविधता को शामिल नहीं कर सकता है।
- **नीतिगत अंतराल:** आर्थिक निर्णय-निर्माण, विकास योजना और संसाधन आवंटन के दौरान **पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं को कम महत्व दिया जाता है।** पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के मूल्य की या तो उपेक्षा की जाती है या उसे पर्याप्त नहीं समझा जाता है।
- **संस्थागत विफलता: 'पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के लिए क्षतिपूर्ति' (Compensation for Ecosystem Services: CES)** के तहत सरकार द्वारा हितधारकों को **अपर्याप्त क्षतिपूर्ति** प्रदान की जाती है।
  - CES के अंतर्गत **ऐसे लोगों की पहचान कर, उन्हें मुआवजा दिया जाता है जो किसी पारिस्थितिक तंत्र के सुचारू कार्यकलापों की दीर्घकालिक सुरक्षा में योगदान देने वाली भूमि का प्रबंधन करते हैं।** यह एक जीवंत पारिस्थितिक तंत्र सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण उपायों के वित्तपोषण का एक नया वित्तीय संसाधन है। **'पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के लिए भुगतान' (Payments for Ecosystem Services: PES)** एक प्रमुख CES तंत्र है।

**आगे की राह**

- **पर्यावरणीय परिसंपत्ति लेखांकन को शामिल करना:** यह दृष्टिकोण विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक संपदा, जैसे- वनों, भूजल आदि से संबंधित डेटा एकत्र करता है और उन्हें मौद्रिक रूप में परिवर्तित करता है।
- पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं का परिणाम निर्धारण और मूल्यांकन करते समय क्षेत्र की **जैव-भौतिक और स्थानिक एवं समयानुसार गत्यात्मकता (spatio-temporal dynamics)** को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं पर **जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समाविष्ट करने के लिए एक रूपरेखा विकसित करनी चाहिए।**
- **पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन करने के लिए** अमूर्त परिसंपत्तियों, कौशल और ज्ञान एवं सांस्कृतिक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए **वैकल्पिक या पूरक गैर-बाजार विधियों का विकास करना चाहिए।**
- पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के मूल्यांकन के दौरान **सामाजिक विषमताओं** की भी गणना की जानी चाहिए।

**निष्कर्ष**

GEP एक पर्यावरणीय संकेतक बन सकता है जो राष्ट्रीय कल्याण का वास्तविक आकलन करने के लिए पारिस्थितिक तंत्र में किए गए सुधारों के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों के मूल्य को भी मापता है। यदि उत्तराखंड द्वारा GEP को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर लिया जाता है, तो अन्य राज्यों पर भी ऐसा करने का दबाव बनेगा।

**अन्य वैश्विक मानक/पहल**

- **पर्यावरणीय और आर्थिक लेखांकन प्रणाली (System of Environmental and Economic Accounts: SEEA):** यह राष्ट्रीय लेखा प्रणालियों में प्राकृतिक पूंजी और पर्यावरणीय गुणवत्ता को शामिल करने हेतु मानक प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकसित मार्गदर्शक पुस्तिका है।
- **चीन** वर्ष 2004 से **विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय क्षति की लागत का अनुमान लगाने के लिए अध्ययन कर रहा है** जो **इसकी आर्थिक संवृद्धि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं।** तब से प्रदूषण नियंत्रण और नवीकरणीय ऊर्जा में चीन का निवेश तेजी से बढ़ा है।
- **ब्रिटिश न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन (NEF) द्वारा सृजित हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स (HPI), पर्यावरण की संधारणीयता के संदर्भ में राष्ट्रीय कल्याण को मापता है।**
- **भूटान की सकल राष्ट्रीय खुशहाली (Gross National Happiness: GNH) के चार नीतिगत उद्देश्यों में से एक पर्यावरणीय संरक्षण है।**
- **स्वीडन** ने (वर्ष 2003 से) संधारणीय विकास को प्राप्त करने की सरकारी नीति के हिस्से के रूप में विभिन्न **पर्यावरणीय संकेतकों** (जैसे- वायु उत्सर्जन, अपशिष्ट आदि) को शामिल किया है।

## 5.2. भारत में एथेनॉल मिश्रण (Ethanol Blending in India)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, केंद्र सरकार ने **पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण (इसे E20 भी कहा जाता है) संबंधी लक्ष्य की तय समयसीमा को घटाकर वर्ष 2030 की बजाए वर्ष 2025** कर दिया गया है।

**अन्य संबंधित लक्ष्य**

- सरकार ने एक **विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट** भी जारी की है, जिसका शीर्षक **'भारत में एथेनॉल मिश्रण के लिए कार्ययोजना (Roadmap for Ethanol Blending in India) 2020-2025'** है।
    - इसमें अप्रैल 2022 तक E10 ईंधन (पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिश्रण) की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए एथेनॉल-मिश्रित ईंधन को क्रमिक रूप से लागू करने और अप्रैल 2023 से लेकर अप्रैल 2025 तक E20 को चरणबद्ध रूप से लागू करने का प्रस्ताव किया गया है।
    - इससे पहले, **राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 के अंतर्गत वर्ष 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल के मिश्रण और डीजल में 5% जैव डीजल के मिश्रण का लक्ष्य रखा गया था।**
    - वर्ष 2020 में, **भारत ने वर्ष 2022 तक पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिश्रण और वर्ष 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण के साथ-साथ वर्ष 2030 तक डीजल में 10% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया था।**

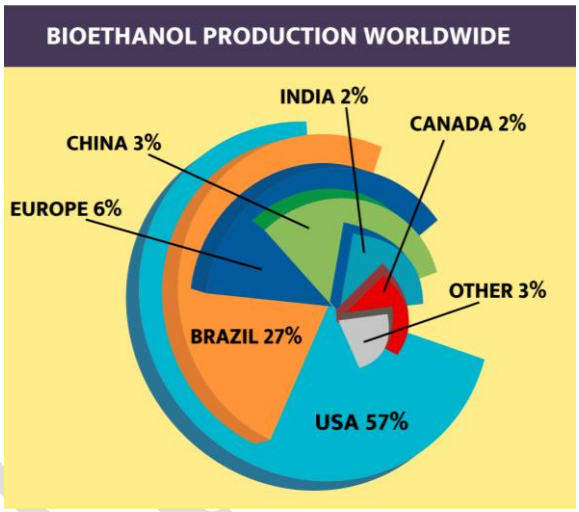


- इस रिपोर्ट में **अप्रैल 2023 से E20 सामग्री-अनुपालन तथा E10 के अनुरूप इंजन वाले वाहनों और अप्रैल 2025 से E-20 के अनुरूप इंजन वाले वाहनों का उत्पादन आरंभ करने की अनुशंसा की गई है।**
    - ये प्रयास **अतिरिक्त एथेनॉल आसवन (distillation) संयंत्रों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेंगे** और संपूर्ण देश में **मिश्रित ईंधन की उपलब्धता के अनुमानित समय की जानकारी भी प्रदान करेंगे।**
    - इससे वर्ष 2025 तक एथेनॉल उत्पादक राज्यों और उनके आसपास के क्षेत्रों में **एथेनॉल के उपभोग में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी।**

**एथेनॉल मिश्रण क्या है?**

- एथेनॉल मिश्रण ऐसा **मिश्रित वाहन ईंधन होता है, जिसमें कृषि उत्पादों से व्युत्पन्न** कम से कम 99% शुद्ध **इथाइल एल्कोहल होता है** और इसे **विशिष्ट रूप से गैसोलिन (पेट्रोल/डीजल) के साथ मिश्रित किया जाता है।**
    - चूंकि यह पादपों से व्युत्पन्न होता है **इसलिए इसे नवीकरणीय ईंधन माना जाता है।**
- सरकार द्वारा **गन्ना आधारित कच्चा माल** जैसे कि C और B भारी शिरा (heavy

molasses), गन्ने का रस/ चीनी/ शुगर सिरप से एथेनॉल का उत्पादन करने तथा **भारतीय खाद्य निगम (FCI) के पास बचे अधिशेष चावल और मक्के की खरीद करने** की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

- तेल विपणन कंपनियां घरेलू स्रोतों से एथेनॉल खरीदेंगी और अपने टर्मिनल पर एथेनॉल का मिश्रण करेंगी।
  - सरकार द्वारा वर्ष 2014 से ही एथेनॉल का प्रशासित मूल्य अधिसूचित किया जा रहा है।
- **खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food and Public Distribution: DFPD)** देश में ईंधन श्रेणी की एथेनॉल उत्पादक आसवनियों के संवर्धन के लिए नोडल विभाग है।

**एथेनॉल मिश्रण का महत्व**

- **प्रदूषण में कमी:** पेट्रोल के साथ एथेनॉल को मिश्रित करने से निर्मित **मिश्रित ईंधन ऑक्सीकृत हो जाता है,** जिसके कारण इसका पूर्ण दहन संभव हो जाता है और **प्रदूषणकारी तत्वों के उत्सर्जन में कमी आती है।** पेट्रोल की तुलना में इसकी ऑक्टेन संख्या भी उच्चतर होती है।
  - पुराने इंजनों में बायोएथेनॉल का उपयोग **वाहन द्वारा उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा को कम करने में सहायता कर सकता है,** इससे वायु की गुणवत्ता में सुधार होगा।
- **कार्बन तटस्थ:** बायोमास से निर्मित एथेनॉल के दहन को वायुमंडलीय कार्बन तटस्थ माना जाता है, क्योंकि बायोमास से निर्मित एथेनॉल के दहन के दौरान उत्सर्जित $CO_2$ की मात्रा, बायोमास द्वारा विकसित होने की अवधि के दौरान अवशोषित $CO_2$ की मात्रा द्वारा प्रतिसंतुलित हो जाती है।
- **आर्थिक लाभ:** इससे **भारत की ईंधन के आयात पर निर्भरता में कमी आएगी जिसके परिणामस्वरूप कच्चे तेल के आयात संबंधी लागत में भी कमी होगी।** वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का निवल पेट्रोलियम आयात लगभग 55 अरब डॉलर मूल्य का था। ऐसा अनुमान है कि E20 कार्यक्रम से **प्रतिवर्ष 4 अरब डॉलर अर्थात् लगभग 30,000 करोड़ रुपये की बचत होगी।**
- **किसानों की आय:** वर्ष 2025 तक 20% एथेनॉल मिश्रित ईंधन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रति वर्ष लगभग 10 अरब लीटर एथेनॉल की आवश्यकता होगी। इस प्रकार, यह **गन्ना किसानों को लाभान्वित करेगा।**
  - पिछले साल, तेल कंपनियों द्वारा लगभग 21,000 करोड़ रुपये का एथेनॉल क्रय किया गया था।
- **अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता:** इससे भारत को "वर्ष 2030 तक, वर्ष 2005 के कार्बन उत्सर्जन के मुकाबले उत्सर्जन में 30-35% की कटौती करने" संबंधी अपने संकल्प को पूरा करने में सहायता प्राप्त होगी। यह पेरिस समझौते के अंतर्गत अंगीकृत जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का हिस्सा है।

**बायोएथेनॉल को प्रोत्साहन देने से संबंधित हालिया पहलें**

- **प्रधान मंत्री 'जी-वन' (जैव ईंधन-वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना** के अंतर्गत, 12 वाणिज्यिक संयंत्रों और दूसरी पीढ़ी (2G) की बायो रिफाइनरियों के 10 प्रायोगिक संयंत्रों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ये संयंत्र प्रचुर मात्रा में बायोमास की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे, ताकि संपूर्ण देश में मिश्रण के लिए एथेनॉल उपलब्ध हो सके।
- दूसरी पीढ़ी के संयंत्र **बायोएथेनॉल का उत्पादन करने के लिए** अधिशेष बायोमास और कृषि अवशेष का उपयोग करते हैं।
- **आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs: CCEA)** द्वारा ब्याज सहायता का विस्तार करने के लिए 8,460 करोड़ रुपये की संशोधित योजना अनुमोदित की गई है। इसके अंतर्गत कच्ची सामग्री के रूप में अनाज, शिरा, शर्करायुक्त चुकंदर, मीठी ज्वार और खाद्यान्न का उपयोग करने वाली स्वचालित एथेनॉल आसवनियों को स्थापित करने वालों को आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  - इसके तहत मुख्य ध्यान **भारत की एथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने** पर दिया गया है।
- **प्रधान मंत्री द्वारा पुणे में तीन स्थानों पर E100 वितरण केंद्रों की प्रायोगिक परियोजना को आरंभ किया गया है।**

**एथेनॉल आधारित 'फ्लेक्स फ्यूल' वाहन (Flex-Fuel Vehicles or Flexible Fuel Vehicles: FFV)**

- FFV, वाहनों का **वह रूपांतरित संस्करण है जो गैसोलिन (पेट्रोल/डीजल) और एथेनॉल मिश्रण के विभिन्न स्तर वाले** मिश्रित पेट्रोल से संचालित होता है।
  - ये वर्तमान में ब्राजील में सफलतापूर्वक उपयोग किए जा रहे हैं, **जिससे लोगों को ईंधन** (गैसोलीन और इथेनॉल) **स्विच** करने का विकल्प मिल रहा है।
- सरकार, **अक्टूबर तक FFV के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की योजना बना रही है।**
  - सरकार, भारत में **फ्लेक्स इंजनों के विनिर्माण और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना पर भी कार्य कर रही है।**
- **FFVs संबंधी अंगीकरण** ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए **एक और चुनौती प्रस्तुत करेगा** जो पहले से ही विद्युत चालित वाहनों को तीव्रता से अंगीकृत करने संबंधी समस्या का सामना कर रही हैं। अगर FFVs संबंधी मानकों को अनिवार्य बना दिया जाता है, **तो वाहनों में आवश्यक बदलाव के लिए उत्पादन संयंत्रों और तकनीक संबंधी अंतरण पर अतिरिक्त निवेश करना होगा।**

**चुनौतियां**

- **वाहनों का रूपांतरण:** E20 का उपयोग करने के लिए नई विशिष्टताओं वाले इंजन की आवश्यकता होगी और फ्यूल लाइन में भी आवश्यक परिवर्तन करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, ईंधन की संक्षारण संबंधी प्रकृति के कारण प्लास्टिक और रबड़ के कुछ कलपुर्जों का भी उपयोग करना पड़ेगा।
  - **ईंधन के निम्न ऊर्जा घनत्व के कारण इंजन की शक्ति, दक्षता और उत्सर्जन स्तर** संतुलन संबंधी अनिवार्यता को प्राप्त करने के लिए इंजनों को पुनः समायोजित करने की आवश्यकता होगी।
- **E20 वाहनों का मूल्य:** E20 अनुकूल वाहनों के मूल्य अधिक हो सकते हैं। 100% गैसोलीन से चलने वाले सामान्य वाहनों की तुलना में चार-पहिया वाहनों का मूल्य 3,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक और दो-पहिया वाहनों का मूल्य 1,000 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक अधिक हो सकता है।
- **वाटर-फुटप्रिंट/जल पद्चिन्ह:** गन्ना एक **जल सघन फसल** है। गन्ना प्रति एकड़ सर्वाधिक जल उपभोग करने वाली फसल है फिर भी यह **एथेनॉल उत्पादन के लिए सबसे आकर्षक खाद्य फसल बनी हुई है।**
  - गन्ने से एक लीटर एथेनॉल का उत्पादन करने के लिए लगभग 2,860 लीटर जल की आवश्यकता होती है।
- **एथेनॉल उत्पादन सुविधाएं:** भारत के पास 684 करोड़ लीटर एथेनॉल उत्पादन करने की क्षमता है। भारत को वर्ष 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण संबंधी लक्ष्य हेतु 1,000 करोड़ लीटर क्षमता की आवश्यकता है।
- **मूल्य: विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में उत्पादित एथेनॉल का मूल्य अधिक है,** क्योंकि भारत में कृषक समुदाय की सहायता के लिए गन्ना और खाद्यान्न जैसी कच्ची सामग्रियों का मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।
- **एथेनॉल का अंतरराज्यीय आवागमन:** सभी राज्यों द्वारा **उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951** के संशोधित प्रावधानों को कार्यान्वित नहीं किए जाने के कारण एथेनॉल का अंतरराज्यीय आवागमन प्रतिबंधित है। वर्तमान में केवल 14 राज्यों द्वारा संशोधित प्रावधानों को कार्यान्वित किया गया है।
- **सम्पूर्ण देश में एथेनॉल की उपलब्धता:** कुछ राज्यों में या तो एथेनॉल का उत्पादन नहीं किया जाता है या वहां मिश्रण के लिए एथेनॉल उपलब्ध नहीं है। साथ ही, भारत में कुल पेट्रोल पंपों में से लगभग 50% केवल E0 (शून्य एथेनॉल मिश्रण वाला ईंधन) ईंधन की आपूर्ति करते हैं।
  - इसके अतिरिक्त **पूर्वोत्तर राज्यों में फीडस्टॉक या संबंधित उद्योग की उपलब्धता नहीं होने के कारण** एथेनॉल मिश्रण का कार्य आरंभ नहीं हो पाया है।
- **लॉजिस्टिक:** मिश्रण के लिए विभिन्न स्थानों तक एथेनॉल का **परिवहन करने से लॉजिस्टिक संबंधी लागत के साथ-साथ परिवहन से संबंधित उत्सर्जन में भी वृद्धि होगी।**

**आगे की राह**

- **एथेनॉल मिश्रित ईंधन का मूल्य:** देश में उच्चतर एथेनॉल मिश्रण की बेहतर स्वीकार्यता के लिए, इसका खुदरा मूल्य सामान्य पेट्रोल की तुलना में कम होना चाहिए ताकि कैलोरी मान में गिरावट की क्षतिपूर्ति की जा सके।
- **फसल विविधीकरण:** एथेनॉल के उत्पादन हेतु चीनी के पूरक के रूप में अन्य अनाजों की संभाव्यता का भी अन्वेषण करने की आवश्यकता है ताकि वर्ष 2025 के लक्ष्य को पूरा किया जा सके।
- **इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (Ethanol Blended Petrol: EBP) वाहनों के लिए प्रोत्साहन:** विश्व भर में उच्चतर एथेनॉल मिश्रण अनुकूल वाहनों के लिए कर संबंधी लाभ प्रदान किया जाता है।
- **प्रौद्योगिकी उन्नयन:** गैर-खाद्य फीडस्टॉक से एथेनॉल उत्पादन की प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना चाहिए ताकि खाद्य उत्पादन प्रणाली को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए बिना प्रचुर मात्रा में उपलब्ध अन्य संसाधनों का लाभ उठाया जा सके।
- **समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करना:** तेल विपणन कंपनियों को एथेनॉल आसवन संयंत्रों को स्थापित करने और साथ ही संपूर्ण देश में मिश्रित ईंधन उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित समयसीमा प्रदान करने की आवश्यकता है।
  - पेट्रोल के साथ एथेनॉल के मिश्रण का प्रतिशत वर्ष 2013-14 में 1.53% प्रतिशत था जो अब बढ़कर वर्ष 2020-21 में 8.5% हो गया है।
- **उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकारी सहायता:** विशेषज्ञों का कहना है कि कई चीनी मिलें बायोएथेनॉल के उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं, परंतु उनके पास जैव ईंधन संयंत्रों में निवेश करने हेतु वित्तीय स्थिरता नहीं है।

## 5.3. गंगा नदी घाटी का हिमनद झील एटलस (Glacial Lake Atlas of Ganga River Basin)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, जल शक्ति मंत्रालय (MoJS) ने गंगा नदी घाटी में अवस्थित हिमनद झीलों का एक एटलस जारी किया है।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- इस एटलस को **राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (National Hydrology Project: NHP) के अंतर्गत** प्रकाशित किया गया है।

- वर्तमान अध्ययन में, 0.25 हेक्टेयर के बराबर या अधिक जल प्रसार क्षेत्र वाली हिमनद झील को रिसोर्ससैट-2 उपग्रह के डेटा का उपयोग करके मानचित्रित किया गया है।

**गंगा नदी घाटी के बारे में**

- गंगा नदी घाटी (बेसिन) **मध्य हिमालयी क्षेत्र में भारत, नेपाल और तिब्बत (चीन) में विस्तारित है। हालांकि, इसका विस्तार बांग्लादेश तक है।**
- इसमें एवरेस्ट पर्वत समेत **विश्व की 14 सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटियों में से 9 पर्वत चोटियां अवस्थित हैं, जिनकी ऊंचाई 8,000 मीटर से अधिक है।**
    - इस नदी घाटी क्षेत्र में 8,000 मीटर से अधिक ऊंची चोटियों में **कंचनजंगा, ल्होत्से, मकालू, चो ओयू, धौलागिरी, मानसलु, अन्नपूर्णा और शिशापंगमा सम्मिलित हैं।**
- इस एटलस में **गंगा नदी घाटी को 11 उप-घाटियों** (इन्फोग्राफिक देखें) में विभाजित किया गया है। यह विभाजन इस नदी प्रणाली में योगदान देने वाली प्रमुख नदियों के संगम जैसे कि दायीं ओर से यमुना तथा बायीं ओर से शारदा, घाघरा, गंडक एवं कोसी नदियां के आधार पर किया गया है।
- गंगा नदी घाटी की जलवायु मैदानी क्षेत्रों में मुख्य रूप से **उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय से लेकर समशीतोष्ण उप-आर्द्र है।**
- गंगा नदी घाटी की वार्षिक जल वहन क्षमता लगभग **525 बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM)** है और इसका (बेसिन का) कुल उपयोग योग्य सतही जल संसाधन 250 BCM है।

**राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (National Hydrology Project: NHP) के बारे में**

- जल शक्ति मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना का **उद्देश्य जल संसाधन सूचना की सीमा, गुणवत्ता और सुलभता में सुधार करना है** तथा भारत में लक्षित जल संसाधन प्रबंधन संस्थानों की क्षमता को सुदृढ़ करना है।
- राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत **इसरो (ISRO)** के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (National Remote Sensing Centre: NRSC) द्वारा **उपग्रह डेटा और भू-स्थानिक तकनीकों का उपयोग करके जल विज्ञान संबंधी अध्ययन किया जा रहा है।**
    - इसके भाग के रूप में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी को शामिल करते हुए **हिमालयी नदियों के संपूर्ण जलग्रहण क्षेत्र** के लिए हिमनद झील की विस्तृत सूची, GLOF (हिमनद झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़/ Glacial Lake Outburst Flood) संबंधी जोखिमों की जानकारी और चुनिंदा झीलों के लिए GLOF का काल्पनिक अनुमान तैयार किया जा रहा है।

**हिमनद झील के बारे में**

- इसे ऐसे जलीय निकाय के रूप में परिभाषित किया जाता है **जिसमें पर्याप्त मात्रा में जल होता है, जो किसी हिमनद के अंदर, उसके नीचे, पार्श्व में, और/या अग्रभाग में मुक्त सतही क्षेत्र में विस्तारित होता है।** इनका उद्भव हिमनदीय गतिविधियों और/या हिमनद के पीछे हटने की प्रक्रियाओं के कारण होता है।
- जैसे-जैसे हिमनद पीछे हटता/ संकुचित होता जाता है, हिमनद के अग्रभाग में एकत्रित हिमोढ़ (तटबंध के रूप में) के पीछे **हिमनद झीलों का निर्माण होता है।**
- हिमोढ़ (तटबंध) का गठन या निर्माण सामान्यतः अस्थिर सामग्रियों से होता है। इसलिए विभिन्न प्रेरक कारणों से इनके अचानक टूटने का खतरा विद्यमान रहता है, जिससे विध्वंसक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसी बाढ़ को ही GLOF (हिमनद झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़) कहा जाता है।

**Details of subbasins of Ganga River basin**

| S. No. | Subbasin | Area (Km)$^2$ | Area (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bhagmati | 7,635 | 3.09 |
| 2 | Gandak | 36,465 | 14.76 |
| 3 | Ghaghara | 53,072 | 21.48 |
| 4 | Kamla | 6,106 | 2.47 |
| 5 | Kosi | 59,709 | 24.16 |
| 6 | Lower Ganga | 6,543 | 2.65 |
| 7 | Ramganga | 11,455 | 4.65 |
| 8 | Rapti | 11,423 | 4.62 |
| 9 | Sarda | 17,326 | 7.01 |
| 10 | Upper Ganga | 25,675 | 10.39 |
| 11 | Yamuna | 11,701 | 4.73 |
| | Total | 2,47,110 | 100.00 |

**Location of Ganga River basin showing RS-2 LISS-IV images**

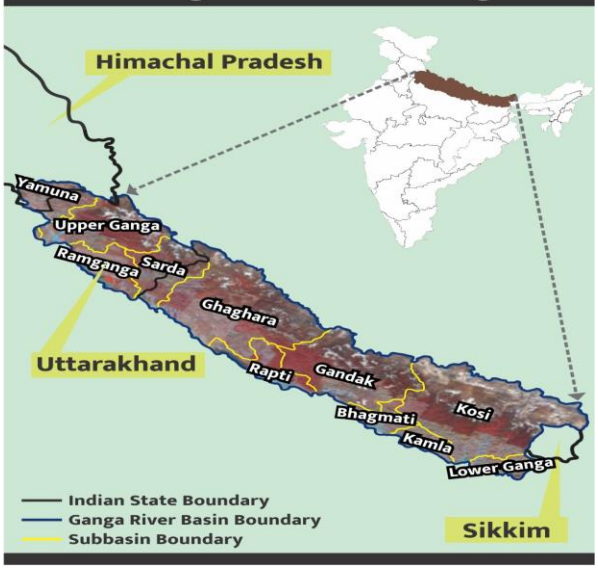

**इस एटलस के प्रमुख निष्कर्ष**

- झील निर्माण से जुड़ी प्रक्रिया, उसकी अवस्थिति और झील के तटबंध में प्रयुक्त सामग्री के प्रकार के आधार पर हिमनद झीलों को नौ विभिन्न प्रकारों में चिन्हित किया गया है और इन्हें मुख्य रूप से चार श्रेणियों में समूहित किया गया है, जैसे-
  - **हिमोढ़ तटबंध झील (Moraine-dammed)** (हिमनद के पीछे हटने की अवधि के दौरान हिमोढ़ के एकत्रित होने से इसका निर्माण होता है);
  - **हिम तटबंध वाली झील (Ice-dammed)** (आगे बढ़ते हुए हिमनद या हिमनद की मोटाई बढ़ने से जल निकासी के अवरुद्ध होने से इनका निर्माण होता है);
  - **हिमनदीय अपरदन (Glacier Erosion), और**
  - **अन्य हिमनद झीलें (Other Glacial lakes)।**
- **इसके तहत कुल 4,707 झीलों को मानचित्रित किया गया है।**
  - 5 हेक्टेयर या उससे बड़ी आकार की झीलों की संख्या 672 (14.28%) है। ये नदी घाटी के कुल झील क्षेत्रफल के 76.87% भाग पर विस्तृत हैं।
  - आधी से अधिक झीलें (अर्थात् 59.25%) 5,000 मीटर से अधिक उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों में अवस्थित हैं। इसमें अधिकांश हिमोढ़ अवरुद्ध झील हैं।
  - 11 उप-घाटियों में केवल **6 उप-घाटियों में ही हिमनद झीलें पाई गई हैं।** इनमें सर्वाधिक हिमनद झील **कोसी उप-घाटी (51.77%)** में हैं, जिसके बाद घाघरा उप-घाटी (26.77%) का स्थान आता है।
  - **यमुना उप-घाटी में न्यूनतम हिमनद झीलें हैं।** इसके बाद शारदा उप-घाटी का स्थान आता है।
  - संपूर्ण गंगा नदी घाटी में केवल एक **हिम तटबंध वाली झील (Glacier Ice-dammed Lake)** है और यह गंडक उप-घाटी में अवस्थित है।

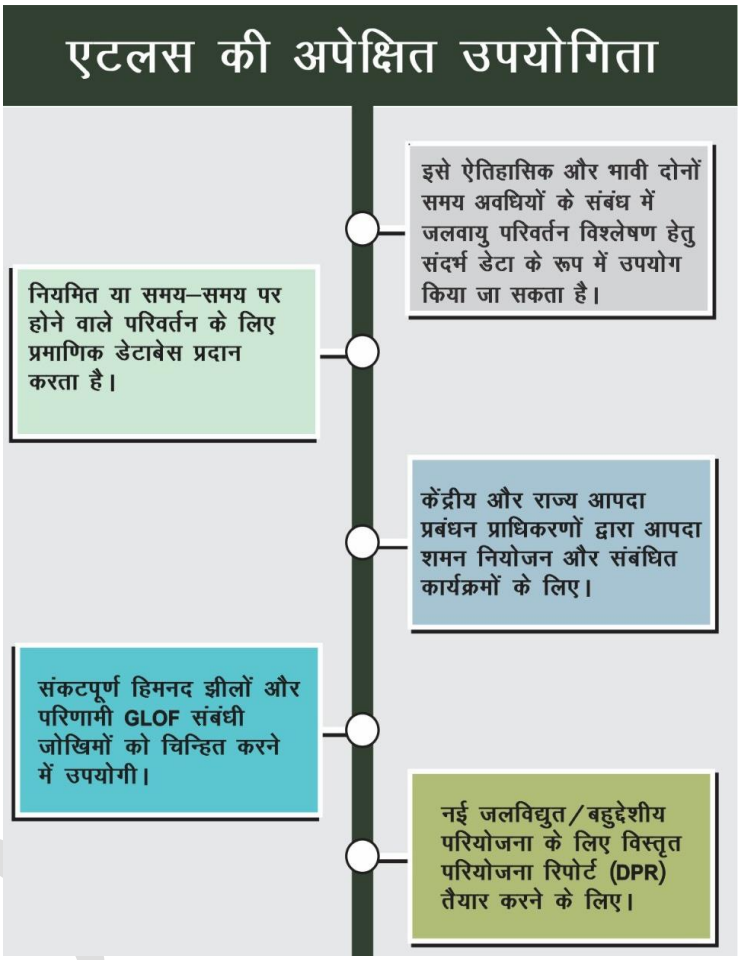


- **सर्वाधिक (93.50%) हिमनद झीलें उत्तराखंड में हैं।** इसके बाद हिमाचल प्रदेश (6.50%) का स्थान आता है।
- **इसमें प्रत्येक हिमनद झील को 12 अक्षरांकों (alphanumerals) के माध्यम से विशिष्ट हिमनद झील पहचान (ID) प्रदान की गई है।** साथ ही, यह एटलस हिमनद झीलों के बारे में कई अन्य विशेषताएं जैसे कि जल विज्ञान, ज्यामितीय, भौगोलिक और स्थलाकृति से संबंधित विवरण भी प्रदान करता है।

## 5.4. जैविक कृषि (Organic Farming)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

अंडमान तथा निकोबार में लगभग 14,491 हेक्टेयर क्षेत्र को **भारतीय सहभागिता प्रत्याभूति प्रणाली {Participatory Guarantee System (PGS)-India}** प्रमाणीकरण कार्यक्रम के **वृहद क्षेत्र प्रमाणीकरण (Large Area Certification: LAC) योजना** के अंतर्गत **जैविक (organic)** के रूप में प्रमाणित किया गया है। यह इस प्रकार से प्रमाणित होने वाला पहला वृहद सन्निहित क्षेत्र (contiguous territory) है।

**वृहद क्षेत्र प्रमाणीकरण (LAC) के बारे में**

- यह भारत में जैविक कृषि (ऑर्गेनिक फार्मिंग) के संभावित क्षेत्रों का दोहन करने वाला एक विशिष्ट प्रमाणीकरण कार्यक्रम है।
- इसे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अपनी प्रमुख योजना **"परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)"** के अंतर्गत आरंभ किया गया था।
- LAC के तहत **किसी क्षेत्र के प्रत्येक गांव को एक क्लस्टर या संकुल के रूप में माना गया है** तथा ग्राम-वार सरल दस्तावेजीकरण किया गया है।

- सभी किसानों को उनकी खेती की भूमि तथा मवेशियों के साथ **मानक संबंधी अनिवार्यताओं को पूरा करना होता है।** सत्यापित होने पर रूपांतरण अवधि के अंतर्गत आए बिना उन्हें **सामूहिक रूप से प्रमाणित** होना चाहिए।
- PSG-इंडिया की मूल्यांकन प्रक्रिया के अनुसार **वार्षिक आधार पर प्रमाणन का नवीनीकरण** किया जाता है।

**जैविक खेती के बारे में**

- **खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organisation: FAO)** के अनुसार, "जैविक कृषि एक विशिष्ट उत्पादन प्रबंधन प्रणाली है। यह जैव-विविधता, जैविक चक्र तथा मृदा में जैविक गतिविधि सहित कृषि-पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है और उसमें सुधार करती है। इसके लिए ऑन-फार्म एग्रो-नॉमिक अर्थात् खेत में कृषि विज्ञान (मृदा प्रबंधन और फसल उत्पादन के लिए मृदा एवं पादप विज्ञानों का अनुप्रयोग) तथा जैविक और यांत्रिक विधियों का उपयोग किया जाता है जबकि खेत से इतर अन्य संश्लेषित इनपुट्स का सहारा नहीं लिया जाता है।"
- जैविक उत्पादों को पर्यावरण और सामाजिक रूप से एक उत्तरदायी दृष्टिकोण के साथ **रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के बिना** उगाया जाता है।

**भारत में जैविक खेती की स्थिति**

- वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार, विश्व की जैविक कृषि योग्य भूमि के संबंध में भारत आठवें स्थान पर और उत्पादकों की कुल संख्या के संबंध में पहले स्थान पर है।
- भारत द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में लगभग 3.49 मिलियन मीट्रिक टन प्रमाणित जैविक उत्पादों (विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पाद विशेषकर गन्ना, तिलहन, अनाज और मोटे अनाज, कपास इत्यादि) का उत्पादन किया गया है।
- वित्त वर्ष 2020-21 में **जैविक खाद्य उत्पादों के निर्यात में 51 प्रतिशत की वृद्धि हुई है,** जिसका मूल्य बढ़कर 7,080 करोड़ रुपये हो गया है।
- विभिन्न राज्यों में **जैविक खाद्य उत्पादों** का सबसे बड़ा उत्पादक **मध्य प्रदेश** है। इसके बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान का स्थान आता है।
- **सिक्किम** वर्ष 2016 में पूर्ण रूप से जैविक राज्य बनने वाला विश्व का पहला राज्य है।

**लाभ**

- **स्वास्थ्यवर्धक खाद्य:** कई अध्ययनों से पता चलता है कि पोषण की दृष्टि से आवश्यक चीजों जैसे कि कुल एंटीऑक्सीडेंट क्षमता, कुल पॉलीफेनोल्स इत्यादि की मात्रा जैविक खाद्य में उच्चतर होती है।
  - अध्ययनों में यह भी पता चलता है कि जैविक रूप से पाले गए पशुओं के दुग्ध संबंधी उत्पाद, पारंपरिक रूप से उत्पादित दुग्ध संबंधी उत्पादों की तुलना में स्वास्थ्य के लिए अधिक हितकर होते हैं।
- **पारिस्थितिक तंत्र संबंधी लाभ:**
  - **मृदा की गुणवत्ता में सुधार:** यह हरित खाद जैसे कि जैविक पदार्थ संबंधी आदानों के अनुप्रयोग और कम गहरी जुताई के माध्यम से उपजाऊ सूक्ष्मजीव युक्त मृदा का निर्माण करती है और उसकी उर्वरता को बनाए रखती है।
  - **प्रदूषण में कमी:** मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देकर तथा हानिकारक कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग न करने के कारण जैविक कृषि जल एवं वायु प्रदूषण को कम करती है।

- **पीड़क संबंधी निम्न घटना:** प्रायः यह देखा गया है कि यदि मृदा स्वस्थ है, तो उसमें रासायनिक उर्वरकों के उपयोग वाली मृदा या जैविक घटकों की न्यूनता वाली मृदा की तुलना में पीड़कों की समस्या नगण्य होती है।

- **संसाधनों का कुशल उपयोग:**
  - **बेहतर जल प्रबंधन:** कार्बनिक पदार्थों का उच्च स्तर जल के अंतःस्पदंन (infiltration) तथा प्रतिधारण क्षमता में सुधार करता है जिससे सिंचाई के लिए जल की कम मात्रा की आवश्यक होती है।
  - **निम्न ऊर्जा का उपयोग:** कई प्रचलित फसलों जैसे कि मक्का के लिए नाइट्रोजन समृद्ध मृदा की अनिवार्यता होती है जिसके लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैविक कृषि के तहत कम्पोस्ट खाद तथा फसल आवरण का उपयोग करके नाइट्रोजन समृद्ध मृदा की स्थिति को प्राप्त किया जाता है।

- **आर्थिक लाभ:**
  - **आय में वृद्धि:** दीर्घ अवधि में आदान संबंधी लागत में उल्लेखनीय कमी आती है तथा जैविक फसलों की उपज में सुधार होता है जो किसानों को आय संबंधी सुरक्षा प्रदान करती है।
  - **रोजगार के अवसर:** कई अध्ययनों के अनुसार, जैविक कृषि के तहत पारंपरिक कृषि प्रणाली की तुलना में अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। इसलिए, यह विशेषकर भारत जैसे देशों में रोजगार के अवसर प्रदान करेगी।
  - **पारिस्थितिकी पर्यटन:** इटली जैसे देशों में जैविक कृषि वस्तुतः पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी एक प्रमुख आकर्षण के रूप में स्थापित हो गई है।

**सरकार द्वारा भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए शुरु की गई पहलें**

- **परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY):** यह राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (National Mission of Sustainable Agriculture: NMSA) का एक हिस्सा है।
    - इस योजना के अंतर्गत, जैविक कृषि को क्लस्टर दृष्टिकोण तथा सहभागिता प्रत्याभूति प्रणाली (PGS) प्रमाणीकरण द्वारा जैविक गांवों को गोद लेने के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है।
- **पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (Mission Organic Value Chain Development for North East Region: MOVCD):** यह एक केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को उपभोक्ता के साथ जोड़ने के लिए मूल्य श्रृंखला मोड में प्रमाणित जैविक उत्पादन को विकसित करना तथा संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास में सहायता करना है।
- **मृदा स्वास्थ्य कार्ड:** इस योजना का उद्देश्य किसानों को पोषक-तत्व संबंधी जानकारी प्रदान कर मृदा के स्वास्थ्य में सुधार करना है। इसके कारण रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में 8-10% की गिरावट तथा उत्पादकता में 5-6% की वृद्धि हुई है।
- **कृषि-निर्यात नीति, 2018:** यह भारत में जैविक कृषि को सहायता प्रदान करने हेतु जैविक कृषि उत्पादों का विपणन करने तथा उनको बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
- **शून्य बजट प्राकृतिक कृषि:** सरकार द्वारा सक्रिय रूप से शून्य बजट प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह पारंपरिक भारतीय प्रथाओं से व्युत्पन्न रसायन-मुक्त कृषि पद्धति है।

**भारत में जैविक क्षेत्रक के समक्ष चुनौतियां**

- **निम्न कवरेज:** मार्च 2020 तक देश की लगभग 2.78 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि जैविक कृषि के अंतर्गत शामिल थी, जो कि भारत के 140.1 मिलियन हेक्टेयर निवल बुवाई क्षेत्र का केवल 2 प्रतिशत है।
- **किसानों की अनिच्छा:** उच्च आरंभिक लागत तथा तत्काल आय पर संभावित प्रभाव के कारण अधिकांश किसान जैविक कृषि अपनाने के प्रति अनिच्छुक होते हैं।
    - साथ ही, कई मामलों में किसानों द्वारा अपनी कृषि पद्धति को पारंपरिक से जैविक में रूपांतरित करने के दौरान संश्लेषित आदानों का अपवर्जन करने से उपज में कुछ कमी दर्ज की गई है।
- **आपूर्ति तथा मांग में असमानता:** शीघ्र खराब होने वाले कृषिगत उत्पादों की प्रमुख मांग महानगरों में सर्वाधिक होती है जहां जैविक फल तथा सब्जियां को उत्पादित करने वाले खेत नहीं होते हैं।
- **उत्पादन संबंधी साधनों को सहायता का अभाव:** सरकार रसायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के लिए सब्सिडी देती है, किंतु जैविक साधनों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही, जैविक बीज तथा कृषि सामग्री अत्यधिक विनियमित हैं तथा सरकारी नीतियों द्वारा प्रशासित होती हैं।
- **अस्पष्ट प्रमाणन ढांचा:** भारत में जैविक खाद्य उत्पादों का विक्रय करने के लिए विशिष्ट, प्रसिद्ध और तृतीय पक्ष प्रमाणित नीति या ढांचे का अभाव है, जो ग्राहकों में विश्वास संबंधी संशय की स्थिति उत्पन्न करता है। (इन्फोग्राफिक देखें)।
- **जैविक उत्पादों का उच्च मूल्य:** जैविक उत्पादों का अंतिम मूल्य अधिकांशतः पारंपरिक उत्पादों की तुलना में उच्चतर होता है, जो कि भारत में जैविक उत्पाद बाजार को प्रभावित करता है।
- **जैविक खाद हेतु गुणवत्ता संबंधी मानकों का अभाव:** जैविक उर्वरक तथा जैविक खाद हेतु कोई निश्चित मानक एवं गुणवत्ता संबंधी मानक नहीं हैं।

**आगे की राह**

- **जागरूकता अभियान:** "स्वच्छ भोजन" हेतु "स्वच्छ भारत" के समान एक समग्र तथा समुदाय संचालित दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
    - किसानों तथा उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में पारंपरिक कृषि प्रणाली की तुलना में जैविक कृषि के लाभों को रेखांकित करने के लिए एक प्रभावी अभियान की आवश्यकता है।
- मांग-आपूर्ति में व्याप्त अंतराल की पूर्ति करने में **स्मार्ट परिवहन तथा आपूर्ति के समर्पित माध्यम** सहायता कर सकते हैं।
- **जैविक आदान प्रबंधन के लिए नीतिगत पहल:** सरकार को जैविक कृषि के लिए एक पृथक नीतिगत ढांचा लागू करना चाहिए, जिसमें बीज उत्पादन तथा संबंधित आदान की आपूर्ति शामिल हो।
- ग्राहकों में विश्वास सृजित करने के लिए **जैविक मानकों के अनुपालन के लिए एक पारदर्शी विनियामक ढांचे की आवश्यकता है।**
    - जैविक खाद्य के लिए भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) का **जैविक भारत लोगो (Jaivik Bharat logo)** उपभोक्ताओं को जैविक खाद्य उत्पादों को अन्य गैर-जैविक उत्पादों से पृथक करने में सक्षम बनाता है, जो सही दिशा में किया गया एक प्रयास है।

## 5.5. भारत में सूखा (Droughts in India)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UN Office for Disaster Risk Reduction: UNDRR) द्वारा **आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर वैश्विक आकलन रिपोर्ट (Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction: GAR)** जारी की गयी।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- **"वर्ष 2021 में सुखा (Drought 2021)"** पर इस विशेष रिपोर्ट में सूखे की प्रणालीगत प्रकृति का अन्वेषण किया गया है। साथ ही, इसमें आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क, सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की उपलब्धियों तथा मानव और पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य एवं कल्याण पर भी सूखे के प्रभावों का अन्वेषण किया गया है।
    - आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क 2015-2030 का उद्देश्य जीवन, आजीविका एवं स्वास्थ्य के संबंध में और व्यक्तियों, व्यवसायों, समुदायों तथा देशों की आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय परिसंपत्तियों के संबंध में आपदा संबंधी जोखिम और क्षति में पर्याप्त कमी लाना है।

**सूखा निम्नलिखित प्रकार से चक्रवात, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार तथा सुनामी जैसे प्राकृतिक विपत्तियों से अलग है:**

- इसकी कोई **सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य परिभाषा नहीं है** जो इसकी जटिलता को समाहित कर सके।
- सूखे की मंद शुरुआत, शांत प्रसार तथा क्रमिक निवर्तन (समाप्ति) संबंधी प्रवृत्ति के कारण सूखे के आरंभ तथा अंत का निर्धारण करना कठिन होता है। भारत में इसे सामान्य तौर पर मानसून के साथ जोड़कर देखा जाता है।
- ऐसा कोई संकेतक या सूचकांक मौजूद नहीं है जो सूखे के आगमन तथा गंभीरता का सटीक अनुमान के साथ-साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगा सके।
- अन्य प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में इसका स्थानिक विस्तार कहीं अधिक होता है जो संबंधित प्रभावी अनुक्रिया को अत्यधिक चुनौतीपूर्ण बना देता है।
- सामान्यतः इसके प्रभाव गैर-संरचनात्मक होते हैं तथा इसके परिमाण का निर्धारण भी कठिन होता है। उदाहरण के लिए, पारिस्थितिकी को क्षति, समुदायों की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में बाधा, स्वास्थ्य तथा रुग्णता पर कुपोषण के दीर्घकालिक प्रभाव इत्यादि।

**भारत में सूखे का विशिष्ट वर्गीकरण**

- भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department: IMD) द्वारा **सूखा वर्ष (drought year)** को संपूर्ण वर्ष के रूप में परिभाषित किया जाता है। अर्थात् जिस वर्ष किसी क्षेत्र में समग्र वर्षण संबंधी न्यूनता, दीर्घावधि औसत (Long Period Average: LPA) मान से 10% अधिक हो तथा उस क्षेत्र का 20% से अधिक हिस्सा सूखे (मध्यम या गंभीर या संयुक्त रूप से मध्यम और गंभीर) से प्रभावित हो तो उस वर्ष को सूखा वर्ष के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- IMD ने आधिकारिक तौर पर "सूखा" शब्द को अपनी शब्दावली से हटा दिया है, जो कि वैज्ञानिक रूप से सटीक नहीं होने वाले शब्दों को हटाने या पुनः परिभाषित करने के निर्णय के तहत किया गया है।
- "अखिल भारतीय सूखा वर्ष (All India Drought Year)" या "अखिल भारतीय गंभीर सूखा वर्ष (All India Severe Drought Year)" जैसे पदों का उपयोग करने की बजाए IMD ने "वर्षा की न्यूनता" वाला वर्ष ("deficient" year) या "वर्षा की अत्यधिक न्यूनता" वाला वर्ष ("large deficient" year) जैसे पदों को अंगीकृत किया है।

**सूखा क्या है?**

- दीर्घ अवधि तक वर्षण (जैसे- वर्षा, हिमपात या ओलावृष्टि) के अभाव की स्थिति को सूखे का लक्षण माना जाता है जिसके परिणामस्वरूप जल की कमी हो जाती है।
- हालांकि, सूखा प्राकृतिक रूप से घटित होता है लेकिन जल का उपयोग तथा प्रबंधन जैसी मानवीय गतिविधियां शुष्क स्थिति में और बढ़ोतरी कर सकती हैं।

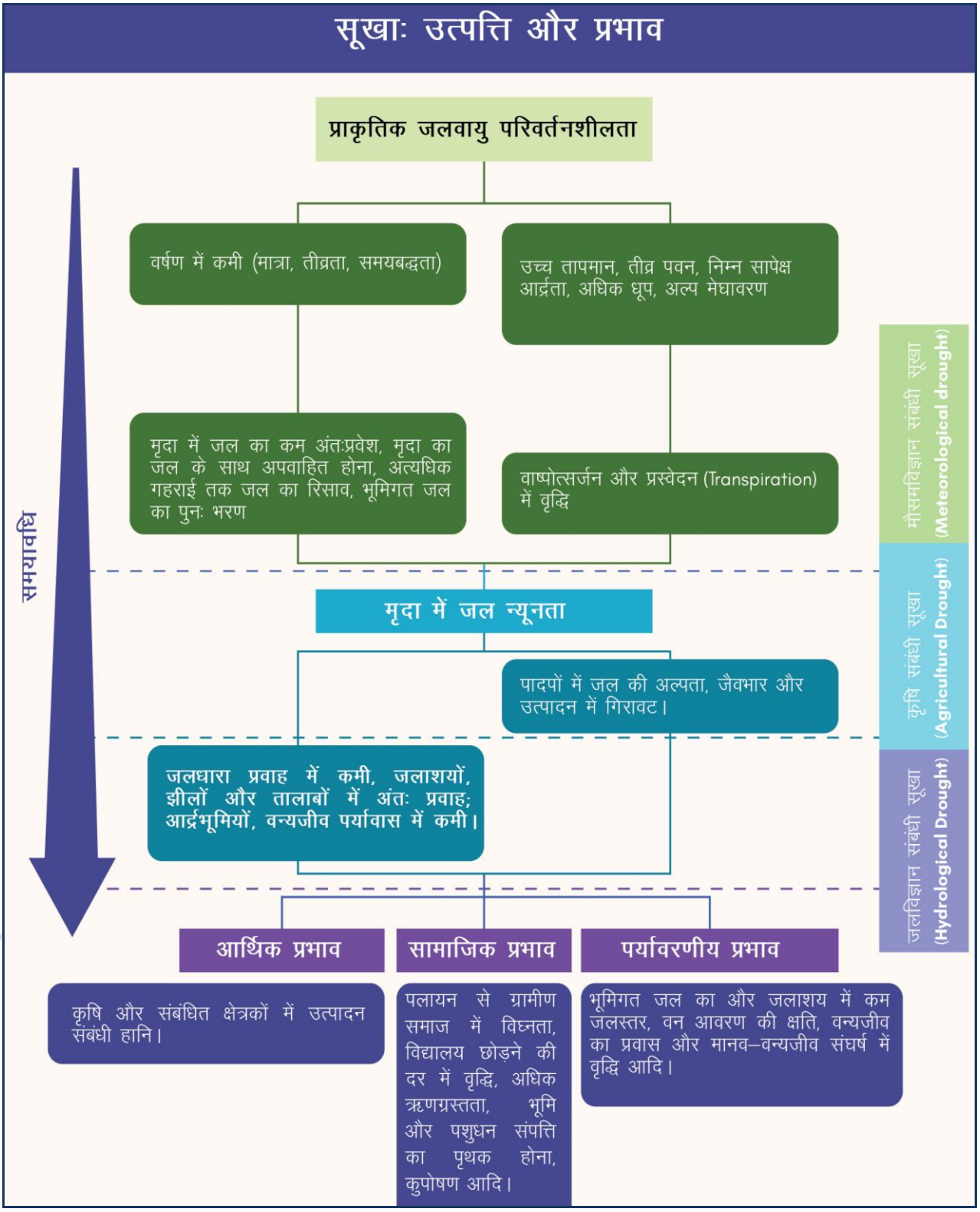

**संबंधित अवधारणा**

**आकस्मिक सूखा (Flash Drought)**

- पारंपरिक सूखा महीनों के दौरान विकसित होता है, जबकि आकस्मिक सूखा तेजी से विकसित एक गंभीर सूखे की स्थिति को संदर्भित करता है।
- असामान्य रूप से उच्च तापमान (लू जनित आकस्मिक सूखा), तीव्र पवनों तथा उच्च सौर विकिरण और 15-20 दिनों की अवधि तक वर्षा की अनुपस्थिति (वर्षण की न्यूनता जनित आकस्मिक सूखा) के कारण उच्च वाष्पीकरण-वाष्पोत्सर्जन (evapo-transpiration) से आकस्मिक सूखा घटित होता है।
- **इन्हें कृषि संबंधी सूखा के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है,** क्योंकि यह मृदा की नमी तथा फसली तनाव से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है।

**भारत में सूखा**

- भारत का 68% से अधिक भाग सूखे के प्रति सुभेद्य है। इसमें से 33% भाग पर विस्तृत 'समयपूर्वक सूखा-प्रवण क्षेत्रों' (chronically drought-prone areas) में 750 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है, जबकि 35% क्षेत्र में विस्तृत 'सूखा-प्रवण' क्षेत्रों में 750-1,125 मिलीमीटर वर्षा होती है।
  - भारत में सूखे के प्रमुख वर्ष 1877, वर्ष 1899, वर्ष 1918, वर्ष 1972, वर्ष 1987 तथा वर्ष 2002 थे।
- नीति आयोग ने **समग्र जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट** के अंतर्गत इस तथ्य को रेखांकित किया था कि भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग दो लाख लोगों की अपर्याप्त जल तथा स्वच्छता के कारण मृत्यु हो जाती है। इसके अनुसार, जल संकट के कारण वर्ष 2050 तक जी.डी.पी. के लगभग 6% के बराबर हानि होगी।
- सूखे की गंभीरता के आधार पर, **भारत को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है:**

| | |
|---|---|
| **अत्यधिक / चरम सूखा प्रभावित क्षेत्र (Extreme Drought Affected Areas)** | • राजस्थान के अधिकांश हिस्से, विशेषकर अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित मरुस्थलीय क्षेत्र और गुजरात का कच्छ क्षेत्र इस श्रेणी में आते हैं। |
| **गंभीर सूखा प्रभावित क्षेत्र (Severe Drought Affected Areas)** | • इसमें पूर्वी राजस्थान का हिस्सा, मध्य प्रदेश का अधिकांश हिस्सा, महाराष्ट्र का पूर्वी हिस्सा, आंध्र प्रदेश का आंतरिक हिस्सा, कर्नाटक के पठार, तमिलनाडु के आंतरिक भागों का उत्तरी हिस्सा, झारखंड का दक्षिणी हिस्सा तथा ओडिशा का आंतरिक हिस्सा शामिल हैं। |
| **मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र (Moderate Drought Affected Areas)** | • इसमें राजस्थान का उत्तरी हिस्सा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले, गुजरात का शेष हिस्सा, कोंकण को छोड़कर महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु का कोयंबटूर पठार तथा आंतरिक कर्नाटक शामिल हैं। |

**भारत में बार-बार सूखे के कारण**

- **अत्यधिक मौसमी/क्षेत्रीय विविधताएं:** लगभग 1,150 मिलीमीटर की उच्च औसत वार्षिक वर्षा के बावजूद भारत में अत्यधिक मौसमी/क्षेत्रीय विविधताएं विद्यमान हैं।
  - **दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम** (जून से सितंबर) के दौरान 100 दिनों से भी कम की अपेक्षाकृत लघु अवधि में देश में कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 73% वर्षा होती है।
  - देश के विभिन्न भागों में वर्षा के असमान वितरण के कारण कुछ भागों में वर्षा की न्यूनता का अत्यधिक जोखिम होता है, जबकि अन्य भागों में अत्यधिक वर्षा होती है।
  - 33% से अधिक फसली क्षेत्र में लगभग 750 मिलीमीटर की निम्न औसत वार्षिक वर्षा होती है, जो इस क्षेत्र में सूखे की संवेदनशीलता को बढ़ाती है।
- **अत्यधिक-दोहन:** भूजल का अत्यधिक दोहन और सतही जल के अकुशल संरक्षण के कारण सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध नहीं हो पाता है। साथ ही, पारंपरिक जल संचयन प्रणालियों का काफी हद तक परित्याग भी कर दिया गया है।
- **सीमित सिंचाई कवरेज तथा निम्नस्तरीय सिंचाई तकनीक:** ज्ञातव्य है कि देश में निवल सिंचित क्षेत्र 50% से भी कम है, ऐसे में असिंचित क्षेत्रों में कृषि की वर्षा पर पूर्ण निर्भरता सूखे के प्रभाव में बढ़ोतरी करती है। भारत की कृषि जल दक्षता वर्तमान में विश्व में सबसे न्यूनतम है।

**सूखा प्रबंधन संबंधी वर्तमान चुनौतियां**

- **प्रतिक्रियाशील तथा राहत केंद्रित दृष्टिकोण:** क्षति को कम करने के लिए निवारण, शमन तथा तत्परता आधारित राहत-केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से एकीकृत प्रबंधन को अपनाने की आवश्यकता है।
- **आकलन या पूर्व चेतावनी संबंधी समस्या:** इसके तहत स्थान तथा समय के संदर्भ में सामान्य पूर्वानुमान, समय की गणना उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुरूप न होना, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचना में कभी-कभी परस्पर विरोधी संदेश होना इत्यादि शामिल हैं।
- **जल संबंधी उचित, विश्वसनीय डेटा का अभाव:** जल क्षेत्रक में डेटा पर एकाधिकार (किसी समूह द्वारा धारित डेटा जो अन्य समूहों के लिए आसानी से या पूरी तरह से सुलभ नहीं है) बना हुआ है, इसलिए जल संबंधी मूल्य श्रृंखला में बहुत कम क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर डेटा का साझाकरण होता है जिससे जल का उपयोग करने संबंधी दक्षता कम हो जाती है।

**सूखा प्रबंधन पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority: NDMA) के दिशा-निर्देश**

| | |
|---|---|
| **संस्थागत ढांचा तथा वित्तीय व्यवस्था** | • राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (State Disaster Management Authorities: SDMAs) के नियंत्रणाधीन पर्याप्त कर्मचारियों के साथ राज्य स्तर पर अलग सूखा निगरानी प्रकोष्ठ (Drought Monitoring Cells: DMCs) गठित किए जाएंगे।<br>• राज्य DMCs, अपने-अपने राज्यों के लिए संवेदनशीलता मानचित्रों को प्राथमिकता के आधार पर तैयार करेंगे।<br>• भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया जलसंभर (वाटरशेड) विकास दृष्टिकोण, सूखा प्रबंधन दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण पहलू है। |
| **आकलन तथा पूर्व-चेतावनी** | • व्यापक रिपोर्टिंग के लिए भूमि-आधारित सूचना को अंतरिक्ष-आधारित सूचना के साथ एकीकृत करना।<br>• प्राकृतिक पर्यावरण के तहत मृदा की आर्द्रता के स्तर की जानकारी के लिए स्वचालित मौसम स्टेशनों में आर्द्रता संवेदक भी शामिल किए जाएंगे।<br>• सूखे की घोषणा के यूनिट को मानकीकृत किया जाना चाहिए और फसल की उपज हेतु त्वरित आकलन की वैकल्पिक विधियों को विकसित करने की आवश्यकता है ताकि समय पर सूखे के प्रभाव को कम किया जा सके। |
| **निवारण, तत्परता तथा शमन** | • सूक्ष्म स्तर के विश्लेषण तथा पूर्वानुमान में समर्थ होने के लिए स्वचालित मौसम स्टेशन तथा वर्षा-मापियों (रेन-गेज) को उपयुक्त अंतर से स्थापित किया जाएगा।<br>• किए जाने वाले शमन उपायों में निम्नलिखित शामिल होंगे:<br>  ○ दीर्घकालीन शमन उपायों का सुझाव देने के लिए सूखा प्रवण क्षेत्रों की सभी श्रेणियों में प्रायोगिक अध्ययन करना। |

| | |
|---|---|
| | ○ शमन के संभावित उपाय के रूप में मेघ बीजन पर विचार किया जाएगा।<br>• फसल की विविधता तथा छिड़काव/टपक सिंचाई प्रणाली के उपयोग को बढ़ावा देना।<br>• सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से संरक्षणात्मक सिंचाई को बढ़ावा देना।<br>• वृक्षारोपण {जैसे कि सुबाबुल, सीमारूबा, केसुरिना, यूकेलिप्टस (सफेदा)} तथा वनीकरण (जैसे कि जेट्रोफा और पोंगामिया) को प्रोत्साहित किया जाएगा।<br>• सूखे का सापेक्ष कवरेज प्रदान करते हुए विभिन्न कृषि-जलवायविक क्षेत्रों के लिए बीमा उत्पाद विकसित किए जाएंगे। |
| **क्षमता विकास** | • सूखा प्रबंधन के लिए एक **राष्ट्रीय प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम** तैयार कर उसे क्रियान्वित किया जाएगा।<br>• कृषि विश्वविद्यालयों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्रों को राजस्व सृजन के साधन के रूप में उद्योगों/किसानों के लिए संविदात्मक अनुसंधान करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।<br>• पंचायती राज संस्थान (Panchayati Raj Institutions: PRIs) तथा शहरी स्थानीय निकाय (Urban Local Bodies: ULBs) राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण गतिविधियों को करने के लिए अपने अधिकारियों व कर्मचारियों की क्षमता निर्माण सुनिश्चित करेंगे। |
| **राहत तथा कार्रवाई** | • सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने के मूल्य तथा सूखे के प्रभाव को कम करने वाले तालाबों तथा कुओं जैसी संपत्तियों के निर्माण के संबंध में एजेंसियों को संवेदनशील बनाया जाएगा।<br>• सूखा प्रवण क्षेत्रों में उपभोग ऋण के प्रावधान को भी प्रोत्साहित किया जाएगा तथा कृषि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का प्रयास किया जाएगा। |
| **सूखा प्रबंधन योजनाएं (Drought Management Plans: DMPs) तैयार करना** | • सूखा प्रभावित राज्यों तथा जिलों के लिए केंद्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को शामिल करते हुए **राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (National Executive Committeel: NEC)** द्वारा राष्ट्रीय DMP तैयार की जाएगी।<br>• इसके तहत राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे **आपदा जोखिम प्रबंधन** के संबंध में भारत सरकार एवं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा विकसित कार्यक्रम के अनुसार मौजूदा योजनाओं में अपेक्षित बदलाव करें। |

QUIZ
SMART QUIZ

विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **पर्यावरण** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

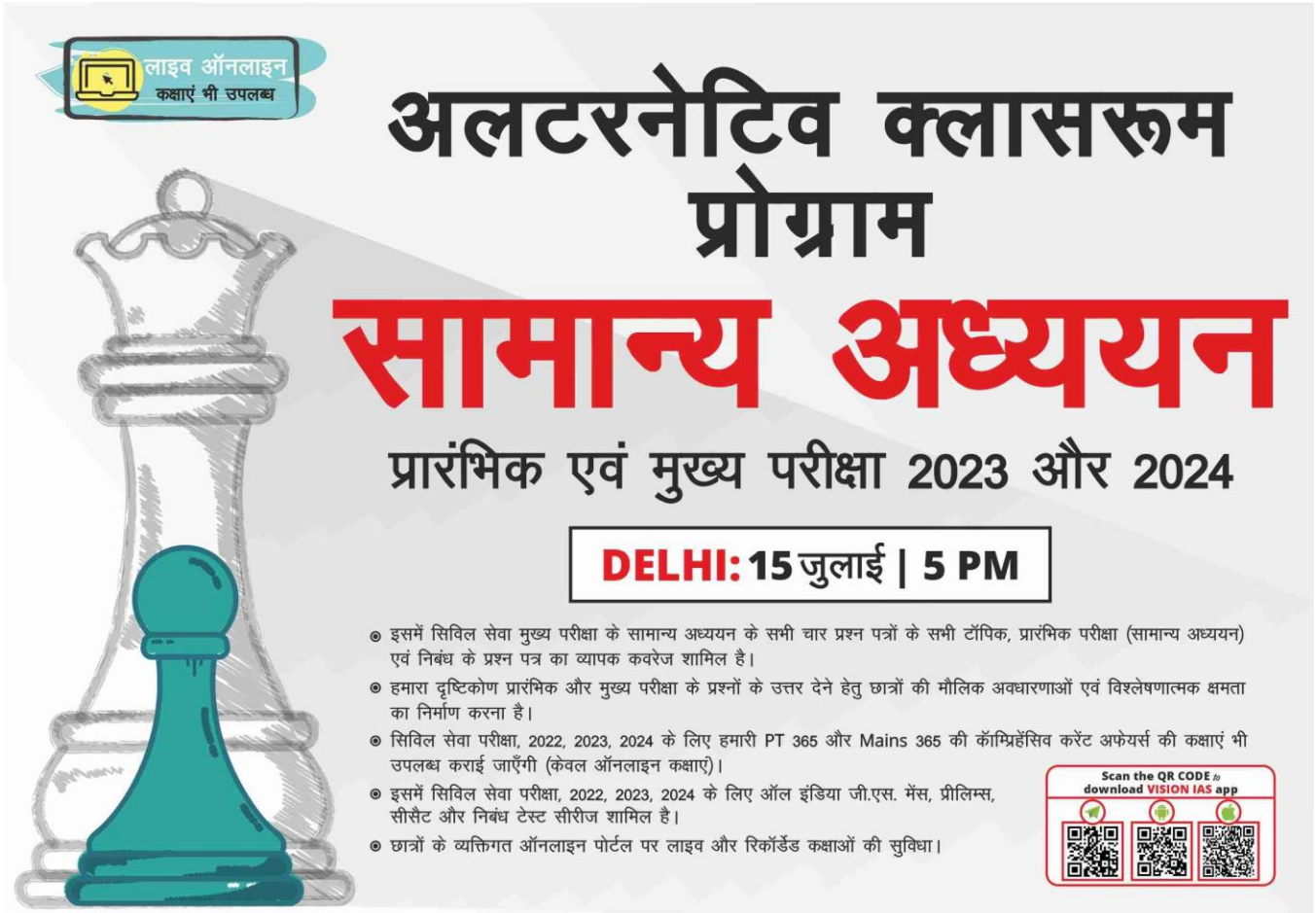
लाइव ऑनलाइन
कक्षाएं भी उपलब्ध
अलटरनेटिव क्लासरूम प्रोग्राम
सामान्य अध्ययन
प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2023 और 2024
DELHI: 15 जुलाई | 5 PM
इसमें सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन के सभी चार प्रश्न पत्रों के सभी टॉपिक, प्रारंभिक परीक्षा (सामान्य अध्ययन) एवं निबंध के प्रश्न पत्र का व्यापक कवरेज शामिल है।
हमारा दृष्टिकोण प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर देने हेतु छात्रों की मौलिक अवधारणाओं एवं विश्लेषणात्मक क्षमता का निर्माण करना है।
सिविल सेवा परीक्षा, 2022, 2023, 2024 के लिए हमारी PT 365 और Mains 365 की कॉम्प्रिहेंसिव करेंट अफेयर्स की कक्षाएं भी उपलब्ध कराई जाएँगी (केवल ऑनलाइन कक्षाएं)।
इसमें सिविल सेवा परीक्षा, 2022, 2023, 2024 के लिए ऑल इंडिया जी.एस. मेंस, प्रीलिम्स, सीसैट और निबंध टेस्ट सीरीज शामिल है।
छात्रों के व्यक्तिगत ऑनलाइन पोर्टल पर लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाओं की सुविधा।
Scan the QR CODE to download VISION IAS app

ESSAY
ENRICHMENT PROGRAME 2021
ADMISSION OPEN
Introducing different stages from developing an idea into completing an essay
Practical and efficient approach to learn different parts of essay
Regular practice and brainstorming sessions
Inter disciplinary approaches
LIVE / ONLINE Classes Available

# 6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

## 6.1. भारत में उच्चतर शिक्षा (Higher Education in India)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2019-20 के लिए **अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (All India Survey on Higher Education: AISHE) रिपोर्ट** जारी की है।

**अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) के बारे में**

- AISHE एक **वार्षिक वेब-आधारित सर्वेक्षण** है। इसे पूर्ववर्ती मानव संसाधन विकास मंत्रालय (वर्तमान शिक्षा मंत्रालय) द्वारा वर्ष 2010-11 से आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य **देश में उच्चतर शिक्षा की स्थिति को प्रदर्शित करना है।**
- यह सर्वेक्षण केंद्रीय क्षेत्र की योजना **उच्चतर शिक्षा सांख्यिकी और जन सूचना प्रणाली (Higher Education Statistics and Public Information System: HESPIS)** के तहत संचालित किया जा रहा है।
- यह सर्वेक्षण **उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा स्वैच्छिक रूप से अपलोड किए गए डेटा पर आधारित** है। साथ ही, इसमें देश के सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को शामिल किया गया है। इन्हें निम्नलिखित **3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत** किया गया है:
  - **विश्वविद्यालय**
  - **महाविद्यालय/संस्थान**
  - **स्टैंड-अलोन या स्वचालित संस्थान (Stand-alone Institutions)** (ये विश्वविद्यालयों से संबद्ध नहीं होते हैं। ये डिग्री प्रदान करने हेतु अधिकृत नहीं होते हैं, इसलिए डिप्लोमा स्तर के कार्यक्रम संचालित करते हैं।)

**अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) 2019-20 के प्रमुख निष्कर्ष**

- **उच्चतर शिक्षा संस्थानों का वितरण:**
- **उच्चतर शिक्षा में नामांकन:** भारत में **उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio: GER)** में अत्यल्प वृद्धि हुई है।
  - **सकल नामांकन अनुपात (GER)** उच्चतर शिक्षा में नामांकित पात्र आयु वर्ग (18 से 23 वर्ष) के छात्रों का प्रतिशत है।

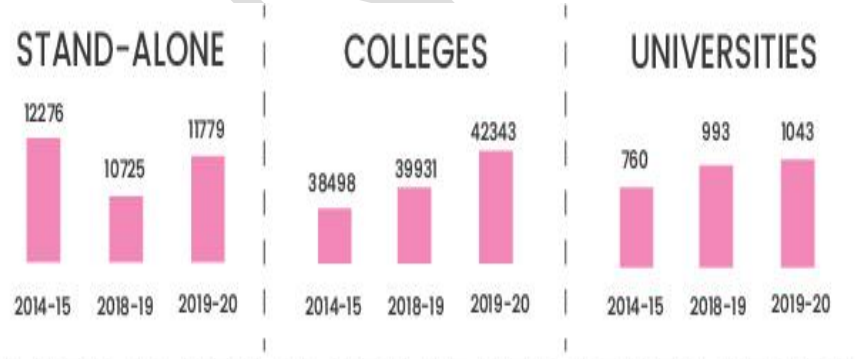


- **लैंगिक समानता:** वर्ष 2019-20 में **महिलाओं के लिए** सकल नामांकन अनुपात (GER) **पुरुषों के 26.9%** की तुलना में **27.3%** था।
  - परिणामस्वरूप, उच्चतर शिक्षा में **लैंगिक समानता सूचकांक (Gender Parity Index: GPI)** शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के 1.00 की तुलना में शैक्षणिक वर्ष 2019-20 में 1.01 था। यह पुरुषों की तुलना में पात्र आयु वर्ग की महिलाओं के लिए उच्चतर शिक्षा तक सापेक्षिक पहुंच में सुधार को दर्शाता है।

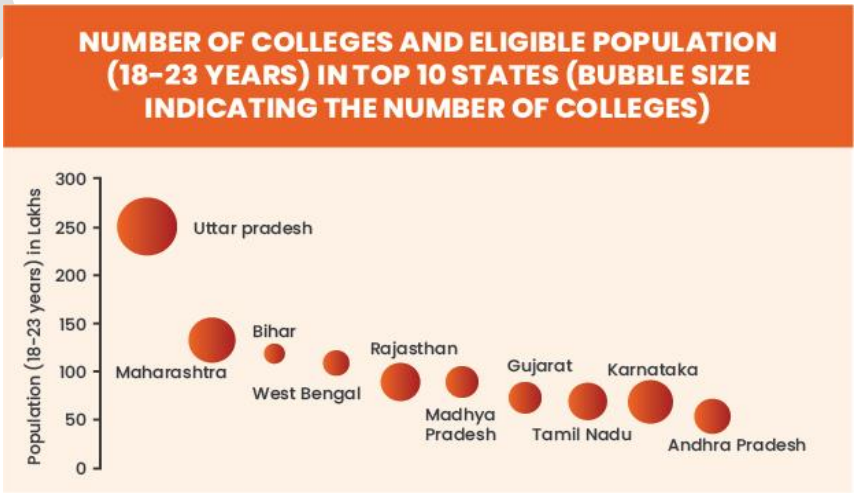


  - 1 का GPI लैंगिक समानता को दर्शाता है और **1 से अधिक का GPI महिलाओं के पक्ष में असमानता को दर्शाता है।**
- **छात्र शिक्षक अनुपात (Pupil Teacher Ratio: PTR) (प्रत्येक शिक्षक पर छात्रों की संख्या):** उच्चतर शिक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात 26 है तथा विभिन्न राज्यों के मध्य इसमें व्यापक अंतर विद्यमान है।

VISION IAS

- उदाहरण के लिए, बिहार और झारखंड में PTR 50 से अधिक है तथा नामांकन के संदर्भ में शीर्ष 6 राज्यों में से कर्नाटक एवं तमिलनाडु में 18-18 का सर्वोत्तम PTR है।

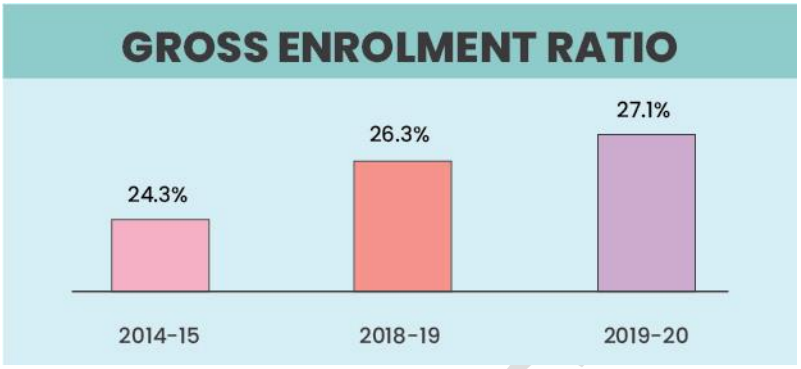


- **अधिमान्य शैक्षिक वर्ग (Preferred Educational Streams):** लगभग 85% छात्र (2.85 करोड़) छह प्रमुख विषयों, जैसे- मानविकी, विज्ञान, वाणिज्य, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, चिकित्सा विज्ञान तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटर में नामांकित थे।
- **विदेशी छात्रों की भागीदारी:** उच्चतर शिक्षा में नामांकित विदेशी छात्रों की कुल संख्या 47,427 है। विदेशी छात्रों का सबसे अधिक भाग पड़ोसी देशों से आता है। इसमें कुल भागीदारी में **नेपाल** का 26.88% योगदान है, तत्पश्चात **अफगानिस्तान** (9.8%), **बांग्लादेश** (4.38%), **सूडान** (4.02%), **भूटान** (3.82%) और **नाइजीरिया** (3.4%) का योगदान है।

**भारत में उच्चतर शिक्षा के संदर्भ में चुनौतियां**

भारत ने विगत दो दशकों में अपने उच्चतर शिक्षा क्षेत्र की क्षमता में नाटकीय वृद्धि देखी है। वर्ष 2001 से उच्चतर शिक्षा में नामांकन में चार गुना बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, निम्नलिखित के संदर्भ में चुनौतियां अभी भी विद्यमान हैं:

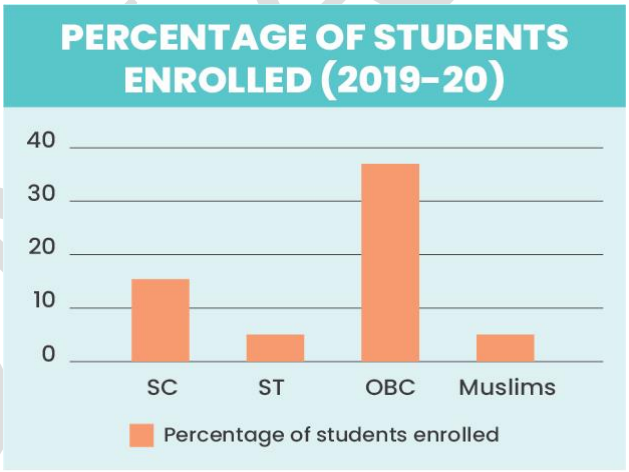


- **विकसित और अन्य विकासशील देशों की तुलना में कम छात्रों का नामांकन:** उच्चतर/तृतीयक शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) **संयुक्त राज्य अमेरिका में 88%, चीन में 54% और ब्राजील में 51%** से अधिक है। कम GER **भारत में उच्चतर शिक्षा के व्यापक प्रसार को प्राप्त करने में अवरोध उत्पन्न करता है** (उच्चतर शिक्षा को कुछ औपचारिक योग्यताओं वाले लोगों के लिए एक अधिकार के रूप में बनाना)।
  - भारत में निम्न GER का कारण मुख्य रूप से उच्चतर शिक्षा में नामांकन हेतु शैक्षिक रूप से योग्य जनसंख्या की कमी है। उच्च-माध्यमिक स्तर पर न्यून नामांकन और उच्च ड्रॉपआउट दर के लिए लैंगिक विभेद, शिक्षा की भाषा और सामाजिक-आर्थिक विवशताओं सहित कई कारक उत्तरदायी हो सकते हैं।
- **सामाजिक असमानता:** हालांकि समग्र लैंगिक असमानता में काफी कमी आई है, परन्तु यह समृद्ध और निर्धन के मध्य बहुत अधिक है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के मध्य उच्चतर शिक्षा तक पहुंच में असमानता भी काफी भिन्न होती है। इसका कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों जैसे हाशिए पर रहने वाले वर्गों का अल्प प्रतिनिधित्व है।
- **संसाधनों की कमी:** उच्चतर शिक्षा में नामांकन का बड़ा हिस्सा राज्य विश्वविद्यालयों और उनके संबद्ध महाविद्यालयों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इन्हें केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तुलना में बहुत कम मात्रा में अनुदान प्राप्त होता है।
  - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission: UGC) के बजट का लगभग 65% भाग केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा उपयोग किया जाता है।
- **निम्न रोजगार क्षमता:** भारत कौशल रिपोर्ट 2021 (India Skills Report 2021) में पाया गया है कि सभी विषयों की रोजगार क्षमता 45% है। स्नातकों के लिए कौशल अंतराल और बेरोजगारी दर उच्चतर शिक्षा प्रणाली में दो समस्याओं की ओर संकेत करती है- भारत में कई महाविद्यालयों में गुणवत्ता की गंभीर रूप से कमी तथा महाविद्यालयों में शिक्षा एवं कार्यस्थल में आवश्यक कौशल के बीच का अंतर।
- **संस्थानों की गुणवत्ता:** भारत में बड़ी संख्या में महाविद्यालय और विश्वविद्यालय UGC द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ हैं। ध्यातव्य है कि UGC बिना मान्यता के संचालित होने वाले 'फर्जी विश्वविद्यालयों' और 'फर्जी महाविद्यालयों' की वार्षिक सूची प्रकाशित करता है। परन्तु इसे इस प्रकार के फर्जी उच्चतर शिक्षा संस्थानों (Higher Education Institutions: HEIs) के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्रवाई करने की शक्ति प्राप्त नहीं है।
  - भारत में सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों (HEIs) में से केवल 14% के पास ही **राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (National Assessment and Accreditation Council: NAAC)** से मान्यता प्राप्त है। ज्ञातव्य है कि भारत के केवल तीन विश्वविद्यालय ही नवीनतम QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष 200 स्थानों में शामिल हुए हैं।

- योग्य शिक्षकों को उत्तम रीति से आकर्षित करने और सेवा में बनाए रखने के लिए राज्य शिक्षा प्रणाली की अक्षमता के साथ-साथ **संकाय (फैकल्टी) की कमी** व्याप्त है। इसके अतिरिक्त, विदेशी विश्वविद्यालयों के विपरीत, जहां कॉलेज संकाय के प्रदर्शन का मूल्यांकन उनके समकक्ष संकाय सदस्यों और छात्रों द्वारा किया जाता है, भारत में विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में प्रोफेसरों की जवाबदेही एवं प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र विद्यमान नहीं है।

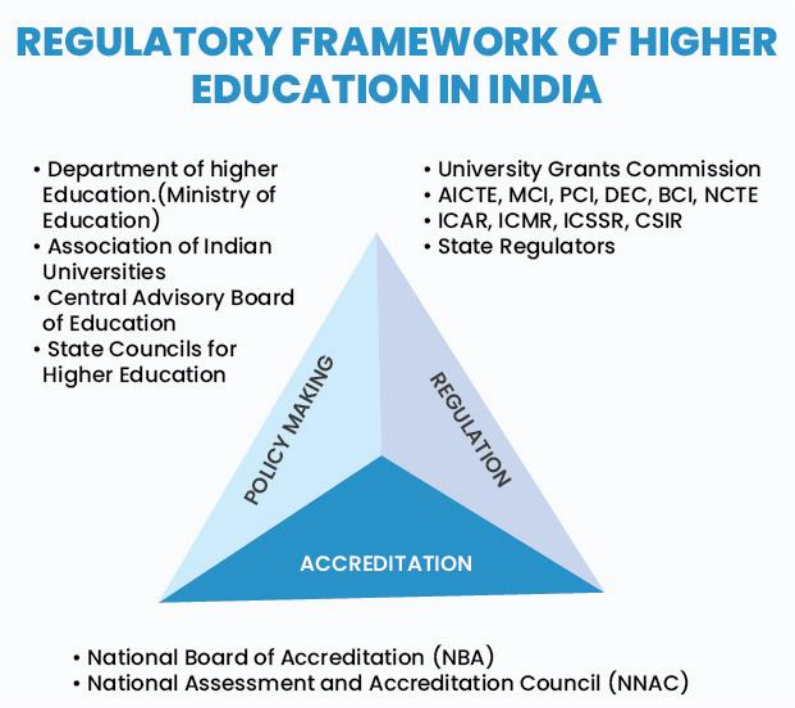


- **उप-इष्टतम (Suboptimal) अनुसंधान परिवेश:** अनुसंधान एवं विकास पर भारत का सकल व्यय इसके सकल घरेलू उत्पाद का मात्र **0.65 प्रतिशत** है। यह शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं द्वारा व्यय किए गए सकल घरेलू उत्पाद के **1.5-3 प्रतिशत** से काफी कम है। परिणामस्वरूप, केवल 2.5% HEIs ही पीएचडी (Ph.D) कार्यक्रम संचालित करते हैं तथा पीएचडी में नामांकित छात्र, कुल नामांकित छात्रों का केवल 0.5% हैं।
    - इसके अतिरिक्त, प्रकाशनों में वृद्धि के बावजूद निम्न साइटेशन इम्पैक्ट का अर्थ है कि भारतीय शोध पत्रों की गुणवत्ता अन्य देशों के समतुल्य नहीं है। भारत के लिए सापेक्ष साइटेशन इम्पैक्ट विश्व औसत (1.0) का अर्धांश (0.51) है।
- **अभिशासन और जवाबदेही:** राज्य स्तरीय प्राधिकरण और संबद्ध विश्वविद्यालय उच्चतर शिक्षा के प्राथमिक विनियामक हैं। इसके कारण उच्चतर शिक्षा प्रणाली अनेक समस्याओं से ग्रस्त हो गयी है, जैसे- अति-केंद्रीकरण, नौकरशाही की भूमिका में वृद्धि तथा जवाबदेही, पारदर्शिता और व्यावसायिकता की कमी।
- **कोविड-19 के प्रभाव:** कोविड-19 ने उच्चतर शिक्षा संबंधी कई नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न किए हैं। उदाहरणार्थ- निष्क्रिय या नीरस अध्ययन, आभासी कक्षा लेने में दक्ष शिक्षकों की कमी, छात्र नामांकन की संरचना में परिवर्तन, परीक्षा और डिग्री प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में विलंब के कारण बेरोजगारी में वृद्धि होना आदि।
    - इसने **प्रचलित डिजिटल विभाजन की चुनौती को भी रेखांकित किया है।** इसके परिणामस्वरूप ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान छात्रों की भागीदारी में कमी आई है, अनुपस्थिति में वृद्धि हुई है और खराब प्रदर्शन हुआ है।
    - मंदी के साथ संयुक्त स्वास्थ्य संकट से **परिवारों द्वारा उच्चतर शिक्षा को पूर्णतया त्यागने या नामांकन को स्थगित करने का निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है।**

**उच्चतर शिक्षा क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा आरंभ की गई प्रमुख पहलें**

- **छात्र नामांकन में सुधार:**
    - **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy: NEP), 2020** का उद्देश्य वर्ष 2035 तक उच्चतर शिक्षा में GER को 50% तक बढ़ाना है। इसमें एक अंतर्विषयक दृष्टिकोण के माध्यम से पाठ्यक्रम को लचीला बनाने, कई निकास बिंदुओं का निर्माण करने और ST, SC, OBC एवं सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (Socially and Economically Disadvantaged Groups: SEDGs) के छात्रों के लिए उनकी योग्यता के अनुसार छात्रवृत्ति पर बल दिया गया है।
    - **मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (Open and Distance Learning) के लिए UGC का नया विनियमन** दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के इस क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति प्रदान करता है।
    - लोगों तक पहुंचने और उन्हें उत्तम गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु **स्वयं (SWAYAM) पोर्टल** लॉन्च किया गया है।
- **वित्त पोषण आवश्यकताओं का समाधान करना:**
    - **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA), 2013** का उद्देश्य राज्य के संस्थानों को उनके शासन एवं प्रदर्शन के संबंध में वित्तपोषण प्रदान करना है।
    - **उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (Higher Education Financing Agency: HEFA), 2018,** शिक्षा मंत्रालय (MoE) और केनरा बैंक का एक संयुक्त उद्यम है। इसका उद्देश्य बाजार से धन, दान और निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility: CSR) निधि प्राप्त कर, शीर्ष संस्थानों की अवसंरचना में सुधार के लिए इनका उपयोग करना है।

- **उच्चतर शिक्षा संस्थानों का बेहतर विनियमन: भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (Higher Education Commission of India: HECI)** को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (All India Council for Technical Education: AICTE) के स्थान पर उच्चतर शिक्षा के एक व्यापक विनियामक के रूप में कार्य करने हेतु प्रस्तावित किया गया है।
- **अनुसंधान पारितंत्र को पुनर्जीवित करना:**
  - **शिक्षा में बुनियादी ढांचे और प्रणालियों को पुनर्जीवित करना (Revitalising Infrastructure and Systems in Education: RISE) या राइज योजना** को पुनर्गठित उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (HEFA) द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। इसका उद्देश्य प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान और संबंधित अवसंरचना में निवेश में वृद्धि करना है।
  - तकनीकी अनुसंधान की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए **प्रधान मंत्री अनुसंधान अध्येता (Prime Minister's Research Fellows: PMRF) योजना** आरंभ की गई है।
  - **इंपैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी (IMPRINT) इंडिया,** मूल वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IITs और IISc की संयुक्त पहल है।
  - **अकादमिक और अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना (स्पार्क) (Scheme for Promotion of Academic and Research Collaboration: SPARC)** का उद्देश्य भारतीय संस्थानों एवं विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के मध्य अकादमिक और अनुसंधान सहयोग को सुविधाजनक बनाकर भारत के उच्चतर शिक्षण संस्थानों के अनुसंधान परिवेश में सुधार करना है।
- **उच्चतर शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार:**
  - **राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (National Institutional Ranking Framework: NIRF) 2015,** भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थानों को रैंक प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय (MoE) द्वारा अपनाई गई एक पद्धति है। इसके अंतर्गत संस्थानों को एक-दूसरे के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही, उनके विकास की दिशा में भी कार्य किया जाता है।
- NIRF भी **उत्कृष्ट संस्थान/इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस (IoE) योजना** के लिए निजी संस्थानों के मूल्यांकन के मानदंडों में से एक है। ऐसे में, IoE विश्व स्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों के रूप में 20 संस्थानों (सार्वजनिक क्षेत्र से 10 तथा निजी क्षेत्र से 10) की स्थापना या उन्नयन के लिए विनियामक संरचना प्रदान करता है।
  - **अनिवार्य मूल्यांकन:** UGC ने वित्तपोषण के लिए आवेदन करने वाले सभी HEIs के लिए NAAC मूल्यांकन अनिवार्य कर दिया है। हाल ही में, AICTE ने घोषणा की है कि HEIs द्वारा संचालित किए जा रहे कम से कम आधे कार्यक्रमों को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NBA) द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए।

**आगे की राह**

- **मिश्रित अधिगम (लर्निंग) को अपनाना:** कोविड-19 महामारी ने शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को नया रूप प्रदान किया है और विभिन्न डिजिटल संसाधनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) ने कोविड उपरांत दौर में क्लासरूम लर्निंग और ऑनलाइन टीचिंग दोनों को समायोजित करते हुए मिश्रित अधिगम (Blended learning) को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है।
- **शिक्षा के क्षेत्र में निवेश:** दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों और ऑनलाइन शिक्षण समाधानों से भारत में वर्ष 2021 तक 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार सृजन की संभावना है। विदेशी संस्थान वैश्विक बाजार का लाभ उठाने के लिए इस उप-क्षेत्र में भारतीय व्यवसायों के साथ सहयोग कर सकते हैं।
- **अध्यापन को एक आकर्षक और लाभप्रद करियर बनाना:** इसके लिए योग्य शिक्षकों (faculty) को आकर्षित करने और उन्हें सेवा में बनाए रखने हेतु संकाय के लिए एक उत्तम रीति से संरचित पदोन्नति नीति एवं प्रोत्साहन योजना तैयार करने की आवश्यकता है।
- **उद्योग-अकादमिक संबद्धता:** व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ करना, अनिवार्य इंटर्नशिप करना और यह सुनिश्चित करना कि कॉलेजों में पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम उद्योग की आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक बना रहे तथा युवाओं की रोजगार क्षमता को संवर्धित करता रहे।
- **नामांकन संकेतक को पुनः परिभाषित करना:** शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि भारत को GER की बजाय पात्रता नामांकन अनुपात (Eligibility Enrolment Ratio: EER) की ओर अग्रसर होना चाहिए। यह पात्र जनसंख्या (जिन्होंने 18-23 आयु वर्ग में कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो) का महाविद्यालय जाने वाले लोगों की संख्या से अनुपात है। EER स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और कौशल एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण को अधिक महत्व देने के प्रयासों के साथ-साथ **भारत में शिक्षणशास्त्र में परिवर्तन सुनिश्चित करेगा।**
- **प्रत्यायन क्षमता का उन्नयन:** इस क्षेत्र में और अधिक अभिकर्ताओं की आवश्यकता है, क्योंकि NAAC के पास भारत में सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन करने की क्षमता नहीं है। सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को क्लस्टर में समूहबद्ध करने से उनकी निकट संवीक्षा संभव हो सकेगी। साथ ही, उन्हें अधिक प्रबंधनीय बनाने में भी सहायता प्राप्त होगी, जिससे गुणवत्ता में सुधार होगा।

## 6.2. बाल श्रम (Child Labour)

### सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)** और **संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF)** ने **"बाल श्रम: वैश्विक अनुमान 2020, प्रवृत्तियां और आगे की राह"** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष **12 जून** को मनाए जाने वाले **विश्व बालश्रम निषेध दिवस (World Day Against Child Labour)** के अवसर पर जारी की गई थी।

### इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- विश्व स्तर पर **160 मिलियन बच्चे** बाल श्रम में संलिप्त हैं। इस प्रकार विश्व भर में प्रत्येक 10 बच्चों में से लगभग 1 बच्चा बाल श्रम से ग्रसित है।
- **ग्रामीण क्षेत्रों में बाल श्रम की व्यापकता** शहरी क्षेत्रों की तुलना में **लगभग तीन गुना अधिक** है।
- **बाल श्रम के विरुद्ध वैश्विक प्रगति वर्ष 2016 से गतिहीन हो गई है। (इन्फोग्राफिक देखें)**
- बाल श्रम के कुल **72 प्रतिशत** मामले, पारिवारिक श्रम से जुड़े होते हैं, जहां बालक मुख्यतः अपने पारिवारिक खेतों या पारिवारिक सूक्ष्म उद्यमों में कार्य करते हैं।
- कोविड-19 महामारी के कारण **वर्ष 2022 के अंत तक वैश्विक स्तर पर 9 मिलियन अतिरिक्त बच्चों के बाल श्रम से ग्रसित** होने का खतरा है।
- **कृषि क्षेत्रक की बाल श्रम में अधिक हिस्सेदारी है,** जिसके उपरांत सेवा क्षेत्रक और उद्योग क्षेत्रक हैं। (इन्फोग्राफिक देखें)
- बाल श्रम में संलिप्त बच्चों की सर्वाधिक संख्या (86.6 मिलियन) **उप-सहारा अफ्रीका** में दृष्टिगोचर हुई है। साथ ही, यहां बाल श्रम का सर्वाधिक प्रसार भी परिलक्षित हुआ है।

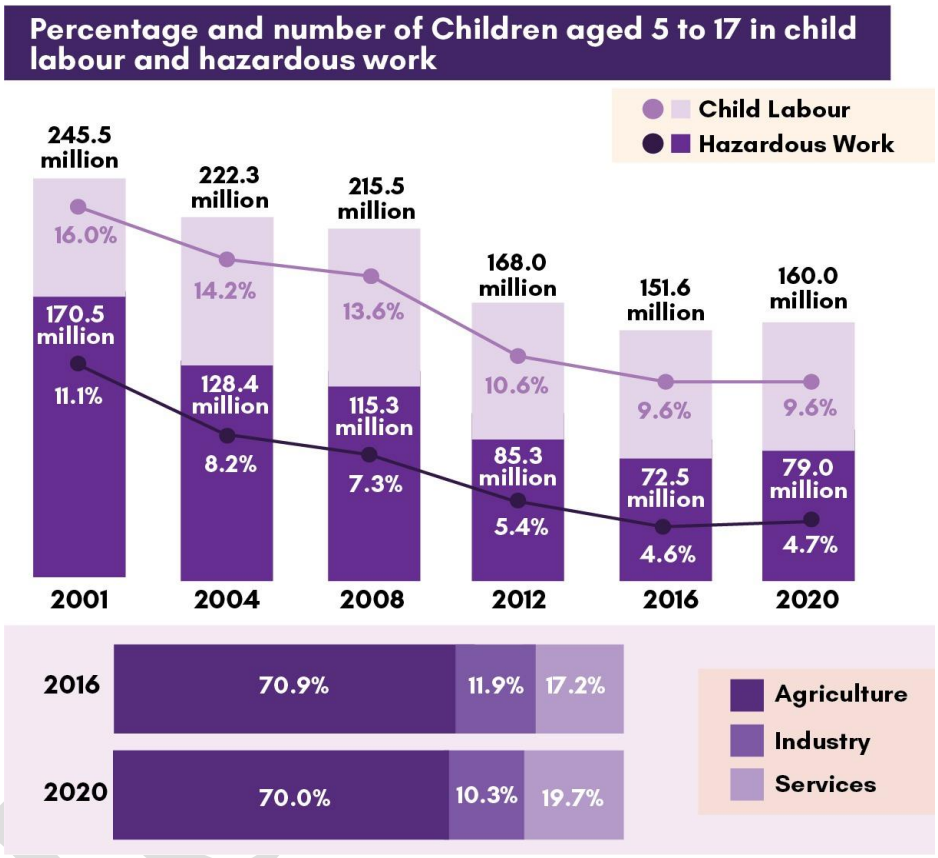


### बाल श्रम क्या है?

- ILO के अनुसार, **"बाल श्रम" को अधिकांशतः ऐसे कार्य (या श्रम) के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो बच्चों को उनके बचपन या बाल्यावस्था, क्षमता और गरिमा से वंचित करता है तथा उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए हानिकारक होता है।** यह ऐसे कार्य को संदर्भित करता है जो:
  - बच्चों के लिए **मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या नैतिक रूप से खतरनाक और हानिकारक होते हैं।**
  - उन्हें स्कूल जाने के अवसर से वंचित करके **उनकी स्कूली शिक्षा में हस्तक्षेप करता है,** उन्हें समय से पूर्व स्कूल छोड़ने के लिए बाध्य करता

है या उनके लिए अत्यधिक अतिरिक्त बाह्य कार्य के संयोजन के साथ स्कूल में उपस्थिति होने हेतु विवश करता है।

- **बाल श्रम के निकृष्टतम रूपों में दासता के सभी रूप शामिल हैं।** उदाहरणार्थ, बच्चों की बिक्री और तस्करी, ऋण बंधक, बलात श्रम, सशस्त्र संघर्ष में बच्चों का उपयोग, अश्लील या अन्य अवैध या खतरनाक कार्यों में संलिप्त करना, जो बच्चों के स्वास्थ्य, नैतिकता या मनोवैज्ञानिक कुशलक्षेम के समक्ष जोखिम उत्पन्न करता है आदि।

- जनगणना (वर्ष 2011) के अनुसार, 5-14 वर्ष के आयु वर्ग में 10.1 मिलियन कार्यशील बच्चें (वर्किंग चिल्ड्रेन) हैं।
    - भारत में कुल कार्यशील बच्चों में से लगभग 55 प्रतिशत **उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश** जैसे राज्यों में नियोजित हैं।

**भारत में बाल श्रम की व्यापकता के क्या कारण हैं?**

- **आर्थिक कारण:**
    - **निर्धनता:** विकासशील देशों में गरीबी इसके प्रमुख कारकों में से एक है और निर्धन वर्ग में **बच्चों को अपने परिवारों का भरण-पोषण करने के लिए मददगार माना जाता है।**
    - **बच्चे का श्रम गिरवी रखना:** भारत में निर्धनों की खराब आर्थिक स्थिति उन्हें साहूकारों से धन उधार लेने हेतु बच्चे का श्रम गिरवी रखने के लिए बाध्य करती है। हालांकि, ऋण और ब्याज का पुनर्भुगतान करने में कठिनाई बच्चे के लिए बलात श्रम का रूप धारण कर लेती है।
    - **व्यावसायिक आवश्यकताएं: चूड़ी निर्माण उद्योग** जैसे कुछ उद्योगों में बहुत महीन कार्य करने के लिए नाजुक हाथों और छोटी उंगलियों की आवश्यकता होती है, जो अप्रत्यक्ष रूप से बाल श्रम को प्रोत्साहित करता है।
    - **सस्ता श्रम:** बच्चों द्वारा प्रदान किया जाने वाला श्रम सस्ता श्रम होता है। अत: कुछ दुकानदार, कंपनियों और कारखानों के स्वामी इस सस्ते श्रम का लाभ उठाने हेतु बच्चों को नियोजित करते हैं।

- **सामाजिक कारण:**
    - **संकटपूर्ण स्थितियाँ:** प्राकृतिक आपदाएँ या माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु बच्चों को अपने परिवार के जीवित रहने में मदद करने के लिए खतरनाक कार्य करने हेतु बाध्य करती हैं।
    - **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच की कमी:** वहनीय स्कूली शिक्षा की उपलब्धता और गुणवत्ता का अभाव बच्चों को श्रम बाजार की ओर उन्मुख करता है। इससे अप्रत्यक्ष रूप से बाल श्रम का विस्तार होता है।
    - **बाल श्रम की सीमित समझ:** जब परिवार बाल श्रम के खतरों को नहीं समझते हैं कि यह कैसे उनके बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, कुशलक्षेम व भविष्य को प्रभावित करता है, तब उनके द्वारा अपने बच्चों को श्रम पर भेजने की अधिक संभावना होती है।

**बाल श्रम की प्रथा का प्रभाव**

- **बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रभाव:**
    - **कृषि:** बच्चे **विषाक्त कीटनाशकों या उर्वरकों के संपर्क** में आ सकते हैं। वे खतरनाक ब्लेड और उपकरणों के साथ कार्य करते हैं और अत्यधिक भार ढोते हैं।
    - **खनन:** बच्चे **विषाक्त रसायनों का उपयोग** कर सकते हैं। उनके समक्ष खदान ढहने का जोखिम बना रहता है और कभी-कभी उन्हें विस्फोटकों के साथ भी कार्य करना पड़ता है।
    - **निर्माण:** बच्चे अत्यधिक भार ढोते हैं, सुरक्षा उपकरणों के बिना ऊँचाई पर कार्य करते हैं और खतरनाक मशीनरी से चोटिल होने का जोखिम उठाते हैं।

- **विनिर्माण:** बच्चे विषाक्त विलायकों का उपयोग कर सकते हैं, पीड़ादायक स्थिति में दोहराव वाले कार्य करते हैं और तीक्ष्ण उपकरणों से चोट ग्रस्तता के जोखिम में होते हैं।
- **घरेलू कार्य:** बच्चों के साथ **दुर्व्यवहार का खतरा** बना रहता है। वे दीर्घावधि तक कार्य करते हैं और प्राय: अपने परिवार और दोस्तों से अलगाव में रहते हैं।

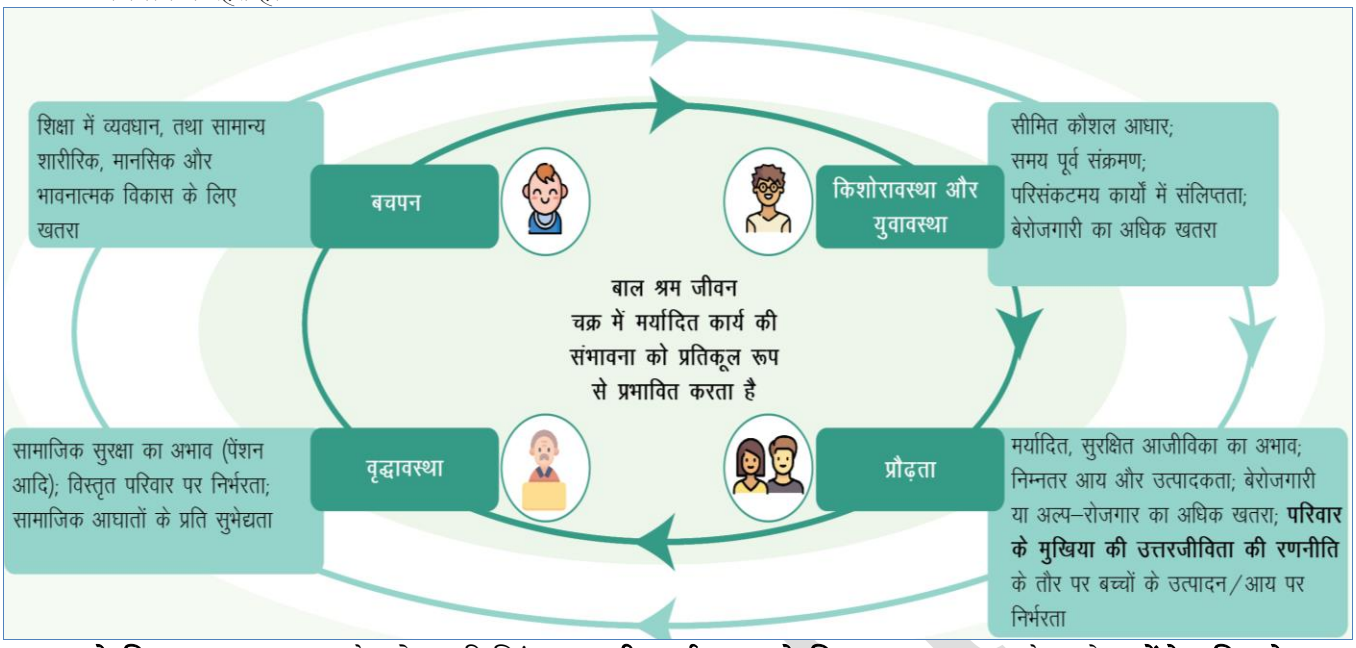


- **राष्ट्र के लिए खतरा:** बाल श्रम और शोषण की निरंतरता **राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरा** बन जाता है। इसके **बच्चों के भविष्य के समक्ष अल्पकालिक और दीर्घकालिक गंभीर नकारात्मक परिणाम** उत्पन्न होते हैं जैसे कि शिक्षा से वंचित होना आदि।
- **बाल तस्करी:** यह बाल श्रम से संबद्ध है और इसका परिणाम सदैव बाल दुर्व्यवहार ही होता है। तस्करी किए गए बच्चों को **दुर्व्यवहार के सभी रूपों** का सामना करना पड़ता है। उदाहरणार्थ, उनका **शारीरिक, मानसिक, लैंगिक और भावनात्मक शोषण किया जाता है।** इसके अतिरिक्त, उनसे देह व्यापार करवाया जाता है, विवाह करने के लिए बाध्य किया जाता है या उनका अवैध रूप से दत्तक ग्रहण किया जाता है।

**बाल श्रम पर कोविड-19 का प्रभाव**

- **आर्थिक प्रभाव:**
  - **अत्यधिक निर्धनता:** यह महामारी **बाल अधिकार संकट** के रूप में उभरी है। इससे **बाल श्रम का जोखिम** बढ़ गया है, क्योंकि अनेक परिवारों के समक्ष अत्यधिक निर्धन हो जाने की संभावना उत्पन्न हो गई है।
  - **बलात श्रम:** भारत में निर्धन और वंचित परिवारों के बच्चे अब स्कूल छोड़ने के व्यापक जोखिम में हैं। साथ ही, उनके द्वारा श्रम किए जाने, विवाह किए जाने तथा उनकी तस्करी किए जाने की संभावना भी प्रकट होने लगी है।
  - **आर्थिक आघात:** 94% से अधिक बच्चों को घर पर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है तथा **बेरोजगारी और अल्परोजगार दोनों में वृद्धि** के कारण परिवार के दबाव ने उन्हें श्रम करने हेतु विवश किया है।
  - **शिक्षा:** भारत में महामारी के कारण 150 लाख स्कूलों के बंद होने से **प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में नामांकित 247 मिलियन बच्चे प्रभावित हुए हैं।** इससे बाल श्रम और असुरक्षित प्रवास का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
- **बच्चों से दुर्व्यवहार:** लगभग 18.6% बच्चों को प्राय: अपने नियोक्ताओं से शारीरिक, मानसिक और मौखिक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। बच्चे अपनी आयु के आधार पर प्रतिदिन मजदूरी के रूप में 100 रुपये से लेकर 400 रुपये के बीच आय अर्जित करते हैं।
- **स्वास्थ्य:** महामारी ने वायरस से संपर्क और परिणामी संक्रमण के माध्यम से सामान्य स्वास्थ्य और बाल विकास के समक्ष खतरा उत्पन्न कर दिया है। इसके कारण संज्ञानात्मक दुर्बलता, अवसाद और गैर-संचारी रोग जैसी समस्याएं सृजित हुई हैं।

**बाल श्रम उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम**

- **गुरुपदस्वामी समिति, 1979:** इसका गठन **बाल श्रम के मुद्दे का अध्ययन करने** के लिए किया गया था। इसने कामकाजी बच्चों की समस्याओं से निपटने में **बहु-नीतिगत दृष्टिकोण अपनाने की अनुशंसा** की थी।
- भारत द्वारा **बाल श्रम के सर्वाधिक विकृत स्वरूपों पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के कन्वेंशन 182 और नियोजन की न्यूनतम आयु पर कन्वेंशन 138** की अभिपुष्टि की गई है।
- **बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 {Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act, 2016}:** यह अधिनियम **सभी व्यवसायों में बालकों और खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में किशोरों** की नियुक्ति को प्रतिबंधित

करता है। इसमें **'किशोरों'** के रूप में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति और **'बालकों'** के रूप में 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को संदर्भित किया गया है।

- **राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (National Child Labour Project: NCLP):** इस योजना के तहत बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए **विशेष स्कूल/पुनर्वास केंद्र** खोले गए हैं। इन केंद्रों द्वारा रोजगार से हटाए गए बच्चों को **अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पूरक पोषण** और छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- **बाल श्रम प्रतिषेध के प्रभावी प्रवर्तन हेतु एक मंच (पेंसिल पोर्टल) (Platform for Effective Enforcement for No Child Labour: PENCiL):** यह बाल श्रम के पीड़ितों को बचाने और उनका पुनर्वास करने में प्रधान साधन बन गया है।
- **बचपन बचाओ आंदोलन:** इस आंदोलन ने भारत में 85,000 से अधिक बच्चों को शोषण से मुक्त कर उनके लिए शिक्षा और पुनर्वास की व्यवस्था की है।

**बाल श्रम के अभिशाप को समाप्त करने के लिए क्या दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है?**

- **एकीकृत प्रणाली:** बाल श्रम और अन्य प्रकार के शोषण एकीकृत दृष्टिकोणों के माध्यम से रोके जा सकते हैं। इन दृष्टिकोणों में **बाल संरक्षण प्रणालियों को सुदृढ़ करने के साथ-साथ निर्धनता और असमानता को दूर करने,** शिक्षा तक पहुँच एवं उसकी गुणवत्ता में सुधार लाने तथा बाल अधिकारों का सम्मान करने के लिए जनसमर्थन जुटाने जैसे प्रयास शामिल हैं।
- **कानून और विनियम:** यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए कानून और विनियम विद्यमान होने चाहिए। साथ ही, ये विधान प्रवर्तन तंत्र और बाल संरक्षण प्रणालियों तथा लागू होने वाली आवश्यक सेवाओं द्वारा समर्थित होने चाहिए।
- **अग्रिम पंक्ति के समर्थक:** शिक्षक और अन्य लोग बच्चों की रक्षा करने के लिए अग्रिम पंक्ति के समर्थक हो सकते हैं। साथ ही, वे सामाजिक कार्यकर्ताओं जैसे अन्य हितधारकों को उन स्थितियों के प्रति सचेत कर सकते हैं, जिनमें बच्चे संकट के लक्षण प्रदर्शित करते हैं या संकेत देते हैं कि वे लंबे समय तक श्रम करते हैं।
- **शिष्ट कार्य को बढ़ावा देना:** यह परिवारों को निर्धनता से प्रेरित बाल श्रम से बचने के लिए अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के श्रमिकों पर विशेष बल देते हुए युवा लोगों (वैध कार्यशील आयु वर्ग) और वयस्कों के लिए **उचित आय प्रदान** करता है।
- बाल श्रम का व्यवहार्य विकल्प प्रदान करने और बच्चों को बेहतर भविष्य का एक अवसर देने के लिए रोजगार में प्रवेश करने हेतु न्यूनतम आयु तक **उत्तम गुणवत्ता युक्त स्कूली शिक्षा सुनिश्चित करना।**

**निष्कर्ष**

विश्व के लिए बाल श्रम की कुप्रथा को समाप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकारों, संगठनों, नागरिक समाज और नागरिकों को **अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन वर्ष** के रूप में संयुक्त राष्ट्र की वर्ष 2021 की घोषणा द्वारा परिकल्पित लक्ष्यों के अनुरूप बाल श्रम के विरुद्ध प्रतिज्ञा करने के लिए आगे आना चाहिए।

## 6.3. आदर्श किराएदारी अधिनियम, 2021 (Model Tenancy Act, 2021)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **आदर्श किराएदारी अधिनियम** को स्वीकृति प्रदान की है तथा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से कहा है कि वे या तो नया कानून अधिनियमित कर या मौजूदा किराया कानूनों में उचित संशोधन कर इसे अपनाएं।

**आदर्श किराएदारी अधिनियम, 2021 के बारे में**

**उद्देश्य:** आवासीय और वाणिज्यिक परिसरों को किराए पर देने अथवा किराए पर लेने से संबंधित गतिविधियों को विनियमित करना। साथ ही, भूस्वामियों एवं किरायेदारों के अधिकारों को सुरक्षित व संतुलित करना।

**आदर्श अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ**

| | |
|---|---|
| **परिभाषाएं** | यह अधिनियम भू-स्वामी, स्थानीय प्राधिकारी, परिसर, संपत्ति प्रबंधक, किराया एजेंट, किरायेदार, उप-किरायेदार आदि की **स्पष्ट परिभाषा** प्रदान करता है। |
| **भू-स्वामी और किरायेदार के अधिकार एवं दायित्व** | यह अधिनियम विभिन्न पहलुओं के बारे में स्पष्टता प्रदान करता है, जैसे-<br>• मूल किरायेदारी समझौतों का **अवधारण (Retention),**<br>• **देय** किराया और अन्य शुल्क एवं रसीद,<br>• किराया प्राधिकारी के पास किराया **जमा करना,**<br>• संपत्ति की **मरम्मत और रखरखाव,**<br>• परिसर में भू-स्वामी का प्रवेश,<br>• संपत्ति प्रबंधक के **कर्तव्य और कर्तव्यों के उल्लंघन** के परिणाम। |

| | |
|---|---|
| **कुछ परिसरों पर लागू न होना** | **यह अधिनियम कुछ परिसरों पर लागू नहीं होता है, जैसे-**<br>• होटल, वास गृह (lodging house), सराय (inn) आदि।<br>• **केंद्र या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्थानीय प्राधिकरण या सांविधिक निकाय या छावनी परिषद** के स्वामित्वाधीन या उनके द्वारा प्रवर्तित परिसर।<br>• किसी कंपनी, विश्वविद्यालय या संगठन के स्वामित्वाधीन किसी परिसर को अपने कर्मचारियों को **सेवा संविदा के एक भाग के रूप में दिए गए परिसर।**<br>• **धार्मिक या पूर्त संस्थाओं (charitable institutions)** के स्वामित्व वाले परिसर।<br>• **वक्फ अधिनियम, 1995** के अधीन पंजीकृत वक्फ या राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की तत्समय प्रवृत्त लोक न्यास विधि के अधीन पंजीकृत न्यास के स्वामित्वाधीन परिसर।<br>• अन्य भवन या भवनों का हिस्सा, जिसे विनिर्दिष्ट रूप से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा अधिसूचना के माध्यम से लोकहित में छूट प्रदान की गई है।<br>हालांकि, यदि उपर्युक्त परिसरों के स्वामी और किरायेदार सहमत हैं, तो इस अधिनियम के **प्रावधानों के तहत किरायेदारी समझौते को विनियमित किया जा सकता है।** |
| **विवाद न्यायनिर्णयन तंत्र** | **यह अधिनियम त्रिस्तरीय अर्ध-न्यायिक विवाद न्यायनिर्णयन तंत्र प्रदान करता है: (चित्र देखें)**<br>• अधिनियम के तहत प्रावधानों से संबंधित मामलों पर **किसी भी सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होगा।**<br>• किराया प्राधिकरण और किराया न्यायालयों की स्थापना राज्य सरकार के अनुमोदन से **जिलाधिकारी द्वारा** की जा सकती है।<br>• राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार **क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके किराया अधिकरण** स्थापित कर सकती है।<br>• **कुछ मामलों के न्यायनिर्णयन के लिए समयसीमा** निर्दिष्ट करता है।<br>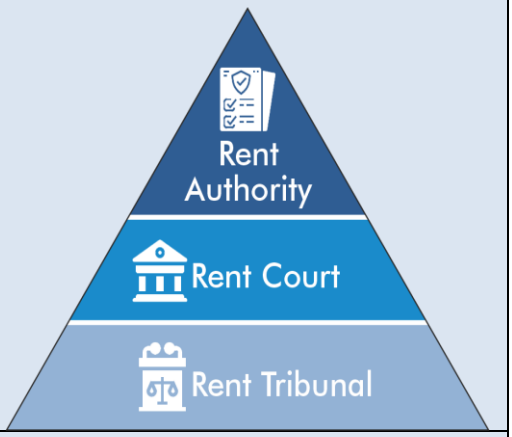 |
| **अन्य विशेषताएं** | • **किराएदारी करार:** भूस्वामी और किरायेदार को एक लिखित करार पर हस्ताक्षर करना होगा। इसमें किराया, किरायेदारी की अवधि और अन्य संबंधित शर्तों को निर्दिष्ट किया जाएगा।<br>• **सुरक्षा जमाराशि:** आवासीय परिसर के लिए **दो माह** और गैर-आवासीय परिसर के लिए **छह माह** के किराए से अधिक नहीं होगी।<br>• **किराएदारी अवधि:** किराएदार भू-स्वामी को किराएदारी के नवीनीकरण या विस्तार के लिए किराएदारी करार में सहमत अवधि के भीतर अनुरोध करेगा और यदि भू-स्वामी सहमति दे तो वह भू-स्वामी के साथ पारस्परिक सहमत निबंधनों और शर्तों पर नया किराएदारी करार कर सकेगा।<br>○ यदि किराएदारी नियत अवधि पर समाप्त हो जाती है और उसका नवीकरण नहीं किया गया है तो ऐसा किराएदार बढ़े हुए किराये का दायी होगा।<br>• **खाली कराना या निष्कासन: निष्कासन की शर्तों** में किराया देने से मना करना, दो माह से अधिक समय तक **किराया देने में विफलता, लिखित सहमति के बिना** आंशिक या संपूर्ण परिसर का कब्जा करना और लिखित सूचना के बावजूद **परिसर का दुरुपयोग** करना शामिल हैं।<br>• **उप-किराएदारी (Sub-letting):** यह अधिनियम आगे किराए पर देना प्रतिबंधित करता है जब तक कि **अनुपूरक समझौते** के माध्यम से अनुमति न दी जाए। भू-स्वामी और किराएदार को संयुक्त रूप से **उप-किरायेदारी के बारे में किराया प्राधिकरण को सूचित करना चाहिए।** |

**अधिनियम की आवश्यकता क्यों?**

- **यह आवास की कमी का निवारण करता है:** वर्ष 2012 में शहरी आवास की **1.9 करोड़ इकाइयों** की कमी होने का अनुमान था, जिसमें आगे वृद्धि हुई है। **वर्ष 2015 की प्रारूप राष्ट्रीय शहरी किराया आवास नीति** में वर्णित किया गया था कि शहरी क्षेत्रों द्वारा सामना की जाने वाली आवास के व्यापक अभाव का **गृह स्वामित्व द्वारा निराकरण नहीं किया जा सकता है।**
- **द्रुत शहरीकरण:** भारत की शहरी आबादी की हिस्सेदारी एक सदी के दौरान **तीन गुना से अधिक बढ़ गई है।** यह 1900 के दशक के केवल **10% से वर्तमान में लगभग 34% से अधिक के स्तर पर** पहुँच गई है। वर्ष 2050 तक 50% से अधिक आवास की मांग बढ़ने की अपेक्षा है। (ग्राफ देखें)।

- **शहरों में प्रवासन:** अनुमानित अंतर्राज्यीय प्रवासन **लगभग 9-10 मिलियन वार्षिक** है, जो **आय-आकर्षण** जैसे कारकों के कारण समय के साथ तीव्र होगा।
- **गृह स्वामित्व की बढ़ती लागत:** वार्षिक आय के गुणक के रूप में आवास की लागत विगत दशक में 5 गुना से बढ़कर **लगभग 9-12 गुना हो गई है।** संपूर्ण भारत में गृह स्वामित्व की लागत में विगत कुछ वर्षों में **~ 5% की संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर (Compound Annual Growth Rate: CAGR)** परिलक्षित हुई है।

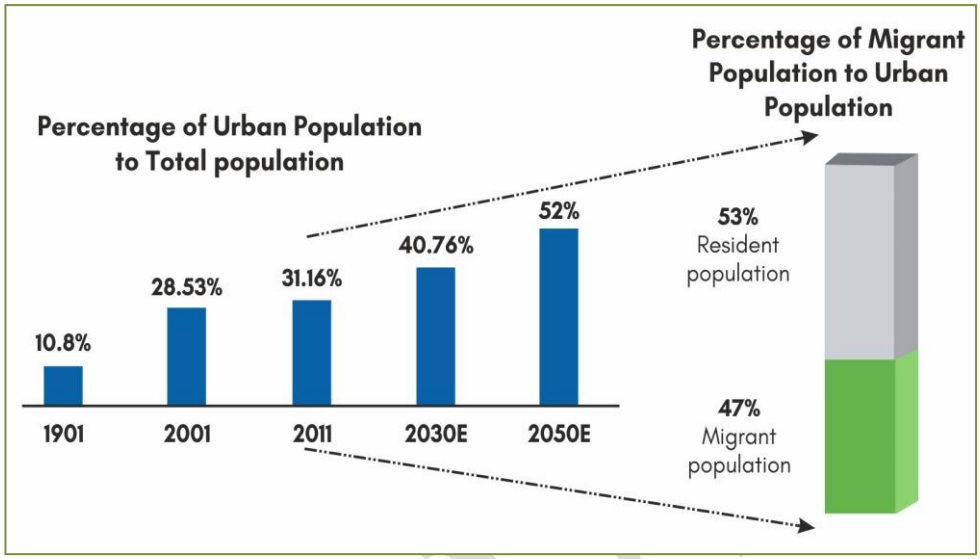


- **औपचारीकरण संभव बनाना:** वर्ष 2011 की जनगणना में टिप्पणी की गई थी कि 6.5 करोड़ से 10 करोड़ लोग **(शहरी आबादी का 17% से 24%)** शहरी क्षेत्रों में अनधिकृत आवास में रहते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण (2017-18) में अनौपचारिकता और अभाव के निवारण हेतु किराए पर आवास का प्रमुख उपाय के रूप में सुझाव दिया गया था।
  - यह अधिनियम, संगठित किराया आवास बाजार में **निजी आवास संचालकों और संस्थागत निवेशकों के लिए बड़ा अवसर** उपलब्ध कराएगा।
- **विधिक दोष:** वर्ष 2015 की प्रारूप नीति में यह अवलोकित किया गया था कि राज्य सरकारों के किराया नियंत्रण कानून **किरायेदारों की ओर झुकाव रखते हैं और अधिक मुकदमेबाजी का कारण बनते हैं।** इससे विनियामकीय प्रणाली में भू-स्वामी का विश्वास क्षीण हो गया है।
  - आदर्श अधिनियम कानूनी ढांचे में आमूल चूल परिवर्तन करके किराया आवास में लेनदेन और करार करने के लिए **सभी हितधारकों,** यथा- किरायेदारों, भू-स्वामियों तथा निवेशकों **के हितों की रक्षा करता है।**
- **रिक्त संपत्तियों का उपयोग:** आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अनुमानों के अनुसार, वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में **कुछ 11 मिलियन घर रिक्त पड़े हैं,** क्योंकि भू-स्वामी सुरक्षात्मक उपायों की कमी के कारण इन संपत्तियों को किराए पर देने के लिए तैयार नहीं हैं।

**भारत में किराये के आवास**

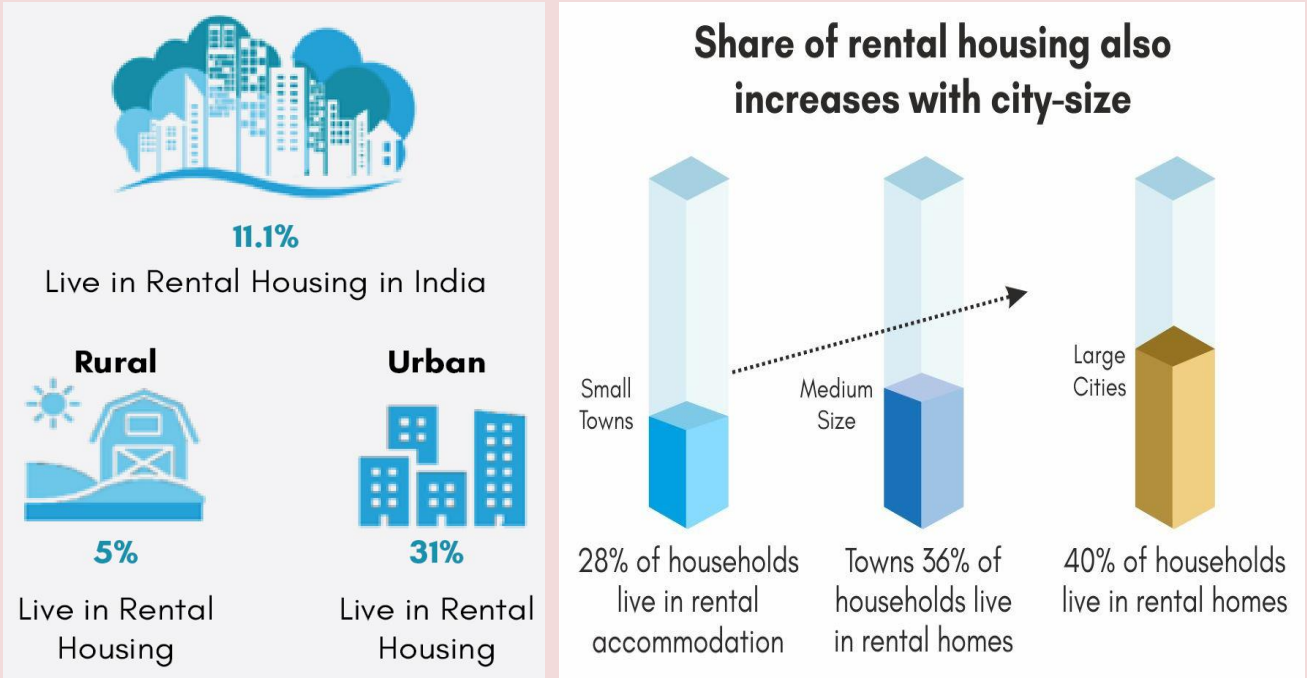

**इस अधिनियम से संबद्ध चुनौतियां**

- **बाध्यकारी नहीं:** किराया आवास राज्यों द्वारा विनियमित किया जाता है, क्योंकि **भूमि, भूमि सुधार और किराए का नियंत्रण भारतीय संविधान की राज्य सूची के तहत आता है।** आदर्श अधिनियम **केवल एक प्रस्तावित ढांचा है,** जिसे राज्य और संघ राज्यक्षेत्र अपने किरायेदारी कानूनों को पारित करते समय परिवर्तित कर सकते हैं।
- **सीमित दायरा:** कई परिसरों जैसे केंद्र/राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन के स्वामित्व वाली संपत्तियों **का अपवर्जन, पट्टे पर देने योग्य संपत्तियों की एक बड़ी सूची को विनियामक ढांचे से दूर रखेगा।**
- **निजता के अधिकार का उल्लंघन कर सकता है:** यह अधिनियम सभी भू-स्वामियों और किरायेदारों के लिए **आधार नंबर जैसे विवरणों के साथ एवं कार्ड की स्व-सत्यापित प्रतियां संलग्न करने** जैसे नियमों के माध्यम से किराया समझौते के बारे में किराया प्राधिकरण को सूचित करना आवश्यक बनाता है। इससे **पुट्टास्वामी निर्णय (वर्ष 2018)** का उल्लंघन हो सकता है।
- **महत्वहीन विवरण निर्दिष्ट करता है:** उदाहरण के लिए, अधिनियम में उपबंध किया गया है कि भू-स्वामी को संरचनात्मक मरम्मत करवानी चाहिए और किरायेदारों को नाली की सफाई, गीजर की मरम्मत आदि के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। इन विवरणों को प्रदान करना **उन परिवर्तनों को प्रतिबंधित कर सकता है जो अनुबंध करने वाले पक्षकार** अपनी विशिष्ट स्थिति के आधार पर **अनुबंध में करना चाहते हैं।**
- **कुछ विवादों के समाधान के लिए कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं:** उदाहरण के लिए, यह वह समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं करता है, जिसके भीतर किराया प्राधिकरण को **किराए के पुनरीक्षण पर विवाद को हल** करना चाहिए।

**किराया आवास को बढ़ावा देने के लिए एक और योजना: किफायती किराया आवास परिसर (Affordable Rental Housing Complexes: ARHC)**

- **ARHCs:** यह शहरी प्रवासियों/निर्धनों के लिए **प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U)** के तहत एक उप-योजना है।
- **AHRC को दो प्रतिमानों (मॉडल्स) के तहत लागू किया जाएगा:**
  - **मॉडल 1:** मौजूदा सरकारी वित्त-पोषित रिक्त आवासों का 25 वर्षों की अवधि के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से या सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा ARHCs में परिवर्तित करने हेतु उपयोग करना।
  - **मॉडल 2:** सार्वजनिक/निजी संस्थाओं द्वारा 25 वर्षों की अवधि तक अपनी स्वयं की उपलब्ध रिक्त भूमि पर **ARHCs का निर्माण, परिचालन और रखरखाव करना।**

**आगे की राह**

- इन चुनौतियों के बावजूद, आदर्श अधिनियम एक प्रगतिशील कदम है, क्योंकि इसका उद्देश्य **विनियमित और कुशल तरीके से** परिसर किराए पर देने के लिए **जवाबदेह एवं पारदर्शी परिवेश निर्मित करना है।**
- एक बार देश भर में यह अधिनियम लागू हो जाने के उपरांत, भारत **बिल्ड-टू-रेंट और रेंट-टू-ओन (Rent-to-Own)** जैसे किराए पर आवास मॉडल प्रचलित करने के लिए तैयार हो सकता है।
- विभिन्न मिशनों के मध्य बेहतर समन्वय जो पर्याप्त शहरी आवास के निर्माण में सहायता करने हेतु प्रयासरत हैं। उदाहरणार्थ- PMAY, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, और स्वच्छ भारत मिशन **किराया आवास निर्माण** में सहायता कर सकते हैं।
- **प्रारूप राष्ट्रीय शहरी किराया आवास नीति (2015)** में संधारणीय रूप से किराया आवास विकसित करने और इसे समावेशी बनाने के लिए केंद्रीय एवं राज्य सरकारों की भूमिका को निर्देशित करने हेतु **व्यापक नीति की आवश्यकता** को रेखांकित किया गया है। नीति द्वारा अनुशंसित अन्य उपायों में शामिल हैं:
  - किरायेदारों और गृह स्वामियों के लिए कर छूट एवं सब्सिडी **जैसे प्रोत्साहनों का प्रावधान** किया गया है।
  - **सार्वजनिक-निजी भागीदारी** और आवासीय किराया प्रबंधन कंपनियों को प्रोत्साहित करना।
  - आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय समूहों की **वित्त तक पहुँच बढ़ाना।**

## 6.4. एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स: नीति आयोग (SDG India Index 2021: NITI Aayog)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, **नीति आयोग** ने "सतत विकास लक्ष्य सूचकांक– एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स" का **तीसरा संस्करण** जारी किया। इस रिपोर्ट का शीर्षक था- **'भारत सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड– 2020-21: कार्रवाई के दशक में भागीदारियां {Sustainable Development Goals (SDG) India Index and Dashboard 2020–21: Partnerships in the Decade of Action}'।**

**इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष**

- सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में भारत का समग्र स्कोर **वर्ष 2019 के 60 से कुछ बढ़कर वर्ष 2021 में 66 हो गया है।** यह वृद्धि स्वच्छ जल और स्वच्छता (लक्ष्य 6), वहनीय एवं स्वच्छ ऊर्जा (लक्ष्य 7) सहित अन्य सुविधाएं प्रदान करने के प्रदर्शन में सुधार के कारण हुई है।

- हालांकि, **उद्योग, नवाचार और अवसंरचना** के साथ-साथ **उत्तम कार्य और आर्थिक विकास के क्षेत्रों में बड़ी गिरावट आई है।**

- **केरल शीर्ष स्थान पर बरकरार है,** उसके पश्चात् हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान है। जबकि **बिहार सबसे नीचे है** उसके उपरांत झारखंड व असम का स्थान है।
- **संघ राज्यक्षेत्रों में चंडीगढ़ ने अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है** और उसके बाद दिल्ली का स्थान है।
- वर्ष 2019 के स्कोर में सुधार के मामले में **मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड** वर्ष 2020-21 में क्रमशः 12, 10 और 8 अंकों की वृद्धि के साथ शीर्ष पर हैं।
- वर्ष 2019 में 10 राज्य एवं संघ राज्यक्षेत्र **फ्रंट-रनर की श्रेणी** में थे, जबकि वर्ष 2021 में 12 और राज्यों व संघ राज्यक्षेत्रों ने इस श्रेणी में स्थान अर्जित किया है।

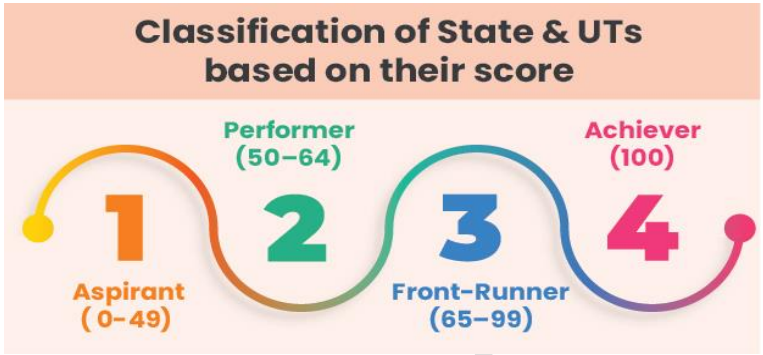


**SDG इंडिया इंडेक्स क्या है?**

- इसे **प्रथम बार वर्ष 2018 में नीति आयोग द्वारा आरंभ** किया गया था। यह सूचकांक वर्ष 2030 के लिए SDG की दिशा में भारत के राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की प्रगति की निगरानी का प्राथमिक साधन बन गया है। यह देश और उसके राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति पर एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है।
  - SDG के लिए यह सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा, लिंग, आर्थिक विकास, संस्थान, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण सहित **विभिन्न मानकों पर राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों की प्रगति का मूल्यांकन करता है।**

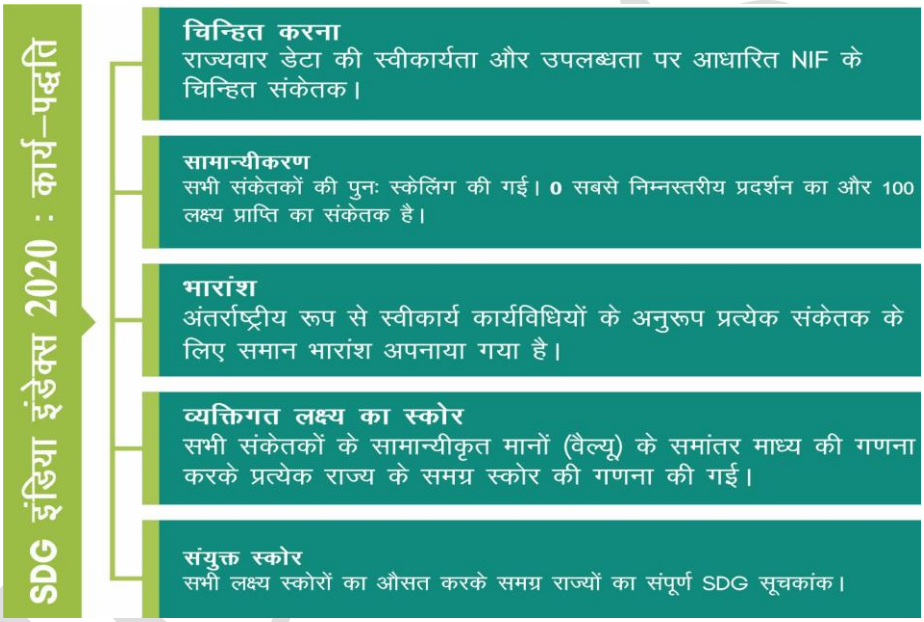


- **SDG इंडिया इंडेक्स की कार्य-पद्धति:**
  - SDG इंडिया इंडेक्स प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के लिए **16 SDGs पर लक्ष्यवार स्कोर की गणना** करता है।
  - कुल मिलाकर राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के स्कोर, 16 SDGs पर उनके प्रदर्शन के आधार पर उप-राष्ट्रीय इकाई के समग्र प्रदर्शन को मापने के लिए गणना किये गये लक्ष्यवार स्कोर में से निकाले जाते हैं।
    - ये **स्कोर 0-100 के बीच होते हैं** और यदि कोई राज्य/संघ राज्यक्षेत्र **100 का स्कोर** प्राप्त करता है, तो यह दर्शाता है कि उसने **वर्ष 2030 का लक्ष्य अर्जित** कर लिया है।
    - किसी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का स्कोर जितना अधिक होगा, उतनी ही अधिक लक्ष्य की प्राप्ति होगी।

**इस इंडेक्स का महत्व**

- यह सूचकांक भारत में **संयुक्त राष्ट्र** के सहयोग से विकसित किया गया है।
- इसने राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को वैश्विक लक्ष्यों पर रैंकिंग प्रदान कर उनके मध्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया है।
- यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के **राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (National Indicato Framework: NIF) के साथ संरेखित 115 संकेतकों** पर सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की प्रगति को ट्रैक करता है।
  - NIF का उद्देश्य नीति निर्माताओं और विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयनकर्ताओं को उचित दिशा प्रदान करना है।
  - 115 संकेतक 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में से 16 को शामिल करते हैं। साथ ही, ये लक्ष्य 17 के गुणात्मक मूल्यांकन के साथ 70 SDG टारगेट्स (उद्देश्यों) को भी समाविष्ट करते हैं।
- यह सूचकांक वैश्विक SDG ढांचे के अनुरूप विकास कार्यों के माध्यम से **केंद्रित नीतिगत संवाद, नीति के निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण** है।

- यह SDGs की निगरानी से संबंधित महत्वपूर्ण अंतराल और राष्ट्रीय/राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के स्तर पर सांख्यिकीय प्रणालियों में सुधार की आवश्यकता को प्रकट करने में भी मदद करता है।

**SDG के सापेक्ष भारत की वैश्विक रैंकिंग**

**I. सतत विकास रिपोर्ट 2021** (सस्टेनेबल डेवलपमेंट सल्यूशन्स नेटवर्क: SDSN)

- यह 17 SDGs के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों की उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग करती है।
- **60.1 के कंट्री स्कोर** के साथ **भारत 164 देशों में 120वें स्थान पर** है।
- SDSN की स्थापना वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के तत्वाधान में की गई थी। यह SDGs के कार्यान्वयन सहित सतत विकास हेतु व्यावहारिक समाधान को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वैज्ञानिक एवं तकनीकी विशेषज्ञता को एकजुट करता है।

**II. भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021** (सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट: CSE)

- 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में भारत की रैंक विगत वर्ष से दो स्थान **नीचे 117 पर आ गई है।**
- **भारत चार दक्षिण एशियाई देशों**- भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश **से नीचे है।**
- भारत का कुल **SDG स्कोर** 100 में **61.9** है।
- CSE नई दिल्ली में स्थित **रिसर्च और एडवोकेसी संगठन है।**

**इस सूचकांक की सीमाएं**

- यह सूचकांक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर **उपयुक्त डेटा की अनुपलब्धता के कारण SDG 17 के संकेतकों का मापन नहीं करता है।** हालांकि, SDG 17 के अंतर्गत प्रगति का गुणात्मक मूल्यांकन सम्मिलित किया गया है।
- राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर डेटा की अनुपलब्धता के कारण **NIF का संपूर्ण सेट शामिल नहीं किया जा सका है।**
- राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सांख्यिकी प्रणाली और गैर-सरकारी स्रोतों के संकेतकों एवं आंकड़ों को सम्मिलित नहीं किया गया है।
- कुछ संकेतकों के लिए, संपूर्ण राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। सूचकांक की गणना में, इन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को 'शून्य' प्रदान किया गया है और उन्हें गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

**निष्कर्ष**

एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों की प्रगति हेतु मानदंड निर्धारित करने, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने तथा उत्तम पद्धतियों को साझा करने का समर्थन कर साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का प्रतिनिधित्व करता है। यह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि कैसे सहयोगात्मक पहलों के परिणाम बेहतर नतीजे और बड़े प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। एस.डी.जी. को प्राप्त करने की दिशा में देश की समग्र और सापेक्ष प्रगति को मापने में ये पहलें एक निरपेक्ष कार्यढांचे के रूप में कार्य करती हैं।

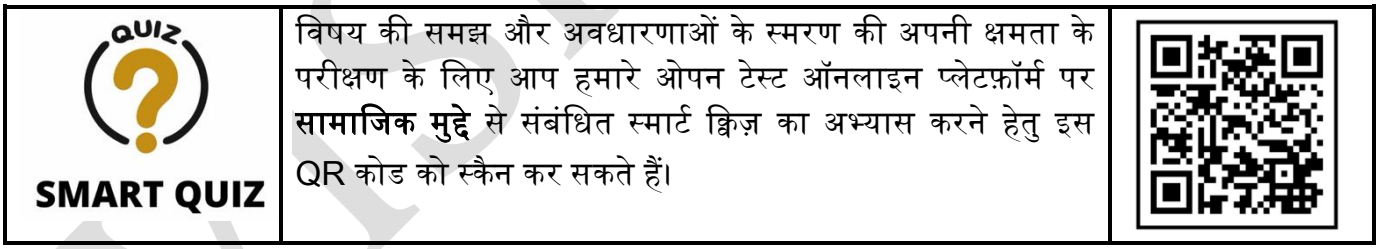

# 7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

## 7.1. जीनोम एडिटिंग (Genome Editing)

### सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, बायोटेक्नोलॉजी विभाग (DBT) के सहयोग से एक शिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी-सेल (Chimeric Antigen Receptor T-cell: CAR-T) थेरेपी का परीक्षण किया गया।

### शिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी-सेल (CAR-T) थेरेपी के बारे में

- यह **टी-सेल (टी-कोशिका)** (एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका) **नामक प्रतिरक्षी कोशिकाओं के विकास का एक तरीका है,** जिन्हें **प्रयोगशाला में परिवर्तित कर कैंसर से लड़ने के लिए** विकसित किया जाता है ताकि वे कैंसर कोशिकाओं की पहचान कर सकें और उन्हें नष्ट कर सकें।
  - मानव निर्मित रिसेप्टर (जिसे CAR कहा जाता है) के लिए टी-कोशिकाओं को कैंसर **रोगी के रक्त से एकत्रित** किया जाता है तथा एक जीन का योग करते हुए प्रयोगशाला में परिवर्तित किया जाता है।
  - इससे उन्हें कैंसर विशिष्ट कोशिका के प्रतिजन (antigen) की सटीक पहचान करने में मदद मिलती है। CAR-T कोशिकाओं को पुनः रोगी के रक्त में डाल दिया जाता है।
- इसे कभी-कभी **कोशिका-आधारित जीन एडिटिंग के एक प्रकार के रूप में भी संदर्भित किया जाता है,** क्योंकि इस प्रक्रिया में टी-कोशिकाओं के भीतर मौजूद **जीन की एडिटिंग की जाती है** जो कैंसर के विरुद्ध लड़ने में मदद करते हैं।
- CAR-T सेल प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान करने हेतु **जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (Biotechnology Industry Research Assistance Council: BIRAC)** और **DBT** द्वारा विगत 2 वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं।

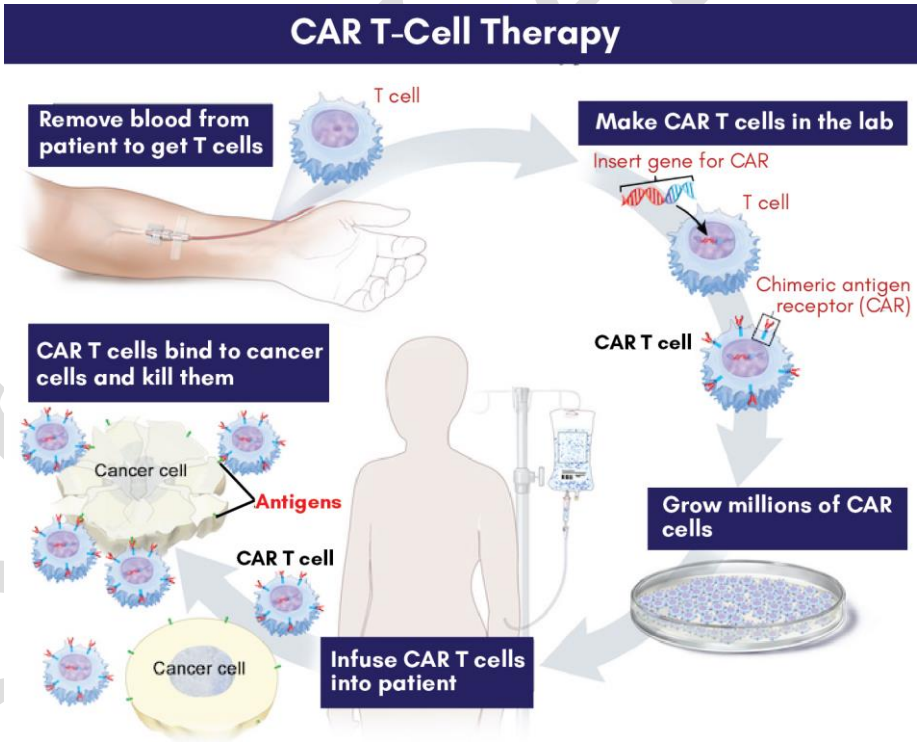


### जीन एडिटिंग क्या है?

- जीनोम (या जीन) एडिटिंग किसी **कोशिका या जीव के डी.एन.ए. में विशिष्ट परिवर्तन करने की एक विधि है।** इसकी मदद से किसी जीव के जीन में आनुवंशिक सामग्री को शामिल किया जा सकता है, जीन के किसी विशिष्ट स्थान पर परिवर्तन तथा अवांछित जीन को हटाया या परिवर्तित किया जा सकता है।
- यह तीन चरणों (डी.एन.ए. को जोड़ने, हटाने और परिवर्तित करने) वाला एक जटिल तंत्र है जिसकी मदद से किसी भी जीवित प्राणी के जीनोम में वांछनीय परिवर्तन किया जा सकता है।
  - डी.एन.ए. के हटाने की प्रक्रिया में जीन की एडिटिंग (डी.एन.ए. में कुछ कटौती करना या कुछ जोड़ना) सम्मिलित होती है।
- जीनोम की एडिटिंग करके किसी भी **कोशिका या जीव के अनुवांशिक गुणों को परिवर्तित किया जा सकता है।**

### यह कैसे कार्य करता है?

- जीनोम एडिटिंग प्रक्रिया में **एक प्रकार के एंजाइम का उपयोग किया जाता है जिसे 'संशोधित न्यूक्लीज' कहा जाता है। यह जीनोम को किसी विशिष्ट स्थान पर काटने या उस स्थान से जीनोम को हटाने में मदद करता है।**
  - **संशोधित न्यूक्लीज दो हिस्सों से मिलकर बने होते हैं:** पहला हिस्सा न्यूक्लीज होता है जो डी.एन.ए. को काटता है और दूसरा हिस्सा डी.एन.ए.-टारगेटिंग होता है जिसे डी.एन.ए. के एक विशिष्ट अनुक्रम में न्यूक्लीज का मार्गदर्शन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- डी.एन.ए. को किसी विशिष्ट स्थान से हटाने के बाद, **कोशिका द्वारा स्वाभाविक रूप से उस स्थान की मरम्मत कर दी जाती है।**
- जीनोम में उस स्थान के डी.एन.ए. में **परिवर्तन (या 'एडिट') करने के लिए इस मरम्मत प्रक्रिया में हेरफेर किया जा सकता है।**

**जीनोम एडिटिंग के प्रकार**

| DNA में आंशिक परिवर्तन | DNA के एक हिस्से को हटाना | DNA के एक हिस्से का प्रवेश |
|---|---|---|
| • डी.एन.ए. में किसी विशिष्ट स्थान पर कट करने (या हटाने) के लिए न्यूक्लीज एंजाइम को संशोधित किया जाता है।<br>• संशोधित न्यूक्लीज की मदद से डी.एन.ए. को हटाने के बाद, कोशिका की सामान्य डी.एन.ए. मरम्मत प्रणाली द्वारा क्षति की पहचान कर ली जाती है और डी.एन.ए. के दो कटे हुए सिरों को एक साथ पुनः वापस जोड़ दिया जाता है। | • न्यूक्लीज को संशोधित किया जाता है ताकि उक्त डी.एन.ए. के अवांछित हिस्से के दोनों सिरों को हटाया जा सके।<br>• संशोधित न्यूक्लीज की मदद से डी.एन.ए. को हटाने के बाद, कोशिका की सामान्य डी.एन.ए. मरम्मत प्रणाली द्वारा क्षति की पहचान कर ली जाती है, हालांकि यह गलती से डी.एन.ए. के असंगत सिरों को एक साथ जोड़ सकती है, जहां के डी.एन.ए. को हटाया गया है। | • डी.एन.ए. में एक विशिष्ट स्थान पर काटने के लिए न्यूक्लीज एंजाइम को संशोधित किया जाता है।<br>• डी.एन.ए. को हटाये जाने के बाद, उस हटाए हुए स्थान के क्रम में डी.एन.ए. का एक संशोधित अंश प्रवेश कराया जाता है।<br>• हटाए गए अंश की मरम्मत के लिए टेम्पलेट के रूप में कोशिका, डी.एन.ए. के संशोधित अंश/हिस्से का उपयोग करती है, जो हटाए गए हिस्से को नए डी.एन.ए. के एक प्रतिरूप से प्रतिस्थापित कर देता है। |

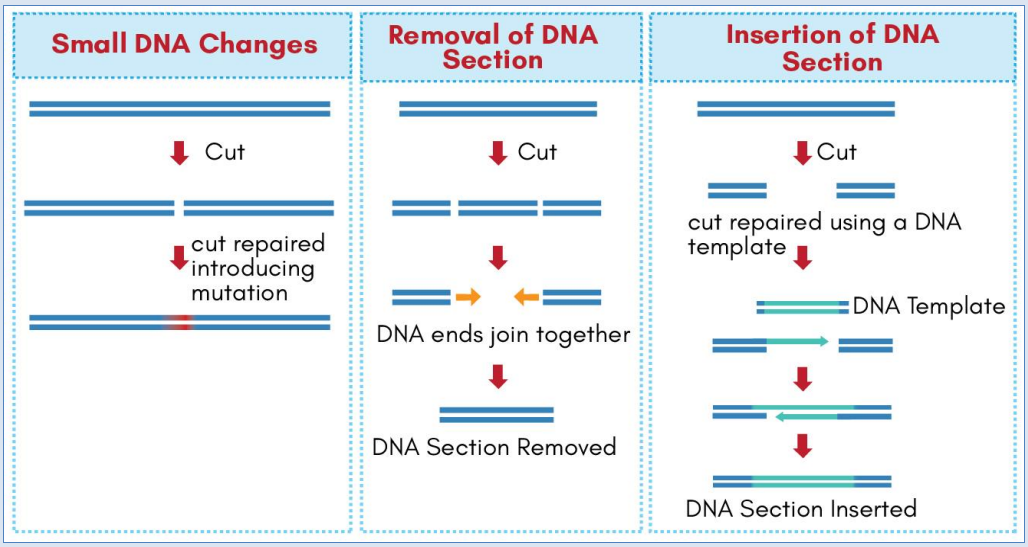


**भारत की स्थिति**

- आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों के विनियमन के लिए **"परिसंकटमय सूक्ष्म जीवों/अनुवांशिक निर्मित कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात और भंडारण नियम, 1989"** (Rules for the Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous Microorganisms/ Genetically Engineered Organisms or Cells, 1989) द्वारा समर्थित अनेक विधियों, दिशा-निर्देशों और नीतियों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।
- भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) की **मानव प्रतिभागियों को शामिल करने वाले बायोमेडिकल और स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय नैतिक दिशा-निर्देश, 2017** (National Ethical Guidelines for Biomedical and Health Research involving human participants, 2017) जीन-एडिटिंग प्रक्रिया के विनियमन को इंगित करते हैं। इस संदर्भ में जैव-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अनुसंधान विनियमन विधेयक (Biomedical and Health Research Regulation Bill) भी पुरःस्थापित किया गया है।

**जीनोम एडिटिंग के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीक**

- ये तकनीक/विधियाँ मुख्य रूप से **डी.एन.ए. को काटने/हटाने को लेकर भिन्न हो सकती हैं।**
  - **प्रोटीन आधारित:** इसमें एक प्रोटीन होता है जो हटाए जाने वाले डी.एन.ए. को लक्षित एवं उसकी पहचान करता है।
  - **RNA आधारित:** इसमें आर.एन.ए. का एक छोटा अनुक्रम होता है जो हटाए जाने वाले डी.एन.ए. को लक्षित करने में मदद करता है।
- **इस पर आधारित विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है:**
  - **क्रिस्पर-कैस 9 (CRISPR-Cas9):** यह जीनोम एडिटिंग के लिए उपयोग की जाने वाली सर्वाधिक सामान्य, सस्ती और कुशल प्रणालियों में से एक है।
    - **CRISPR** डी.एन.ए.-लक्षित प्रणाली का एक हिस्सा है जिसमें एक आर.एन.ए. अणु, या 'गाइड' शामिल होता है, जिसे पूरक क्षार-युग्मन के माध्यम से विशिष्ट डी.एन.ए. बेस को लक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- CRISPR संबद्ध प्रोटीन 9 को Cas9 के रूप में संदर्भित किया जाता है, और यह न्यूक्लीज का ही एक हिस्सा है जो डी.एन.ए. को काटता/हटाता है।
- इमैनुएल चारपेंटियर और जेनिफर डॉडना को **CRISPR-Cas9 (एक आनुवंशिक कैंची) की खोज के लिए** रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार (वर्ष 2020) से सम्मानित किया गया था।

○ **जिंक-फिंगर न्यूक्लीजेज (ZFNs)**
- ZFN का डी.एन.ए.-बंध वाला हिस्सा जिंक-फिंगर प्रोटीन से बना होता है, जिसमें प्रत्येक लगभग तीन डी.एन.ए. बेस से जुड़ा होता है।
- ZFN का न्यूक्लीज हिस्सा सामान्य रूप से एक FokI न्यूक्लीज का ही एक रूप होता है, जो डी.एन.ए. को काटता/हटाता है।

○ **ट्रांसक्रिप्शन एक्टीवेटर-लाइक इफेक्टर न्यूक्लीजेज (TALENs)**
- TALENs का डी.एन.ए.-बंध वाला हिस्सा ट्रांसक्रिप्शन एक्टीवेटर-लाइक इफेक्टर (TALE) हिस्से से बना होता है।
- ZFN की ही तरह TALEN का न्यूक्लीज हिस्सा सामान्य रूप से एक FokI न्यूक्लीज का ही एक रूप होता है।

**जीनोम एडिटिंग के लाभ**

- **अनुसंधान हेतु:** जीनोम एडिटिंग का उपयोग कोशिकाओं या जीवों में मौजूद डी.एन.ए. को परिवर्तित करने के लिए किया जा सकता है। साथ ही उनके जीव विज्ञान और उनके जैविक कार्यप्रणाली के तरीके के संबंध में समझ प्राप्त की जा सकती है।
- **रोग उपचार हेतु:** जीनोम एडिटिंग का उपयोग मानव रक्त कोशिकाओं को संशोधित करने के लिए किया जा सकता है और उन्हें संशोधन के बाद ल्यूकेमिया तथा एड्स सहित इस प्रकार के अन्य रोगों की दशाओं में उपचार के लिए शरीर में पुनः उपयोग किया जा सकता है।
- **जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में:** कृषि में जीनोम एडिटिंग का उपयोग आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों की पैदावार तथा रोग और सूखे के प्रतिरोध में सुधार करने हेतु किया जा सकता है। साथ ही, इसे आनुवंशिक रूप से संशोधित सींग रहित मवेशियों के उपचार के लिए भी उपयोग किया जा सकता है।
- **चिकित्सकीय क्लोनिंग के लिए:** यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रत्यारोपण एवं जैविक अंग प्राप्त करने के लिए भ्रूण कोशिकाओं को क्लोन किया जाता है।

**जीनोम एडिटिंग से संबंधित चिंताएं**

- **नैतिक दुविधा:** प्रमुख चिंताओं में नैतिकता, जीवित रहने के लिए आवश्यक गुणवत्ता प्रदान करने वाला सुजननिकी (eugenics), सूचित सहमति संबंधी नैदानिक बहस, धार्मिक बहस, क्लोन की संख्या में बढ़ोतरी की आशंका, डिजाइनर बेबी और संभवतः सुपर ह्यूमन आदि सम्मिलित हैं।
- **सुरक्षा से संबंधित चिंताएं:** सबसे लघु कोशिकीय स्तर पर किए गए आंशिक बदलाव अनपेक्षित परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। क्या होगा यदि केवल एक विशेष रोग का उन्मूलन करने में कोई नया तथा उससे भी अधिक खतरनाक रोग उत्पन्न हो जाए।
- मानव उपभोग के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के उपयोग के विरुद्ध भी चिंताएं व्यक्त की जाती रही हैं।
- **विविधता को होने वाली संभावित क्षति:** जानवरों की सभी प्रजातियों में मौजूद विविधता पृथ्वी पर विकास का एक आधार है। आनुवंशिक रूप से किए गए संशोधन का हमारी प्रजातियों की आनुवंशिक विविधता पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा।

**निष्कर्ष**

निकट आ रही **जैव प्रौद्योगिकी क्रांति आसन्न और निर्विवाद प्रतीत होती है।** इसलिए **आणविक चिकित्सा और अन्य गैर-नैदानिक फसल एवं खाद्य उद्योगों के लिए जीनोम-एडिटिंग संबंधित प्रौद्योगिकियों के आवश्यक पहलुओं के सामंजस्यपूर्ण तथा विनियमित परिवर्तन** पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

अतः इसके लिए लोगों के मध्य सहमति, विशेषज्ञों के बीच वार्ता, जैव प्रौद्योगिकीविदों की भागीदारी, जैव-नैतिक विशेषज्ञों की राय, विधायिकाओं के भीतर नियामक ढांचे, और अंतिम रूप से स्वीकृत सीमित आवेदनों के लिए अंतिम दिशा-निर्देश और निरीक्षण की आवश्यकता होगी।

## 7.2. लिडार सर्वेक्षण रिपोर्ट (LiDAR Survey Reports)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 10 राज्यों में वन क्षेत्रों के भीतर जल की आवश्यकता के मानचित्रण हेतु LiDAR (लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग) तकनीक आधारित एक रिपोर्ट जारी की है।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- इस **परियोजना के कार्यान्वयन का दायित्व जल शक्ति मंत्रालय के तहत वापकोस (WAPCOS)** नामक एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सौंपा गया है। यह लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग (LiDAR) तकनीक के उपयोग पर आधारित "अपनी तरह का प्रथम और एक विशिष्ट प्रयोग" है।

- इस सर्वेक्षण को **असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा के वन** क्षेत्रों में संचालित किया गया है।
- वापकोस द्वारा इस सर्वेक्षण के लिए **जल-संभर प्रबंधन हेतु प्रयोग किए जाने वाले "रिज टू वैली (कटक से घाटी) दृष्टिकोण" का उपयोग** किया गया है।
- वापकोस और राज्य वन विभागों **द्वारा इन राज्यों में स्थित वन प्रखंड के भीतर एक प्रमुख कटक (रिज) की पहचान की गई है,** साथ ही इसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य में औसतन 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र का चयन किया गया है।
- मृदा और जल संरक्षण प्रणालियों की अनुशंसा करने के लिए परियोजना क्षेत्रों की **3-डी छवियों के निर्माण के लिए लिडार तकनीक का उपयोग किया गया था।**
- इसके अतिरिक्त राज्य वन विभाग द्वारा इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए **प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority: CAMPA) की निधियों का उपयोग** किया जाएगा।
    - **CAMPA** का उद्देश्य **वनीकरण और पुनरुद्धार गतिविधियों को बढ़ावा देना है तथा साथ ही** ऐसी वन भूमियों की क्षतिपूर्ति में सहयोग करना है जिन्हें गैर-वन उपयोगों के लिए परिवर्तित कर दिया गया है।
- यह सर्वेक्षण निम्नलिखित कार्यों में सहायता प्रदान करेगा:
    - **उन क्षेत्रों की पहचान करना, जिन्हें भूजल पुनर्भरण की आवश्यकता है।**
    - **जल के अभाव को कम करके मानव-पशु संघर्ष को कम करना।**

**रिज टू वैली (कटक से घाटी) दृष्टिकोण**

- इसका उद्देश्य **उपलब्ध वर्षा जल को संग्रहित करना, उसके मार्ग को परिवर्तित करना, और उसका उपयोग करना है।**
- यह **कटक से घाटी की ओर प्रवाहित होने वाले जल के बेहतर प्रबंधन** को सुनिश्चित करने में मदद करता है तथा यह वर्षा जल के संरक्षण को भी सुनिश्चित करता है, जो अंततः कृषि और आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में सहयोग करते हैं।
- यह दृष्टिकोण, अनुप्रवाह वाले क्षेत्रों में **मृदा संधारणीयता और जल संरक्षण संरचनाओं को सुदृढ़** करने में भी मदद करता है।
- **केस स्टडी:** रिज टू वैली (कटक से घाटी) दृष्टिकोण के अंगीकरण से आंध्र प्रदेश स्थित अनंतपुर जिले के कोंडामनयुनिपलेम गांव में जल की कमी की समस्या का समाधान करने में मदद मिली है।

**LiDAR तकनीक के बारे में**

- LiDAR एक सुदूर संवेदन तकनीक है, जो पृथ्वी तक दूरी (परिवर्तनीय दूरी) को मापने के लिए स्पंदित लेजर (pulsed laser) के रूप में प्रकाश का उपयोग करती है।
    - ये प्रकाश स्पंदन- एयरबोर्न सिस्टम द्वारा दर्ज किए गए अन्य आंकड़ों के साथ-साथ **पृथ्वी के आकार** और इसकी सतह की विशेषताओं **के बारे में सटीक, त्रि-आयामी सूचनाएं उत्पन्न करते हैं।**
    - यह **रडार और सोनार के** समान है (जो क्रमशः रेडियो और ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं)।
    - लिडार उपकरण में मुख्य रूप से एक **लेज़र, एक स्कैनर और एक विशेष जी.पी.एस. रिसीवर शामिल होता है।**
    - बड़े क्षेत्रों में लिडार डेटा प्राप्त करने के लिए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर सर्वाधिक उपयोग किए जाते हैं।
- **लिडार दो प्रकार के होते हैं- स्थलाकृतिक (Topographic) और बाथिमिट्रिक (Bathymetric)।**
    - **स्थलाकृतिक लिडार** भूमि का मानचित्रण करने के लिए एक निकट-अवरक्त (near-infrared) लेजर का उपयोग करता है।

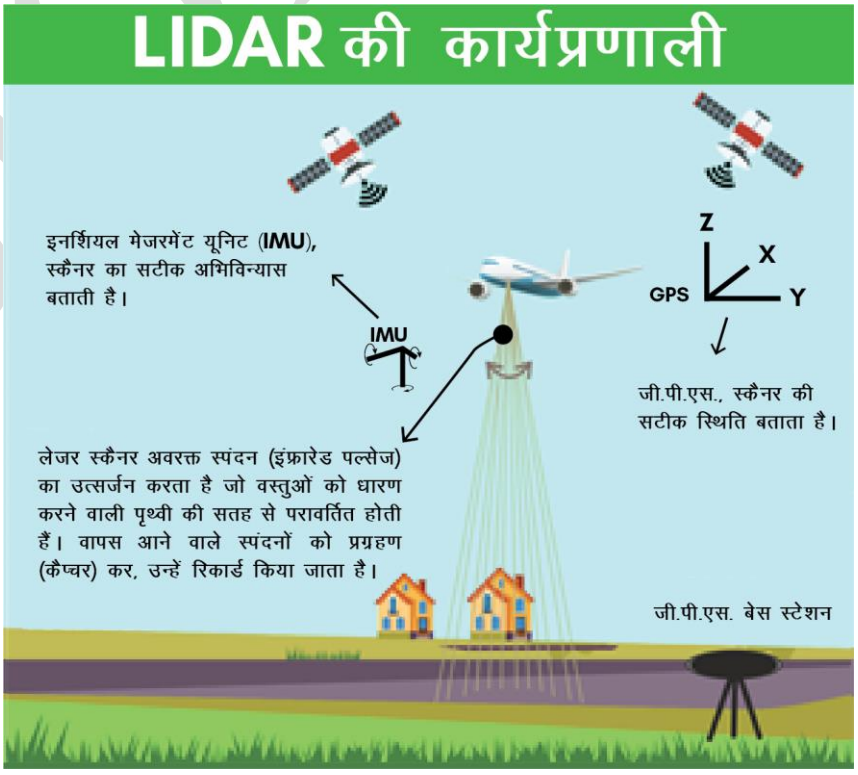

- ○ **बाथिमिट्रिक लिडार** समुद्र तल और नदी तल की ऊंचाई को मापने के लिए जल में प्रवेश करने में समर्थ हरे प्रकाश का उपयोग करता है।

- लिडार प्रणालियों का उपयोग करके **वैज्ञानिकों और मानचित्रण पेशेवरों के लिए प्राकृतिक तथा मानव निर्मित दोनों पर्यावरणों** की सटीकता, परिशुद्धता और लचीलेपन के साथ **परीक्षण** कर पाना सरल हो जाता है।
- **अनुप्रयोग:** भूमि प्रबंधन और योजना निर्माण के लिए किए जाने वाले प्रयास, जिनमें जोखिम मूल्यांकन, वानिकी, कृषि, भूगर्भिक मानचित्रण, और वाटरशेड तथा नदी सर्वेक्षण आदि शामिल हैं।

| | | |
|---|---|---|
| QUIZ SMART QUIZ | विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। | |

# न्यूज़ टुडे

- 2 पृष्ठों में कवर किया जाने वाला दैनिक समसामयिकी समाचार बुलेटिन।
- सुर्खियों के प्राथमिक स्रोत: द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी (PIB)। अन्य स्रोतों में शामिल हैं. न्यूज ऑन एयर, द मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स आदि।
- इसका उद्देश्य प्रचलित विभिन्न घटनाओं के बारे में जानने के लिए प्राथमिक स्तर की जानकारी प्रदान करना है।
- इसमें दो प्रकार के दृष्टिकोणों को शामिल किया गया है यथा:
  - दिवसीय प्राथमिक सुर्खियों – 180 से कम शब्दों में दिन की मुख्य सुर्खियों को शामिल किया गया है।
  - अन्य सुर्खियाँ– ये मूल रूप से समाचारों में आने वाली एक पंक्ति की जानकारियाँ हैं। यहां शब्द सीमा 80 शब्द है।
- यह अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। हिंदी ऑडियो, विजन आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है।

# 8. संस्कृति (Culture)

## 8.1. राजभाषा का दर्जा (Official Language Status)

### सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विभिन्न संगठनों ने **कर्नाटक और केरल** में **तुलु** को राजभाषा का दर्जा प्रदान करने और इसे **संविधान की आठवीं अनुसूची** में शामिल करने की मांग करते हुए एक अभियान आरंभ किया है।

**तुलु भाषा के बारे में**

- तुलु एक **द्रविड़ भाषा** है। यह मुख्य रूप से **कर्नाटक के दो तटीय जिलों यथा दक्षिण कन्नड़ और उडुपी तथा केरल के कासरगोड जिले** में बोली जाती है।
- **वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 18,46,427 तुलु भाषी लोग हैं।**
- कुछ विद्वानों का सुझाव है कि तुलु **2000 वर्षों के इतिहास** के साथ सर्वप्राचीन द्रविड़ भाषाओं में से एक है।
- **रॉबर्ट काल्डवेल (वर्ष 1814-1891) ने अपनी पुस्तक "ए कम्पेरेटिव ग्रामर ऑफ द द्रविड़ियन ओर साउथ-इंडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज"** में तुलु को 'द्रविड़ परिवार की सबसे विकसित भाषाओं में से एक' के रूप में वर्णित किया है।
- **यूनेस्को द्वारा प्रकाशित एटलस ऑफ द वर्ल्ड्स लैंग्वेजेज़ इन डेंजर** के अनुसार, तुलु को अब एक सुभेद्य भाषा माना जाता है।
- तुलु भाषा में **लोक-गीत शैलियों जैसे पद्दना** और **पारंपरिक लोक रंगमंच यक्षगान सहित विभिन्न कलाओं की एक समृद्ध मौखिक साहित्य परंपरा है।**
- तुलु में सिनेमा की एक सक्रिय परंपरा भी है, जिसमें एक वर्ष में लगभग **5 से 7 तुलु भाषी फिल्में बनती हैं।**

### राजभाषा का दर्जा क्या है?

- **भारतीय संविधान का भाग XVII** (अनुच्छेद 343 से 351 तक) राजभाषा से संबंधित है।
- **संविधान के अनुच्छेद 345** के अनुसार किसी राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा।
    - उदाहरण के लिए, कर्नाटक राजभाषा अधिनियम, 1963, **कन्नड़ को कर्नाटक राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली भाषाओं** के रूप में अपनाने का प्रावधान करता है।
    - यह प्रावधान किया गया है कि, जब तक राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक **राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा**, जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

**यूलु उद्घोषणा (Yuelu Proclamation)**

- यूलु उद्घोषणा **भाषाई विविधता के संरक्षण के प्रति समर्पित** अपनी तरह का प्रथम यूनेस्को (UNESCO) दस्तावेज है। यह **"संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय देशज भाषा वर्ष 2019"** के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक दस्तावेज भी है।
- इसमें वर्णित किया गया है कि भाषाई विविधता के संरक्षण और संवर्धन से **सामाजिक समावेशन एवं भागीदारी को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।**
    - **इससे विभिन्न देशी वक्ताओं के मध्य लैंगिक और सामाजिक असमानता को कम करने** में सहायता प्राप्त होती है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से **विश्व में भाषाई विविधता के संरक्षण और संवर्धन पर आम सहमति पर पहुंचने का आह्वान करता है।**

**आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएं समाविष्ट हैं:**

- असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी।

### संविधान की आठवीं अनुसूची

- **आठवीं अनुसूची** से संबंधित संवैधानिक प्रावधान **संविधान के अनुच्छेद 344(1) और 351 में दिए गए हैं।**

- आठवीं अनुसूची का उद्देश्य **हिंदी के प्रगतिशील उपयोग को बढ़ावा देना और भाषा को प्रोत्साहित एवं संवर्धित करना है।**
- **आठवीं अनुसूची भारत को एक बहुभाषी देश के रूप में मान्यता प्रदान करती है।**
    - हालांकि इसमें लिपि, लिखित साहित्य और प्रिंट मीडिया की अनुपस्थिति जैसे गैर-भाषाई आधार पर बड़ी संख्या में भाषाओं को शामिल नहीं किया गया है।
- ज्ञातव्य है कि **संविधान किसी भाषा को** आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए **किसी योग्यता मानदंड का उल्लेख नहीं करता है।**
    - जब **राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग (National Commission for Religious and Linguistic Minorities: NCLM)** किसी भाषा को संविधान में शामिल करने की अनुशंसा करता है, तब केंद्र सरकार इसे संविधान में संशोधन के माध्यम से समाविष्ट करती है।
        - NCRLM भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदत्त रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करने और राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है।
- इससे पूर्व वर्ष 2003 में, **सीताकांत महापात्रा समिति का गठन** किया गया था। इसका कार्य भारतीय संविधान की **आठवीं अनुसूची में अधिक भाषाओं को शामिल करने के लिए उद्देश्य मानदंडों** का एक समुच्चय विकसित करना था।
    - समिति ने वर्ष 2004 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जो अभी भी विचाराधीन है।

## आठवीं अनुसूची में किसी भाषा को शामिल करने का महत्व

### मान्यता

- जब किसी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो वह राजभाषा बन जाती है।
- सांसद और विधायक राज्य विधान सभाओं एवं संसद में उक्त भाषा में संवाद कर सकते हैं।

### कुछ विशिष्ट विशेषाधिकार

- वह एक आधुनिक भारतीय भाषा बन जाती है। यदि वह किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में बोली जाती है, तो उसे क्षेत्रीय भाषा का दर्जा भी प्रदान कर दिया जाता है।

### राजनीतिक

- किसी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने से उस भाषा को बोलने वाले लोगों को राजनीतिक पहचान मिलती है।
- भाषा राज्य की राजनीति में भागीदारी का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। उदाहरण के लिए, भोटी भाषा को आठवीं अनुसूची में समाविष्ट करवाने संबंधी प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि इससे हिमालय के संपूर्ण क्षेत्र के लोगों के अधिकारों को सम्मान प्राप्त होगा। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र सामरिक रूप से संवेदनशील है और भारत की सुरक्षा से घनिष्ठ रूप से संबद्ध है।

### साहित्यिक और रचनात्मक अभिव्यक्ति

- सरकारी व निजी साहित्यिक निकाय साहित्यिक पुरस्कारों एवं अन्य उद्देश्यों के लिए भाषाओं की चयन सूची के रूप में आठवीं अनुसूची का उपयोग करते हैं।
- साहित्य अकादमी द्वारा उस भाषा को मान्यता दी जाएगी और उस भाषा की पुस्तकों का भारत में मान्यता प्राप्त अन्य भाषाओं में अनुवाद भी किया जाएगा।

### शिक्षा

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में उपबंध किया गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें देश भर में सभी क्षेत्रीय भाषाओं में तथा विशेष रूप से, आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं के लिए वृहद संख्या में लैंग्वेज टीचर्स (भाषा शिक्षकों) तैयार करने के लिए व्यापक प्रयास करेंगे।
- राष्ट्र में आरंभ किए गए भाषा विकास और साक्षरता कार्यक्रम आठवीं अनुसूची की भाषाओं के संदर्भ में आसानी से सुलभ हो जाते हैं, जबकि अन्य भाषी लोगों के लिए कठिनाई उत्पन्न होती है।

### प्रतियोगी परीक्षा

- उम्मीदवार अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित सिविल सेवा परीक्षाओं जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल भाषा में लिखने में सक्षम होंगे।

### भाषाई विरासत का संरक्षण

- इससे देश में भाषाई विविधता का संरक्षण और संवर्धन होगा। इससे देशज लोगों की सांस्कृतिक पहचान एवं गरिमा की सुरक्षा सुनिश्चित होती है और उनकी पारंपरिक विरासत को संरक्षण प्राप्त होता है।

**निष्कर्ष**

सरकार आठवीं अनुसूची में अन्य भाषाओं को शामिल करने के लिए लोगों की भावनाओं और उनकी आवश्यकताओं के प्रति सचेत है। साथ ही, उनकी संवेदनाओं और अन्य विचारों जैसे बोलियों का भाषा के रूप में विकास, भाषा का व्यापक उपयोग आदि को ध्यान में रखते हुए अनुरोधों की जांच भी करती है। सभी भारतीय भाषाओं के साथ-साथ अंग्रेजी के भी विकास और उपयोग को प्रोत्साहित करने की **व्यापक सोच वाली एवं समावेशी नीति** ही आगे की राह है।

भारत में बोली जाने वाली सभी प्रमुख भाषाओं को **समानता का दर्जा** प्रदान करने से यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी भाषा के लिए कोई दुर्भावना नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, किसी एक भाषा समुदाय के द्वारा दूसरों पर भाषाई लाभ उठाने के मुद्दे का समाधान करने की भी आवश्यकता है।

**आठवीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल न करने के परिणाम**

- भारत की विविधता और संघवाद के समक्ष खतरा उत्पन्न हो सकता है।
- भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों को हानि पहुंच सकती है।
- विभिन्न भाषाओं का संज्ञान न होने से कुछ ही भाषाओं का सशक्तीकरण होता और यदि कुछ भाषाओं को अपवर्जित रखा जाता है, तो इससे वे अशक्त हो जाती हैं तथा हाशिये पर भी पहुंच जाती हैं।
- व्यक्ति की राजनीतिक पहचान बाधित होती है।

SMART QUIZ

विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **संस्कृति** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

# 9. नीतिशास्त्र (Ethics)

## 9.1. कस्टोडियल क्राइम: क्या न्याय के लिए मानवाधिकारों को उपेक्षित किया जाना चाहिए? (Custodial Crimes: Should Human Rights Be The Cost of Justice?)

### परिचय

अभिरक्षा (हिरासत) में लेकर किया गया अपराध या कस्टोडियल क्राइम मुख्यतः जांच, पूछताछ या अन्य प्रक्रिया के दौरान आरोपी के साथ पुलिस द्वारा किए जाने वाले यातनापूर्ण या क्रूर, अमानवीय, या अपमानजनक व्यवहार को प्रतिबिंबित करता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau: NCRB) की एक रिपोर्ट के अनुसार, **वर्ष 2001 और वर्ष 2018 के मध्य** पुलिस हिरासत में लगभग 1,727 लोगों की मौत हुई है। लेकिन केवल 810 मामले ही दर्ज किए गए थे तथा केवल 334 मामलों में ही आरोप-पत्र दायर किए गए थे और उनमें से केवल 26 पुलिसकर्मियों को ही दोषी ठहराया गया था।

### कस्टोडियल क्राइम हेतु उत्तरदायी प्रयोजन और परिस्थितियां क्या हैं?

किसी आरोपी को हिरासत में लेने का प्राथमिक उद्देश्य ऐसी जानकारी/सूचनाओं को प्राप्त करना होता है जो केस (मामले) की जांच से संबंधित होते हैं तथा जांच के निष्कर्षों तक पहुचने में मदद करते हैं। इस प्रकार, आरोपी को हिरासत में लेने का उद्देश्य विधिपूर्ण ढंग या वैध प्रयासों के माध्यम से न्याय सुनिश्चित करना होता है। हालांकि, निम्नलिखित कारणों से ये प्रयास नैतिक रूप से अनुपयुक्त हो जाते हैं:

- **पूछताछ की अनुचित विधियां:** स्थानीय स्तर पर किए जाने वाले पूछताछ के तरीकों में अभी भी आरोपी को डराने-धमकाने को तरजीह दी जाती है जो अक्सर हिंसा में परिणत हो जाती है।
- **अत्याचार और क्रूरता की संस्कृति:** हिंसक व्यवहार के साथ-साथ आरोपी का उत्पीड़न, पूरे देश में पुलिस संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन गया है। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु स्थित थूथुकुडी में पी. जयराज और जे. बेनिक्स (पिता-पुत्र) की पुलिस हिरासत में दुखद मौत यह दर्शाती है कि कैसे 'पुलिस हिरासत' एक "क्रूरता" का पर्याय बन गया है।
- **कैदियों के प्रति पुलिस प्रशासन की उदासीनता:** पुलिस हिरासत में लिए गए आरोपी अधिकांशतः आत्महत्या या साथी कैदियों द्वारा की जाने वाली हिंसा के कारण मारे जाते हैं। यह हिरासत की निम्नस्तरीय स्थिति और आरोपी की आवश्यकताओं एवं अधिकारों के प्रति प्रशासनिक उदासीनता को उजागर करता है।
- **निर्दोष सिद्ध होने तक दोषी मानने की धारणा:** अपराध के आरोपी नागरिकों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है जैसा कि अपराध के दोषी नागरिकों के साथ किया जाता है। यह रवैया न केवल पुलिस प्रशासन के स्तर पर बल्कि सामाजिक स्तर पर भी देखा जा सकता है। यह धारणा अभियुक्त के साथ अभिरक्षा में होने वाले अमानवीय व्यवहार (पुलिस प्रशासन द्वारा) को जायज ठहराने में मदद कर सकती है तथा साथ ही पुलिस प्रशासन को संभावित अपराध (अभियुक्त के साथ किए जाने वाले अमानवीय व्यवहार) के अपराध-बोध से मुक्त कर सकती है।
- **दुर्भावनापूर्ण इरादों से या व्यक्तिगत कारणों से शक्ति का दुरुपयोग:** जवाबदेही निर्धारित करने के उपायों के दोषपूर्ण प्रवर्तन के साथ-साथ यातना की संस्कृति के परिणामस्वरुप अक्सर शक्ति के दुरुपयोग को बढ़ावा मिलता है जो न्याय की अवधारणा से रहित होता है।

पुलिस प्रशासन द्वारा सामना किए जाने वाले आंतरिक समस्याओं जैसे कि कार्यरत होने के अधिक घंटे, राजनीतिक हस्तक्षेप, अपर्याप्त वेतन आदि के कारण ये मुद्दे और भी जटिल हो जाते हैं। साथ ही यह कुंठा तथा व्यवस्था के भीतर नियमों एवं प्रक्रियाओं के प्रति असम्मान को प्रोत्साहित करता है और सूचना प्राप्त करने के लिए की जाने वाली क्रूरता एवं हिंसा के तरीके को सामान्य बना देता है।

### हिरासत में लेकर किए जाने वाले अपराध, लोगों और समाज को कैसे प्रभावित करते हैं?

हिरासत में लेकर किए जाने वाले अपराध न केवल अभियुक्तों को बल्कि लोगों और सामाजिक ताने-बाने को भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं।

- **हिरासत या अभिरक्षा की प्रक्रिया को लेकर जनता के मध्य विश्वास में कमी होना:** हिरासत में लेकर किए गए अपराधों से, आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रति समाज में मौजूद सामूहिक विश्वास का ह्रास होता है। परिणामस्वरूप न्यायिक व्यवस्था के प्रति समाज में अविश्वास की भावना उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त यह समस्या तब और भी विकट हो जाती है जब सत्ता का दुरुपयोग करने वाले लोक सेवक को किए गए अपराध के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जाता है।
- **पुलिस प्रशासन द्वारा भय की संस्कृति का विकास:** हिंसा की संस्कृति नागरिकों के मन में पुलिस प्रशासन के प्रति भय उत्पन्न करती है। इसका परिणाम यह होता है कि लोग अपराधों की रिपोर्ट करने से बचते हैं और पुलिस की सहायता मांगने से डरते हैं। यह स्थिति अप्रत्यक्ष रूप से देश में कानून-व्यवस्था प्रक्रिया को बाधित करती है।
- **न्याय प्राप्त करने की दिशा में सामाजिक विभाजन में बढ़ोतरी होना:** हिरासत में लेकर लिए गए अपराध के शिकार लोग अधिकांशतः समाज के निम्न सामाजिक-आर्थिक समूह से संबंधित रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें से अधिकांश लोग अपने अधिकारों से अनभिज्ञ रहे

हैं और सामाजिक या वित्तीय संसाधनों तक उनकी पहुंच भी सीमित रही है। इससे इस विचार को बल मिलता है कि न्याय प्रणाली तक केवल धन-संपन्न और शक्तिशाली लोगों की ही पहुंच संभव है और समाज के निर्धन और कमजोर वर्ग के लिए यह निरर्थक है।

**हिरासत में अपराध: मानवाधिकारों के प्रवर्तन में खामियां**

मानवाधिकारों का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ढांचा अभियुक्तों को कई अधिकार प्रदान करता है, जिसमें जमानत का अधिकार, नि:शुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, हथकड़ी लगाए जाने के विरुद्ध अधिकार, पुलिस द्वारा अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार आदि शामिल हैं। लेकिन ये सभी सुरक्षा उपाय **प्रवर्तन संबंधी प्रयासों, प्रणाली में पदस्थापित लोगों द्वारा स्वीकृति और नागरिकों के बीच जागरूकता के अधीन हैं।**

पुलिस हिरासत में आरोपी, अभिरक्षक अर्थात् पुलिस प्रशासन की अनुकम्पा/दया पर निर्भर होता है। यदि अभिरक्षक, अभियुक्त के मानवाधिकारों के अनुपालन को अस्वीकार कर देता है और इन अधिकारों से अभियुक्त अनभिज्ञ हो, तो मानवाधिकारों को लागू करना अत्यंत कठिन हो जाता है। भारत में ऐसी स्थितियों का होना दुर्लभ नहीं बल्कि एक सामान्य बात है, जिसके परिणामस्वरूप अभिरक्षा व्यवस्था में मानवाधिकारों के हनन की स्थितियां उत्पन्न होती हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Right Commission: NHRC) के गठन या दंड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code: CrPC) में संशोधन आदि के रूप में अनेक प्रयास किए गए हैं। लेकिन ऐसे मामलों के निस्तारण में उपलब्ध सीमित संसाधनों और हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में व्याप्त ढिलाई को देखते हुए, दोषी लोक सेवकों को सजा देना मुश्किल हो जाता है।

**अभियुक्तों (accused) के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी सुरक्षा उपाय**

| संवैधानिक उपबंध | भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code: IPC) और CrPC | अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण |
|---|---|---|
| • **अनुच्छेद 20:** इसमें भूतलक्षी कानून बनाकर कोई सजा नहीं दिए जाने, एक ही अपराध के लिए दो बार सजा नहीं देने और स्वयं के विरुद्ध गवाह नहीं बनाए जाने संबंधी प्रावधान शामिल हैं।<br>• **अनुच्छेद 21** एक व्यापक अधिकार है, जिसमें अमानवीय व्यवहार, एकांत कारावास आदि के विरुद्ध अधिकार शामिल हैं।<br>• **अनुच्छेद 22** में मनमाने ढंग से नजरबंदी (detention) से बचाव का प्रावधान है। | • **IPC की धारा 330 और 331:** जब कोई पुलिस अधिकारी जबरन आरोप स्वीकार करवाने के लिए जानबूझकर 'चोट' या 'गंभीर चोट' पहुँचाने का कारण बनता है।<br>• **IPC की धारा 142:** गलत तरीके से कारावास के लिए सजा।<br>• **CrPC की धारा 176(1) और 176 (1A):** जब कोई व्यक्ति मर जाता है, गायब हो जाता है या किसी महिला के साथ बलात्कार होता है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जानी चाहिए। | भारत पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय विनियमों को पूरा करने या उनका विधिवत पालन करने का दायित्व है, जैसे-<br>• नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा, 1966 {International Covenant on Civil and Political Rights, 1966 (ICCPR)}<br>• मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 1948 {Universal Declaration of Human Rights, 1948 (UDHR)}। |

संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ब्रैंडे ने जोर देते हुए यह कहा है कि, "सरकार सबसे शक्तिशाली और सर्वव्यापी शिक्षक है जो अपने उदाहरण (दायित्वों के निर्वहन) से सारी जनता को शिक्षित करती है। यदि सरकार कानून की अवज्ञा करती है, तो इससे कानून की अवमानना की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी; यह स्थिति प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के कानून निर्मित करने हेतु प्रेरित करेगी।" अतः सभ्य समाज में ऐसी स्थिति को उत्पन्न होने से रोकना आवश्यक है।

**हिरासत में होने वाले अपराधों से जुड़े मुद्दे को जड़ से समाप्त करने के लिए क्या किया जा सकता है?**

- **यातना की संस्कृति का निराकरण करना:** यातना विरोधी कानून लाकर या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों का पालन करके यातना की संस्कृति का प्रतिकार करने के प्रयास किए जाते रहे हैं। हालांकि, इन कानूनों के साथ-साथ प्रशासन के भीतर आंतरिक सुधार हेतु भी प्रयास करना होगा और साथ ही हिंसा को स्वीकार्य मानदंड के रूप में चिन्हित करने से बचना होगा।
- **भय की स्थिति उत्पन्न करना:** CrPC की धारा 176 (जो हिरासत में बलात्कार, मृत्यु जैसे गंभीर अपराधों से संबंधित है) जैसे पहले से मौजूद सुरक्षा उपायों को मजबूत तथा NHRC जैसी निगरानी एजेंसियों को और अधिक अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए।

- **जमीनी स्तर के अधिकारियों का नियमित प्रशिक्षण और संवेदीकरण:** वे संपर्क के पहले बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि वे न्याय प्रक्रिया के अनुसरण और अभियुक्तों के मानवाधिकारों की स्वीकृति के मध्य संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करें।
- **मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना:** "अभियुक्तों या आरोपियों के अधिकारों' के प्रति नागरिकों मध्य जागरूकता, हिरासत में होने वाले अपराधों की घटनाओं को अत्यंत कम कर सकता है। साथ ही, यह पुलिस प्रशासन की जवाबदेहिता को भी सुनिश्चित करने में भी मदद करेगा।

ऐसी व्यवस्था के पीछे मूल कारण यह विचार है कि **न्याय प्राप्ति हेतु अपराधियों को दंडित करना आवश्यक होता है।** यह मानसिकता आरोपी के विरुद्ध हिंसा को प्रेरित करती है और उसे वैध/जायज ठहराती है। इस समस्या को पूर्णतः जड़ से समाप्त करने हेतु एक समाज के रूप में हम सभी के लिए **सुधारात्मक न्याय (समाज में न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपराधियों को सुधारने की जरूरत है न कि उन्हें दंडित करने की) की ओर कदम बढ़ाना,** अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसाकि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी कहा था कि- **"अंधकार से अंधकार को दूर नहीं किया जा सकता है, केवल प्रकाश से ही ऐसा किया जा सकता है। नफरत से नफरत को नहीं हटाया जा सकता है, केवल प्यार से ही ऐसा किया जा सकता है।"**


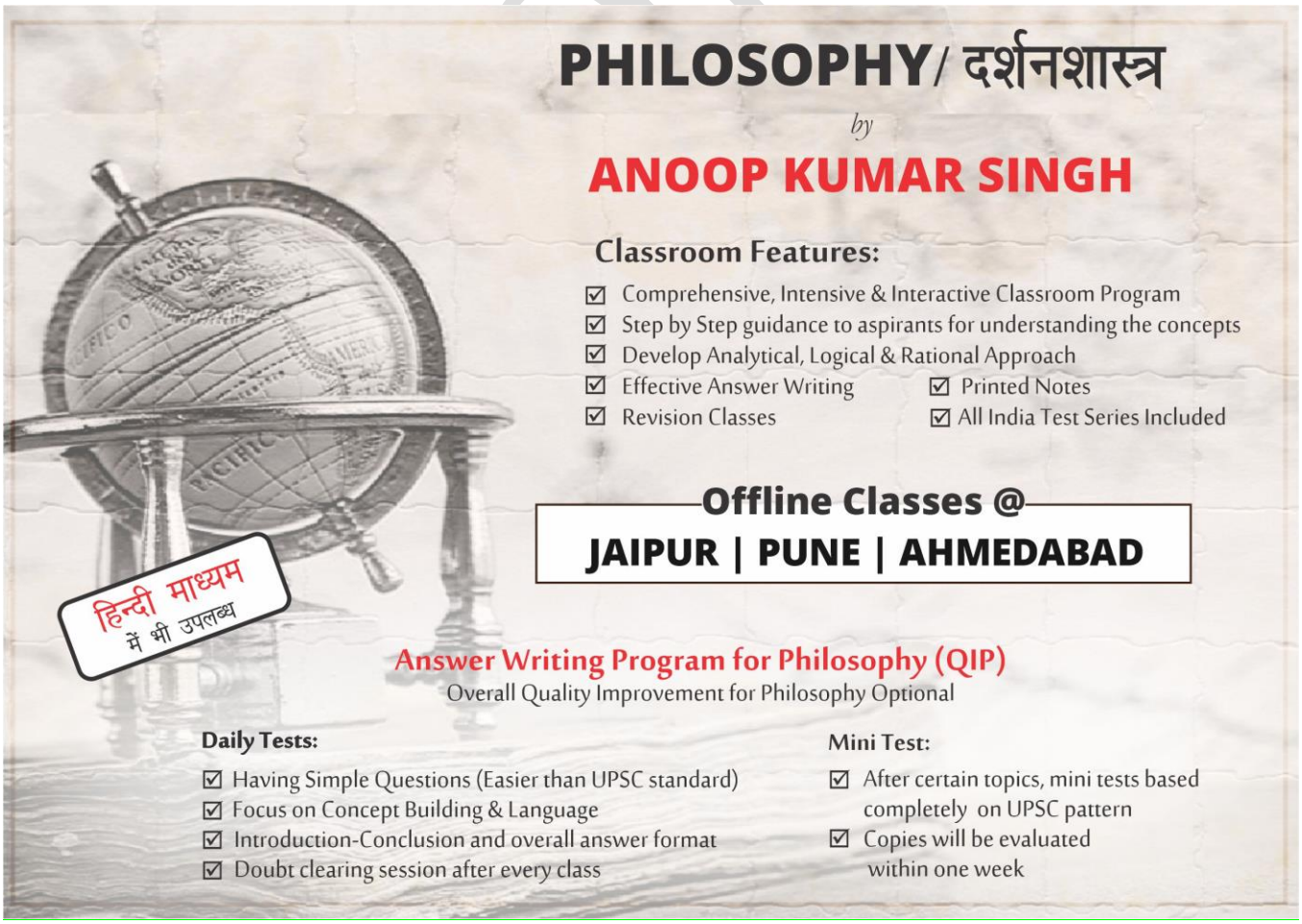

# 10. सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएँ (Government Schemes in News)

## 10.1. जियो पारसी योजना (Jiyo Parsi Scheme)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान, जियो पारसी योजना के तहत किए गए प्रयासों एवं सहायता के फलस्वरूप पारसी समुदाय की जनसंख्या में रिकॉर्ड वृद्धि (61 बच्चों का जन्म) दर्ज की गई है।

| उद्देश्य | प्रमुख विशेषताएं |
|---|---|
| • **वैज्ञानिक नवाचार और ढांचागत हस्तक्षेप को अपनाकर** पारसी आबादी के गिरते रुख को नियंत्रित करना।<br>○ पारसी समुदाय की **कुल प्रजनन दर (TFR) 1 से नीचे पहुंच** गई है, जिसका तात्पर्य है कि औसतन, एक **पारसी महिला अपने गर्भ धारण की कुल अवधि के दौरान लगभग 1 से कम शिशु (0.8) को जन्म देती है।**<br>○ 31 प्रतिशत पारसी 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं तथा 30 प्रतिशत से अधिक पारसिओं ने "कभी विवाह नहीं किया" है।<br>• **पारसियों की जनसंख्या को स्थिर रखना और भारत में पारसियों की जनसंख्या में वृद्धि करना।** | • यह **अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तहत संचालित** वर्ष 2013 में आरम्भ की गई **केंद्रीय क्षेत्रक की योजना** है।<br>• इस योजना को **पारज़ोर फाउंडेशन द्वारा बॉम्बे पारसी पंचायत (BPP)** की सहायता से तथा **संबंधित समुदाय के संगठनों/समाजों/अंजुमनों और पंचायतों, जो कम से कम तीन वर्ष से अस्तित्व में हो**, के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा।<br>• **लक्षित समूह:** यह योजना **केवल पारसी समुदाय** के लिए है।<br>• **शिशु उत्पन्न करने की आयु वाले विवाहित पारसी दंपत्ति** जो योजना के अंतर्गत सहायता चाहते हैं।<br>○ **वंध्यत्व उत्पन्न करने वाले रोगों का वयस्कों/ युवा पुरुष/ महिला/ में और किशोरों/ किशोरियों में पता लगाना तथा किशोरों/ किशोरियों की जांच के लिए माता-पिता/विधिक अभिभावकों की लिखित सहमति अनिवार्य होनी चाहिए।**<br>○ योजना के **तीन घटक** होंगे:<br>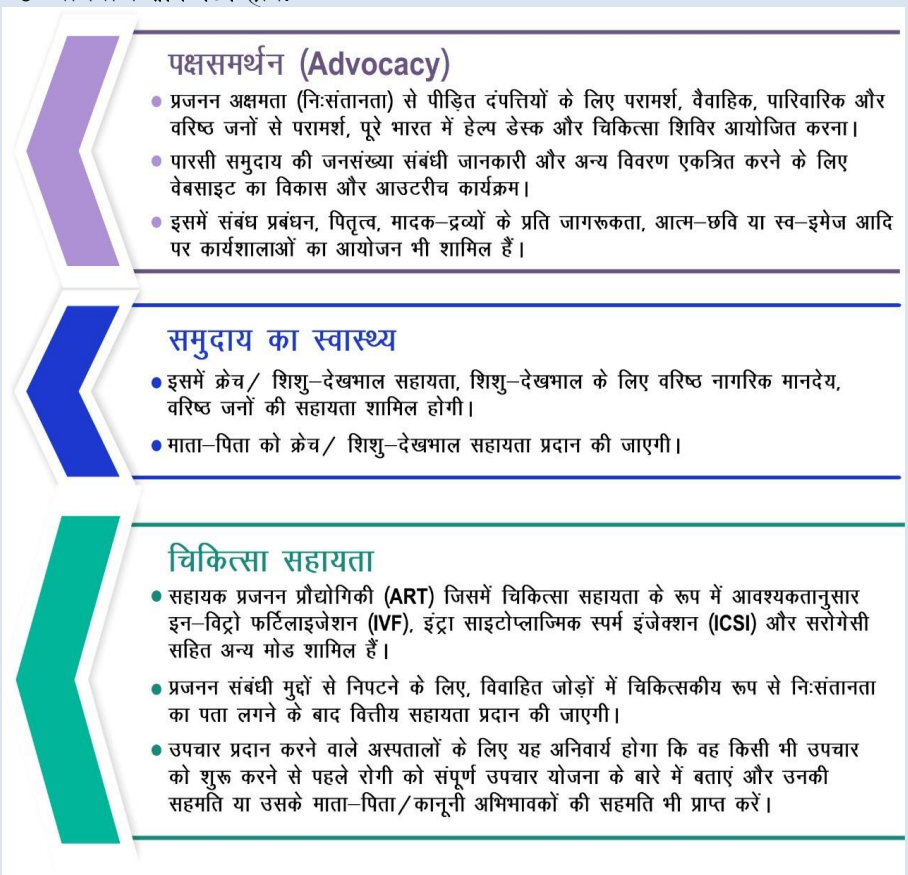<br><br>• **निधियों का अंतरण (Transfer of Funds):** निधियों को **इलेक्ट्रॉनिक रूप से पारज़ोर फाउंडेशन के बैंक खाते में अंतरित** किया जाएगा।<br>• **निगरानी और मूल्यांकन**<br>• योजना की निगरानी, प्रभाव आकलन तथा मूल्यांकन मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।<br>• **इसकी निगरानी स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से भी** की जाएगी। |

# 11. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Short)

## 11.1. डिजिटल मीडिया सामग्री विनियामक परिषद {Digital Media Content Regulatory Council (DMCRC)}

- डिजिटल मीडिया सामग्री/अंतर्वस्तु विनियामक परिषद (DMCRC) को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन (IBDF) द्वारा डिजिटल **ओटीटी प्लेटफॉर्म (ओवर-द-टॉप) के लिए उद्योग समर्थित/संचालित स्व-विनियामक निकाय (SRB)** के रूप में गठित किया गया है।
- इसका गठन **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021** {Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021} के अधिदेश के तहत किया गया है।
- **यह अपीलीय-स्तर पर** निर्मित एक **द्वितीय-स्तरीय तंत्र** (इन्फोग्राफिक्स देखें) है। साथ ही, इसे प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद (Broadcast Content Complaint Council: BCCC) के समान अधिकार प्रदान किए गए हैं।
  - BCCC, जून 2011 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (IBF) द्वारा **गैर-समाचार सामान्य मनोरंजन चैनलों के लिए स्थापित एक स्वतंत्र स्व-विनियामक निकाय है।**

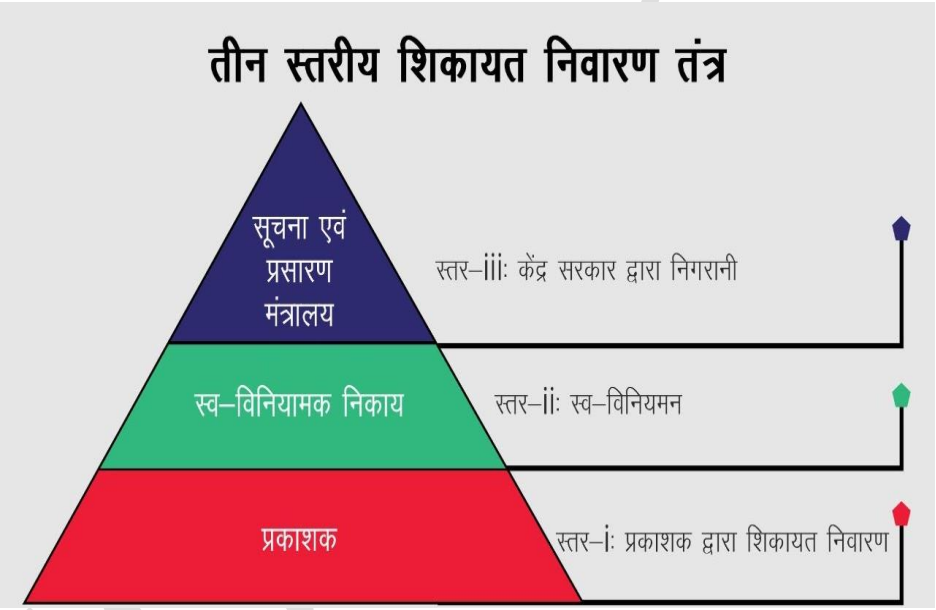


- अपेक्षा है कि यह परिषद एक समावेशी और निष्पक्ष शासन संरचना के साथ **विश्वसनीय, सुदृढ़ और व्यावहारिक आचार संहिता के निर्माण** में मदद करेगी।
- **DMCRC की स्थापना की आवश्यकता:** वैश्विक महामारी के पश्चात् OTT प्लेटफॉर्म्स पर दर्शकों की संख्या में होने वाली पर्याप्त वृद्धि के परिणामस्वरूप इसकी स्थापना की आवश्यकता को बल मिला है।
  - 'द प्राइसवॉटरहाउस कूपर्स (PwC) ग्लोबल एंटरटेनमेंट एंड मीडिया आउटलुक 2020-2024' के अनुसार, **भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग क्षेत्रक में 10.1% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR)** से बढ़ोत्तरी (वर्ष 2024 तक 55 बिलियन अमरीकी डॉलर तक) होने की संभावना व्यक्त की गई है।
  - विशिष्ट खंड के संदर्भ में, बाजार आकार की दृष्टि से (कुल उद्योग राजस्व के प्रतिशत के रूप में) **OTT वीडियो को सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा तथा यह वर्ष 2024 तक 5.2 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।**
- **इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन (IBDF) के बारे में**
  - हाल ही में, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (IBF) का नाम बदलकर IBDF कर दिया गया है, ताकि **प्रसारणकर्ताओं और OTT प्लेटफॉर्म्स को एक निकाय के अंतर्गत लाने के लिए इसके दायरे को बढ़ाया जा सके।**
  - **IBF को वर्ष 1999 में स्थापित किया गया था तथा यह अब तक टेलीविजन प्रसारण का प्रतिनिधित्व करता रहा है।** इसके सदस्य भारत में लगभग 90% टेलीविजन दर्शकों को चैनल और कार्यक्रम सेवाएं प्रदान करते हैं।

***नोट: अधिक जानकारी के लिए, फरवरी 2021 की मासिक समसामयिकी के लेख "सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021" का संदर्भ ले सकते हैं।***

## 11.2. केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 {Cable Television Networks (Amendment) Rules, 2021}

- केंद्र ने **टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री से संबंधित नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए सांविधिक तंत्र प्रदान करने हेतु** केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों में संशोधन किया है।
  - भारत में टेलीविजन मीडिया, **केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1955** द्वारा शासित है।

- वर्तमान में, नियमों के तहत कार्यक्रम/विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन से संबंधित नागरिकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए एक **अंतर-मंत्रालयी समिति** के रूप में एक **संस्थागत तंत्र** उपलब्ध है, किंतु **उसे कोई सांविधिक समर्थन प्राप्त नहीं है।**

- **केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021**, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत निर्मित किए गए नए सोशल मीडिया नियमों के अंतर्गत शिकायत निवारण ढांचे के अनुरूप **त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करता** है।

## 11.3. संचार मंत्रालय ने अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए दिशा-निर्देशों को उदार बनाया {Ministry of Communications Liberalized Guidelines For Other Service Providers (OSPs)}

- **अन्य सेवा प्रदाता (OSP)** दूरसंचार संसाधनों (जैसे विभिन्न कंपनियों, बैंकों या अस्पताल श्रृंखलाओं के लिए टेलीमार्केटिंग, टेली बैंकिंग या टेलीमेडिसिन) का उपयोग करके **ऐप्लिकेशन सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं (ITES) या किसी भी प्रकार की आउटसोर्सिंग सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाएं** हैं।
  - भारत का **सूचना प्रौद्योगिकी-व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन (Business process management: BPM) उद्योग** 37.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2019-20) का है और इसके वर्ष 2025 तक 55.5 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है।

- इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य **व्यापार में अधिक सुगमता** और **विनियामकीय स्पष्टता प्रदान करके** तथा **अनुपालन बोझ को कम करके** वॉयस संबंधित बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO) के विस्तार के लिए भारत को एक अनुकूल गंतव्य बनाना है।
  - नए दिशा-निर्देशों ने नवंबर, 2020 में **पहले ही घोषित किए गए उपायों को और उदार** बना दिया है। इनमें अन्य सेवा प्रदाताओं को भारत में पंजीकरण आवश्यकता की समाप्ति, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर आदि के प्रावधान शामिल हैं।
- **इन सुधारों का महत्व**
  - कर्मचारियों को घर से कार्य करते हुए **एक से अधिक कंपनियों के लिए फ्रीलांसिंग का विकल्प चुनने की अनुमति** दी गई है, जिससे इस क्षेत्र में अधिक व्यक्ति आकर्षित होंगे।
  - सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं को विश्व स्तर पर **अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद** मिलेगी।
  - बहुराष्ट्रीय कंपनियां **एक अनुकूल गंतव्य के रूप में भारत की ओर आकर्षित** होंगी और इसलिए अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को बढ़ावा देंगी।

## 11.4. संवेदनशील सूचनाओं के प्रकाशन के संबंध में सेवानिवृत्त अधिकारियों पर सरकार द्वारा प्रतिबंध (Government Bar Retired Officials From Publishing Sensitive Information)

- हाल ही में, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 में संशोधन किया गया है। इसके तहत सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा की जाने वाली संवेदनशील सूचनाओं के प्रकाशन पर प्रतिबंध आरोपित कर दिया गया है, **क्योंकि यह संभावना व्यक्त की गई है कि ऐसी गतिविधियां भारत की संप्रभुता और अखंडता के समक्ष संकट उत्पन्न कर सकती हैं।**
- **ये नियम मुख्यतः आसूचना या सुरक्षा से संबंधित संगठनों** जैसे कि आसूचना ब्यूरो (IB), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG), रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) आदि से सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों को अपने संगठन से संबंधित किसी भी **जानकारी को** संबंधित **"संगठन के प्रमुख"** की अनुमति के बिना **प्रकाशित करने से प्रतिबंधित** करते हैं।
  - हालांकि अब संगठन के प्रमुख द्वारा यह निर्धारित किया जाएगा कि **प्रकाशन के लिए प्रस्तावित सामग्री संवेदनशील है या गैर-संवेदनशील है तथा क्या यह संगठन के क्षेत्राधिकार में आती है या नहीं।**
  - ध्यातव्य है कि वर्ष 2007 के पूर्व के नियमों के अनुसार इसके लिए **विभागाध्यक्ष से अनुमति** लेने की आवश्यकता होती थी।

- सभी कर्मचारियों को अब संगठन के प्रमुख के समक्ष यह वचन पत्र (undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि वे **ऐसी सूचनाओं (संप्रभुता और अखंडता के समक्ष संकट उत्पन्न करने वाली) को प्रकाशित नहीं करेंगे।** हालांकि, यदि वे भविष्य में ऐसी सूचनाओं के प्रकाशन में संलिप्त पाए जाते हैं , उनकी **पेंशन को रोक दिया जाएगा या वापस** ले लिया जाएगा।
- हालांकि, ये नियम भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFS) के **अधिकारियों पर लागू नहीं होते हैं।**

## 11.5. केंद्र ने युद्ध/संचालन इतिहास के संग्रह, अवर्गीकरण और संकलन पर नीति को स्वीकृति प्रदान की (Centre Approves Policy On Archiving, Declassification & Compilation of War/operations Histories)

- विगत युद्धों से प्राप्त अनुभवों का विश्लेषण करने और भविष्य में संभावित त्रुटियों को रोकने के लिए **कारगिल समीक्षा समिति के साथ-साथ एन.एन.वोहरा समिति** द्वारा भी अवर्गीकरण पर स्पष्ट नीति के साथ युद्ध इतिहास लेखन की आवश्यकता पर अनुशंसा की गई थी।
  - इस प्रकार की नीति अकादमिक शोध के लिए प्रामाणिक सामग्री प्रदान करेगी और निराधार अफवाहों को निष्प्रभावी करेगी।
- **नई नीति की मुख्य विशेषताएं:**
  - लोक अभिलेख अधिनियम 1993 और लोक अभिलेख नियम, 1997 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार **अभिलेखों के वर्गीकरण का उत्तरदायित्व संबंधित संगठनों का है।**
  - रक्षा मंत्रालय (MoD) का **इतिहास प्रभाग** युद्ध/संचालन के इतिहास के संकलन, अनुमोदन और प्रकाशन के दौरान विभिन्न **विभागों/संगठनों के साथ समन्वय** हेतु उत्तरदायी होगा।
  - यह नीति युद्ध/अभियान के इतिहास के संकलन हेतु रक्षा मंत्रालय के **संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति के गठन** को अधिदेशित करती है।
    - युद्ध/अभियान के इतिहास को **पांच वर्ष के भीतर संकलित किया जाएगा।**
  - **अभिलेखों को साधारणतः 25 वर्षों में अवर्गीकृत किया जाना चाहिए**, किंतु इससे पूर्व कुछ अभिलेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जा सकते हैं। हालांकि, संवेदनशील समझे जाने वाले अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखने की सरकार की विवेकाधीन शक्ति यथावत रहेगी।
    - 25 वर्षों से अधिक पुराने अभिलेखों का अभिलेखीय विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए और उसे भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में हस्तांतरित किया जाना चाहिए।

## 11.6. व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (अंकटाड) द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 {World Investment Report 2021 by the UN Conference on Trade and Development (UNCTAD)}

- **रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष**
  - वैश्विक महामारी के कारण वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है तथा वर्ष 2020 में 35 प्रतिशत की गिरावट के साथ यह घटकर 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।
  - **डिजिटल अवसंरचना और सेवाओं की मांग** के कारण सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) उद्योग को लक्षित करने एवं अधिक मूल्य वाली ग्रीनफील्ड FDI परियोजना के विकास को बढ़ावा मिला है, जो 22 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 81 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गई हैं।
  - भारत वर्ष 2020 में 64 बिलियन डॉलर के साथ विश्व में **FDI का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता** देश रहा है। **इस रैंकिंग में अमेरिका का स्थान प्रथम रहा है और उसके पश्चात् चीन का स्थान है।**
    - **सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उद्योग में हुए अधिग्रहण से भारत में FDI वर्ष 2019 में 51 बिलियन डॉलर से 27 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2020 में 64 बिलियन डॉलर** हो गया है।
    - **वर्ष 2020 में** भारत में **ग्रीनफील्ड परियोजनाएं 19 प्रतिशत तक संकुचित होकर 24 बिलियन डॉलर** हो गई हैं।

## 11.7. मनरेगा के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए पृथक बजट शीर्ष (Separate Budget Heads For Sc And St Categories Under MGNREGS)

- केंद्र सरकार ने राज्यों को चालू वित्त वर्ष से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना के तहत **पारिश्रमिक भुगतान को अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST) और अन्य के लिए पृथक-पृथक श्रेणियों में विभाजित करने का निर्देश दिया** है।
  - मनरेगा के तहत, **50 प्रतिशत से अधिक श्रमिक महिलाएं हैं और लगभग 40 प्रतिशत SC/ST** हैं।
  - इस कदम हेतु उत्तरदायी कारक **इन श्रेणियों पर अधिक व्यय सुनिश्चित करना** हो सकता है।

- वर्ष 2014 और वर्ष 2019 के मध्य नीतिगत दिशा-निर्देशों के आधार पर **राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान (National Campaign on Dalit Human Rights)** के विश्लेषण में पाया गया है कि
    - अनुसूचित जाति के लिए, वर्ष 2014-19 के बीच **आवश्यक राशि 6.2 लाख करोड़ रुपये** थी, जबकि सरकार ने आवश्यक राशि का लगभग अर्धांश ही आवंटित किया था।
    - अनुसूचित जाति **कुल आबादी का लगभग 16 प्रतिशत** हिस्सा हैं, परंतु **केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं या केंद्र प्रायोजित योजनाओं का केवल 8 प्रतिशत** ही इस श्रेणी के लिए आवंटित किया गया था।
    - अनुसूचित जनजाति के लिए, **आवश्यक आवंटन 3.28 लाख करोड़ रुपये** था और **वास्तविक सरकारी आवंटन 2 लाख करोड़ रुपये** था, जो **आवश्यकता का केवल 60 प्रतिशत** था।

- **मनरेगा के बारे में:**
    - मनरेगा अधिनियम, 2005 **वैधानिक न्यूनतम मजदूरी पर अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सौ दिवसों के रोजगार की कानूनी गारंटी** प्रदान करता है।

## 11.8. ऋण-जी.डी.पी. अनुपात (Debt to GDP ratio)

- यह किसी देश के **सार्वजनिक ऋण का उसके सकल घरेलू उत्पाद (GDP) से अनुपात** है। यह किसी देश की अपने ऋणों को चुकाने की क्षमता को इंगित करता है।
    - सार्वजनिक ऋण **भारत की संचित निधि पर भारित केंद्र सरकार की कुल देनदारियां हैं।**
- वित्त वर्ष 2021 में केंद्र सरकार का **ऋण बढ़कर 58.8% हो गया**, जो एक वर्ष पूर्व 51.6% था।
    - यह आर्थिक संकुचन के कारण (कोविड-19 से प्रेरित) हुआ है, जिसने सरकार को राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए अप्रत्याशित राशि उधार लेने के लिए बाध्य किया है।
- राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (Fiscal Responsibility and Budget Management: FRBM) अधिनियम ने **केंद्र के ऋण-से-जीडीपी अनुपात को वर्ष 2024-25 तक घटाकर 40 प्रतिशत तक लाना** और राज्यों के ऋण-से-जीडीपी अनुपात को 20 प्रतिशत तक लाना अनिवार्य किया है।

## 11.9. टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स {Tax Inspectors Without Borders (TIWB)}

- **भूटान का TIWB कार्यक्रम** भारत के साथ साझेदारी में आरंभ किया गया है।
- इसका उद्देश्य भूटान को अपने **कर प्रशासन को मजबूत करने में सहायता प्रदान करना** तथा **अंतर्राष्ट्रीय कराधान और मूल्य निर्धारण हस्तांतरण के क्षेत्र में ध्यान** केंद्रित करना है।
- **TIWB** संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) की **एक संयुक्त पहल है। यह विकासशील देशों में कर प्रशासन के साथ कर लेखा परीक्षा ज्ञान और कौशल को साझा करने में सक्षम बनाती है।**

## 11.10. आई. टी. ए. टी. - ई-द्वार (Itat-e-Dwar)

- यह **विधि और न्याय मंत्रालय** द्वारा आरंभ किया गया **आयकर अपीलीय अधिकरण (ITAT)** संचालित एक **ई-फाइलिंग पोर्टल** है।
    - यह देश के डिजिटल रूपांतरण को प्रतिबिंबित करता है।
    - इसका उद्देश्य ITAT की दैनिक कार्यप्रणाली में **पहुंच, जवाबदेही और पारदर्शिता** में वृद्धि करना है।
    - इससे कागज के उपयोग में कमी होगी, लागत न्यून होगी और मामलों के निर्धारण के युक्तिकरण के परिणामस्वरूप मामलों के त्वरित निपटान को बढ़ावा मिलेगा।

## 11.11. मिशन इनोवेशन- क्लीनटेक एक्सचेंज (Mission Innovation- CleanTech Exchange)

- हाल ही में, भारत द्वारा **मिशन इनोवेशन (MI)-क्लीनटेक एक्सचेंज** को मिशन इनोवेशन के अधीन संचालित **इनोवेशन प्लेटफॉर्म** के तहत आरंभ किया गया है।
    - इस वर्ष चिली द्वारा वर्चुअली रूप से आयोजित **इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट** के दौरान इसे आरंभ किया गया है।
- **क्लीनटेक एक्सचेंज** वस्तुतः **एक वैश्विक पहल है।** यह स्वच्छ ऊर्जा नवाचार के क्षेत्र में तीव्रता लाने हेतु सदस्य देशों को **इन्क्यूबेटरों के नेटवर्क को सृजित करने के लिए प्रेरित करती है।**
    - यह नेटवर्क वैश्विक स्तर पर नए बाजारों तक पहुंच तथा नवीन तकनीकों के अंगीकरण हेतु **आवश्यक विशेषज्ञता और बाजार संबंधी समझ** प्रदान करता है।

**मिशन इनोवेशन (MI) के बारे में**

- MI वस्तुतः घरेलू नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से पुरोगामी स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने के लिए संचालित एक कार्रवाई आधारित वैश्विक पहल है।
  - इसमें **24 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है।**
  - मिशन इनोवेशन के **प्रथम चरण को वर्ष 2015** में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान **पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के साथ आरम्भ किया गया था।**
- इसके तहत **एक नवाचार मंच (Innovation Platform)** की स्थापना की गई है। इस मंच के माध्यम से सदस्य देश नवाचार प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं, ज्ञान का आदान-प्रदान कर सकते हैं और बाजार में प्रौद्योगिकियों के समावेशन को गति प्रदान करने के लिए निवेशकों, नवप्रवर्तकों तथा अंतिम उपयोगकर्ताओं के साथ कार्य कर सकते हैं।
- उपर्युक्त शिखर सम्मेलन में MI के दूसरे चरण **(मिशन इनोवेशन 2.0)** को भी आरंभ किया गया है। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक वहनीय स्वच्छ ऊर्जा समाधान प्रदान करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन में वर्धित निवेश को उत्प्रेरित करना है।
- ध्यातव्य है कि इससे पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में तेजी आएगी।

## 11.12. AIM-iLEAP (उद्यमिता संबंधी तेजी और लाभ के लिए अभिनव नेतृत्व) पहल {AIM-iLEAP (Innovative Leadership For Entrepreneurial Agility And Profitability) Initiative}

- अटल नवप्रवर्तन मिशन (AIM) ने **संपूर्ण देश में टेक स्टार्टअप्स में तेजी लाने के लिए** प्रमुख कदम के रूप में 'AIM-iLEAP' के प्रथम **फिनटेक समूह सम्मेलन** का आयोजन किया।
  - AIM (नीति आयोग द्वारा) देश में **नवोन्मेष और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख पहल है।**
- उद्यमिता संबंधी तेजी और लाभ के लिए अभिनव नेतृत्व पहल {(Innovative leadership for entrepreneurial agility and profitability) initiative:AIM-iLEAP} कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यों की विस्तृत श्रृंखला में प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को आमंत्रित करना है और उन्हें बाजार तक पहुंच तथा उद्योग भागीदारी में सक्षम बनाने के लिए कॉरपोरेट नेतृत्व एवं नवाचार टीम के सामने अपना समाधान प्रस्तुत करना है।

## 11.13. कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल का प्रवर्तन (Enforcing Contracts Portal)

- न्याय विभाग द्वारा आरंभ किए गए इस पोर्टल का उद्देश्य देश में **व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा देना और अनुबंध प्रवर्तन व्यवस्था में सुधार करना है।**
  - पोर्टल के **"अनुबंधों प्रवर्तन" मापदंडों** (इस संबंध में भारत वर्ष 2019 की रैंकिंग में 163वें स्थान पर था) पर किए जा रहे विधायी और नीतिगत सुधारों से संबंधित सूचना का समग्र स्रोत बनने की कल्पना की गई है।
  - यह दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता के **समर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों में वाणिज्यिक मामलों पर नवीनतम जानकारी तक सुगम पहुंच** प्रदान करेगा।
  - पोर्टल तत्काल **संदर्भ के लिए वाणिज्यिक कानूनों के भंडार तक पहुंच** प्रदान करता है।

## 11.14. भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर {India's first International Maritime Services Cluster (IMSC)}

- **गुजरात मेरीटाइम बोर्ड गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी (GIFT City) में प्रथम IMSC स्थापित करेगा।**
  - गिफ्ट सिटी भारत का एकमात्र स्वीकृत IFSC (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र) है, जो गुजरात के **गांधीनगर** में स्थित है।
- IMSC को एक **समर्पित पारितंत्र** के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें **बंदरगाह, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता और समुचित सरकारी विनियामक** शामिल होंगे, जो सभी GIFT सिटी के एक ही भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद हैं।
- यह समुद्री क्षेत्र में **प्रतिस्पर्धात्मकता**, **व्यवसाय करने में सुगमता** और **आत्मनिर्भरता** बढ़ाने में मदद करेगा।

## 11.15. वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक {Global Cybersecurity Index (GCI)}

- **भारत** GCI वर्ष 2020 में चीन और पाकिस्तान से आगे **10वें (194 देशों के मध्य) स्थान** पर है।
- GCI को **अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU)**, सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (ICT) के लिए संयुक्त राष्ट्र (UN) एजेंसी द्वारा जारी किया गया है।
  - रैंकिंग पांच स्तंभों पर आधारित है: कानूनी उपाय, तकनीकी उपाय, क्षमता निर्माण के उपाय, संगठनात्मक उपाय और सहयोग।
  - **एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भारत ने चौथा स्थान** हासिल किया।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम का स्थान है।

## 11.16. अग्नि प्राइम (Agni Prime)

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) शीघ्र ही **'अग्नि-1' मिसाइल के उन्नत संस्करण, नई मिसाइल अग्नि प्राइम** का परीक्षण करेगा।
- अग्नि प्राइम **'एक कम दूरी की (सतह से सतह पर मार करने वाली) बैलिस्टिक मिसाइल'** है। इसकी परास 1000 किमी से 1500 किमी होगी तथा इसमें चपलता और सड़क गतिशीलता जैसी उन्नत विशेषताएं होंगी।
  - यह लगभग 1,000 किलोग्राम युद्धक सामग्री या परमाणु हथियार ले जा सकती है।
- दो चरणों वाली यह मिसाइल **अपनी पूर्ववर्ती 'अग्नि-1' की तुलना में हल्की और अधिक आकर्षक होगी।**
- अग्नि-1 एक कम दूरी की (सतह से सतह पर मार करने वाली) परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 700 किमी से 1200 किमी के मध्य है।

## 11.17. सुर्ख़ियों में रहे अभ्यास (Exercises in News)

- **भारत-थाईलैंड समन्वित गश्त (इंडो-थाई कॉर्पेट):** भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना ने अंडमान सागर में **भारत-थाईलैंड समन्वित गश्त (इंडो-थाई कॉर्पेट)** के **31वें संस्करण** का आयोजन किया।
  - दोनों देशों के बीच समुद्री संपर्कों को मजबूत करने और हिंद महासागर के इस महत्वपूर्ण हिस्से को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सुरक्षित रखने के उद्देश्य से दोनों नौसेनाएं **वर्ष 2005** से अपनी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) पर कॉर्पेट का द्वि-वार्षिक रूप से आयोजन कर रही हैं।
- **भारतीय नौसेना-यूरोपीय संघ नौसैनिक बल (IN – EUNAVFOR) अभ्यास:** भारतीय नौसेना (IN) और यूरोपीय संघ की नौसेना के सैन्य-दल (European Union Naval Force: EUNAVFOR) अदन की खाड़ी में **प्रथम संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भाग लेंगे।**
  - अदन की खाड़ी को बेरबेरा की खाड़ी (Gulf of Berbera) के रूप में भी जाना जाता है, **जो उत्तर में यमन, पूर्व में अरब सागर, पश्चिम में जिबूती और दक्षिण में सोमालिया के मध्य एक गहरे जल की खाड़ी है।**
- **ऑपरेशन सागर आरक्षा II:** यह भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित एक संयुक्त अभियान है। इसे कोलंबो के निकट रसायन से लदे कंटेनर पोत (एमवी एक्स-प्रेस पर्ल) में भीषण आग लग जाने के कारण संभावित पर्यावरणीय खतरे से निपटने संबंधी कार्रवाई के लिए आरंभ किया गया था।

## 11.18. विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट, 2021 (World Energy Investment Report, 2021)

- इसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency: IEA) द्वारा प्रकाशित किया गया है। ज्ञातव्य है कि IEA को वर्ष 1974 में स्थापित गया था तथा इसका उद्देश्य तेल आपूर्ति के समक्ष उत्पन्न होने वाले प्रमुख व्यवधानों की स्थिति में सामूहिक कार्रवाई हेतु समन्वय/सहयोग प्रदान करना है।
- **रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष**
  - वर्ष 2021 में, **वार्षिक वैश्विक ऊर्जा निवेश के बढ़कर 1.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने की संभावना है,** जो वर्ष 2020 की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक है।
  - इस रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि नई विद्युत उत्पादन क्षमता में होने वाले समग्र निवेश में **नवीकरणीय ऊर्जा का वर्चस्व रहेगा**। साथ ही, यह भी संभावना व्यक्त की गई है कि सभी नई विद्युत उत्पादन क्षमता पर होने वाले व्यय (वर्ष 2021 के कुल 530 बिलियन अमरीकी डॉलर) में इसकी हिस्सेदारी बढ़कर **70 प्रतिशत** हो जाएगी।
  - अपस्ट्रीम निवेश में (तेल और गैस में) **10 प्रतिशत तक बढ़ोतरी होने की संभावना है।**
  - वैश्विक उत्सर्जन में 1.5 बिलियन टन की वृद्धि होने की आशंका व्यक्त की गई है।

## 11.19. देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान (Dihing Patkai National Park)

- असम सरकार द्वारा **देहिंग पटकाई को राज्य के 7वें राष्ट्रीय उद्यान** (National Park) के रूप में अधिसूचित किया गया है।
  - **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972** के तहत, **राज्य (धारा 35 के तहत) और केंद्र (धारा 38 के तहत)** दोनों सरकारें किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित कर सकती हैं।
- देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान **असम घाटी के उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों का एक "अंतिम शेष खंड" है।**
  - यह पूर्वी असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में विस्तारित है।
  - यह राष्ट्रीय उद्यान **पूर्ववर्ती देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य, जेपोर आरक्षित वन तथा ऊपरी दिहिंग आरक्षित वन के पश्चिमी खंड** को शामिल करता है। साथ ही, **इसमें दिराक तथा बूढ़ी दिहांग नदियों के कुछ हिस्से भी सम्मिलित** हैं।
  - **देहिंग पटकाई हाथी अभ्यारण्य** का एक भाग होने के अतिरिक्त, यह उद्यान **बाघ, चीनी पैंगोलिन, स्लो लोरिस, क्लाउडेड लेपर्ड जैसी महत्वपूर्ण प्रजातियों की आश्रय स्थली भी है।**

- इस उद्यान में दुर्लभ **व्हाइट विंग्ड वुड डक (संकटग्रस्त) भी सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है।**

- इससे पूर्व, असम सरकार ने पश्चिमी असम के कोकराझार जिले में स्थिति **रायमोना आरक्षित वन क्षेत्र** (422-वर्ग किमी) को **छठे राष्ट्रीय उद्यान** के रूप में अधिसूचित किया था।
  - इसके उत्तर में **भूटान का फिप्सू वन्यजीव अभयारण्य, पश्चिम की ओर पश्चिम बंगाल का बुक्सा टाइगर रिज़र्व और पूर्व में असम का मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं।** यह उद्यान **गोल्डन लंगूर, क्लाउडेड लेपर्ड और भारतीय गौर** जैसी प्रजातियों की पर्यावास स्थली है।

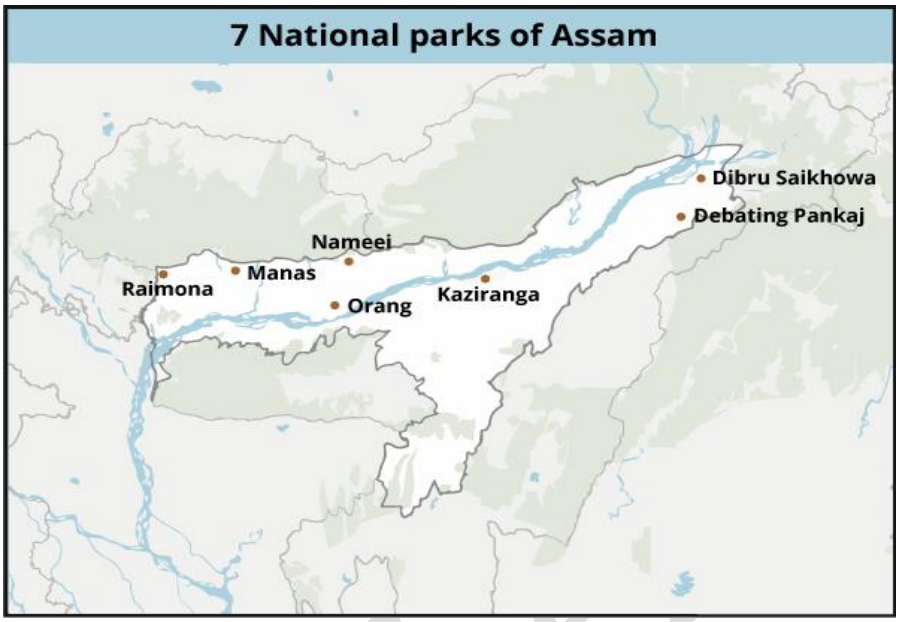


- ध्यातव्य है कि असम में इन दो नए राष्ट्रीय उद्यानों के अतिरिक्त **पांच बड़े राष्ट्रीय उद्यान (काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और डिब्रू-सैखोवा)** पहले से ही मौजूद हैं।
  - काजीरंगा और मानस (टाइगर रिज़र्व) यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध हैं। नामेरी और ओरंग भी टाइगर रिजर्व हैं।
- वर्तमान में, राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में प्रथम स्थान **मध्य प्रदेश (12)** द्वितीय स्थान **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह** (9) तथा **तीसरा स्थान असम** (7) का है।

## 11.20. द लीफ कोएलिशन (The Leaf Coalition)

- लीफ कोएलिशन वस्तुतः **सरकारों के एक प्रारंभिक समूह** (अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे) तथा **प्रमुख कंपनियों** (जैसे अमेज़न, नेस्ले आदि) द्वारा **उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण के लिए वित्त संग्रहण हेतु आरंभ किया गया एक गठबंधन** है।
- LEAF (**लोअरिंग एमिशन बाय एक्सीलरेटिंग फॉरेस्ट फाइनेंस**) गठबंधन का उद्देश्य उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय वनीय देशों को निर्वनीकरण से होने वाले उत्सर्जन को कम करने की दिशा में तीव्रता से प्रयास हेतु सहायता के लिए **वित्त के रूप में कम से कम 1 बिलियन डॉलर राशि की व्यवस्था करना** है।
- यह **पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (NDCs) की प्राप्ति हेतु तथा निर्वनीकरण और वन निम्नीकरण से उत्सर्जन में कटौती करने (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation: REDD+) वाले तंत्र के माध्यम से देशों को समर्थन प्रदान करने वाले** एक सबसे बड़े सार्वजनिक-निजी प्रयासों के रूप में उभर सकता है।
- हालांकि, उत्सर्जन में कटौती उन कार्यक्रमों के माध्यम से की जाएगी, जिनमें **देशज लोगों और स्थानीय समुदायों सहित सभी प्रमुख हितधारक शामिल हों।**

## 11.21. फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट स्टैम्प्स (Forest Carbon Credit Stamps: FCCS)

- कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में बाजार तंत्र का उपयोग करने हेतु चीन ने **फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट स्टैम्प्स (FCCS) की प्रथम खेप** जारी की है।
- FCCSs **वस्तुतः कार्बन डाइऑक्साइड की एक निश्चित मात्रा के उत्सर्जन हेतु कंपनियों को प्रदान किए जाने वाले परमिट होते हैं।** जोड़े गए वन क्षेत्रों एवं इन वन क्षेत्रों द्वारा कार्बन प्रग्रहण की मात्रा के आधार पर इनका क्रय-विक्रय किया जा सकता है।
- **बैंक क्रेडिट और ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में भी** इनका उपयोग किया जा सकता है।
- वर्ष 2030 तक चरम कार्बन उत्सर्जन स्थिति से वर्ष 2060 तक कार्बन-तटस्थता की स्थिति को प्राप्त करने संबंधी चीन के प्रयास की दिशा में फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट सिस्टम बेहतर संभावनाएं प्रस्तुत करता है।

## 11.22. आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ {Genetically Modified (GM) Rubber}

- हाल ही में, **असम में विश्व के प्रथम आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) रबड़ के पौधे का रोपण** किया गया है।
- यह अपनी तरह का एक प्रथम पौधा है, जिसे **विशेष रूप से पूर्वोत्तर के लिए विकसित किया गया है।** साथ ही, यह इस क्षेत्र की जलवायविक दशाओं में बेहतर रूप से विकास कर सकने में सक्षम होगा।

- जीन **MnSOD (मैंगनीज-युक्त सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज) की अतिरिक्त प्रतियों** को इस पौधे में अंतर्वेशित कराया गया है। ये **शीत ऋतु के दौरान भीषण ठंड की स्थिति से निपटने** में सक्षम होंगे, क्योंकि अत्यधिक ठंड के कारण युवा रबड़ के पौधे का विकास बाधित हो जाता था।
    - **प्राकृतिक रबड़ का पौधा उष्ण-आर्द्र अमेजन वनों का एक स्थानिक पौधा है**। शीतल जलवायविक दशाएँ इसके लिए प्राकृतिक रूप से प्रतिकूल होती हैं।
- ध्यातव्य है कि इसे **केरल** स्थित **भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान (Rubber Research Institute of India)** द्वारा विकसित किया गया है।

## 11.23. पर्यावरण मंत्रालय ने इंडिया प्लास्टिक चैलेंज-हैकाथॉन 2021 की घोषणा की (India Plastic Challenge – Hackathon 2021 Announced By Environment Ministry)

- यह एक विशिष्ट प्रतियोगिता है, जो स्टार्टअप्स/उद्यमियों और उच्च शिक्षा संस्थानों (Higher Education Institutions: HEIs) के छात्रों को **प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने और एकल उपयोग प्लास्टिक (Single use plastics) का विकल्प विकसित करने के लिए** अभिनव समाधान विकसित करने का आह्वान करती है।
    - जिस प्लास्टिक को **केवल एक बार उपयोग के उपरांत फेंक दिया जाता है, उसे एकल उपयोग प्लास्टिक** के रूप में जाना जाता है।
    - संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, वर्तमान में उत्पादित अधिकांश प्लास्टिक को एक बार उपयोग के पश्चात फेंकने के लिए डिज़ाइन किया जाता है।
- पूर्व में, पर्यावरण मंत्रालय ने **प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रभावी और बेहतर संग्रह, पृथक्करण, प्रसंस्करण, उपचार व निपटान** के लिए नए प्रावधानों के साथ **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016** को अधिसूचित किया था।
- इस वर्ष मार्च माह में, पर्यावरण मंत्रालय ने प्रारूप **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021 जारी किया था।** इसमें एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं की कई श्रेणियों पर निम्नलिखित तरीके से चरणबद्ध प्रतिबंध प्रस्तावित किए गए हैं।
    - वर्जिन प्लास्टिक से बने **कैरी बैग की मोटाई 30 सितंबर 2021 से 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 120 माइक्रोन** करना।
    - 1 जनवरी, 2022 से विशिष्ट एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक के **निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध आरोपित करना।**
    - **1 जुलाई 2022** से एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध में वृद्धि के साथ, 100 माइक्रोन से कम के प्लेट, कप, प्लास्टिक/पीवीसी बैनर आदि भी प्रतिबंधित होंगे।

## 11.24. स्टेट ऑफ़ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट (State of Finance for Nature Report)

- यह **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम** (UNEP), **विश्व आर्थिक मंच** (WEF) और **इकोनॉमिक्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन** (Economics of Land Degradation: ELD) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई रिपोर्ट है।
    - ELD, संधारणीय भूमि प्रबंधन के लिए एक वैश्विक रणनीति है। यह वर्ष 2011 में **'संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय' (United Nations Convention to Combat Desertification: UNCCD)** द्वारा स्थापित **एक वैश्विक पहल है**। साथ ही, इसे ज्ञान के विविध क्षेत्रों से संबद्ध भागीदारों के एक व्यापक नेटवर्क द्वारा भी सहायता प्रदान की जाती है।
- यह वैश्विक जैव-विविधता और भू-निम्नीकरण (लैंड डिग्रेडेशन) संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए **प्रकृति-आधारित समाधानों (Nature-Based Solutions: NBS)** में निवेश के महत्व को प्रकट करती है।
    - NBS वस्तुतः **प्राकृतिक और संशोधित पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण, संधारणीय प्रबंधन तथा पुनर्बहाली संबंधी कार्रवाई है।** यह सामाजिक चुनौतियों को प्रभावपूर्ण और अनुकूलित रूप से संबोधित करने के साथ-साथ **मानव कल्याण एवं जैव-विविधता संबंधी विभिन्न लाभ भी प्रदान** करती है।
- **रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष**
    - **विश्व के कुल सकल घरेलू उत्पाद का आधे से अधिक हिस्सा मध्यम या अत्यधिक रूप से प्रकृति पर निर्भर रहा है। कृषि, खाद्य एवं पेय पदार्थ और निर्माण** आदि प्रकृति पर आश्रित सबसे बड़े क्षेत्रक हैं।
    - वर्तमान में NBS (आधार वर्ष के रूप में वर्ष 2020 का उपयोग करके) में वार्षिक निवेश लगभग **133 बिलियन अमरीकी डॉलर** रहा है, जिसमें **सार्वजनिक तथा निजी वित्त की हिस्सेदारी क्रमशः 86% व 14% है।**
    - वैश्विक जैव विविधता और भू-निम्नीकरण संबंधी लक्ष्यों को तभी पूरा किया जा सकता है जब **NBS में किया जाने वाला वार्षिक निवेश** का वर्तमान स्तर बढ़कर **वर्ष 2030 तक तीन** गुना तथा वर्ष 2050 तक चार गुना हो जाए।
    - वर्तमान में, NBS के लिए सार्वजनिक क्षेत्रक द्वारा किए जा रहे व्यय में **संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन** का वर्चस्व है, इसके पश्चात् **जापान, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया** का स्थान आता है।

- **रिपोर्ट द्वारा प्रस्तुत अनुशंसाएं:**
    - NBS में निवेश के उद्देश्य से आर्थिक प्रोत्साहन सृजित करने हेतु करों में सुधार करना, **व्यापार संबंधी प्रशुल्कों और** कृषि नीतियों को पुनरुद्देशित करने के साथ-साथ कार्बन बाजारों की संभावनाओं जैसे विकल्पों का उपयोग किया जा सकता है।
    - कोविड-19 उपरांत आर्थिक सुधारों को **पेरिस समझौते** (वैश्विक औसत तापमान को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने से रोकना) **के अनुरूप** किया जाना चाहिए। साथ ही, जैव-विविधता के क्षरण को रोकने और जैव-विविधता की पुनर्बहाली पर भी महत्वपूर्ण रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।
    - व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं और व्यवसायों (जो NBS को अपने व्यवसाय मॉडल में शामिल करते हैं) को तकनीकी सहायता, आर्थिक व विनियामक संबंधी प्रोत्साहनों के माध्यम से उनकी संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए।
    - **"नेट जीरो, नेचर पॉजिटिव"** संधारणीय कृषि, वानिकी तथा NBS के अन्य रूपों के अंगीकरण को और तीव्रता प्रदान करने के लिए **रियायती वित्त की उपलब्धता को बढ़ाया** जाना चाहिए।

## 11.25. संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट का सीईओ वाटर मैंडेट (United Nations Global Compact's CEO Water Mandate)

- **राष्ट्रीय ताप विद्युत् निगम लिमिटेड (NTPC)** प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के सीईओ वाटर मैंडेट का **हस्ताक्षरकर्ता बन गया है।**
    - इस मैंडेट का गठन **वर्ष 2007 में** संयुक्त राष्ट्र, विभिन्न सरकारों, समकक्षों, नागरिक समाज एवं अन्य के साथ साझेदारी में जल प्रबंधन, स्वच्छता और सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए व्यावसायिक नेतृत्व को एकजुट करने हेतु किया गया था।
    - यह मैंडेट विभिन्न उपकरण एवं संसाधन विकसित करता है, हितधारकों को एकजुट करता है और सार्थक साझेदारी तथा जमीनी स्तर पर सामूहिक कार्यवाहियों को सुविधाजनक बनाता है, जिनसे विश्व भर में जोखिम की स्थिति का सामना कर रही नदी घाटियों (River basins) की स्थितियों में सुधार होता है।

## 11.26. उत्तरी अमेरिका में हीट डोम (Heat Dome in Northern America)

- हीट डोम एक **उच्च दाब क्षेत्र** है। यह किसी क्षेत्र पर एक पात्र के ढक्कन की भांति स्थिर हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में ऊष्मा संचित ही रहती है।
    - **वर्ष 2021 जैसे ला नीना वर्षों के दौरान** हीट डोम के बनने की संभावना अधिक होती है। ला नीना वह स्थिति है, जब **पूर्वी प्रशांत में जल ठंडा रहता है और पश्चिमी प्रशांत में गर्म रहता है।**
    - यह तापान्तर ऐसी पवनों का निर्माण करता है, जो सघन व उष्णकटिबंधीय होती हैं तथा पश्चिमी पवनें पूर्वाभिमुख हो जाती हैं।
    - गर्म पवनें **जेट स्ट्रीम में** समाविष्ट हो जाती हैं। जेट स्ट्रीम **वायु की एक धारा है, जो विश्व भर में वामावर्त परिसंचरण करती है।** ये गर्म पवनें **संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट** पर समाप्त होती हैं।

## 11.27. महसीर (Mahseer)

अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की लाल सूची में सूचीबद्ध नीले मीनपक्ष वाली महसीर मछली को अब **'क्रिटिकल एंडेंजर्ड'** श्रेणी से **'लीस्ट कंसर्न'** की श्रेणी में सूचीबद्ध कर दिया गया है।

- महसीर को साधारणतया **माही- मछली और शेर- बाघ** के रूप में संदर्भित किया जाता है, तथा इसे **"टाइगर फिश"** के रूप में भी जाना जाता है। यह ताजे जल वाले पारिस्थितिक तंत्र की एक **महत्वपूर्ण संकेतक** भी है।
- महसीर की **47 उप-प्रजातियों में से भारत में 15 प्रजातियां** और शेष दक्षिण एशिया के अन्य देशों में पाई जाती हैं।
- महसीर मछली प्रजनन और प्रवास के लिए स्वच्छ, तीव्र गति से प्रवाहित और ऑक्सीजन समृद्ध जल को प्राथमिकता देती है।
- महसीर सर्वाहारी होती हैं।
- **इसके समक्ष विद्यमान खतरे:**
    - यह जल में घुलित ऑक्सीजन के स्तर, जल के तापमान और आकस्मिक जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होती हैं।
    - प्रदूषण, पर्यावास की क्षति, अति-मत्स्यन, बांधों का निर्माण (प्रवास प्रतिरूप का प्रभावित होना) आदि।
    - वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 **'वन्य-जीव' की परिभाषा** के तहत मछली पर स्पष्ट से ध्यान आकृष्ट नहीं करता है।
- **महसीर के प्रमुख प्रकार:**

| | |
|---|---|
| **गोल्डन महसीर (Golden Mahseer)** | ये हिमालयी जल धाराओं और नदियों में पाई जाती हैं। IUCN की सूची में इसे **एंडेंजर्ड' श्रेणी** में सूचीबद्ध किया गया है। |
| **नीले मीनपक्ष वाली/डेक्कन महसीर (Blue Fin / Deccan Mahseer)** | ये दक्कन के पठार और दक्षिण भारत की नदियों में पाई जाती हैं। |

| | |
|---|---|
| **लाल पंख वाली महसीर (Red Finned Mahseer)** | ये मध्य भारत की नदियों में पाई जाती हैं। |
| **चॉकलेट महसीर (Chocolate Mahseer)** | ये उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती हैं। |
| **नारंगी मीनपक्ष वाली/ हंपबैक (कूबड़) महसीर (Orange-Finned /Humpback Mahseer)** | ये **कावेरी नदी और उसकी सहायक नदियों में** पाई जाती हैं। IUCN की सूची में इसे **'क्रिटिकली एंडेंजर्ड' (Critically endangered)** श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। |

**प्रोजेक्ट महसीर (Project Mahseer)**

- इसे **वर्ष 1971** में **टाटा पावर और केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान (Central Institute of Fisheries Education)** द्वारा सहयोगात्मक प्रयास के रूप में आरंभ किया गया था।
- महाराष्ट्र के **लोनावाला में वालवन हैचरी में लगभग 5 लाख महसीर का प्रजनन** किया जाता है। टाटा पावर के अधीन संचालित वालवन बांध परियोजना द्वारा इस उद्देश्य हेतु एक कृत्रिम झील का भी निर्माण किया गया है।
- 50 वर्ष के प्रयास के पश्चात् अंततः यह परियोजना फलीभूत (अर्थात महसीर को IUCN की लाल सूची से हटाकर) हुई है।

## 11.28. भारितालासचस तपानि (Bharitalasuchus tapani)

- यह एक मांसाहारी सरीसृप है, जो 240 मिलियन वर्ष पूर्व अस्तित्व में था और यह **तत्कालीन पारिस्थितिक तंत्र में सबसे बड़ा शिकारी** हो सकता है।
- यह **पूर्व में अज्ञात एक जीनस और प्रजाति से संबंधित है, जिसे भारितालासचस तपानि कहा जाता था।**
  - तेलुगु में, भारी का अर्थ है विशाल, ताला का अर्थ है सिर और सचस मिस्र के मगरमच्छ के सिर वाले देवता का नाम है।
- जीवाश्म **येरापल्ली संरचना (तेलंगाना में प्राणहिता-गोदावरी बेसिन में निर्मित चट्टान)** की चट्टानों पर पाए गए हैं।

## 11.29. परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) 2019-20 का प्रकाशन {Release of Performance Grading Index (PGI) 2019-20}

- PGI (शिक्षा मंत्रालय के तहत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा तैयार किया गया) में स्कूली शिक्षा के क्षेत्रक में परिवर्तनकारी बदलाव को उत्प्रेरित करने के लिए **70 संकेतकों** को शामिल किया गया है।
  - **1000 के अधिकतम स्कोर** के साथ इन्हें दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
- यह रैंक के विपरीत, **राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को ग्रेड** प्रदान करता है।
  - ग्रेडिंग के तहत विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को समान या एक ही स्तर का माना जाता है। यह एक राज्य की किसी दूसरे राज्य के सापेक्ष सुधार करने संबंधी अवधारणा (जिसके तहत निम्न स्तरीय प्रदर्शन करने वाले राज्यों की छवि नकारात्मक रूप से प्रभावित होती थी) को समाप्त करती है।
  - यह राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को **संबंधित कमियों की पहचान करने तथा तदनुसार हस्तक्षेप करने संबंधी प्राथमिक क्षेत्रों को निर्धारित करने में सहयोग** करेगा, ताकि स्कूली शिक्षा प्रणाली को प्रत्येक स्तर पर सुदृढ़ किया जा सके।
  - **सूचकांक में पंजाब, तमिलनाडु और केरल को शीर्ष** स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि मेघालय व लद्दाख का स्थान सबसे अंतिम रहा है।

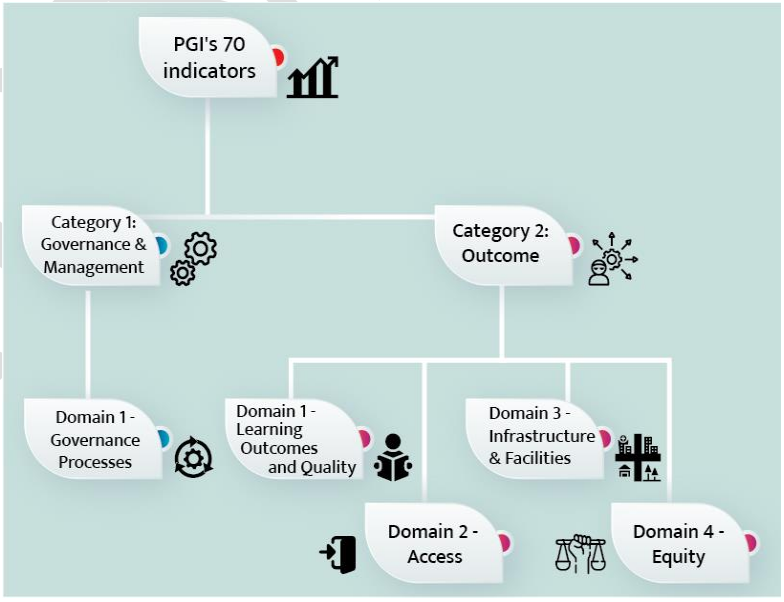


## 11.30. क्वाक्यूरेली साइमंड्स विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग {Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings (WUR)}

- **IIT-बॉम्बे, IIT-दिल्ली और भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु** एकमात्र भारतीय संस्थान हैं, जिन्होंने विश्व स्तर पर शीर्ष 200 में स्थान प्राप्त किया है।
  - विश्व स्तर पर **मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी** को प्रथम स्थान प्रदान किया गया, उसके पश्चात् ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जबकि **स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय** ने तीसरा स्थान साझा किया।
- QS, रैंकिंग को संकलित करने के लिए छह संकेतकों का उपयोग करता है यथा: **शैक्षणिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता प्रतिष्ठा, प्रति संकाय साइटेशन (citations), संकाय / छात्र अनुपात, अंतर्राष्ट्रीय संकाय अनुपात और अंतर्राष्ट्रीय छात्र अनुपात।**

## 11.31. 112 आकांक्षी जिलों में 'सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान' की शुरुआत (Surakshit Hum Surakshit Tum Abhiyaan launched in 112 Aspirational Districts)

- नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन द्वारा आरंभ किए गए इस अभियान का उद्देश्य जिला प्रशासन को कोविड-19 रोगियों को **घरेलू देखभाल (home-care) सहायता** प्रदान करने में सहायता करना है, जो बिना लक्षण वाले या हल्के लक्षण वाले हैं।
  - यह अभियान **आकांक्षी जिला सहभागिता** का हिस्सा है। इसमें स्थानीय नेतृत्व, नागरिक समाज और स्वयंसेवक **आकांक्षी जिला कार्यक्रम** के ध्यान केंद्रित करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में उभरती समस्याओं का समाधान करने के लिए जिला प्रशासन के साथ कार्य करते हैं।
- **आकांक्षी जिलों का सुधार कार्यक्रम** (Transformation of Aspirational Districts Programme: TADP) 26 राज्यों के 112 जिलों की **सामाजिक-आर्थिक स्थिति में तीव्रता से सुधार** करने के लिए एक प्रमुख नीतिगत पहल है।
  - यह कार्यक्रम **प्रत्येक जिले की क्षमताओं पर केंद्रित** है। यह **तत्काल सुधार के लिए आसानी से प्रवर्तनीय उपायों की पहचान** करता है और जिलों द्वारा की गई प्रगति का रैंक के माध्यम से मापन करता है।
    - यह मुख्य रूप से **राज्य सरकार द्वारा संचालित** है।
  - कार्यक्रम की **5 प्रमुख विषयगत क्षेत्रों** में 49 संकेतकों द्वारा निगरानी की जाती है, जिनमें **स्वास्थ्य एवं पोषण** (30 प्रतिशत), **शिक्षा** (30 प्रतिशत), **कृषि और जल संसाधन** (20 प्रतिशत), **वित्तीय समावेशन व कौशल विकास** (10 प्रतिशत) तथा **आधारभूत अवसंरचना** (10 प्रतिशत) शामिल हैं।
- **कार्यक्रम के तीन मुख्य सिद्धांत हैं-**
  - केंद्र और राज्य की योजनाओं का **अभिसरण**,
  - जिला टीमों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के पदाधिकारियों एवं नागरिकों के मध्य **सहयोग** तथा
  - **जिलों के मध्य प्रतिस्पर्धा।**

## 11.32. वैश्विक खाद्य मूल्य सूचकांक 10 वर्ष के शिखर पर पहुंच गया (Global Food Price Index Soars To 10-Year Peak)

- संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) का खाद्य मूल्य सूचकांक (Food Price Index: FPI), **मई माह में एक दशक में अपनी सर्वाधिक तीव्र मासिक दर से बढ़ा है**, जबकि विश्व में खाद्यान्न उत्पादन एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है।
- **खाद्य और कृषि संगठन (FAO)** द्वारा जारी **खाद्य मूल्य सूचकांक (FPI)**, खाद्य जिंसों के एक समूह की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में **मासिक परिवर्तन की माप** है।
  - इसमें पांच जिंस समूह मूल्य सूचकांकों का औसत शामिल है यथा- **खाद्यान्न, तिलहन, डेयरी उत्पाद, मांस और चीनी** (प्रत्येक समूह के औसत निर्यात शेयरों के अनुपात में भारित)।
- **वर्तमान मुद्रास्फीति के प्रमुख कारणों में शामिल हैं**
  - कुछ देशों में मांग में **पुनः वृद्धि** और **उत्पादन में कमी।**
  - आवाजाही पर प्रतिबंध के कारण बाजार और आपूर्ति में व्यवधान ने **स्थानीय स्तर पर खाद्यान्न की कमी एवं उच्च कीमतों** में योगदान दिया है।
- **प्रभाव**
  - उच्च मुद्रास्फीति प्रमुख वस्तुओं के आयात पर निर्भर **निर्धन देशों** को प्रभावित करेगी।
  - नेस्ले और कोका-कोला जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां **कच्चे माल की वर्धित कीमतों का बोझ उपभोक्ताओं पर स्थानांतरित कर सकती हैं।**

## 11.33. सरसों तेल के सम्मिश्रण पर प्रतिबंध (Ban on Blending of Mustard Oil)

- भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने वर्ष 2021 से किसी भी प्रकार के खाद्य तेल में सरसों तेल के सम्मिश्रण को प्रतिबंधित कर दिया है।
- ज्ञातव्य है कि वर्ष **1990** में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना जारी कर खाद्य वनस्पति तेल में सम्मिश्रण की अनुमति प्रदान कर दी थी।
- वर्ष 1998 में, दिल्ली और अन्य उत्तर भारतीय राज्य **ड्रॉप्सी महामारी** से अत्यधिक रूप से प्रभावित हुए थे। इस रोग के कारण ऊतकों में द्रव निर्मित हो जाता है जिसके कारण शरीर में सूजन आ जाती है।
- कुछ समय पश्चात् जांच-पड़ताल में यह पाया गया कि सरसों के तेल में **एरगीमोन मैक्सिआना** (एरगीमोन मैक्सिआना अर्थात सत्यानाशी का पौधा, जिसमें पीले फूल होते हैं तथा गांवों में इसे भरकटईया भी कहते हैं। यह एक वन्य प्रजाति है।) **के बीज के तेल का अपमिश्रण (adulteration)** ही इस रोग के उत्पत्ति का कारण रहा है।
- इस प्रकार, वर्ष 2006 में, FSSAI द्वारा खाद्य वनस्पति तेल के सम्मिश्रण के लिए विनियमन अधिसूचित किए गए थे।

- सम्मिश्रण में शामिल उत्पादकों और कंपनियों को **कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम (Agriculture Produce (Grading and Marking) Act: AGMARK)** के माध्यम से विनियमित किया गया था।
- इसके तहत सम्मिश्रण के लिए प्रयुक्त तेल के प्रकार का पैकेट पर विवरण प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया था।

- हालांकि, इस सम्मिश्रण से खाद्य तेल के आयात पर भारत की निर्भरता बढ़ी है। साथ ही, विगत 25 वर्षों में सरसों की खेती के तहत कृषि भूमि क्षेत्र में भी ठहराव की स्थिति उत्पन्न हुई है।
- **सम्मिश्रण पर आरोपित प्रतिबंध के अपेक्षित लाभ**
  - **केंद्रीय तेल उद्योग और व्यापार संगठन (Central Organisation for Oil Industry & Trade: COOIT)** के अनुसार, यह आरोपित प्रतिबंध सरसों उत्पादकों को सरसों की फसल के तहत बुवाई क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इससे सरसों तेल के **घरेलू उत्पादन में भी वृद्धि** होगी और दीर्घावधि में **खाद्य तेल के आयात में गिरावट आएगी।**
  - यह प्रयास पारंपरिक रेपसीड-सरसों के तेल की किस्मों को कैनोला रेपसीड-सरसों के साथ प्रतिस्थापित करने का भी अवसर प्रदान करता है, ताकि **मानव उपभोग के लिए एक स्वस्थ तेल उपलब्ध कराया जा सके।**

**भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण {Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)}**

- यह **खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006** के तहत स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है।
- यह **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय** के प्रशासनिक अधिविक्षण के अधीन कार्यरत है।
- यह मानव उपभोग के लिए **सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता** को बनाए रखने हेतु **विज्ञान आधारित मानकों** को निर्धारित करता है।

**केंद्रीय तेल उद्योग और व्यापार संगठन {Central Organisation for Oil Industry & Trade (COOIT)}**

- **इसे वर्ष 1952 में भारत में संपूर्ण वनस्पति तेल और तिलहन क्षेत्रक के शीर्ष संगठन के रूप में निगमित किया गया था।**
- इसका उद्देश्य तिलहन, वनस्पति तेल, खली (oil cakes) और संबद्ध उत्पादों के **व्यापार को बढ़ावा** देना है।
- यह तेल और तिलहन उद्योग में **वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास तथा अनुसंधान** को प्रोत्साहित करता है।
- यह सरकार को इस क्षेत्रक से संबंधित नीतियां निर्मित करते समय घरेलू खाद्य तेल की स्थिति में सुधार के लिए **उपचारात्मक उपायों की अनुशंसा** भी करता है।

## 11.34. भारत के वृद्धजनों की सहायतार्थ सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन (SAGE) कार्यक्रम और SAGE पोर्टल लॉन्च किया गया {Seniorcare Ageing Growth Engine (Sage) Initiative And Sage Portal To Support India's Elderly Launched}

- सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन (SAGE) पहल का उद्देश्य **प्रत्यक्षत: हितधारकों के लिए उत्पादों, समाधानों और सेवाओं की पहचान करना, उनका मूल्यांकन करना, उन्हें सत्यापित करना, एकत्र करना तथा वितरित करना** है।
  - यह कदम सम्मानजनक और सुरक्षित आयु वृद्धि के अनुभव के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से **वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न श्रेणी की आवासीय एवं बुनियादी सुविधाओं का विकास** करके **"सिल्वर इकॉनमी"** के विचार को बढ़ावा देता है।
- **SAGE पोर्टल** विश्वसनीय स्टार्टअप्स के माध्यम से वृद्धजनों की देखभाल में प्रयुक्त होने वाले उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने वाला **"वन-स्टॉप एक्सेस"** होगा।
  - स्टार्ट-अप का चयन नवोन्मेषी उत्पादों और सेवाओं के आधार पर किया जाएगा। इसके तहत उन्हें वित्त, खाद्य एवं पूंजी प्रबंधन और कानूनी परामर्श तथा उनसे संबंध तकनीकी सेवाएं देने के अतिरिक्त स्वास्थ्य, आवास, देखभाल केंद्र में सेवाएं देने आदि में सक्षम होना चाहिए।
  - **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** इसके लिए एक सूत्रधार के रूप में कार्य करेगा।
- **SAGE पहल की आवश्यकता**
  - **तीव्र जनसांख्यिकीय वर्धन:** भारत की वृद्धजन आबादी बढ़ रही है। इसके वर्ष 2001 के 7.5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2026 तक लगभग 12.5 प्रतिशत और वर्ष 2050 तक 19.5 प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है।
    - विश्व स्तर पर, 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का अनुपात वर्ष 2012 में 10 प्रतिशत था, परन्तु वर्ष 2050 तक इसके 22 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है।
  - **अन्य कारक:** प्रौद्योगिकी अंगीकरण में वृद्धि, उच्च वहनीयता और संपत्ति, एकल परिवार एवं गतिशीलता आदि।

भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 41** के तहत वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अनिवार्य है।

- वरिष्ठ नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार ने विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों का संचालन किया है।
  - **वृद्धजनों के लिए एकीकृत कार्यक्रम** (Integrated Programme for Older Persons: IPOP);
  - **राष्ट्रीय बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम** (National Programme for Health Care of the Elderly: NPHCE);
  - माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 (Maintenance and Welfare of Parents and

Senior Citizens Act);
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS);
- राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY);
- प्रधानमंत्री वय वंदना योजना आदि।

## 11.35. 'चिकित्सालय विस्तार' परियोजना (Extension of Hospitals' Project)

- केंद्र सरकार ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में कोविड-19 के विरुद्ध भारत के संघर्ष में **स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना की कमी के निवारणार्थ** विभिन्न राज्यों में **'चिकित्सालय विस्तार' परियोजना** की शुरुआत की है।
- इसके तहत, मॉड्यूलर चिकित्सालयों को चिकित्सालय अवसंरचना के विस्तार के रूप में स्थापित किया जाएगा और जिसे मौजूदा चिकित्सालय भवन के निकट निर्मित किया जाएगा।
- **प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) के कार्यालय** द्वारा इस पहल के समर्थन हेतु निजी क्षेत्रक की कंपनियों, दानकर्ता संगठनों और व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है।
- इसके अतिरिक्त, **मॉड्यूलस हाउसिंग {भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास (IIT-M) में स्थित एक स्टार्टअप}** द्वारा भी **मेडिकैब चिकित्सालय** विकसित किए गए हैं। यह **तीन सप्ताह** की अवधि में **100 बिस्तर वाली** विस्तार सुविधा को स्थापित करना सक्षम बनाता है।
  - इन पोर्टेबल चिकित्सालयों को लगभग 25 वर्ष तक की अवधि के लिए उपयोग किया जा सकता है।
  - इन्हें भविष्य में एक सप्ताह से भी कम समय में किसी भी आपदा संबंधी कार्रवाई की स्थिति में स्थानांतरित किया जा सकता है।

## 11.36. वर्ष 2019 में जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण की दर में वृद्धि परिलक्षित हुई (Birth, Death Registration up in 2019)

- **भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय** (गृह मंत्रालय) द्वारा वार्षिक **'नागरिक पंजीकरण प्रणाली (Civil Registration System: CRS) पर आधारित भारत की महत्वपूर्ण सांख्यिकी'** रिपोर्ट प्रकाशित की गई है।
- CRS महत्वपूर्ण घटनाओं (जन्म, मृत्यु व मृत प्रसव) और उनकी विशेषताओं की निरंतर, स्थायी, अनिवार्य तथा सार्वभौमिक अभिलेखन (recording) की एकीकृत प्रक्रिया है।
  - **जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969** जन्म और मृत्यु के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान करता है।
  - जन्म और मृत्यु का पंजीकरण उनके संपन्न होने के 21 दिनों के भीतर **उनके संपन्न होने वाले स्थान पर ही किया जाता है।**
- **मुख्य बिंदु:**
  - जन्म पंजीकरण का स्तर **वर्ष 2018** के **87.8%** से बढ़कर **वर्ष 2019 में 92.7%** और मृत्यु पंजीकरण का स्तर **वर्ष 2018** के **84.6% से बढ़कर वर्ष 2019 में 92%** हो गया था।
  - 14 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने जन्म पंजीकरण का 100% स्तर प्राप्त कर लिया है, जबकि 19 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने मृत्यु के मामलों में समान स्तर प्राप्त कर लिया है।
  - **जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश (1,024)** का है। इसके पश्चात् यह नागालैंड (1,001) और मिजोरम (975) में दर्ज किया गया है। **जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात** (Sex Ratio at Birth: SRB) **गुजरात (901) में दर्ज किया गया** और उसके उपरांत यह असम (903), मध्य प्रदेश (905) तथा जम्मू एवं कश्मीर (909) में दर्ज किया गया।
    - **लिंगानुपात** का प्रयोग **प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को निरूपित करने के लिए किया जाता है।**

- **CRS का महत्व:**
  - CRS पर अभिलेखित होने पर **नागरिकों को उनकी विधिक पहचान और सामाजिक अधिकारों तक पहुंच** प्राप्त होती है।
  - इसके डेटा का उपयोग **चिकित्सा अनुसंधान के लिए और लिंगानुपात, मृत्यु दर एवं रुग्णता दर के अध्ययन में किया जाता है। साथ ही, यह मृत्यु के कारणों के अध्ययन में भी उपयोगी है।**
  - यह सामाजिक-आर्थिक नियोजन में मदद करता है।
  - यह सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है।

## 11.37. आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट 2021 {Global Report On Internal Displacement (GRID) 2021}

- **इस रिपोर्ट को नार्वेजियन रिफ्यूजी कौंसिल के इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर (IDMC) द्वारा प्रकाशित** किया गया है। इस वर्ष की रिपोर्ट में **जलवायु परिवर्तन और आपदा जनित विस्थापन के मध्य संबंधों पर** चर्चा की गई है।

- **रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष**
  - **वैश्विक स्तर पर आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों (IDPs) की कुल संख्या 55 मिलियन तक पहुंच गई है।** इनमें प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में संघर्ष और हिंसा के कारण लोगों का विस्थापन अधिक हुआ है।
- **आपदा जनित विस्थापन में जलवायु परिवर्तन की भूमिका:** जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान से कुछ जोखिमों की बारंबारता तथा गंभीरता में वृद्धि हुई है। **वर्ष 2020 में दर्ज सभी आपदा जनित विस्थापन के 98 प्रतिशत मामलों के लिए बाढ़, तूफान और सूखा आदि जैसी चरम मौसमी घटनाएं उत्तरदायी** रही हैं।
- **कोविड-19 वैश्विक महामारी ने मानवीय सहायता जैसे प्रयासों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित** किया है तथा विस्थापित लोगों की **वित्तीय कठिनाइयों को और बढ़ा** दिया है।

## 11.38. बायोटेक-किसान का पूर्वोत्तर भारत तक विस्तार (Biotech-KISAN extended to North East)

- जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) के तहत, **बायोटेक-कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क (बायोटेक-किसान)** वर्ष 2017 में आरंभ की गई एक **वैज्ञानिक-किसान साझेदारी योजना** है।
- इस योजना के तहत अब तक सभी **15 कृषि जलवायु क्षेत्रों और 110 आकांक्षी जिलों** को सम्मिलित करते हुए **146 बायोटेक-किसान हब** स्थापित किए जा चुके हैं।
- **पूर्वोत्तर भारत में विस्तार का महत्व-**
  - पूर्वोत्तर मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, जिसमें 70% कार्यबल कृषि और संबद्ध क्षेत्र की आजीविका में संलग्न हैं।
  - यह क्षेत्र **देश के खाद्यान्न का केवल 1.5% ही उत्पादित** करता है तथा घरेलू खपत के लिए भी **खाद्यान्न का शुद्ध आयातक** बना हुआ है।

## 11.39. अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को विधिमान्य मुद्रा के रूप में मंजूरी दी (El Salvador approves bitcoin as legal tender)

- अल सल्वाडोर, **बिटकॉइन को वैध मुद्रा (legal tender) का दर्जा प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश** बन गया है।
- **बिटकॉइन वर्ष 2009 में निर्मित की गई एक डिजिटल या आभासी मुद्रा** है। यह कथित तौर पर सातोशी नाकामोटो नामक एक जापानी उद्यमी द्वारा बनाई गई है।
- यह **तत्काल भुगतान की सुविधा के लिए** बिना किसी केंद्रीय प्राधिकरण के **पीयर-टू-पीयर तकनीक का उपयोग करती है।**
- बिटकॉइन एक जटिल प्रक्रिया के माध्यम से बनाए जाते हैं, जिसे "माइनिंग" के रूप में जाना जाता है और तत्पश्चात विश्व भर के कंप्यूटरों के एक नेटवर्क द्वारा निगरानी की जाती है।
- बिटकॉइन **क्रिप्टोकरेंसी अवधारणा का प्रथम कार्यान्वयन** है।

## 11.40. संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को/UNESCO) की साइंस रिपोर्ट 2021 "द रेस अगेंस्ट टाइम फॉर स्मार्टर डेवलपमेंट" जारी की गई (UNESCO Science Report 2021 "The Race Against Time For Smarter Development" Released)

- यह रिपोर्ट संपूर्ण विश्व में **विज्ञान आधारित अभिशासन में व्याप्त प्रवृत्तियों की निगरानी करती है।** साथ ही, यह पता लगाने का भी प्रयास करती है कि देश डिजिटल और पारिस्थितिक रूप से स्मार्ट भविष्य को प्राप्त करने के लिए विज्ञान का उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं।
- **प्रमुख विशेषताएं:**
  - विगत पांच वर्षों में विकास संबंधी प्राथमिकताएं संरेखित हुई हैं और **सभी आय स्तरों वाले देशों ने डिजिटल और हरित अर्थव्यवस्थाओं के सिद्धांतों की स्वीकार्यता को प्राथमिकता प्रदान की है।**
    - फिर भी, **दस में से आठ देश अनुसंधान के लिए अब भी सकल घरेलू उत्पाद का 1% से भी कम हिस्सा व्यय करते हैं,** जिस कारण वे बड़े पैमाने पर विदेशी वैज्ञानिक विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी के प्राप्तकर्ता बने हुए हैं।
  - **भारत विशिष्ट निष्कर्ष:**
    - विगत दो दशकों में अनुसंधान और विकास पर औसत सकल घरेलू व्यय (Gross domestic Expenditure on Research and Development GERD) **GDP का 0.75% रहा है, जो कि ब्रिक्स देशों** (ब्राजील, रूसी संघ, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) **में सबसे कम है।**
    - **वर्ष 2016 से प्रति वर्ष स्टार्टअप की संख्या लगभग दोगुनी हो रही है** (वर्ष 2019 में 17,390 स्टार्ट-अप), हालांकि अधिकांश स्टार्ट-अप सेवा क्षेत्र में कार्यशील हैं।
    - **नियोजनीयता (employability)** वर्ष 2014 में 34% से **बढ़कर** वर्ष 2019 में लगभग 47% हो गई है, जिसका अर्थ है कि **दो स्नातकों में से एक अब भी रोजगार योग्य नहीं है।**
    - विद्युत उत्पादन के लिए कुल संस्थापित क्षमता के हिस्से के रूप में, **हरित ऊर्जा स्रोत** (पवन, सौर, जैव ईंधन और लघु जलविद्युत संयंत्र) **वर्ष 2015 के 13% से बढ़कर वर्ष 2018 में 22% हो गए हैं।**

## 11.41. विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड-फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंगेजमेंट {Science and Engineering Research Board- Fund for Industrial Research Engagement (SERB-FIRE)}

- यह **इंटेल इंडिया** के सहयोग से **SERB** (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय) **द्वारा आरंभ की गई एक शोध पहल है।**
- FIRE भारत में प्रमुख अनुसंधान और विकास (R&D) संगठनों के सहयोग से **नवीन प्रौद्योगिकी समाधानों को बढ़ावा देने तथा शैक्षिक अनुसंधान को मजबूत करने के लिए** एक सह-वित्तपोषण तंत्र के साथ सरकार एवं उद्योग की एक संयुक्त पहल है।
    - नई पहल का उद्देश्य **व्यापक स्तर पर समाज के लाभ के लिए उद्योग-विशिष्ट समस्याओं को हल करने हेतु** शैक्षणिक संस्थानों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में उपलब्ध विशेषज्ञता का उपयोग करना है।

## 11.42. नैनो यूरिया लिक्विड (Nano Urea Liquid)

- इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (IFFCO) ने विश्व भर के किसानों के लिए **विश्व का प्रथम नैनो यूरिया लिक्विड** प्रस्तुत किया है।
- नैनो यूरिया लिक्विड को **पारंपरिक यूरिया को प्रतिस्थापित करने के लिए** विकसित किया गया है। यह इसकी **आवश्यकता को कम से कम 50% तक कम कर सकता** है।
- इसका उपयोग मृदा में **यूरिया के अत्यधिक प्रयोग को कम कर संतुलित पोषण कार्यक्रम** को प्रोत्साहित करेगा तथा फसलों को मजबूत, स्वस्थ बनाएगा और उन्हें **अस्थायी ठहराव के प्रभाव (lodging effect) (तने का खंडित होना)** से बचाएगा।

## 11.43. लिगो ने न्यूट्रॉन स्टार-ब्लैक होल संघट्टन से गुरुत्वाकर्षण तरंगों के नए स्रोत का पता लगाया {Ligo Detects New Source Of Gravitational Waves From Neutron Star - Black Hole (NS-BH) Collision}

- वैज्ञानिकों ने पूर्व में **ब्लैक होल के टकराने और न्यूट्रॉन सितारों के टकराने** के संकेतों की खोज की थी, परन्तु अब तक **ब्लैक होल के न्यूट्रॉन स्टार के साथ विलय** की पुष्टि नहीं की थी।
    - न्यूट्रॉन तारे तब निर्मित होते हैं, जब एक विशाल तारा ऊर्जा की कमी से समाप्त हो जाता है।
    - वैज्ञानिकों ने न केवल एक, बल्कि ऐसी **दो दुर्लभ घटनाओं** का अवलोकन किया है, जिनमें से प्रत्येक में गुरुत्वाकर्षण तरंगें (GW) दर्ज की गई हैं।
    - इनका पता संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित **लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल-वेव ऑब्जर्वेटरी (LIGO)** और इटली में स्थित **वर्गो (Virgo)** द्वारा लगाया गया था।
    - संकेत का पता लगाने के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीक को **मैच्ड फ़िल्टरिंग (matched filtering)** कहा जाता है।
- **गुरुत्वाकर्षण तरंगें**
    - **गुरुत्वाकर्षण तरंगें स्पेस-टाइम में उत्पन्न 'लहरें' हैं,** जो ब्रह्मांड में कुछ सबसे उग्र और ऊर्जावान प्रक्रियाओं के कारण उत्पन्न होती हैं व प्रकाश की गति से गमन करती हैं।
    - वे अपने साथ अपनी प्रलयकारी उत्पत्ति के बारे में जानकारी के साथ-साथ **गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति के अमूल्य भेद** भी समाहित करती हैं।
    - इनका निर्माण तब होता है, जब
        - पिंड बहुत तेज गति से गमन करता है,
        - जब किसी तारे में असममित रूप से विस्फोट होता है (जिसे सुपरनोवा कहा जाता है),
        - जब दो बड़े तारे एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं,
        - जब दो ब्लैक होल एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं और आपस में विलीन हो जाते हैं।
    - अल्बर्ट आइंस्टीन ने वर्ष 1916 में अपने **सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अस्तित्व की भविष्यवाणी** की थी।
    - **गुरुत्वाकर्षण तरंगों** का पता पहली बार **वर्ष 2015 में अमेरिका में स्थित लिगो (LIGO)** द्वारा लगाया गया था।
        - **लिगो विश्व की सबसे बड़ी गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला** है, जिसमें दो विशाल लेजर व्यतिकरणमापी (interferometers) स्थापित किए गए हैं।
        - लिगो की 3 सहायक सुविधाएं हैं यथा: **इटली में वर्गो, जर्मनी में जियो600 (GEO600)** और **जापान में काग्रा (KAGRA)।**
        - इसके अतिरिक्त, **लिगो-इंडिया** महाराष्ट्र के **हिंगोली** जिले में स्थापित एक भारत-अमेरिका संयुक्त डिटेक्टर है।

## 11.44. हेलिओस्फियर (Heliosphere)

हाल ही में, वैज्ञानिकों ने पहली बार हेलिओस्फियर की सीमा का मानचित्रण किया है।

- इसके लिए वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे नासा के **इंटरस्टेलर बाउंड्री एक्सप्लोरर (IBEX) उपग्रह** के डेटा का उपयोग किया गया। इसने **हेलियोशीथ {सौर मंडल और अंतरतारकीय अंतरिक्ष (interstellar space) के मध्य की सीमा परत}** से आने वाले कणों का पता लगाया है।
- सूर्य से उत्पन्न होने वाली सौर पवनें (आवेशित कणों का प्रवाह) सभी दिशाओं में गमन करती हैं। जब वे हेलियोशीथ सीमा से टकराती हैं, तो इसके परिणामस्वरूप ऊर्जावान अनावेशित परमाणु (Energetic neutral atoms: ENAs) निर्मित हो जाते हैं, जिनका पता IBEX द्वारा लगाया गया है।
- विकसित किए गए इस मानचित्र के अनुसार **अंतरतारकीय पवनों (interstellar wind) की सामने की दिशा में सूर्य से हेलिओपॉज़ (heliopause) की न्यूनतम दूरी लगभग 120 खगोलीय इकाई (Astronomical Units: AU)** है और इसके विपरीत **सन्मुख (opposite) दिशा में** यह दूरी कम से कम **350 AU** तक विस्तारित है। (1 AU = पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी)।

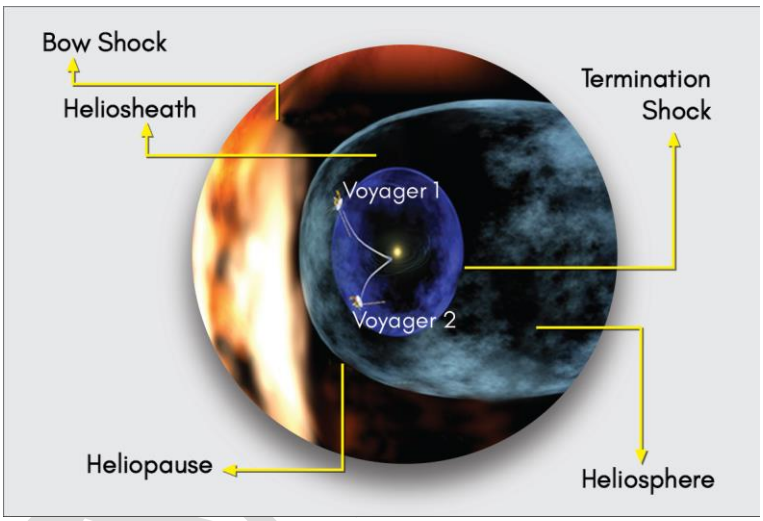


- **हेलिओस्फियर के बारे में**
  - **सूर्य से निरंतर आवेशित कणों** (प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण आदि) के **प्रवाह को सौर पवन के रूप में संदर्भित किया जाता है।** ये पवनें अंतत: सभी ग्रहों को पार करते हुए **अंतरतारकीय** माध्यम द्वारा बाधित होने से पूर्व सूर्य और प्लूटो की मध्य की दूरी से लगभग तीन गुना अधिक दूरी तक यात्रा करती हैं।
  - यह पवन सूर्य व उसके ग्रहों के चारों ओर एक विशाल बुलबुले समान आवरण निर्मित करती है, जिसे **हेलिओस्फियर (heliosphere)** कहा जाता है।

## 11.45. अंतरिक्ष मिशन/ सुर्ख़ियों में रही पहलें (Space Mission/Intiatives in News)

- **एनविज़न मिशन (EnVision Mission): यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के नेतृत्व में शुक्र ग्रह** पर प्रेषित किया जाने वाला एक मिशन है। इसमें नासा भी योगदान कर रहा है। इसे 2030 के दशक में प्रक्षेपित किए जाने की संभावना है।
  - यह **ग्रह के वायुमंडल और सतह का अध्ययन करेगा, वायुमंडल में ट्रेस गैसों का परीक्षण करेगा** तथा इसकी सतह के संघटन का विश्लेषण करेगा।
  - ग्रह के मेघों के सघन आवरण द्वारा अवशोषित ऊष्मा के कारण **शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह** है।
  - शुक्र अपनी धुरी पर **पूर्व से पश्चिम की ओर** घूर्णन करता है। शुक्र का **न तो कोई चंद्रमा (उपग्रह) है और न ही वलय है।**
  - समान आकार के कारण इसे **पृथ्वी का जुड़वां ग्रह** भी कहा जाता है।
- **पोलर-एरियाज स्टेलर-इमेजिंग इन पोलॅरिज़ेशन हाई-एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंट** (Polar-Areas Stellar-Imaging in Polarisation High-Accuracy Experiment: PASIPHAE) **एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आधारित अंतरिक्ष सर्वेक्षण परियोजना है।**
  - इसका उद्देश्य **लाखों तारों से आने वाले प्रकाश में ध्रुवीकरण का अध्ययन करना** है। यह किसी तारे की अवस्थिति **को निर्धारित करने में सहायता** कर सकता है।
  - उच्च गैलेक्टिक (आकाशगंगा संबंधी) अक्षांशों वाले तारों से उत्सर्जित ध्रुवीकृत प्रकाश संकेतों (Polarised light signals) का पता लगाने के लिए एक नवीन उपकरण, **वाइड एरिया लीनियर ऑप्टिकल पोलेरीमीटर (WALOP)** का उपयोग किया जाएगा।
- **शेनझोउ-12 अंतरिक्ष यान (Shenzhou-12 spacecraft):** चीन, तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन (Tiangong space station) के लिए **3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ शेनझोउ-12 अंतरिक्ष यान (Shenzhou-12 spacecraft)** का प्रक्षेपण करेगा।
  - **वर्ष 2003 में अपनी क्षमता के बल पर अंतरिक्ष यात्री भेजने वाला तीसरा देश** बनने के पश्चात् से पहले ही चीन 11 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेज चुका है।
  - **अमेरिकी कानून द्वारा चीनी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर प्रतिबंधित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS)** अमेरिका, रूस, कनाडा, यूरोप और जापान के मध्य सहयोगी परियोजना है।

## 11.46. नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स (नेट्रैक्स)- हाई स्पीड ट्रैक {NATRAX- the High Speed Track (HST)}

- **राष्ट्रीय मोटर वाहन परीक्षण ट्रैक (NATRAX),** ऑटोमोबाइल के लिए **एशिया का सबसे लंबा** तथा **विश्व का पांचवां सबसे लंबा** हाई स्पीड ट्रैक (HST) है।
  - हाई स्पीड ट्रैक का उपयोग बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऑडी, फेरारी, लेम्बोर्गिनी तथा टेस्ला जैसी हाई-एंड कारों की अधिकतम गति क्षमताओं को मापने के लिए किया जाता है।
- NATRAX केंद्र (इंदौर में स्थित) में **अनेक परीक्षण क्षमताएं स्थापित की गई** हैं, जैसे अधिकतम गति, त्वरण, नियत गति पर ईंधन की खपत, उत्सर्जन परीक्षण आदि का मापन इत्यादि।
  - मध्य प्रदेश के केंद्र में स्थित होने के कारण, यह अधिकांश **प्रमुख मूल उपकरण विनिर्माताओं (OEMs)** के लिए सुलभ है।

## 11.47. चीन में 'ड्रैगन मैन' कपाल की खोज (Discovery of 'Dragon Man' Skull in China)

- वैज्ञानिकों ने कम से कम 140,000 वर्ष **पुराने विशाल जीवाश्म खोपड़ी** की खोज की है, जो प्राचीन मानव की एक नई प्रजाति है।
- चूंकि **निएंडरथल** की तुलना में **नई प्रजातियों को मनुष्यों से अधिक निकटता से संबंधित** माना जा रहा है, यह मौलिक रूप से मानव विकास की समझ को बदल सकती है।
  - यह नाम **लॉन्ग जियांग** से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है "ड्रैगन नदी"।
  - यह **निएंडरथल** और **होमो सेपियन्स** के बाद के मनुष्यों की तीसरी वंशावली को निरुपित करती है।

## 11.48. टॉयकैथॉन 2021 (Toycathon 2021)

- **टॉयकैथॉन भारतीय और वैश्विक दोनों बाजारों** के लिए असाधारण उच्च गुणवत्ता के साथ **स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करके उन नए एवं अभिनव खिलौनों** की अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करता है, जो **किफायती, वहनीय, सुरक्षित तथा पर्यावरण अनुकूल हैं।**
  - **टॉयकैथॉन-2021 का आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा** पांच अन्य मंत्रालयों के समन्वय से किया जा रहा है।
- **स्थानीय खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने की आवश्यकता**
  - खिलौने युवा मन को **भारत के इतिहास और संस्कृति से संबद्ध होने में** सहायता कर सकते हैं, जो सामाजिक एवं मानसिक विकास और उनमें भारतीय दृष्टिकोण के विकास में सहायक है।
  - भारत ने वर्ष 2020 में लगभग **1.5 बिलियन डॉलर के खिलौनों का आयात** किया था, जिसमें **चीन और ताइवान का घरेलू खिलौना बाजार में लगभग 90% हिस्सा** है।
  - भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) द्वारा किए गए एक अध्ययन के निष्कर्ष के अनुसार 67% आयातित खिलौने एक परीक्षण सर्वेक्षण में विफल रहे हैं। इससे स्थानीय स्तर पर सुरक्षित खिलौनों के उत्पादन के लिए गंभीर प्रयास किए जाने हेतु प्रोत्साहन मिला है।

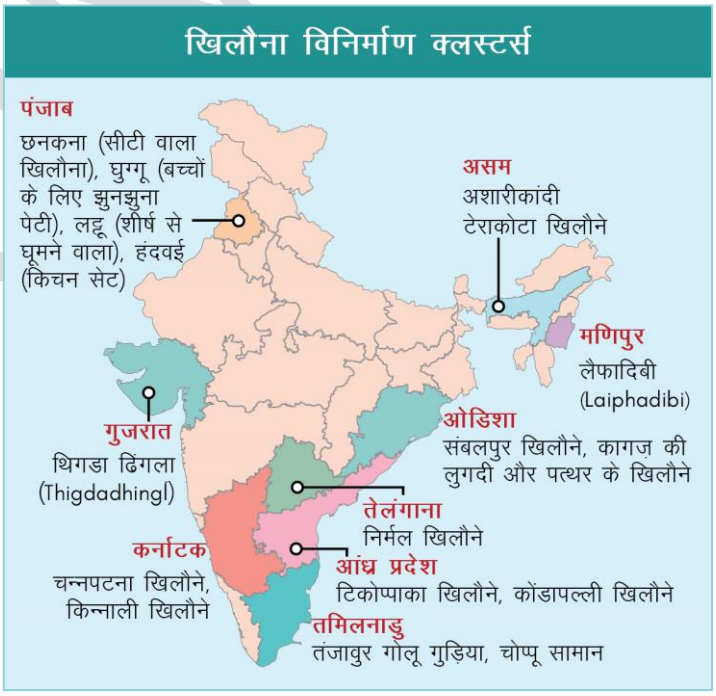


- **घरेलू खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए की गई अन्य पहलें**
  - काष्ठ, लाख, ताड़ के पत्ते, बांस और वस्त्र निर्मित खिलौनों के विनिर्माण के लिए **आठ खिलौना निर्माण समूहों को स्वीकृति प्रदान की गई है।**
  - स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा खिलौना और हस्तशिल्प निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए **भारतीय खिलौनों से संबद्ध कहानियों के प्रचार के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan for Indian Toy Story)** आरंभ की गई है।
  - **राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020** के तहत **छठी कक्षा** से छात्रों को खिलौना निर्माण की कला सिखाई जाएगी।

## सुर्ख़ियों में रहे स्थलः भारत

**जम्मू एवं कश्मीर**
- NHPC ने रणनीतिक रतले जलविद्युत परियोजना के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी गठित की है।
- देविका नदी पुनर्जीवन परियोजना वर्ष 2021 के अंत तक पूर्ण हो जाएगी।

**हिमाचल प्रदेश**
- सतलुज पर जंगी थोपन पोवारी जलविद्युत परियोजना से बेसिन में जीवन, आजीविका और पारिस्थितिकी के लिए खतरा है।

**राजस्थान**
- रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।

**गुजरात**
- लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

**महाराष्ट्र**
- नासिक के निकट त्रिरश्मी बौद्ध गुफा परिसर, जिसे पांडवलेनी के नाम से भी जाना जाता है, में तीन और गुफाओं की खोज की गई है।

**मध्य प्रदेश**
- लॉकडाउन के दौरान चंबल नदी में गंगा डॉल्फिन और घड़ियाल की आबादी में काफी वृद्धि हुई है।

**छत्तीसगढ़**
- रायपुर में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है।

**ओडिशा**
- यहाँ तट पर मैंग्रोव रोपण की योजना निर्मित की गयी है।

**असम**
- रायमोना असम का छठा और दिहिंग पटकाई सातवां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है।

**अंडमान और निकोबार**
- भारतीय तटरक्षक बल ने सिंक (Cinque) द्वीप के पास एक डूबते जहाज से नौ लोगों को बचाया।

**पश्चिम बंगाल**
- यहाँ तट पर मैंग्रोव रोपण की योजना निर्मित की गयी है

## सुर्ख़ियों में रहे स्थलः विश्व

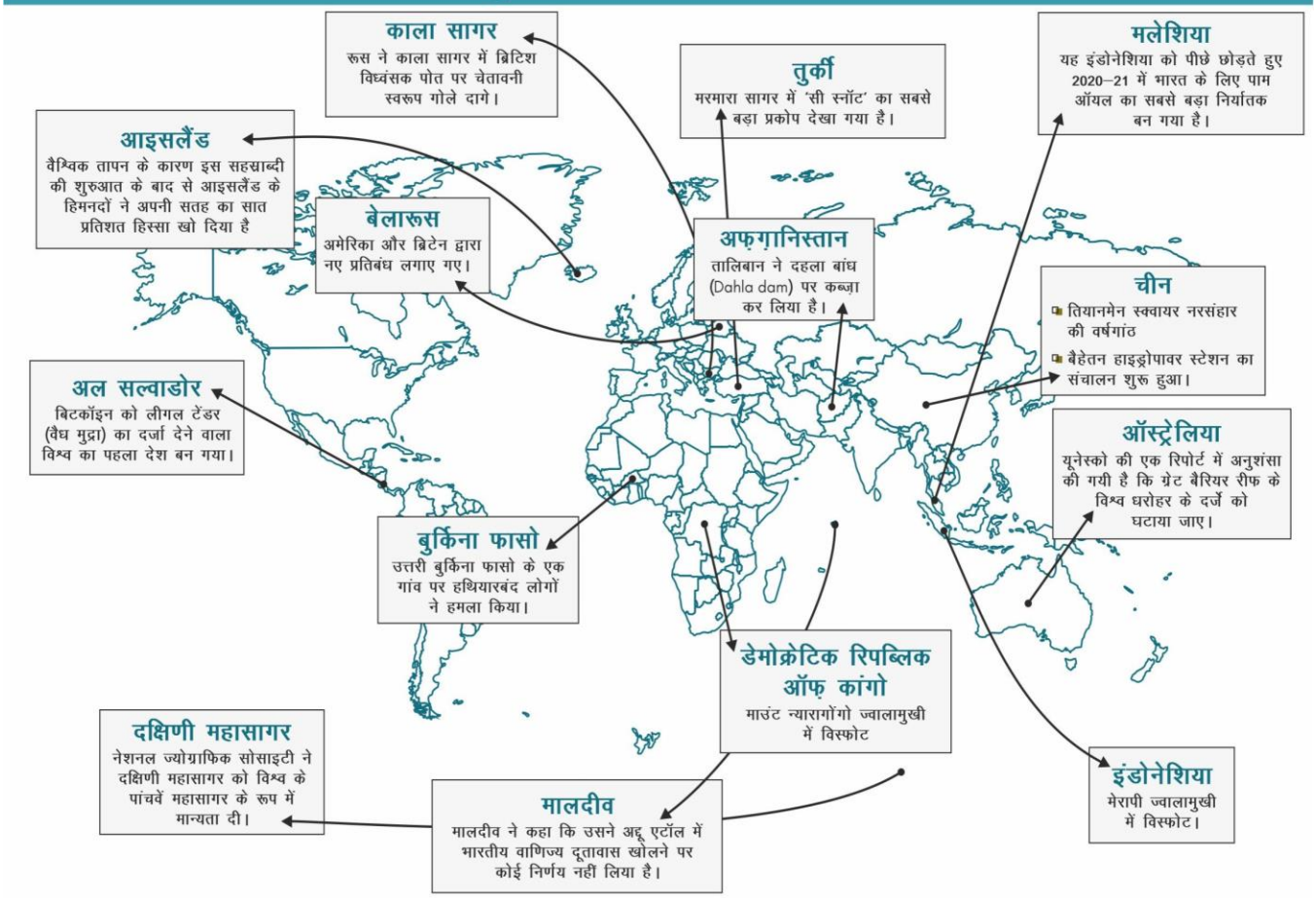

**काला सागर**
रूस ने काला सागर में ब्रिटिश विध्वंसक पोत पर चेतावनी स्वरूप गोले दागे।

**तुर्की**
मरमारा सागर में 'सी स्नॉट' का सबसे बड़ा प्रकोप देखा गया है।

**मलेशिया**
यह इंडोनेशिया को पीछे छोड़ते हुए 2020–21 में भारत के लिए पाम ऑयल का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है।

**आइसलैंड**
वैश्विक तापन के कारण इस सहस्राब्दी की शुरुआत के बाद से आइसलैंड के हिमनदों ने अपनी सतह का सात प्रतिशत हिस्सा खो दिया है

**बेलारूस**
अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा नए प्रतिबंध लगाए गए।

**अफ़ग़ानिस्तान**
तालिबान ने दहला बांध (Dahla dam) पर कब्ज़ा कर लिया है।

**चीन**
- तियानमेन स्क्वायर नरसंहार की वर्षगांठ
- बैहेतन हाइड्रोपावर स्टेशन का संचालन शुरू हुआ।

**अल सल्वाडोर**
बिटकॉइन को लीगल टेंडर (वैध मुद्रा) का दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बन गया।

**ऑस्ट्रेलिया**
यूनेस्को की एक रिपोर्ट में अनुशंसा की गयी है कि ग्रेट बैरियर रीफ के विश्व धरोहर के दर्जे को घटाया जाए।

**बुर्किना फासो**
उत्तरी बुर्किना फासो के एक गांव पर हथियारबंद लोगों ने हमला किया।

**डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ कांगो**
माउंट न्यारागोंगो ज्वालामुखी में विस्फोट

**दक्षिणी महासागर**
नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने दक्षिणी महासागर को विश्व के पांचवें महासागर के रूप में मान्यता दी।

**मालदीव**
मालदीव ने कहा कि उसने अड्डू एटॉल में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

**इंडोनेशिया**
मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट।

## सुर्ख़ियों में रहे प्रमुख व्यक्ति

| व्यक्ति/व्यक्तित्व | विवरण | प्रदर्शित नैतिक मूल्य |
|---|---|---|
| 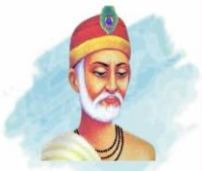<br>**कबीर दास** | • **कबीर** एक **प्रसिद्ध कवि, संत और समाज सुधारक थे।** उनका जन्म **1440 ई.** में हुआ था।<br>• उन्होंने **जाति आधारित भेदों को स्वीकार नहीं किया** और मूर्ति पूजा की निंदा की तथा हिंदू एवं मुस्लिम दोनों के संस्कारों, रीति–रिवाजों व कुप्रथाओं की आलोचना की।<br>• उनकी कविताएं उनकी पहचान भी हैं और ख्याति भी। उनकी कविता हिंदी, खड़ी बोली, पंजाबी, भोजपुरी, उर्दू, फारसी और मारवाड़ी का मिश्रण है।<br>• कबीरदास के लेखन का **भक्ति आंदोलन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था** तथा इसमें कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर, बीजक और साखी ग्रंथ जैसी रचनाएं शामिल हैं।<br>• उनकी कृतियों का एक व्यापक हिस्सा **सिखों के पांचवें गुरु– गुरु अर्जन देव द्वारा संकलित किया गया था।** | • **सामाजिक आलोचना और असहमति**<br>▸ उनके द्वारा निष्पादित कार्यों में मुख्य रूप से सामाजिक रीति–रिवाजों और मौजूदा मूल्यों, विशेष रूप से **जातिगत और धार्मिक हठधर्मिता** की आलोचना करने वाले **छंद** शामिल हैं।<br>▸ उनके काव्य ने **राजनीतिक और नैतिक मूल्य के रूप में असहमति की भूमिका** पर प्रकाश डाला, जिससे सामाजिक जीवन में मूल्यों का परिष्करण हो सकता है। |
| <br>**ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय** | • **ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय**<br>▫ वे भारत के **महान उपन्यासकारों** और **कवियों** में से एक थे।<br>▫ उन्होंने **अंग्रेजी में पहला भारतीय उपन्यास, "राजमोहंस वाइफ"** (जो बंगाली परिवार की एक आर्थिक जांच पड़ताल थी) की रचना की थी।<br>▫ उनके उपन्यास **आनंदमठ** को बंगाल के राष्ट्रवाद पर आधारित प्रमुख रचनाओं में से एक माना जाता है। यह उपन्यास **"सन्यासी विद्रोह"** (**18वीं** शताब्दी के अंत में भिक्षुओं का विद्रोह) की पृष्ठभूमि पर आधारित था।<br>◦ भारत का राष्ट्रीय गीत **'वंदे मातरम' आनंदमठ** से लिया गया है।<br>▫ उन्होंने वर्ष **1872** में एक मासिक साहित्यिक पत्रिका **बंगदर्शन** की शुरुआत की थी।<br>▫ उनकी अन्य लोकप्रिय कृतियाँ हैं– **विषबृक्ष (द पॉइज़न ट्री), देवी चौधरानी आदि।** | • **समालोचनात्मक विचार और देशभक्ति**<br>▸ उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अंतर्गत व्याप्त **अन्याय और प्रभुत्ववादी व्यवस्था की आलोचना** करते हुए अनेक उपन्यासों की रचना की।<br>▸ साहित्य के माध्यम से उन्होंने **साहित्यिक प्रबोधन का प्रकाश प्रज्वलित** किया।<br>▸ उन्होंने राष्ट्र को एक **देवी माँ की छवि (भारत माता)** के रूप में प्रस्तुत किया, जिसके कारण राष्ट्र के प्रति देशभक्ति की भावना का एकीकरण हुआ। |
| <br>**जमशेदजी टाटा** | • हाल ही में, हुरुन रिपोर्ट और एडेलगिव फाउंडेशन द्वारा जारी **टॉप 50–गिवर्स** की सूची के अनुसार जमशेदजी टाटा विगत शताब्दी में विश्व स्तर पर **सबसे बड़े परोपकारी व्यक्तित्व** के रूप में उभरे हैं।<br>• 3 मार्च 1839 को **गुजरात के नवसारी शहर में जन्मे** जमशेदजी, पारसी पादरी परिवार के वंशज नसरवानजी टाटा की प्रथम संतान और इकलौते पुत्र थे।<br>• वर्ष 1868 में, जमशेदजी ने **एक व्यापारिक कंपनी शुरू की तथा वर्ष 1869 में वस्त्र उद्योग में कदम रखा।**<br>• वर्ष 1880 से वर्ष 1904 में उनकी मृत्यु तक, जमशेदजी ने अपने जीवन के **तीन महान विचारों को साकार किया:**<br>▫ एक **लौह और इस्पात कंपनी की स्थापना।**<br>▫ **जलविद्युत शक्ति** उत्पन्न करना।<br>▫ एक **विश्व–स्तरीय शैक्षणिक संस्थान** का सृजन करना, जो भारतीयों को विज्ञान की शिक्षा प्रदान करेगा। | • **नेतृत्व और परोपकार**<br>▸ **उन्होंने भारत की प्रथम वाणिज्यिक एयरलाइन की स्थापना** की और अपनी कठोर मेहनत तथा परिश्रम के माध्यम से भारत के सबसे प्रतिष्ठित और सफल औद्योगिक समूह का संचालन किया।<br>▸ उन्होंने बंगलूरू में **भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) की स्थापना में सहायता** की तथा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (LSE) की स्थापना के लिए विपुल मात्रा में अनुदान दिया। |
| <br>**प्रशांत चंद्र महालनोबिस** | • **राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली की स्थापना में उनके अमूल्य योगदान** को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष **29 जून** का दिन राष्ट्रीय **सांख्यिकी दिवस** के रूप में मनाया जाता है।<br>▫ उन्होंने **भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की** तथा योजना आयोग को आकार दिया। साथ ही, उन्होंने बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण के लिए पद्धतियों का विकास किया।<br>▫ **भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956–61), जिसे महालनोबिस योजना** भी कहा जाता है, **सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और तीव्र औद्योगीकरण पर केंद्रित थी।** | • **संस्थान निर्माता और विद्वत्ता**<br>▸ उनके प्रयासों और समर्पण के कारण, **भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) की स्थापना और विकास** उनके द्वारा राष्ट्र की सेवा में किया गया कार्य था।<br>▸ वे एक प्रतिभाशाली सांख्यिकीविद् और वैज्ञानिक थे, जिनके विद्वतापूर्ण योगदान ने **भारत में नीति निर्माण के लिए व्यापक पैमाने पर सर्वेक्षणों की विभिन्न पद्धतियों का विकास किया।** |
| <br>**राम प्रसाद बिस्मिल** | • **"आज़ादी का अमृत महोत्सव"** के भाग के रूप में, संस्कृति मंत्रालय ने **उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती (11 जून) के उपलक्ष्य पर एक विशेष समारोह** आयोजित किया।<br>• राम प्रसाद बिस्मिल एक भारतीय क्रांतिकारी थे। उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष किया था।<br>▫ उन्होंने **भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन** (HRA) का गठन किया था।<br>▫ उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरोध में वर्ष 1918 के **मैनपुरी षडयंत्र** तथा वर्ष 1925 के **काकोरी षड्यंत्र** में अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह के साथ भाग लिया था। | • **नेतृत्व और दृढ़ निश्चय**<br>▸ उन्होंने विदेशी शासन के विरुद्ध देश की आवाज को मजबूत करने के लिए **युवाओं को संगठित** किया और उनके संघर्षों को आकार प्रदान करने के लिए संगठन की स्थापना की।<br>▸ उन्होंने न केवल अंग्रेजों से हथियार लूटने के लिए एक अत्यधिक जोखिमपूर्ण षड्यंत्र में भाग लिया, बल्कि अत्यधिक यातना और प्राणघातक चेतावनियों के आगे न झुकते हुए **अपने जीवन का बलिदान भी दिया।** |
| <br>**पी. वी. नरसिम्हा राव** | • वे वर्ष 1991 से वर्ष 1996 तक भारत के 9वें प्रधान मंत्री रहे।<br>• **उन्होंने वर्ष 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण की नीति** को प्रस्तुत किया था।<br>• विदेश नीति के संदर्भ में, उन्होंने **इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। भारत की 'लुक ईस्ट पॉलिसी' (पूर्व की ओर देखो नीति)** भी उनके कार्यकाल के दौरान ही आरंभ की गई थी। | • **नेतृत्व और विद्वत्ता**<br>▸ उनके नेतृत्व में, सरकार ने वैश्विक प्रवृत्ति की तर्ज पर भारतीय अर्थ-व्यवस्था के उदारीकरण के लिए व्यापक उपाय किए तथा अर्थव्यवस्था को संवृद्धि के उच्च विकास पथ पर अग्रसारित किया।<br>▸ वे एक प्रतिष्ठित विद्वान व बुद्धिजीवी थे, जो छह भाषाओं में पारंगत थे तथा उन्होंने कई पुस्तकों का अनुवाद किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिंदी, मराठी एवं तेलुगु में कथा–कहानियों की भी रचना की। |

| | | |
|---|---|---|
| <br>मिल्खा सिंह | • मिल्खा सिंह की कोविड–19 से संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई।<br>▫ वह एक भारतीय **ट्रैक और फील्ड धावक** थे, जिन्हें **द फ्लाइंग सिख** के नाम से भी जाना जाता था।<br>▫ वे एशियाई खेलों के साथ–साथ राष्ट्रमंडल खेलों में भी **400 मीटर में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र एथलीट थे।**<br>▫ वे स्वतंत्र भारत में राष्ट्रमंडल खेलों में प्रथम स्वर्ण पदक विजेता थे।<br>▫ उन्हें वर्ष 1959 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार **पद्म श्री** से सम्मानित किया गया था। | • लचीलापन और लगन<br>▸ भारत के विभाजन के दौरान अनाथ और विस्थापित, मिल्खा को अपनी वयस्कता की अवधि में **जीवित रहने और अपने स्वप्न को पूरा करने में सक्षम होने के लिए हर संभव कठिनाई का सामना करना पड़ा।**<br>▸ उनमें दौड़ने के प्रति इतना अधिक जुनून था कि उन्होंने अपने समय की लगभग **उन सभी धावक प्रतियोगिताओं में जीत अर्जित कर ली थी,** जिनमें उन्होंने हिस्सा लिया था। |
| <br>दुती चंद | • उन्होंने एक प्रमुख **ज्वेलरी रिटेल चेन के लिए एक ब्रांड एंबेसडर के रूप में हस्ताक्षर किए,** जिसने LGBTQ+ समुदाय के समर्थन में एक अभियान शुरू किया है।<br>• भारत की **पहली सार्वजनिक तौर पर स्वीकारोक्ति करने वाली समलैंगिक एथलीट दुती चंद** ने वर्ष 2019 में नेपल्स में वर्ल्ड यूनिवर्सिएड में इतिहास रचा, जब वह एक वैश्विक प्रतियोगिता में 100 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय धावक बनीं।<br>• वह **महिलाओं की 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक भी हैं** और ओलिंपिक में महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में भाग लेने वाली पांचवीं भारतीय हैं। | • इच्छा शक्ति और साहस<br>▸ एक बहुत ही साधारण परिवार से होने के कारण, उन्होंने **विश्व स्तर की एथलीट बनने के लिए अत्यधिक परिश्रम किया तथा इच्छा शक्ति से प्रेरित होकर** अपने स्वप्न को साकार करने के लिए सभी चुनौतियों का सामना किया।<br>▸ उन्होंने **सार्वजनिक रूप से स्वयं को समलैंगिक घोषित करने का साहसिक निर्णय** लिया तथा भारतीय सार्वजनिक पटल पर समलैंगिकता का समर्थन किया। |

# वीकली फोकस

## प्रत्येक सप्ताह एक मुद्दे का समग्र कवरेज

| मुद्दे | विवरण | अन्य जानकारी |
|---|---|---|
| **इंडिया बनाम भारत: क्या ग्रामीण-शहरी विभाजन वास्तविकता है या मात्र एक रूपक है?** | असमानता और सामाजिक एकता पर मौजूदा विमर्श ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच जीवन स्तर में बढ़ते अंतराल को रेखांकित किया है। मौजूदा असमानता राष्ट्र की संवृद्धि और विकास को असंख्य तरीकों से प्रभावित करती है। इस लेख में शहरी-ग्रामीण विभाजन में योगदान करने वाले कारकों और दो समकक्षों के बीच मौजूद सहजीवी संबंध पर चर्चा की गयी है। इसमें आगे इस बात पर भी चर्चा की गयी है कि क्या बेहतर भविष्य के लिए इंडिया और भारत में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। | |
| **क्रिप्टोकरेंसी: आर्थिक सशक्तीकरण का एक साधन या विनियामकीय दुःस्वप्न** | क्रिप्टोकरेंसी के लिए वर्ष 2021 अब तक का सबसे अच्छा वर्ष है; क्योंकि कुछ देशों में मुख्यधारा में प्रवेश पाने के साथ-साथ यह मुद्रा इस वर्ष अधिक लोकप्रिय और सुलभ रही है। लेकिन, क्या भारत में क्रिप्टोकरेंसी का कोई भविष्य है? यह देखा जाना शेष है, कि भारतीय विधि-निर्माताओं और विनियामकों को क्रिप्टोकरेंसी किस रूप में स्वीकार्य होगी। क्रिप्टोकरेंसी के मूल तथ्यों पर चर्चा करते हुए, इस लेख में जनता के आर्थिक सशक्तीकरण में क्रिप्टोकरेंसी की भूमिका और उनके बढ़ते उपयोग के कारण उभरती विनियामकीय चुनौतियों को दूर करने के लिए आगे के विकल्पों पर प्रकाश डाला गया है। | |
| **रक्षा उद्योग का स्थानीयकरण: आवश्यकता से लेकर अवसर तक** | चूंकि भारत अपनी वास्तविक रणनीतिक स्वायत्तता प्राप्त करने की ओर अग्रसर है, अतः इसे व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य और तकनीकी रूप से मजबूत स्वदेशी रक्षा औद्योगिक आधार तैयार करने की अत्यधिक आवश्यकता है। स्वदेशी रक्षा विनिर्माण की दिशा में भारत के प्रयासों का विश्लेषण करते हुए इस लेख में वर्तमान में विद्यमान कमियों या अंतराल की जांच की गयी है और देश में एक अभेद्य सुरक्षा ढांचे के निर्माण के लिए उपायों का सुझाव प्रदान किया गया है। | |
| **वन संरक्षण: आज वनों को बचाकर अपना कल सुरक्षित करें** | सतत विकास और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन पर गहन वैश्विक विमर्श ने मानवता के लिए वनों के महत्व को चर्चा के केंद्र में रखा है। वनों के समक्ष उभरते खतरों के लिए उनके संरक्षण और सतत प्रबंधन हेतु गहन रणनीति बनाने की आवश्यकता है। यह दस्तावेज़ भारत में व्यवहार में आने वाली विभिन्न रणनीतियों और भविष्य के लिए संभावित वन आवरण के स्तर को प्राप्त करने के संभावित अवसरों पर चर्चा करता है। | |

**Copyright © by Vision IAS**
*All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.*

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

*Stay in touch with Your Preparation*

# FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

www.visionias.in

# 7 IN TOP 10 SELECTIONS IN CSE 2019

## FROM VARIOUS PROGRAMS OF VISION IAS

**2 AIR**

**JATIN KISHORE**

**3 AIR**

**PRATIBHA VERMA**

**6 AIR**

**VISHAKHA YADAV**

**7 AIR**

**GANESH KUMAR BASKAR**

**8 AIR**

**ABHISHEK SARAF**

**9 AIR**

**RAVI JAIN**

**10 AIR**

**SANJITA MOHAPATRA**

**YOU CAN BE NEXT**


**DELHI**

**HEAD OFFICE** Apsara Arcade, 1/8-B, 1st Floor, Near Gate 6, Karol Bagh Metro Station

**+91 8468022022, +91 9019066066**

**Mukherjee Nagar Centre**

635, Opp. Signature View Apartments, Banda Bahadur Marg, Mukherjee Nagar

**JAIPUR** 9001949244 | **HYDERABAD** 9000104133 | **PUNE** 8007500096 | **AHMEDABAD** 9909447040 | **LUCKNOW** 8468022022 | **CHANDIGARH** 8468022022 | **GUWAHATI** 8468022022

/c/VisionIASdelhi /vision_ias /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC